

सार-संग्रह
(Compendium)



सत्यमेव जयते

2006

सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय
बिहार, पटना

DIRECTORATE OF STATISTICS &
EVALUATION, BIHAR, PATNA.

Creation of the Directorate of Economics and Statistics in the Finance Department.

APPENDIX I (A).

Copy of letter no. 21373-F, dated the 15th September 1949, from the Deputy Secretary, Finance Department, addressed to all Government Departments and Heads of Departments.

I am directed to inform you that Government of Bihar in the Finance Department have created a Directorate of Economics and Statistics with the following functions and have laid down the following instructions to be observed by the various Departments and offices of the Government:-

The functions of the Bureau:-

- (i) To advise departments and offices of the Government on statistics and economic questions.
- (ii) To co-ordinate the statistics collected by different departments and offices of the Government subject to guidance from the Bureau, individual departments will continue to collect their own statistics. The Bureau will co-ordinate these statistics, suggest improvements in the existing methods of collection and offer advice in regard to the collection of new statistics. In the other words, it will give all sorts of technical direction and supervise statistical work done by the staff of the various departments. It will provide requisite liaison between the Central Government and this Government in respect of statistical matters. It will organise in the provincial sphere any statistical surveys required as part of approved all-India plans.
- (iii) To review, rationalise and standardise, as far as practicable, The method of planning statistical enquiries, methods of collection of data as well as methods of arrangement, presentation and analysis of statistical data employed by different departments and offices of Government. Enquiries affecting more than one Government Department or enquiries of a specialised nature will obviously be carried out by the Bureau through the agencies working under it and will be associated with all socioeconomic enquiries required by Government.
- (iv) To carry out statistical or economic analysis and research and maintain a statistical laboratory and a library. Compilation, scrutiny and interpretation of data collected by various departments would be the function of Bureau.
- (v) To prepare and publish periodical reports, etc., summarising and interpreting statistical material received from various departments or collected by itself.

Instructions to be issued by various Departments and offices of the Government :-

- (i) Duplicate of all periodical statistical statements and reports (e.g., administration reports etc.,) should be furnished to the Bureau when they are ready.
- (ii) Before modifying, revising, altering or recasting the existing forms of return, as well as methods and procedure for collection, checking, compilation, presentation and analysis of existing statistics, the Bureau should be consulted.

- (iii) When a Department or an office of Government contemplates collection of any new statistics, pertaining to any subject whatever, whether by random sampling methods or by any other methods, the Bureau be consulted at every important stage.
- (iv) Experimental projects (such as small-scale experiments for improving varieties of food crops or other crops, cattle breeding, etc.) taken up by Departments concerned either at the instance of the Government of India agencies or at their own initiative should be carried out under the immediate direction and control of the Director of Economics and Statistics Bureau.
- (v) If any Department or office has a statistical section or branch, the statistician or statistical officer concerned should be asked to work under the direction, supervision and the technical control of the Director of Economics and Statistics in so far as the statistical aspect of their work is concerned.
- (vi) The Director of Economics and Statistics should be consulted by the various departments and offices of Government at the time of creating new posts of all grades for statistical work and also at the time of selection as well as confirmation of statistical personnel.
- (vii) The methods of reference may be by letters or unofficial endorsement as occasion suggests. But unofficial reference should always be supported by a concise self-contained note on the points on which the advice of the Bureau is sought.

Conference or committees:- The Director of Economics and Statistics Bureau should be represented at all meetings by the provincial Government or the Government of India or their agencies where any statistical or economic questions are to be considered.

The Director of the central Bureau of Economics and Statistics has already been appointed and taken over charge of this work. I am to request you to observe the instructions laid down by the Government and offer facilities to the Director to undertake the functions for which the Directorate has been created. To enable the Director to start the work immediately, I would request you-

- (a) to send to the Director of the Central Bureau of Economic and Statistics, a brief note stating the various kinds of statistics collected by or received in your office, whether these are published in the annual statements and returns issued by your office or not, the method and sources of collection of these statistics, the form in which they are collected, and the forms of statements and returns in which they are published and submitted to Government;
- (b) to issue instructions to your statistical officer and the statistical staff, if any, to maintain close contact with the office of the Director of the central Bureau of Economics and Statistics in respect of all statistical materials collected and their compilation and publication;
- (c) to send to the Director of the Central Bureau of Economics and Statistics all statistical statements and reports issued by your office during the last five years and all such statements and reports to be issued in future.

The Director would like to know if there is any statistical problem which you would like him to examine immediately and he would be glad to have a discussion with you on any such problem. The Director of the Central Bureau of Economics and Statistics, Bihar, Patna may be addressed directly in this connection.

Re-organisation of the central Bureau of Economics and statistics Transfer of the head quarters staff of the office of the superintendent/Agricultural statistics, Bihar to the control of the Director, Central Bureau of Economics and statistics, Bihar, Patna.

APPENDIX 1(b)

Letter from Shri S. Sahay, Deputy Secretary to the Government of Bihar, Revenue Department.no.A/C-V/V-5A/52-7976-R dated, Patna, the 13th November 1954. to the superintendent Agricultural Statistics, Bihar, Patna.

SUBJECT:- Re-organization of the Central Bureau of Economics and Statistics, Bihar-transfer of the headquarters staff of the office of the Superintendent, Agricultural Statistics, Bihar to the control of the Director, Central Bureau of Economics and Statistics, Bihar, Patna.

I am directed to say that in pursuance of their decision to centralise all statistical staff under the Central Bureau of Economic and Statistics, Bihar Government have been pleased to order that the entire headquarters staff of the office of the superintendent, Agricultural Statistics, Bihar, except the Personal Assistant to the Superintendent, Agricultural Statistics, along with all the records, books, typewriters, calculating machines ,furniture .etc .belonging to that office may forth with be transferred to the Central Bureau of Economics and Statistics.

2. With a view to ensuring smooth working of transfer to the Central Bureau, the following decisions has been taken:-
 - (a) The Director of Central Bureau of Economics and Statistics will be Designated as the Superintendent, Agricultural Statistics, Bihar under the administrative control of the Finance Department.
 - (b) The Director of the Central Bureau of Economics and Statistics will be declared as the controlling officer in respect of the budget head "47-Miscellaneous"-Department-State Statistics-Collection of crop statistics" in his capacity as the Superintendent, Agricultural Statistics, Bihar.
 - (c) The District Supervisors, their computator clerks and their peons, posted at the District headquarters, will remain under control of the Collectors and the Divisional Commissioners as at present.
 - (d) All reports and returns that are at present sent to Superintendent, Agricultural Statistics under the Revenue Department will henceforward be sent to the Director of Central Bureau of Economics and Statistics in his capacity as the Superintendent, Agricultural Statistics under the Finance Department.
 - (e) All official statistics, forecasts, etc., will henceforward be issued, published and sent to the Government of India by the Director of Central Bureau of Economics and Statistics as Superintendent, Agricultural Statistics after mutual consultation with and prior approval of Government in the Revenue Department, wherever necessary.
 - (f) The collecting field staff will continue to remain under the Revenue Department and that there will be no change so far as they are concerned.
3. I am to request that the decision of Government to transfer the staff of the office of the Superintendent Agricultural Statistics may be implemented without delay.

Department of central Bureau of Economics & Statistics together with the Department of Agricultural statistics shall be treated as an amalgamated Department of the Finance Department.

**Government of Bihar
(Organization and Methods Section).**

Memo No.643/Patna the 19th Jan.,1957

(M/R.201/57 CS).

To,

All Departments of Government.

It has been decided that the Department of Central Bureau of Economics and Statistics together with the Department of Agricultural Statistics shall be treated as an amalgamated department of the Finance Department. All the provisions of the under contained in organizations and Methods section Memo no.OM/P..107/56-4-308, dated the 10th January, 1956 will apply to this department with effect from the date of this order.

Sd/- M.S. Rao
Chief Secretary to Government.

For the better performance of Business in relation to the Directorate of Agricultural statistics.

APPENDIX I (c)

Notification no. ME-606/60-678-F., dated Patna, the 14th January 1960, by the Government of Bihar, Finance Department

For the better performance of business in relation to the Agricultural Statistics, the Governor of Bihar is pleased under Article 166 and Article 309 and in exercise of other powers under the Constitution of India to issue the following orders:-

- (1) All orders will take effect from the 15th January 1960.
- (2) All rules and orders on this subject inconsistent with these orders will to that extent be inoperative.
- (3) The office of the Superintendent, Agricultural Statistics is abolished.
- (4) (a) The Director of Agricultural Statistics shall be in sole charge of the management of all work connected with the collection and compilation of Agricultural Statistics, provided that preparation of special studies in relation to Agricultural Statistics and the processing of data for this purpose shall be a responsibility of the Director of the Central Bureau of Economics and Statistics.
- (b) The Director, Central Bureau of Economics and Statistics shall design surveys and investigations connected with Agricultural Statistics in consultation with the Director of Agricultural Statistics and such surveys and investigations if approved by Government, shall be carried out by the Director of Agricultural Statistics.
- (c) The Director, Central Bureau of Economics and statistics may tender technical advice on any aspect of the work of the Agricultural Statistics to the Director of Agricultural Statistics, and for this purpose he may carry out inspection of the field work of Agricultural Statistics.
- (5) For this purpose of these rules and subject to such amendments as may be made from time to time by order, the establishment connected with the affairs of the Director of Agricultural Statistics and the establishment connected with the affairs of the Director, Central Bureau of Economics and Statistics shall be separated and notified separately.
- (6) The District Statistical Officers and other statistical staff posted outside the State headquarters shall be responsible to the Director of Agricultural Statistics and to the Director of Central Bureau of Economics in relation to the functions entrusted to each. Arrangement about administrative control will be notified separately. Meanwhile the existing arrangement will continue.

Memo no. ME-606/60—678-F., dated Patna, the 14th January 1960,
by the Deputy Secretary to the Government of Bihar,
Finance Department.

Copy forwarded to the Accountant-General, Bihar, Ranchi, for information.

Memo no. ME-606/60, 678-F.-dated Patna, the 14th January 1960, by the Deputy Secretary to the Government of Bihar (Finance Department).

Copy forwarded to the Superintendent, Secretariat Press, Gulzarbagh for publishing the notification in the next issue of the Bihar Gazette.

Memo no. ME-606/60,—678-F., dated Patna, the 14th January 1960, by the Deputy Secretary to the Government of Bihar (Finance Department).

Copy forwarded to the Director, Central Bureau of Economics and Statistics / Director of Agricultural Statistics/all Departments of Government /all Heads of Departments/ all District Officers/ all District Statistical officers/ all Superintendents of Government Press at Gaya and Gulzarbagh.

For the better performance of Business in relation to the Directorate of Agricultural Statistics and Directorate of Central Bureau of Economics and Statistics.

APPENDIX I (d)

Notification no. 21795-F., dated Patna, the 23 September 1960, by the Government of Bihar, Finance Department.

For the better performance of business in relation to the Directorate of Agricultural Statistics and Directorate of Central Bureau of Economics and Statistics, the Governor of Bihar is pleased under Articles 166 and 309 and in exercise of other powers under the constitution of India to issue the following orders:-

- (1) The Directorate of Agricultural Statistics and the Directorate of Central Bureau of Economics and Statistics shall be amalgamated and named as Directorate of Statistics, Bihar, Patna.
- (2) The posts of Director of Agricultural Statistics and Director of Central Bureau of Economics and Statistics, Bihar, shall be abolished.
- (3) There will be a Director of Statistics, Bihar, who will be Head of Department in sole charge of the Directorate under the administrative control of the Finance Department.
- (4) The Director of Statistics shall have all the powers under the various codes and rules which Heads of Department ordinarily exercise, as also the same powers as the Director of Agricultural Statistics and the Director of Central Bureau of Economics and Statistics had before making this order.
- (5) Subject to observances of rules and procedure in force the Director of Statistics shall have the power to appoint, dismiss or remove from service or otherwise punish all members of Subordinate service (Class III and IV) in the establishment of the Directorate of statistics including establishment connected with the affairs of the Director of Agricultural Statistics and the Director of Central Bureau of Economics and Statistics which are now combined.

2. These orders shall take effect from the 1st October 1960

Memo. no.21795...F. ,dated , Patna, the 23rd September 1960 by the under Secretary to the Government of Bihar, Finance Department.

Copy forwarded to the Superintendent, Secretariat Press, Gulzarbagh ,Patna, for the publication in the next time issue of the Gazette

Memo. no.21795...F. ,dated , Patna, the 23rd September 1960 by the under Secretary to the Government of Bihar, Finance Department.

Copy forwarded to the Accountant-General, P.O. Hinoo, directorate of Statistics Ranchi/all Departments of Government/ all Head of Departments Cabinet Secretariat, for information.

Memo.no.5012 (K), dated Patna, the 10th October 1960 by the P.A. to Director, Finance Department (Directorate of Statistics).

Copy forwarded to all District Officers/ Additional Collectors Sub- divisional Officers/ District Statistical Officers/Block Development Officers/ Project Executive Officers and Anchal Adhikaris for information .Sri R. B. Lal, I.A.S., has been appointed to the newly created post of Director of Statistics with effect from 1st October 1960, vide Finance Department notification memo.no.21797-F., dated the 23rd September 1960 (copy enclosed).

Transfer of the Administrative Intelligence Unit of the Community Development Department to the control of the Director, Directorate of Statistics, Bihar, Patna.

A copy of letter no.4838, dated 28.7.63 from Shri M.K .Mukharjee, Secretary, Department, of Community Development, Bihar addressed to the Secretary, Finance Department, Bihar.

Subject: Transfer of the Administrative Intelligence Unit of the Community Development Department to the control of the Director, Directorate of Statistics, Bihar, Patna.

I am directed to say that in pursuance of their decision for the integration of the Administrative Intelligence unit of the Community Development Department with the Directorate of Statistics, Bihar, Government have been pleased to order that the entire staff (statement enclosed) of the Administrative Intelligence unit may forth with be transferred to Directorate of Statistics under the Finance Department.

2. With a view to ensuring smooth working after transfer to the Finance Department the following decisions have been taken;
 - a. The staff of the Administrative Intelligence Unit will merge in the cadre of the Director of Statistics, pending the working out of details the Unit will function as a wing of the Directorate of Statistics.
 - b. The staff of the Unit will be attached to the C.D. Department under the operational control of Secretary. C.D .changes, if any, in the staff or the working of the Unit will be made by Finance Department in consultation with C.D. Department.
 - c. The Joint Director of Statistics, Bihar will examine the working of the Unit and will advise as to how further improvement can be brought about in its working.
 3. The pay and allowance of the incumbents of the unit will be debtable to a new sub-head under the major and min head “ 39-Miscellaneous social and Developmental Organisations Statistics- State Statistics’”. The exiting provision under the C.D. budget head on this account will be surrendered for being utilized by the Director of Statistics for the maintenance of the unit.
 4. The Director of Statistics will be the controlling officer and his P.A. the drawing and disbursing officer in respect of pay allowances etc. of the staff of the unit.
 5. I am therefore, to request that the decision of Government to transfer the unit to the Directorate of Statistics may be implemented with effect from the 15th August, 1963.
-

Transfer of the Directorate of Statistics and Evaluation from the Finance Department to the Planning Department, Govt. of Bihar.

.....

परिशिष्ट-1

**No. Plan-I/2030/68-3145-P.D.
GOVERNMENT OF BIHAR.
PLANNING DEPARTMENT.**

RESOLUTION

Patna , the 16th December, 1968.

Subject:- Transfer of the Directorate of Statistics and Evaluation from the Finance Department to the Planning Department, Government of Bihar.

With the expansion in developmental activities, the growing size of the Plans, the complexity of the planning process and the need for more systematised assessment of the progress of the numerous schemes, it has become very necessary that planning and evaluation should go hand in hand. The Administrative Reforms Commission have also recommended that the Evaluation Unit should be a part of the Planning Organisation. Since much of the work of the Directorate of Statistics is also connected with Development, it is considered more appropriate to attach the Directorate of Statistics and Evaluation to the Planning Department rather than to the Finance Department. Views have also been expressed by responsible bodies and individuals in favour of such an arrangement. Considering all these points, the State Government, in the interest of greater efficiency in the assessment of development programmes, have decided to transfer the Directorate of Statistics and Evaluation from the Finance Department to the administrative control of the Planning Department with effect from the date of the issue of this Resolution.

The Statistics and Evaluation wings of the Directorate will maintain their separate identities, and functions within the planning Department.

Order.- Ordered that a copy of this Resolution be forwarded to the Director, Statistics and Evaluation/Department of Co-Ordination (Cabinet Secretariat)/ Accountant-General, Bihar, P.O. Hinoo, Ranchi/ all Departments of Government / all Head of Departments/ all Divisional Commissioners/all District Officers/ all Sub-divisional Officers/all Project Executive Officers and Block Development Officers for information and necessary action. Ordered also that a copy of this Resolution be published in the Bihar Gazette

By order of the Government of Bihar.

M.K.MUKHARJI,
Secretary to Government.

Memo. no. 3145-P.D,

Patna the, 16th December, 1968.

Copy forwarded to Director, Statistics and Evaluation/ Department of Co-ordination(Cabinet Secretariat)/ Accountant, General, Bihar, P.O. Hinoo, Ranchi/ all Departments of Government / all Heads of Departments/ all Divisional Commissioners / all District Officers/ all Sub-divisional Officers / all Project Executive Officers and Block Development Officers for information and necessary action.

A.P.BAXI,
*Deputy Development Commissioner (P),
Planning Department, Bihar, Patna*

Duties and Functions of Junior Statistical Assistant posted at Block Hqs, Administration control etc.

APPENDIX XIX-E

Copy of letter no.5013/56-2100-F.(E.S.), dated the 16th July, 1956, from Shri H. Prasad, Deputy Secretary to Government of Bihar, Finance Department.
SUBJECT:- Duties and functions of Junior Statistical Assistant posted at Block Headquarters, Administrative Control, etc.

The main object of the community Project is to secure the fullest development of men and material resources of rural India which calls for intensive work in the field of Agricultural Development, Social Education, Improvement of Health Sanitation, communication, etc. It can only be ensured if we have necessary statistics at each stage of their development so that administrators may be able to assess the basic requirement of the rural folk, plan the future programme of action, keep watch of the work and take necessary measures to fulfill the target laid down therein. The need for statistical staff at different levels for collection, compilation and analysis of data was keenly felt by the administrative and reported to the higher authorities from time to time.

2. The State Government under the Second Five- Year Plan have provided each Anchal – cum –Development Block with one Junior Statistical Assistant in the grade Rs. 100-5-130-E.B.-6-190 under the administrative control of the Central Bureau of Economics and Statistics, Bihar. A District Statistical Officer(Junior Class II Service) is going to be appointed and posted at each of 17 district headquarters. He will be assisted by a Statistical Inspector (Rs. 125-250), a Junior Statistical Assistant (Rs. 100-190) together with the existing staff of District Statistical Supervisor of Agricultural Statistics and Statistical Computer. The District Statistical Officer will help the D. Os. in Statistical work relating to planning. The detail of work in regard to the District Statistical Officers will be furnished to the D. Os. As soon as they are appointed.
3. Duties of J.S.A.- At this stage it is felt necessary to define the functions and duties of the J.S. As. Who are going to be posted at the headquarters of the blocks which are already in existence. All the Block Development Officers will see that the J.S. As. In their respective blocks are not utilized for purposes other than what they are meant for.
4. The details of works connected with administrative intelligence at the block level have already been given in the green book on “Draft Manual on Administrative Intelligence” a copy of which has already been provided to each Block Development Officer by the Development Commissioner, Bihar. However, the main items of work in this connection are summarised below:-
Administrative Intelligence-
 - (a) To attend at block level, to all statistical works relating to scrutiny, certification, processing of statistical returns(including fortnightly, monthly and quarterly progress reports submitted by village level workers and other supervisory staff), Bench mark surveys of the villages.
 - (b) To take up work relating to the assessment and evaluation of achievements, people’s contribution and Government expenditures.
 - (c) Preparation of various types of graphs, charts and statements depicting, different types of the Community Development and N.E.S. programmers.
 - (d) Preparation of brief notes regarding performance of blocks.
 - (e) Supervision of all types of ad-hoc surveys initiated by the State Statistical Bureau, the Development Commissioner’s Office or any other department, the Central or State Government.

- (f) Preparation of consolidated composite chart for each village in the block with a view to bring out comparison between the existing condition resources of each village and achievement in various fields made from time to time. Besides administrative intelligence work, the J.S.A. will have to be entrusted with other types of statistical work as given below:-
- (i) Agricultural Statistics (details will follow in printed guide)- To undertake or supervise crop-cutting experiments on major crops as directed by the Director, Central Bureau of Economics and Statistics, Bihar, Superintendent, Agricultural Statistics, Bihar, from time to time.
- (ii) To do rain recording work and report the maximum temperature humidity, etc.- It has been decided that each Anchal – cum-Development Block will be equipped with one rain-gauge station with rain gauge and maximum and minimum wet and dry bulb thermometer. The Block Development Officers will henceforth be the rain-recording officers and will be assisted by the J.S.S in the work. A separate letter is being addressed regarding the rain-recording work giving the detail of time, procedure of dispatch and the date from which the work may be taken up by Block Development Officers from the existing rain recording officers.
- (iii) Checking of other reports and returns with reference to area and yield of agricultural crops(details will follow) and farm price, etc.
- (iv) Reporting of wages of agricultural labour (the work to be taken up later when Director of Central Bureau of Economics and Statistics will issue separate instructions).

VITAL STATISTICS.

Supervising the work of collection of birth and death statistics by Village Chaukidars and Gram Sewaks - Administrative control in terms of paragraph 5 of the Government Resolution no.2986-A.C.S., dated the 7th June, 1954, regarding N.E.S. organisation, administrative control, etc.- The Director of Central Bureau of Economics and Statistics will be the controlling technical head in regard to the Junior Statistical Assistant posted to each N.E.S./C.D. Block. But in terms of paragraph 6 of the said resolution, the B.D.O./P.E.O .will function as an agent of the Central Bureau of Economics and Statistics while the Director will be responsible for ensuring adequate technical supervision over the work of these J.S. As. who will remain under the administrative control of the B.D.O./P.E.O. for operational purposes. In order to make this administrative control effective and to minimise delay in disbursement of pay and allowance to the J.S.A. to be attached to each N.E.S./ C.D .Block, it will be necessary to declare the Block Development Officer/Project Executive Officer as head of office for the purpose of rule 289(1) of the Bihar Treasury Code, Volume I in respect of Junior Statistical Assistant.

It will further be necessary to delegate some powers to the Block Development Officer/Project Executive Officer in regard to certain other matters for which orders are being issued separately.

- (2). *Channel of communication*:- All returns, reports and statistical data relating to N.E.S./C.D. Block should be furnished by the Block Development Officer/ Project Executive Officer through power channel to the Development Commissioner according to the instructions issued from time to time.

Statistical reports and returns relating to other subjects will be furnished to the Director of Central Bureau of Economics and Statistics or to the Superintendent of Agricultural Statistics as the case may be through the proper channel as prescribed by the department concerned. Detailed instructions for all different types of work will be issued shortly by the Director of Central Bureau of Economics and Statistics.

Duties and functions of District Statistical officers at District Headquarter

परिशिष्ट- (1)

Copy of letter no.T-1/57-6296-D(ES),dated the 20th December 1957, from Shri H. Prasad ,I A.S., Deputy Secretary to the Government of Bihar Finance Department, to all Commissioners of Divisions and Development Commissioner, Bihar/District Officers.

Subject:-- Duties and functions of District Statistical Officers at District headquarters

The setting up of District statistical machinery is an important and significant landmark in the evolution of Indian statistical system. It has been increasingly realised that district administration is the pivot of administrative set up and a good deal of data flows from the district onwards. It is, therefore, necessary that whatever data are collected at this stage should be comprehensive, reliable and accurate. The need for such data has recently been more increasingly felt in view of the fact that great emphasis has been laid on planning at the district level. In accordance with the recommendation of the Joint Conference of Central and State Statisticians and the Agricultural Prices Enquiry Committee, a scheme in the Second Five-Year Plan has been included for setting up District Statistical Organisations.

It is for the first time that a district statistical machinery is being established in Bihar and elsewhere and in order that the system may develop on uniform and systematic lines, it is felt necessary to prepare a manual setting forth precisely the functions of this organisation and its relations with planning and organisations at district level. The various agencies at the district level collect data as a by-product of administrative and regulatory activities. The problems that would be thrown up in the establishment of distinct statistical machinery require to be examined and studied in context and background of the existing situations at district level and a district statistical manual will provide guidance in evolving appropriate mechanism on a uniform basis.

Keeping the above considerations in view the following will be the main functions of the District Statistical Officer:-

- (1) He should assist the district agencies in filling up the quarterly *proforma* relating to progress of the Plan and other relevant statistics and to ensure that they are filled up properly.
- (2) He should also look critically into the compilation of Agricultural Statistics, Community Project and National Extension Service statistics.
- (3) He should maintain a register of physical targets, aims and objectives, amount sanctioned and spent on each scheme that is implemented in the district.
- (4) He should maintain all the basic statistics pertaining to his district and try to build up these statistics village wise.
- (5) *Preparation of statistics abstract and statistical series* – The District Statistical Officer should also concentrate on building the series from the village level at a later date wherever possible. The progress of the work in this direction should be intimated to the Bureau from time to time by the officers.

- (6) Ad hoc enquiries – The District Statistical Officers will have to take part in *ad hoc* enquiries that are conducted by the Bureau for collection of any information on *ad hoc* basis.
- (7) The District Statistical Officers should give a brief note on the type of statistics available in the district, their coverage sources, extent or reliability, etc.
- (8) Co-ordinating the statistical activities of different departments at the district level.
- (9) Ensuring that the data collected by the different district agencies are furnished in time and conform to contain minimum standards.
- (10) Undertaking on-the-spot investigations on the collections data.
- (11) Periodic training of primary reporters of data in the different fields.
- (12) Collection of such economic and statistical data which are either not available at present or are extremely meager inadequate or unreliable and for collection of which there is no suitable agency existing at the district level and which can be collected with the sanctioned staff.
- (13) Maintain data relating to district development scheme included in the Plan and periodic assessment of the progress there of.
- (14) Meeting such other demands for statistics as may arise from time to time for administrative and policy purposes.
- (15) Supervising the work of primary reporting agencies and exercising crosschecks, between entries made in different columns and rows of different forms of returns, reports and statement, comparison with similar data relating to previous periods and examine if data collected correspond to concepts and definitions adopted.
- 16) Submitting critical annual reports on his district statistics.

Duties and Functions of The District Statistical officers and Junior Statistical supervisor posted at the District and Block headquarter and their relationship with the District officers/B.D.O.

Copy of letter no.IV-NI-ob/59-1867,dated Patna, the 14th April , 1960, from Shri S .Dutt, I .A .S.,Secretary to Government of Bihar, Finance Department, to all district Officers.

Subject:- Duties and functions of the District Statistical Officer and Junior Statistical Supervisors posted at the district and block headquarters and their relationship with the District Officers/Block Development Officers.

I AM to state that the duties and functions of the District Statistical Officers and the Junior Statistical Supervisors have been laid down in Shree H. Prasad's letter no.T.-1/57-6296/F.(E.S.), dated the 20th December 1957 and no.5013/56-2100-F.(E.S.), dated the 16th July 1956 respectively. Since some difficulties of interpretation have been to notice, the following instructions are issued in clarification.

2. The District Statistical Officers have been posted to each district in the State primarily to assist the District Officers in the collection, compilation and analysis of statistical data relating to the districts concerned. The details of the statistical works which the District Statistical Officers are required to do have been laid down by Government from time to time but their assistance can be taken by the District Officers in collecting other statistics, the demand for which may arise for administrative and policy purposes. It should, however, be the anxiety of the District Officers to see that the statistical work specially assigned to them does not suffer in any way and that those officers are not employed on any non-statistical work.

3. The District Statistical Officers will work under the functional control of the District Officers in all non-technical matters. The District Officers will have the same powers of administrative and disciplinary control over them which they exercise under Government instructions, as laid down in paragraph 5 of the Chief Secretary's letter no.6728, dated the 16th September, 1966. They will more over grant casual leave to the District Statistical Officers and will also function as their controlling officers for travelling allowance purposes as empowered in Shree H. Prasad's letter no.E.S.-485/60-1494, dated the 23rd March, 1960.

4. The control which the Project Executive Officers /Block Development Officers will exercise over the Junior Statistical Supervisors is indicated in Shree H. Prasad, I A.S., Deputy Secretary, Finance Department's letter no.2099-E.S., dated the 16th July 1956 and in paragraph 1 of the Chief Secretary's letter no.520, dated the 24th January,1957. The Block Development Officers will ensure that the Junior Statistical Supervisors in their respective blocks are not utilised for purpose other than what they are meant for. The Junior Statistical Supervisors should undertake on the spot verification of the data when required to do so by the Block Development Officers and compile the reports after they have been received duly signed by the subject matter specialists and extension supervisors.

5. The Director, Agricultural Statistics and the Central Bureau of Economics and Statistics is being requested to examine the present position and issue specific instructions to the Districts Statistical Officers/ Junior Statistical Supervisors for maintenance of statistical data at the block and the district levels which may be of help for day to day administration.

6. A copy of these instructions may be sent to all the P.E.Os / B.D.Os

7. The receipt of this letter may be acknowledged.

MEMO.no. I.V. MI-ob/59-1867.

Dated Patna, the 14th April,1960.

By the Secretary to the Government of Bihar, Finance Department.

Copy forwarded to the Development Commissioner / all Divisional Commissioners for information.

ज्ञाप सं० 1399 ।

बिहार सरकार

वित्त विभाग

सांख्यिकी एव मूल्यांकन निदेशालय ।

प्रेषक,

दिनांक 13 मई 1965 ई० ।

श्री रास बिहारी लाल,
निदेशक तथा सरकार के सचिव (पदेन),
वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ।

विषय - कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षकों के कर्तव्य और कार्य ।

महाशय,

आदेशानुसार उप-सचिव, वित्त की पत्र संख्या 5013-56-2900-एफ०(ई० एल०), दिनांक 15-जुलाई, 1956 में उलिखित कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षकों के कर्तव्य और कार्यों के विवरण के क्रम में संलग्न कार्य-तालिका प्रकाशित की जा रही है । इस कार्य-तालिका में कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षकों के कर्तव्य और कार्यों का स्पष्ट व्यान कर दिया गया है । पहले के कार्यों में आवश्यकतानुसार वृद्धि कर दी गयी है । कार्यों की सूची में जो विषय जोड़े गये हैं उनके आँकड़ें एकत्र करने के लिये आवश्यक प्रपत्र और अनुदेश बाद में भेजे जायेंगे ।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी ऐसी स्थिति उत्पन्न करे कि सभी कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक अपने कार्यों का विधिवत तथा यथासमय पालन कर सकें। अपने निरीक्षण के क्रम में प्रत्येक कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक के काम का निरीक्षण साल में कम से कम दो बार होना चाहिये । वे आश्वस्त हो लें कि वे अपना कर्तव्य समझते हैं और उन्हें मनोयोग से सम्पादित करते हैं । उनका कार्यभार यथेष्ट है, किन्तु खेद की बात यह है कि पर्यवेक्षक के अभाव में कार्य सम्पादन संतोषजनक नहीं रहा है ।

विश्वासभाजन

रा० वि० लाल,

निदेशक तथा सरकार के सचिव(पदेन)

वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षकों के कर्तव्य

प्रशासनिक सूचनायें---

- (क) प्रखंड के प्रत्येक गाँव, हल्का तथा प्रखंड सम्बन्धी मूल सर्वेक्षण प्रतिवेदन का संधारण ।
- (ख) जन सेवकों द्वारा सेधारित पंजियों की जाँच ।
- (ग) प्रगति प्रतिवेदनों का संकलन तथा संक्षिप्त विवरणात्मक टिप्पणी लिखना ।
- (घ) विकास प्रयत्नों के लक्ष्य एवं उनकी उपलब्धियाँ ।
- (ङ) प्रगति के आँकड़ों को निम्नांकित रेखाचित्रों द्वारा प्रदर्शित करना ।

<u>विषय</u>	<u>रेखाचित्र ।</u>
वार्षिक आवंटन	वृत्त चित्र
वार्षिक आय	”
आवंटन और व्यय	दंड चित्र
विकास प्रयत्नों के लक्ष्य और उनकी उपलब्धियाँ	”
सिंचाई के निश्चित प्रबन्ध	”
कुल सिंचित क्षेत्र	”
कुल बोया गया क्षेत्र	”
शुद्ध सिंचित क्षेत्र	”
भदई धान की खेती	”
अगहनी धान की खेती	”
मकई की खेती	”
मडुए की खेती	”
गेहूँ की खेती	”
चने की खेती	”
जौ की खेती	”
अरहर की खेती	”
मसूर की खेती	”
खेसारी की खेती	”
आलू की खेती	”
प्याज की खेती	”
अन्य शाक सब्जी की खेती	”
जूट की खेती	”
ईख की खेती	”
तम्बाकू की खेती	”
मिरचाई की खेती	”
सरसों और राई की खेती	दंड चित्र
अंडी की खेती	वृत्त चित्र

भूमि उपयोग	रेखा चित्र
मध्यम चावल का भाव	”
लाल गेहूँ की भाव	”
मकई का भाव	”
चना का भाव	”
अरहर का भाव	”
खेसारी का भाव	”
आलू का भाव	”
प्याज का भाव	”
मिरचाई का भाव	”
सरसों तेल का भाव	”
किरासन तेल का भाव	”

2 । कृषि सांख्यिकी :---

2.1. फसल क्षेत्र सर्वेक्षण से संबंधित कार्य की जाँच ---

- (क) सामान्य निरीक्षण- पाँच हल्कों के एक-एक गाँव में 50 प्रतिशत कीतों की न्यादर्श जाँच ।
- (ख) सुयुक्त पर्यवेक्षण (पाँच हल्कों में एक-एक गाँव) ।
- (ग) सामान्य निरीक्षण एवं सुयुक्त पर्यवेक्षण,दोनों के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति जिला सांख्यिकी कार्यालय और निदेशालय में भेजना ।
- (घ) भूमि उपयोग सांख्यिकी की न्यादर्श जाँच ।
- (ङ) फल-सब्जी उत्पादन सर्वेक्षण की जाँच ।
- (च) विहित प्रतिवेदनों का समयानुसार प्रेषण करना तथा कराना ।

2.2. फसल कटनी प्रयोग -----

	फसल	गाँवों की संख्या	प्रयोगों की संख्या
धान अगहनी	3
मकई	2
मडुआ	2
गेहूँ	1
जौ	1
चना	1
खेसारी	1
अरहर	1

2.3. प्राथमिक अभिकर्ताओं का प्रशिक्षण ।

2.4. वर्षापात ---

- (क) प्रतिदिन वर्षापात का नाप लेना और उसके आँकड़ों का प्रेषण ।
- (ख) मौसम और फसल की साप्ताहिक स्थिति ।

2.5 गाँवों में क्रय-विक्रय मूल्यों का प्रतिवेदन (महीने के पहले सप्ताह में बाजार के दिन)

2.6. कृषि श्रमिकों की दैनिक मजदूरी ।

2.7. जाँच प्रतिवेदन, सुयूक्त पर्यवेक्षण प्रतिवेदन, शस्य कटनी प्रयोग, पर्यवेक्षण, जिन्सवार, पूर्वानुमान तथा कृषि श्रमिकों की दैनिक मजदूरी सम्बन्धी प्रतिवेदनों की कार्यालय प्रतियों का रक्षी पंजी के रूप में संधारण।

3. जीवनांक--

3.1 सामान्य अंकमाला-

- (क) जन्म और मृत्यु निबंधकों से प्राप्त भरित प्रपत्रों का परिनिरीक्षण।
- (ख) सूचनाओं का संकेत बंधन।
- (ग) नियन्त्रण तालिका का संधारण।
- (घ) सूचनाओं के संकेत बन्धन के पश्चात् सार नियन्त्रण तालिका के साथ जन्म और मृत्यु के निबंधन प्रपत्रों का ससमय प्रेषण।
- (ङ.) प्रखंड के दस प्रतिशत गांवों में जन्म और मृत्यु के निबंधन की जांच। निरीक्षण के लिये गाँवों का चुनाव इस प्रकार हो कि वर्ष में प्रत्येक गांव कम से कम एक बार कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक द्वारा निरीक्षित हो।
- (च) लोगों में जन्म और मृत्यु निबंधन की उपयोगिता का प्रचार, यह मेलों में पंचायतों द्वारा और ग्राम पर्यटन के दौरान किया जा सकता है।
- (छ) जन्म और मृत्यु की निबंधकों और प्राथमिक प्रतिवेदकों को प्रशिक्षण देना ।
- (ज) जन्म और मृत्यु के निबंधन पंजियों को जिल्लो में बन्धवाकर अनुमंडल पदाधिकारी के अभिलेखागार में जमा करना ।
- (झ) विलम्बी चौकीदारों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई के लिये थानेदार को रिपोर्ट करना।
- (ञ) स्थानीय जांच संबंधी समेकित मासिक विवरणी तैयार कर प्रखंड विकास पदाधिकारी की समीक्षा हेतु उपस्थापन।
- (ट) स्थानीय जांच के आधार पर त्रैमासिक विवरणी प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को समयानुसार भेजना।

3.2 विशिष्ट अंकमाला-

- (झ) तीन चुने हुए गांवों से स्वतन्त्र रूप से जन्म और मृत्यु की सूचनायें एकत्र करना और अनुवर्ती महीने की 10 तारीख तक उन्हें जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को भेजना।
- (झ) न्यादर्श निबंधन योजना के अन्तर्गत चुने हुए गांवों का निरीक्षण।
- (ट) न्यादर्श जनगणना का क्षेत्रीय कार्य करना।

4. अभिलेखों का संधारण-

- (क) फसल कटनी प्रयोग पंजी।
- (ख) फसल उत्पादन पंजी।
- (ग) प्रक्षेत्र मूल्य पंजी।
- (घ) कृषि श्रमिकों की मजदूरी पंजी।
- (ङ.) वर्षापात पंजी।
- (च) भूमि उपयोग पंजी।
- (छ) जिन्सवार पंजी।
- (ज) सिचाई पंजी।
- (झ) पूर्वानुमान पंजी।

- (ज) निदेशालय द्वारा आवंटित उपस्करों की भंडार पंजी का संधारण तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी की अनुमति से उनका संपादन।
- (ट) सामान्य सूचना पंजी,
- (ठ) लक्ष्य या लक्ष्य आपूर्ति पंजी।
- (ड) जीवनांक नियन्त्रण।

5. अन्वेषण-

(क) प्रत्येक वर्ष एक गांव का सामाजिक-सह-आर्थिक सर्वेक्षण। इस सर्वेक्षण में सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक परिवर्तन के आंकड़े एकत्र किये जाय और नियोजन की स्थिति पर भी सूचनायें एकत्र की जाय।

(ख) कोई तदर्थ सर्वेक्षण-

इस श्रेणी में मूल्यांकन सर्वेक्षण, योजना के प्रभाव आँकने के सर्वेक्षण और सब्जी इसकी सर्वेक्षण आदि आयेंगे।

- 6 भवन-निर्माण के आंकड़ों का एकत्रीकरण।
- 7 सिंचाई के स्रोत, बांध आदि के आंकड़ों का एकत्रीकरण।
- 8 सड़क-निर्माण और सड़क के आंकड़ों का एकत्रीकरण।
- 9 शिक्षण, पुस्तकालय, सार्वजनिक भवन आदि के आंकड़ों को एकत्र करना।
- 10 मनोरंजन एवं सांस्कृतिक क्रियाकलाप के आंकड़े एकत्र करना।
- 11 स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों का एकत्रीकरण-
 - (क) अस्पतालों और औषधालयों की संख्या।
 - (ख) विभिन्न वर्ग के चिकित्सकों की संख्या।
 - (ग) जन्म और मृत्यु दर।
- 12 बिजली के आंकड़े एकत्र करना-
 - (क) विद्युतीकृत गावों की संख्या।
 - (ख) प्रकाश के लिये बिजली का उपयोग।
 - (ग) सिंचाई के लिये बिजली का उपयोग।
 - (घ) उद्योग के लिये बिजली का उपयोग।
- 13 लघु एवं कुटीर उद्योगों के आंकड़े एकत्र करना।
- 14 निदेशालय के अन्य आदेशों का अनुपालन।
- 15 प्रशिक्षण-
 - (1) आदेशानुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

रा०वि०लाल,
सरकार के पदेन सचिव, वित्त,
बिहार, पटना।

कनीय क्षेत्रीय अन्वेषकों का कर्त्तव्य ।

पत्रांक फ० ब० 8/7/66-1771

बिहार सरकार

वित्त विभाग

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

प्रेषक-

श्री रास बिहारी लाल,
निदेशक एवं पदेन सचिव, वित्त, बिहार, पटना।

सेवा में-

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 26 मई 1966 ई०।

विषय- कनीय क्षेत्रीय अन्वेषकों का कर्त्तव्य।

महाशय,

अधीक्षक, कृषि सांख्यिकी, बिहार, पटना ने पत्रांक ए० एस०- 2402-58, दिनांक 12 दिसम्बर, 1958 द्वारा कनीय क्षेत्रीय अन्वेषकों का कर्त्तव्य निर्धारित किया था। उक्त पत्र में कनीय क्षेत्रीय अन्वेषकों की नियुक्ति का उद्देश्य कृषि सांख्यिकी में सुधार लाना बताया गया था। विशेषकर इनके कर्त्तव्यों में दो बातों का उल्लेख था। पहली यह कि कुछ आंकड़े कई स्रोतों से प्राप्त होते हैं, और वे परस्पर मेल नहीं खाते। इनके भेद के कारणों का पता लगाना और उनका निराकरण करना। इसके अन्तर्गत वन एवं ईख फसल के आंकड़े तथा सिंचित क्षेत्रफल के आंकड़े सम्मिलित थे। दूसरी बात थी स्वास्थ्य संरक्षक खाद्य फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन के आंकड़े एकत्र करना।

वन क्षेत्र के आंकड़ों के सम्बन्ध में एक अखिल भारतीय कार्यकारी दल ने हाल ही में नई परिभाषा दी है और आशा की जाती है कि उनके अनुसार आंकड़े एकत्र करने पर सांख्यिकी विभाग तथा वन विभाग के आंकड़ों के अन्तर बहुत कुछ दूर हो जायेंगे। फलतः वन क्षेत्र के आंकड़ों का मिलान अब कनीय क्षेत्रीय अन्वेषकों के कर्त्तव्यों में शामिल नहीं रखा जा सकता।

कृषि के उन्नति के लिये तरह-तरह के कार्यक्रम लागू हैं और इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि कुछ ऐसे सर्वेक्षण हर वर्ष नियमित ढंग से बराबर होते रहे ताकि विकास के सूचकांकों की स्थायी मामलाएं उपलब्ध हो सकें। इस विचार से कनीय क्षेत्रीय अन्वेषकों के कर्त्तव्यों में निम्नांकित विषयों से संबंधित सर्वेक्षण शामिल किये जाते हैं:-

- (1) सिंचाई के आंकड़ों का सत्यापन।
- (2) सिंचाई क्षमता का उपयोग।
- (3) सिंचाई के लघु स्रोतों की गणना, उनकी क्षमता और क्षमता का उपयोग।
- (4) उन्नत बीजों का उपयोग।
- (5) कृषि के उन्नत ढंगों का उपयोग।
- (6) आधुनिक औजारों का उपयोग।
- (7) कीट-नाशक दवाइयों की उपयोग।
- (8) रासायनिक उर्वरकों का उपयोग।
- (9) जैविक खाद का उपयोग।
- (10) शस्यावर्तन के आंकड़े।

- (11) गहन कृषि के आंकड़े।
- (12) शाक-सब्जी के क्षेत्र और उत्पादन के आंकड़े।
- (13) फलों के क्षेत्रफल और उत्पादन के आंकड़े।
- (14) स्वास्थ्य संरक्षक फलों के क्षेत्रफल और उत्पादन।
- (15) हर मौसम में फसल क्षेत्र का न्यादर्श सर्वेक्षण।
- (16) फसल कटनी के पूर्व फसल के क्षेत्र और उत्पादन का अनुमान।
- (17) ईख के क्षेत्रफल का सत्यापन।
- (18) तम्बाकू के क्षेत्रफल के आंकड़े।
- (19) मिरचाई के क्षेत्रफल के आंकड़े।
- (20) चुने हुए खाद्यान्नों और नकदी फसलों की खेती के अर्थशास्त्रीय अध्ययन के लिये आंकड़े ।
- (21) सांख्यिकी निदेशालय/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा आवंटित अन्य कार्य।

उपर्युक्त सूचनार्ये एकत्र करने के लिये अनुदेश और प्रपत्र बाद में भेजे जायेंगे। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी इस बात पर पूरा ध्यान दे कि सभी अन्वेषण नियमित रूप से हो। आदेश दिया जाता है कि भविष्य में उपर्युक्त सूची के अनुसार ही कनीय क्षेत्रीय अन्वेषकों से कार्य संपन्न कराये जायं तथा प्रति वर्ष उनके काम की व्यापक जांच जिला सांख्यिकी पर्यवेक्षक कम-से कम दो बार और जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एक बार अनिवार्यतः करें।

पत्र प्राप्ति की सूचना अविलम्ब दी जाय।

विश्वासभाजन,
रा०वि०लाल,
निदेशक एवं पदेन
सचिव, वित्त।

ज्ञाप सं० 1771।

दिनांक 26 मई
1966 ई०।

प्रतिलिपि सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये प्रेषित।

(ह०) अस्पष्ट,
निजी सहायक।

सांख्यिकी निदेशालय के अन्तर्गत नियुक्त अमीनों का कर्तव्य।

पत्र संख्या 2310

बिहार सरकार

वित्त विभाग

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

प्रेषक-

श्री रास बिहारी लाल,
निदेशक सांख्यिकी एवं मूल्यांकन तथा सरकार के सचिव
वित्त विभाग (पदेन)

सेवा में-

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 30 मई 1967 ई०।

विषय- सांख्यिकी निदेशालय के अन्तर्गत नियुक्त अमीनों का कर्तव्य।

महाशय,

कृषि सांख्यिकी प्रोन्नति संबंधी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अमीनों की नियुक्ति की गयी है। इन अमीनों की सेवाये कृषि सांख्यिकी संबंधी उन कार्यों में लगायी जाती है, जिसके सम्पादन के लिये विभागीय पदाधिकारियों की सेवाये उपलब्ध नहीं होती है। इनके मुख्यतः कार्य हैं- (क) भूमि उपयोगिता सांख्यिकी प्रोन्नति संबंधी सर्वेक्षण, (ख) असर्वेक्षित दियारा के अन्तर्गत विभिन्न फसलों का सर्वेक्षण, (ग) विभिन्न फसल एवं सब्जी सर्वेक्षण, (घ) विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का सत्यापन, (ङ.) फसल कटनी प्रयोग इत्यादि।

इन अमीनों का मुख्य कार्य वर्ष के विभिन्न माहों में निम्नांकित रूप से निश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त जिला सांख्यिकी पदाधिकारी पर्यवेक्षक द्वारा दिये गये अन्य सभी काम उन्हें करना है।

अवधि

कार्य-विवरण।

(1) जून-जुलाई

- (1) भूमि उपयोगिता सर्वेक्षण।
- (2) दियारा सर्वेक्षण (गरमा फसलों का)
- (3) फल एवं सब्जी सर्वेक्षण(गरमा मौसम का)
- (4) फसल की बरबादी का अनुमान।

(2) अगस्त-सितम्बर एवं अक्टूबर

- (1) फल एवं सब्जी सर्वेक्षण (भदई फसलों का)
- (2) दियारा सर्वेक्षण (भदई फसलों का)
- (3) जूट शस्य कटनी प्रयोग।
- (4) मेस्ता शस्य कटनी प्रयोग।
- (5) भूमि उपयोगिता सर्वेक्षण के आंकड़ों का सत्यापन तथा पायी गयी त्रुटियों का मिलान करना।
- (6) भदई फसल के आंकड़ों का सत्यापन।

(3) नवम्बर,दिसम्बर,जनवरी एवं
फरवरी

- (1) फल एवं सब्जी सर्वेक्षण (अगहनी फसलों का)
- (2) मेस्ता शस्य कटनी प्रयोग।
- (3) ईख शस्य कटनी प्रयोग।
- (4) अगहनी मौसम के आंकड़ों का सत्यापन
तथा पायी गयी त्रुटियों का मिलान करना।

(4) मार्च, अप्रैल एवं मई

- (1) दियारा सर्वेक्षण (रब्बी फसलों का)
- (2) फल एवं सब्जी सर्वेक्षण(रब्बी फसलों का)
- (3) रब्बी मौसम के आंकड़ों का सत्यापन
तथा पायी गयी त्रुटियों का मिलान करना।

उपर्युक्त कार्यों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक अमीन को प्रमि माह चार-पांच गांव (औसतन 3,000 एकड़) का सर्वेक्षण कार्य अथवा 6 गांव का फसल-कटनी प्रयोग कार्य दिया जाय। अमीनों के बीच कार्य का विवरण जिला सांख्यिकी पदाधिकारी करेंगे। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी इस बात का पूरा ध्यान रखें कि सभी सर्वेक्षण एवं फसल कटनी प्रयोग नियमित रूप से तथा निर्धारित तिथि के भीतर पूरे हों। उपर्युक्त सर्वेक्षण एवं फसल कटनी के निर्धारित प्रपत्र भेजे जा चुके हैं। अमीनों के कार्य की व्यापक जांच जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं जिला सांख्यिकी पर्यवेक्षक प्रति वर्ष कम-से-कम दो बार अवश्य करें।

कृपया पत्र की प्राप्ति की सूचना दें।

विश्वासभाजन,

रा०वि०लाल,

निदेशक ,सांख्यिकी एवं मूल्यांकन तथा
सरकार के सचिव, वित्त विभाग (पदेन)।

ज्ञाप सं० 2310

पटना, दिनांक 30 मई 1967 ई०।

प्रतिलिपि सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रा०वि०लाल,

निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन तथा
सरकार के सचिव, वित्त विभाग (पदेन)।

जिला सांख्यिकी पर्यवेक्षकों के कर्तव्य

जिला सांख्यिकी पर्यवेक्षकों के कर्तव्य

जिला स्तर पर कृषि सांख्यिकी कार्यभार जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के पश्चात् जिला सांख्यिकी पर्यवेक्षक पर ही मुख्यतः रहेगा।

कार्यालय स्तर का कार्य।

- (1) कृषि सांख्यिकी प्रपत्रों का जिला के सभी अंचलों में सामयिक वितरण।
- (2) जिला से उपस्थापित किये जाने वाले सभी कृषि सांख्यिकी प्रतिवेदनों एवं विवरणियों की
- (3) कृषि साप्ताहिक मौसम एवं फसल-संबंधी प्रतिवेदन का संकलन।
- (4) प्रत्येक मौसम के अन्त में संपूर्ण जिले में कृषि सांख्यिकी कार्य की प्रगति की समीक्षा।
- (5) कृषि सांख्यिकी तरक्की-संबंधी त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन का संकलन।
- (6) जिला स्तर पर कृषि सांख्यिकी-संबंधी तकनीकी रिपोर्टों का सम्पादन।
- (7) जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा दिये गये अन्य कार्य।

क्षेत्रीय स्तर का कार्य ।

- (1) निर्धारित लक्ष्य के अनुसार फसल-कटनी प्रयोगों की क्षेत्रीय जांच।
- (2) निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रत्येक मौसम में क्षेत्रफल सर्वेक्षण की सुयुक्त तथ अन्य पर्यवेक्षण।
- (3) फार्म मूल्यों के संकलन की प्रतिमास कुछ प्रतिशत क्षेत्रीय जांच।
- (4) कृषि श्रमिकों की मजदूरी संबंधी प्रतिवेदन की कुछ प्रतिशत क्षेत्रीय जांच।
- (5) आवश्यकतानुसार अशिक्षित प्राथमिक प्रतिवेदकों को कृषि सांख्यिकी कार्य का प्रशिक्षण।
- (6) कनीय क्षेत्रीय अन्वेषकों द्वारा किये गये कार्यों की निर्धारित राशि के अनुसार जांच।
- (7) जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा दिए गये अन्य कार्य।

APPENDIX XVIII-D

ज्ञाप संख्या 7072, दिनांक 6 अक्टूबर 1960, निदेशक, बिहार सरकार द्वारा।
प्रतिलिपि सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पर्यवेक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

अंचल निरीक्षकों के कर्तव्य, कर्मचारियों का कर्तव्य।

परिशिष्ट झ (6)

अंचल निरीक्षकों के कर्तव्य

1. प्रपत्र वितरण- प्रत्येक अंचल निरीक्षक प्रति वर्ष जून के महीने के पहले या दूसरे मुख्यालय दिवस को प्रत्येक कर्मचारी को कृषि सांख्यिकी प्रपत्रों का वितरण करेंगे और इसका लेखा प्रपत्र वितरण पंजी में रखेंगे।

अंचल निरीक्षक आश्वस्त हो लें कि प्रत्येक हल्का कर्मचारी ने आदेशानुसार नई खसरा बही तैयार कर ली है तथा खसरा बही के पहले तीन स्तम्भों में पिछले वर्ष की खसरा बही की प्रविष्टियां दर्ज हो गई हैं। प्लॉट नंबर तथा उनके क्षेत्रफल संबंधी कम-से-कम 10 प्रतिशत प्रविष्टियां की जांच भी वे कर लें और यह भी देख लें कि जिन प्लॉटों का क्षेत्रफल बीघा-कट्टा में दिया गया हो उनका रूपान्तरण तालिका के अनुसार रूपान्तर किया गया है।

जुलाई महीने के प्रथम मुख्यालय दिवस के दिन वे पुरानी खसरा पंजियों को एकत्रित कर लें और उन्हें शीघ्रताशीघ्र जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को भेज दें।

2. प्रशिक्षण- कृषि सांख्यिकी कार्य को विधिवत् करने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि प्रत्येक अभिकर्ता आदेशों से पूरी तरह अवगत हों तथा प्रत्येक अंचल निरीक्षक का कर्तव्य है कि वे इन अनुदेशों का पर्याप्त अध्ययन करें और जून के महीने में एक निश्चित तिथि को सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें। प्रशिक्षण के क्रम में गत कृषि वर्ष के सर्वेक्षणों में पाई गई गलतियों की वैयक्तिक सूचना भी वे दे। प्रशिक्षण संबंधी कार्यवाही अंचल अधिकारी के माध्यम से वे जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को भेजें। प्रशिक्षण के क्रम में वे यह भी देखें कि प्रत्येक कर्मचारी को सभी गांवों के नक्शे लभ्य हैं। यदि किसी गांव के नक्शे लभ्य नहीं हों या अनुपयोगी हो गए हैं तो इसकी प्रविष्टि वे नक्शों की लभ्यता पंजी में करें और इसकी लिखित सूचना, आपूर्ति के अनुरोध सहित, अंचल अधिकारी को दें तथा इसकी प्रति जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को भी भेजें। साथ ही वे प्रत्येक कर्मचारी को दिए गए उपकरणों की जांच करें और सत्यापन संबंधी प्रमाण-पत्र अपनी उपकरण पंजी में लिखें।

3. पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार सर्वेक्षण- अंचल निरीक्षक प्रत्येक फसल मौसम में सर्वेक्षण शुरू होने के कम-से-कम 15 दिन पहले कर्मचारियों की सलाह से मौसम भर के लिए प्रत्येक कर्मचारी का सर्वेक्षण कार्यक्रम तैयार करें और इसकी एक प्रति जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को भेजें। उन्हें यह देखना होगा कि उनके अधीनस्थ प्रत्येक कर्मचारी सर्वेक्षण कार्य इसी कार्यक्रम के अनुसार कर रहे हैं।

4. निरीक्षण- (क) सामान्य मासिक जांच- प्रतिमाह सामान्य निरीक्षण के क्रम में अंचल के सभी हल्कों के 1-1 गांव के 10 प्रतिशत कीतों की न्यादर्श जांच करनी है। किसी माह में अंचल के आधे हल्कों में यह निरीक्षण उन्हें करना है और बकिए आधे हल्कों में कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक को। जहाँ कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक पदस्थापित नहीं है वहाँ पूरा कार्य अंचल निरीक्षक को ही करना है।

- (ख) सुयुक्त पर्यवेक्षण- जिन हल्कों में अंचल निरीक्षक सामान्य जांच करेंगे उन हल्कों में कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षकों कृषि सांख्यिकी मार्ग दर्शिका में दिए गए आदेशानुसार सुयुक्त पर्यवेक्षण करेंगे। बकिए हल्कों में सुयुक्त पर्यवेक्षण अंचल निरीक्षक करेंगे। जहाँ कनीय

सांख्यिकी पर्यवेक्षक पदस्थापित नहीं है वहां शतप्रतिशत सुयुक्ति पर्यवेक्षण का कार्य अंचल निरीक्षक को ही करना है।

5. जिन्सवार का प्रेषण- अंचल निरीक्षकों का यह कर्तव्य है कि इस मार्ग दर्शिका में दिए गए आदेश तथा समय-सारणी के अनुसार अंचल पदधिकारी के माध्यम से वे जिन्सवार भेजें।
6. प्रत्यक्ष अनुमान संबंधी विवरणी की जांच-अंचल निरीक्षक कर्मचारियों द्वारा तैयार किए गए प्रत्यक्ष अनुमान विवरणी का पूरी-पूरी जांच कम-से-कम 10 प्रतिशत गांवों में आदि से अन्त तक करेंगे। यह बात कि उन्होंने आदेश का अनुपालन किया है विवरणी के अन्त में तथा संबद्ध महीने की डायरी में लिखी जायगी। प्रत्यक्ष अनुमान विवरणी में गांव राजस्व थाना के अनुसार क्रमबद्ध किए जायेंगे, यानि, एक ही थाना संख्या के सभी गांव एक साथ सूचीबद्ध होंगे और सबसे कम थाना संख्या वाले गांव को सबसे पहले लिखा जायगा।
7. पूर्वानुमान का प्रेषण-तदैव।
8. शस्य कटनी प्रयोगों का सम्पादन-मार्गदर्शिका में दिए गए आदेशानुसार शस्य कटनी प्रयोगों के स्वयं सम्पादन की पूरी जिम्मेवारी अंचल निरीक्षकों पर है।
9. प्रक्षेत्र मूल्य- यह प्रतिवेदन जिले के प्रत्येक अनुमंडल के किसी एक अंचल के एक चुने हुए गांव से आदेशानुसार भेजा जाता है। इसे यथासंभव तथा शुद्ध-शुद्ध भेजने की जिम्मेवारी अंचल निरीक्षकों पर है।
10. कृषि श्रमिकों की दैनिक मजदूरी-यह प्रतिवेदन जिले के किसी एक केन्द्र से प्राप्त होता है। प्रतिवेदन कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक भेजते हैं किन्तु जहाँ वे पदस्थापित नहीं रहते हैं वहाँ प्रतिवेदन का नियमित तथा शुद्ध रूप से भेजने की जिम्मेवारी अंचल निरीक्षक पर है।
11. उपकरण-प्रत्येक अंचल निरीक्षक निम्नांकित उपकरण रखते हैं और आदेशानुसार उनका प्रयोग करते हैं-
 - (क) एक नापने का फीता-कम-से-कम 50 फीट लम्बा।
 - (ख) एक सेट तराजू और मानक बटखरे ।
 - (ग) एक क्रॉस स्टॉक या ऑप्टिकल स्कायर।
 - (घ) पाँच मजबूत लम्बे और सीधे बाँस/लोहे के खूँटे।
 - (ङ) 100 फुट लम्बी रस्सी।
 - (च) टाट के टुकड़े।
 - (छ) एक थैला।
12. पंजियों का संधारण-प्रत्येक अंचल निरीक्षक विहित प्रपत्र में निम्नांकित पंजियों का संधारण करेंगे:-
 - (1) हल्का पंजी।
 - (2) प्रपत्र वितरण पंजी।
 - (3) नक्शों की लभ्यता पंजी।
 - (4) भूमि उपयोगिता पंजी।
 - (5) सुयुक्ति पर्यवेक्षण पंजी।
 - (6) नेत्रांकन औसत उपज पंजी।
 - (7) प्रक्षेत्र मूल्य पंजी।
 - (8) उपकरण पंजी।

झ(9)

कर्मचारियों का कर्तव्य

कृषि सांख्यिकी एकत्र करना कर्मचारियों के नित्य कर्तव्य का अभिन्न अंग है। इस कार्य में निम्नांकित कार्य सम्मिलित हैं:-

- (क) कीतेवार सर्वेक्षण द्वारा फसलों के क्षेत्रफल निकालना।
- (ख) उपज-दर के अनुमान के लिए फसल कटनी प्रयोग स्वयं करना तथा इसे सम्पन्न कराने में अंचल निरीक्षक एवं कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक को सहयोग देना।
- (ग) नेत्रांकन द्वारा उपज-दर का अनुमान लगाना।
- (घ) खेतिहर मजदूरों की मजदूरियों के आँकड़े एकत्र करना।
- (ङ.) प्रक्षेत्र मूल्यों का एकत्रीकरण।
- (च) मौसम की स्थिति और फसलों की उपज के पूर्वानुमान सम्बन्धी सूचनाएँ एकत्र करना।
- (छ) तदर्थ सर्वेक्षणों के कार्यान्वयन में सहयोग देना।
- (ज) ग्राम नक्शों, सर्वेक्षण के लिये दिये गए उपकरणों, तथा अन्य अभिलेखों का विधिवत् संधारण।
- (झ) विहित प्रपत्र में नियमित रूप से दैनन्दिनी लिखना।

प्रत्येक कर्मचारी के लिए यह आवश्यक है कि वे निम्नांकित औजारों का प्रयोग करना जानें-

- (क) ऑप्टिकल स्कवायर-आमतौर पर इसे 'राइट ऐंगिल' भी कहा जाता है। इससे अनुलम्बा (ऑफसेट) लेने का काम लिया जाता है।

ऑफसेट-यह उस सीधी रेखा का नाम है जो किसी जगह और चैनलाइन की न्यूनतम दूरी है।

- (ख) साइटवेन (शिस्त)-साइटवेन के बिन्दुओं की सहायता से एक तीसरा बिन्दु निकाला जाता है।
- (ग) गुनियों- यह एक स्केल है जिसमें 16'' बराबर 1 मील के मान पर चैन की लम्बाई अंकित रहती है। इसके 10 भाग और प्रत्येक भाग के 5 उप-भाग होते हैं। हरेक भाग से और हरेक उप-भाग से 20 कड़ी (लिंक) का बोध होता है। नक्शे में अंकित कीतों के क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
- (घ) एकड़ काम्ब-इस औजार का उपयोग गुनिया या स्केल की सहायता से किसी खेत की लम्बाई-चौड़ाई नापने के लिये किया जाता है।

जिला सांख्यिकी निरीक्षकों का कर्तव्य निर्धारण।

झ(3)

पत्रांक ई0 एस0-1062/60-5023

बिहार सरकार

वित्त विभाग।

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय।)

प्रेषक,

श्री रा0 वि0 लाल,
सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशक तथा,
सरकार के सचिव पदने, वित्त विभाग,
बिहार, पटना।

प्रेषित,

सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारीगण।

दिनांक, पटना 10 अगस्त 1967

विषय:- जिला सांख्यिकी निरीक्षकों का कर्तव्य निर्धारण।

प्रसंग:-पत्रांक 4676, दिनांक 16 सितम्बर 1960।

महाशय,

निदेशालय में मूल्यांकन कार्य के विलयन के फलस्वरूप तथा अन्य कार्य कलापों में वर्तमान प्रसार को देखते हुए उपर्युक्त आदेश के संशोधन में जिला सांख्यिकी निरीक्षकों का पुनरीक्षित कर्तव्य अब से निम्नांकित होगा-

(1) कार्यालय में कार्य:-

- (क) जिला सांख्यिकी हस्त पुस्तिका तथा अन्य जिला स्तर के प्रकाशनों के लिए स्वयं सूचना संग्रह कर उनका संकलन करना तथा पदाधिकारी की स्वीकृति के बाद तथा जि0 सां0 पदाधिकारी के माध्यम से पाण्डुलिपि को प्रतिवर्ष अन्ततः सितम्बर के महीने में संयुक्त निदेशक को भेजवाना।
- (ख) क्षेत्र से प्राप्त कृषि सांख्यिकी/जीवनांक तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के निदेशानुसार अन्य अनुसूचियों का परिनिरीक्षण।
- (ग) अवकाश रक्षित कनीय सांख्यिकी सहायक द्वारा तालिका तथा रेखाचित्रों का आदेशानुसार संधारण कराना।
- (घ) कनीय सांख्यिकी सहायक द्वारा संकलित विकास प्रखंडों के त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन की पूरी-पूरी जाँच एवं उसके आधार पर जिला पदाधिकारी के मन्तव्य का प्रारूप तैयार करना।
- (ङ.) जिला के लिए योजना सम्बन्ध आँकड़ों का संग्रह।
- (च) जिला मुख्यालय स्थित स्थानीय कार्यालयों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर विलम्बित प्रतिवेदनों का संग्रह।
- (छ) जिला सांख्यिकी कार्यालय के कार्य-कलापों का वार्षिक विवरण तैयार करना।

(ज) जिला स्तर पर समीक्षा के लिए कृषि सांख्यिकी तथा जीवनांक के अतिरिक्त लम्बित सूची का संधारण।

2. क्षेत्रीय कार्य-

(क) मूल्यांकन सर्वेक्षण का सम्पादन।

(ख) मुख्यालय द्वारा निश्चित सभी शोध सर्वेक्षणों का सम्पादन।

(ग) कृषि सांख्यिकी/जीवनांक कार्यों का निर्धारित लक्ष्य तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के आदेशानुसार सम्पादन तथा निरीक्षण।

(घ) जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के आदेशानुसार कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षकों के कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्य की जांच ।

(ङ.) कृषि श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के संग्रह के लिए चुने गए केन्द्रों से- प्रतिमाह कम-से-कम एक केन्द्र से-स्वतंत्र रूप से ऑकड़ों का संग्रह (जि०सां०पदा० इन ऑकड़ों का क०सां०पर्य० द्वारा प्रतिवेदित ऑकड़ों से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और प्रतिमाह इसकी एक प्रति सहायक निदेशक 'मूल्य प्रशाखा' को भेजा करेंगे।

नोट:-उपर्युक्त (क) तथा (ख) के सम्पादन में जिला सांख्यिकी निरीक्षक जि० सां० पदा० के आदेश से कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षकों की भी सहायता ले सकते हैं किन्तु शुद्ध तथा समयनिष्ठ काम करने की पूरी जिम्मेवारी उनकी ही होगी।

(3) अन्य कार्य-

निदेशालय तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर आवंटित अन्य कार्यों का सम्पादन ।

(2) जिला सांख्यिकी पदाधिकारी जिला सांख्यिकी निरीक्षकों द्वारा सम्पादित काम की त्रैमासिक समीक्षात्मक विवरणी जो उपर्युक्त आदेश पर आधारित होगी अक्टूबर-दिसम्बर त्रैमास से निदेशक के वैयक्तिक सहायक के नाम से मेरे अवलोकनार्थ भेजा करेंगे।

विश्वासभाजन

रा० बि० लाल,
निदेशक।

जिला सांख्यिकी कार्यालय में पदस्थापित संगणक एवं संकलक के कार्यों का विवरण।

परिशिष्ट झ (4 तथा 5)

पत्रांक सर्वेछ-37167-3596

बिहार सरकार

वित्त विभाग

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

प्रेषक,

श्री रास बिहार लाल,
निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

पटना, दिनांक-17 अगस्त 1967।

विषय:-जिला सांख्यिकी कार्यालय में पदस्थापित संगणक एवं संकलक के कार्यों का विवरण।

प्रसंग:- (1) संगणक के कार्य-भार से संबंधित परिपत्र संख्या स्था0-वि0 11-16-61-38001,
दिनांक 8 जुलाई, 1961

(ii) संकलक के कार्य से संबंधित पत्रांक सर्वे-6111163, दिनांक 4 नवम्बर, 1963।

महाशय,

जिला सांख्यिकी कार्यालय के विभिन्न कृषि सांख्यिकी संबंधी कार्यभार का ध्यान रखते हुए संगणक एवं संकलक की निम्नांकित कार्य-तालिका निश्चित की जाती है:-

संगणक ।

1. कृषि सांख्यिकी संबंधी सभी पत्राचारों के पत्राचार में लिपिक की सहायता।
2. कृषि सांख्यिकी संबंधी प्रतिवेदनों की नियंत्रण तालिका का संधारण और यथासमय स्मार भेजवाना।
3. समय-सारणी के अनुसार पूर्व-स्मार प्रेषित करना।
4. हल्का पंजी एवं मानचित्र पंजियों का संधारण।
5. समय-समय पर आवंटित अन्य कार्य।

संकलक।

1. कृषि सांख्यिकी संबंधी प्रतिवेदनों का परिनिरीक्षण एवं संकलन।
2. उपरोक्त प्रतिवेदनों का समयानुसार उपस्थापन।
3. भूमि उपयोगिता एवं असर्वेक्षित क्षेत्रफल तथा उत्पादन संबंधी आँकड़ों का संकलन।
4. कृषि सांख्यिकी संबंधी सभी पंजियों का संकलन एवं संधारण।
5. समय-समय पर आवंटित अन्य कार्य।

कृषि सांख्यिकी संबंधी विभिन्न प्रतिवेदनों एवं पंजियों की विस्तृत विवरणी तथा समय-समय पर दिये गये आदेश कृषि सांख्यिकी मार्ग-दर्शिका में अंकित है।

विश्वासभाजन

ह0/-

निदेशक।

जन्म-मृत्यु संबंधी घटनाओं का निबंधन-निबंधक के रूप में पंचायत सेवकों का कर्तव्य।

पत्र सं०-2 प./वि.-3021/93-3905/ग्रा० पं०
पंचायती राज, निदेशालय, बिहार।

प्रेषक,

श्री हर्ष वर्धन,
निदेशक, पंचायती राज, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप-निदेशक, पंचायती राज।
सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी।

विषय:-जन्म मृत्यु संबंधी घटनाओं का निबंधन-निबंधक के रूप में पंचायत सेवकों का कर्तव्य।
महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्गठन के संबंध में जन्म-मृत्यु संबंधी आँकड़ों का विधिवत संकलन एवं संधारण अहम स्थान रखता है। एतदर्थ इस निदेशालय के पूर्व प्रेषित 3664 दिनांक-23.4.76 के द्वारा जन्म-मृत्यु निबंधन अधिनियम 1969 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने अपने आदेश 1699 दिनांक 14 मई 1971 द्वारा पंचायत सेवकों को पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत अधिनियम के प्रयोजनार्थ निबंधक (रजिस्ट्रार) नियुक्त किया है।

2. इस हेतु आरक्षी विभाग द्वारा यह निर्धारित किया जा चुका है कि हर सोमवार को सभी चौकीदार अपने-अपने क्षेत्र के पंचायत सेवक को अपने क्षेत्रों के जन्म-मृत्यु का विवरण देंगे। तत्पश्चात पंचायत सेवक प्रखंड मुख्यालय में स्थित सांख्यिकी पदाधिकारी को उसका समेकित विवरण प्रति सप्ताह समर्पित कर दिया करेंगे, जहाँ से वह जिला स्तर पर भेजा जायगा।

3. निदेशक-सह-मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) के पत्रांक 457 दिनांक 5.5.93 का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है:-

इस संबंध में पूर्व में भी आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार द्वारा उनके पुलिस आदेश संख्या 195 दिनांक-5.8.63 द्वारा राज्य के सभी चौकीदारों को उनके क्षेत्र में घटित जन्म-मृत्यु की घटनाओं की सूचना प्रत्येक सोमवार को उनके क्षेत्र के पंचायत सेवक को अनिवार्य रूप से उपस्थापन करने का आदेश प्रसारित किया गया है। चौकीदार को अधिसूचक के रूप में योजना विभाग द्वारा अधिसूचित किये जाने के बाद आरक्षी महानिरीक्षक के कार्यालय द्वारा पुलिस आदेश सं०-1092 एल-1/43-69-3-92 दिनांक-26.5.92 द्वारा सभी आरक्षी अधीक्षकों को पुनः निर्देशित किया गया है कि चौकीदार जन्म-मृत्यु की सूचना संबंधित पंचायत सेवकों को अनिवार्य रूप से दें।

4. निदेशक-सह-मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) बिहार ने अपने उपरोक्त पत्रांक द्वारा सूचित किया है कि पंचायत सेवक प्रत्येक सोमवार को अपने पंचायत मुख्यालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहते हैं जिससे अधिसूचकों (चौकीदारों) के स्तर से जन्म-मृत्यु

सम्बन्धी आँकड़ा पंचायत सेवकों को प्रतिवेदित करने में काफी कठिनाई होती है। फलस्वरूप उक्त आँकड़ों का संकलन एवं निबंधन सही रूप से नहीं हो पा रहा है।

5. इस संबंध में निम्नांकित को और आपका ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है:-

(क) पंचायत मुख्यालय से तात्पर्य है प्रत्येक पंचायत का पंचायत भवन जहाँ पंचायत भवन न हो वहाँ कोई सार्वजनिक स्थान यथा पुस्तकालय, विद्यालय आदि।

(ख) यदि सोमवार के दिन किसी अपरिहार्य कारणवश पंचायत सेवक पंचायत मुख्यालय में उपस्थित न हो तो वैसी स्थिति में उसी सप्ताह के किसी अन्य कार्य दिवस में अधिसूचक द्वारा पंचायत सेवकों को प्रश्नगत आँकड़ा प्रतिवेदित किया जाएगा।

(ग) प्रत्येक पंचायत सेवक अपने पंचायत के आँकड़ों को संकलित कर उसी सप्ताह में प्रखंड मुख्यालय स्तर पर कार्यरत सांख्यिकी पदाधिकारी/पर्यवेक्षक को प्रतिवेदित करेंगे जिन्हें प्रखंड स्तर पर संकलित कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।

6. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि इस ओर निजी ध्यान दे कर सभी ग्राम सेवकों को अपने स्तर से अनुदेशित करने का कष्ट करें ताकि उपर्युक्त आदेश का अनुपालन अनिवार्य रूप से हो सके।

विश्वासभजन

ह0/-

निदेशक, पंचयती राज, बिहार

ज्ञापांक-3905 ग्रा0 पं0/पटना, दिनांक-22.7.93

प्रतिलिपि:-सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह0/-

निदेशक, पंचयती राज, बिहार

ज्ञाप संख्या-3905/ग्रा0पं0, पटना, दिनांक-22.7.93।

प्रतिलिपि:-निदेशक-सह-मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) योजना विभाग (सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय) का पत्रांक-457 दिनांक-5.5.93 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

निदेशक, पंचयती राज, बिहार

जिला सांख्यिकी कार्यालयों एवं अनुमंडलों में पदस्थापित सहायक सांख्यिकी
पदाधिकारी(कृषि) की कर्तव्य तालिका।

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग,
(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

संचिका संख्या-सर्वे-द.-21/95 1105

प्रेषक,

श्री विजय प्रताप सिंह,
वरीय संयुक्त निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी,
.....।

पटना, दिनांक-18 सितम्बर, 95

विषय:-जिला सांख्यिकी कार्यालयों एवं अनुमंडलों में पदस्थापित सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी
(कृषि) की कर्तव्य तालिका।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक-8565 दिनांक-11.6.1976 द्वारा प्रसारित सभी
जिलों की अनुमंडलीय सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी के कर्तव्य तालिका का अनुसरण नहीं
किया जा रहा है।

अतः पुनः उसका एक प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि कृपया निर्धारित सहायक
सांख्यिकी पदाधिकारी का कर्तव्य तालिका को दृढतापूर्वक पालन कराया जाय।

अनुलग्नक-1

विश्वासभाजन
ह0 अस्पष्ट
वरीय संयुक्त निदेशक।

प्रतिलिपि:-पत्रांक-18565 दिनांक-11 जून 1976 निदेशक सह विशेष सचिव योजना विभाग बिहार, पटना को प्रेषित, सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को प्रसारित अनुमंडलीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक की कर्तव्य तालिका।

सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी की कर्तव्य तालिका:-

मुख्य कार्य

1. अनुमंडलीय स्तर पर कृषि सांख्यिकी से संबंधित मुख्यतः द्रुत सर्वेक्षण एवं सधन जाँच योजना को सफल बनाने की पूरी जिम्मेवारी।
2. राजस्व विभाग के कर्मचारी द्वारा इस योजना के अन्तर्गत चूने गए ग्रामों के क्षेत्रफल सर्वेक्षण से संबंधित प्रगति के उप समाहर्ता भूमि सुधार को समय पर सूचित करते रहना तथा प्रखंडशः प्रतिवेदन प्राप्त कर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को प्रेषित करना।
3. द्रुत सर्वेक्षण योजना के अन्तर्गत अंचल से 20 ग्रामों का जिन्सवार दो प्रति में अंचल की अनुमानित विवरणी के साथ ससमय, प्राप्त करना है। अंचल प्रतिवेदन के आधार पर अनुमंडल का समेकित विवरणी तैयार करना । अंचल प्रतिवेदन के आधार पर अनुमंडल का समेकित विवरणी तैयार अंचल प्रतिवेदन के आधार पर अनुमंडल समेकित तैयार कर अंचल से प्राप्त जिन्सवार की प्रति के साथ स-समय जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को भेजना।
4. संधन जाँच योजना के अन्तर्गत अनुमंडल में आवंटित सभी न्यादर्श गाँवों का क्षेत्रीय निरीक्षण, खेसरा पंजी की प्रविष्टियों की जाँच एवं फसल कटनी प्रयोग का निरीक्षण कर जाँच प्रतिवेदन स-समय निदेशालय में प्राप्त करना।
5. अनुमंडलीय स्तर पर पंजियों का संधारण करेंगे जो निम्नवत है:-
(क) हल्का पंजी (ख) फसल सर्वेक्षण पंजी (ग) फसल कटनी योग संबंधी पंजी (घ) वर्षा पंजी (च) द्रुत सर्वेक्षण मौसमी जिन्सवार पंजी (छ) फसल अनुमानित पंजी (ज) क्षेत्रीय निरीक्षण कार्य पंजी। सभी पदाधिकारी पंजीयों।
अन्य कार्य:-
6. वर्षामापक यंत्र का निर्धारण मात्रा में जाँच करना तथा अनुमंडल के सभी वर्षामापक यंत्रों की ठीक रखवाने की जिम्मेवारी।
7. अनुमंडल से साप्ताहिक फसल मौसम फसल मौसम प्रतिवेदन भेजवाना तथा इसके हेतु अनुमंडल में उपस्थापित प्रखंड मुख्यालय वर्षा मापक केन्द्र से साप्ताहिक वर्ष के आँकड़े को प्राप्त करना तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को भेजना।
8. अनुमंडलस्तर पर बैठकों में भाग लेने तथा स्थिति से जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को अवगत कराना तथा कार्यवाही लिखकर उसकी प्रतिलिपि जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/निदेशालय को भेजना तथा बाद की कार्यवाई करना।
9. अंचल स्तर की पाक्षित/मासिक बैठक में भाग लेना एवं समीक्षात्मक प्रतिवेदन भेजना
10. अनुमंडल में आवंटित मुख्य फसलों पर आयोजित सभी फसल कटनी प्रयोग का निरीक्षण करना।
11. प्रत्येक मौसम में संयुक्त पर्यवेक्षण विधि से अनुमंडल के 15 प्रतिशत या न्यूनतम 20 ग्राम का निरीक्षण करना। निरीक्षण प्रत्येक मौसम में भिन्न-भिन्न गाँवों में हानी चाहिए।
12. कर्मचारियों के कृषि सांख्यिकी सर्वेक्षण एवं खेसरा पंजीयों की सामान्य जाँच।

13. कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक एवं अमीनों द्वारा किए गये भूमि उपयोगिता सर्वेक्षण एवं विभिन्न फसल कटनी प्रयोग की जाँच।
14. प्रति मौसम में दो गाँव का प्रक्षेत्र मूल्य प्रतिवेदन की जाँच।
15. कृषि श्रमिकों की दैनिक मजदूरी सम्बन्धी प्रतिवेदन की क्षेत्रीय जाँच।
16. विभिन्न कृषि सांख्यिकी, प्रतिवेदनों को अंचल से जिला सांख्यिकी कार्यालय को भेजवाना।
17. अपने कार्य की प्रगति प्रतिवेदन स-समय भेजना।
18. निदेशालय एवं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा आवंटित अन्य कार्य।

कृषि सांख्यिकी के कार्य से सम्बन्धित विभिन्न स्तर के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों की जबाबदेही।

(क) प्राथमिक कार्यकर्ता(कर्मचारी)-

- (1) कृषि सांख्यिकी के वार्षिक प्रशिक्षण में भाग लेना।
- (2) अपने क्षेत्र के सभी गाँवों के लिए आवश्यक खेसरा प्रपत्रों की प्राप्ति करना।
- (3) उनको सभी आवंटित गाँवों का अलग-अलग खेसरा बही तैयार करना तथा खेसरा बही में शीर्षक लगाकर खतियान, एरिया स्लीप से प्रत्येक प्लॉटों का क्षेत्रफल लिखना।
- (4) प्रत्येक मौसम के फसल सर्वेक्षण एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर करें ताकि प्रत्येक मौसम के सर्वेक्षण अवधि में सर्वेक्षण समयानुसार समाप्त हो जाय।
- (5) मौसम के अन्त में अपने हल्के का मौसमी जिन्सवार तथा तत्सम्बन्धी सम्बद्ध प्रतिवेदन निर्धारित तिथि तक तैयार कर अंचल निरीक्षक को दे दें।
- (6) फसल कटनी सम्पादन में अंचल निरीक्षक-प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक को आवश्यक सहायता देना।

(ख) अंचल निरीक्षकों की जवाबदेही-

- (1) क्षेत्र सर्वेक्षण के लिए सर्वप्रथम प्रत्येक कर्मचारी के हल्का के लिये एक सर्वेक्षण का कार्यक्रम तैयार करना एवं इसी कार्यक्रम के अनुसार सर्वेक्षण कार्यक्रम समयानुसार सम्पादन करना।
- (2) निर्धारित तिथि तक मौसमी जिन्सवार सभी हल्कों से प्राप्त कर अंचल का समेकित जिन्सवार तथा तत्संबन्धी प्रतिवेदनों को तैयार कर अंचल पदाधिकारी के माध्यम से जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को भेजने की व्यवस्था करना।
- (3) जिन्सवार तथा तत्संबन्धी प्रतिवेदन भेजते समय अंचल निरीक्षक अच्छी तरह देख लें सभी सम्बन्धित प्रतिवेदन जिन्सवार के साथ संलग्न है एवं अंचल से संकलित ऑकड़ों में किसी तरह का संकलन सम्बन्धित दोष नहीं हो।
- (4) प्रत्येक मौसम में चुने गये फसलों का फसल कटनी प्रयोग के समय अंचल निरीक्षक सचेत रहे कि जिला सांख्यिकी कार्यालय के कटनी-प्रयोग का आयोजन तथा चुने गये गाँवों की सूची उनको समयानुसार प्राप्त हो गया।
- (5) कटनी प्रयोग के आयोजन तथा गाँव की सूची प्राप्त होते ही अंचल निरीक्षक सभी चुने गये गाँवों में सम्बन्धित किसानों से सम्पर्क स्थापित कर कटनी प्रयोग के प्लॉटों का चुनाव अविलम्ब कर लेंगे तथा कटनी का कार्यक्रम अंचल पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी को कम से कम दो सप्ताह पहले सूचित कर देंगे।
- (6) कर्मचारी की सहायता से तथा किसानों से मिल कर अंचल निरीक्षक चुने गये प्लॉटों की विस्तार सूचना तथा इनपुटस का विस्तारित सूचना लेकर कटनी प्रयोग के निर्धारित प्रपत्र में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के पास भेज देंगे।
- (7) निर्धारित तिथि को प्लॉट में जाकर फसल कटनी प्रयोग को विधिवत सम्पादन करेंगे एवं कटनी के परिणाम उसी दिन विहित प्रपत्र में भरकर अंचल पदाधिकारी के माध्यम से जिला सांख्यिकी कार्यालय में भेजेंगे।
- (8) कटनी परिणाम अलग से एक द्रुत अनुमान कार्ड में भर कर एक प्रति निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन, बिहार, पटना को तथा दूसरी प्रति जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को भेजने की व्यवस्था करेंगे।
- (9) चुने गये प्रथम गाँव में सुखवन का प्रयोग कर प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में 15 दिनों के बाद भेजेंगे।

- (10) बिहार राज्य में सम्प्रति सभी फसलों के कुल 59 पुर्वानुमान है जिसको समय सारणी के मुताबिक भेजने की आवश्यक कार्यवाही अंचल निरीक्षक को करनी है।
- (11) अंचल निरीक्षक को प्रत्येक मौसम में अंचल के आधे हल्के में क्षेत्रफल सर्वेक्षण का सुयुक्त पर्यवेक्षण जाँच करनी है एवं जाँच कर सुपुष्टि प्रतिवेदन जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को भेजना है।
- (12) प्रत्येक कृषि वर्ष के प्रारम्भ में अंचल निरीक्षक कृषि सांख्यिकी के सभी अमानक प्रपत्र की आपूर्ति जिला सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त करेंगे एवम् अपने अंचल के विभिन्न स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच वितरण कर देंगे।
- (13) प्रतिमाह सामान्य निरीक्षण के क्रम में अंचल के सभी हल्कों के 1-1 गाँव के 10 प्रतिशत कितो की न्यादर्श जाँच कर मासिक जाँच प्रतिवेदन भेज देंगे।

प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक की जवाबदेही।

- (1) क्षेत्र सर्वेक्षण के पर्यवेक्षण करना। ये पर्यवेक्षण सामान्य निरीक्षण एवं सुयुक्त पर्यवेक्षण द्वारा करना है। सुयुक्त पर्यवेक्षण के लिये प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक आधे हल्के में आवंटित खंड निरीक्षण करेंगे।
- (2) फसल कटनी प्रयोग का संपादन आवंटित गाँव में करना होगा।
- (3) वर्षापात के आँकड़ों को वर्षापात केन्द्रों से अनिवार्यतः पंजी भेजने की व्यवस्था करेंगे तथा विहित पंजी में वे अद्यतन स्थिति रखेंगे।
- (4) प्रखंड के पाक्षिक बैठक में कृषि सांख्यिकी कार्य की समीक्षा में भाग लेंगे।
- (5) प्रखंड में कृषि सांख्यिकी के सभी पंजियां संधारण करेंगे।

कृषि विस्तार पर्यवेक्षक/प्रखंड कृषि पदाधिकारी तथा जन सेवकों की जवाबदेही।

विकास आयुक्त के परिपत्रांक-9881, दिनांक-13 अगस्त, 1968 तथा 567, दिनांक- 2 मार्च, 1972 के अनुसार शस्य क्षेत्र सर्वेक्षण पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कर्मचारी एवं जन सेवक मिलकर एक साथ करें और दोनों इस आशय का हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र अंकित करें फसल-कटनी प्रयोग के संबंध में अंचल निरीक्षक और कृषि प्रसार पर्यवेक्षक(प्रखंड कृषि पदाधिकारी) दोनों मिलकर कटनी प्रयोग सम्पादित करें और प्रतिवेदन पर दोनों का हस्ताक्षर रहे।

प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल पदाधिकारी की जवाबदेही।

- (1) मौसमी जिन्सवार तथा तत्संबंधी सही विवरणियाँ निर्धारित तिथि तक तैयार कराकर जिला सांख्यिकी कार्यालय में समयानुसार भेजने की व्यवस्था करना।
- (2) क्षेत्र सर्वेक्षण के कार्य निर्धारित कार्य प्रणाली के अनुसार हो रहा है या नहीं इसकी छानबीन प्रखंड के प्रत्येक पाक्षिक बैठक में अवश्य करें तथा सर्वेक्षण की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखें।
- (3) फसल कटनी प्रयोग की अनुसूचियाँ कटनी प्रयोग की तिथि के अविलम्ब बाद जिला सांख्यिकी कार्यालय में भेजवाने की विधिवत् व्यवस्था करें।
- (4) फसल सर्वेक्षण के आँकड़ों की शुद्धता के लिये सरकारी निदेशानुसार प्रत्येक प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी प्रत्येक कृषि मौसम में 6 गाँवों का सुयुक्त पर्यवेक्षण करें तथा सुयुक्त पर्यवेक्षण का प्रतिवेदन जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को विहित प्रपत्र में भरकर समयानुसार भेजें।
- (5) क्षेत्र सर्वेक्षण के आँकड़ों की शुद्धता के लिए सुयुक्त पर्यवेक्षण के अलावे सामान्य जाँच अधिकाधिक गाँवों में करें।

- (6) फसल के उत्पादन के आँकड़ों की शुद्धता के लिये सरकार के निदेशानुसार प्रत्येक प्रखंड पदाधिकारी/अंचल अधिकारी को प्रत्येक कृषि मौसम में 4 गाँवों में कटनी-प्रयोग का निरीक्षण करना है।
- (7) मौसमी जिन्सवार भेजने के पूर्व यह जाँच कर लें कि जिन्सवार खेसरा पंजी की प्रविष्टियाँ तथा गोश्वारा पर आधारित है तथा इस संबंध में एक प्रमाण-पत्र दें।
- (8) प्रत्येक वर्ष के जून महीने में यह जाँच कर लें कि कर्मचारियों के पास उनकी आवंटित गाँवों का नक्शा उपलब्ध है। यदि नक्शा उपलब्ध नहीं हो तो उसकी आपूर्ति 9एल.आर. शीर्षक के अन्तर्गत स्वीकृत आवंटन में नये नक्शे खरीद लिये जायें।

जिला समाहर्ता/अपर समाहर्ता/जिला विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार अपर समाहर्ता आदि पदाधिकारियों की जवाबदेही।

- (1) फसल सर्वेक्षण के आँकड़ों की शुद्धता के लिये सरकार के निदेशानुसार निम्नांकित मात्रा में सुयुक्त पर्यवेक्षण करना है:-
 - (1) जिला समाहर्ता-प्रत्येक कृषि वर्ष में दो गाँव।
 - (2) अपर समाहर्ता-प्रत्येक कृषि वर्ष में प्रति अनुमंडल में दो गाँव।
 - (3) जिला विकास पदाधिकारी-प्रत्येक अनुमंडल में एक गाँव।
 - (4) अनुमंडल पदाधिकारी-प्रत्येक मौसम में दो गाँव।
 - (5) भूमि सुधार उप-समाहर्ता-प्रत्येक मौसम में चार गाँव।
- (2) फसल के उत्पादन के आँकड़ों की शुद्धता के लिए सरकार के निदेशानुसार निम्नांकित मात्रा में फसल कटनी का निरीक्षण करना है।
 - (1) जिला समाहर्ता-प्रत्येक कृषि वर्ष में दो गाँव।
 - (2) अपर समाहर्ता-प्रत्येक अनुमंडल प्रत्येक मौसम में एक गाँव।
 - (3) जिला विकास पदाधिकारी-प्रत्येक अनुमंडल में एक गाँव।
 - (4) अनुमंडल पदाधिकारी-प्रत्येक मौसम में दो गाँव।
 - (5) भूमि सुधार उप-समाहर्ता-प्रत्येक मौसम में तीन गाँव।

उल्लेखनीय है कि प्रत्येक गाँव में दो प्लॉटों पर फसल कटनी प्रयोग कराई जाती है।
- (3) उपर्युक्त जाँचों के अलावे इन पदाधिकारियों को अपने-अपने पर्यटन के क्रम में फसल सर्वेक्षण के सामान्य जाँच तथा खेसरा पंजी की प्रविष्टियों की जाँच यथा संभव करना है।

वर्षापात

प्रखंड के कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक की अनुपस्थिति भ्रमण के समय प्रखंड के अन्य कर्मचारियों द्वारा वर्षा अभिलेख कार्य की देख-रेख

पत्रांक 954

योजना विभाग

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

प्रेषक,

श्री फ0 अहमद, उप विकास आयुक्त, बिहार ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

दिनांक 16 फरवरी 1961 ।

विषय:- प्रखंड के कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक की अनुपस्थिति या भ्रमण के समय प्रखंड के अन्य कर्मचारियों द्वारा वर्षा अभिलेखन कार्य की देख-रेख ।

महाशय,

सरकार को सूचना मिली है कि सांख्यिकी पर्यवेक्षकों की अनुपस्थिति में प्रखंड मुख्यालय स्थित वर्षामापक यंत्र का वर्षा अभिलेखन कार्य बन्द हो जाता है, जो वर्षा अभिलेखन के नियमानुकूल नहीं ? और कार्य के महत्व को देखते हुए भी उचित नहीं है ।

2. अतः आपसे अनुरोध है कि सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को आदेश दें कि जहाँ कृषि फार्म प्रखंड के मुख्यालय के निकट है वही कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक की अनुपस्थिति में वर्षा अभिलेखन कार्य फार्म सहायक से लिया करें, यदि दोनों ही अनुपस्थित रहे, अथवा फार्म प्रखंड से दूर हो तो यह कार्य प्रखंड नाजिर द्वारा सम्पन्न करावें जिससे वर्षा अभिलेखन कार्य बन्द नहीं हो ।

3. इसकी प्रतिलिपि सभी अनुमंडल पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी को अग्रसारित की जाती है।

आपका विश्वासभाजन

ह0/-,

उप-विकास आयुक्त, बिहार ।

ज्ञापांक 954

दिनांक 16 फरवरी 1961

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त/अनुमंडलाधिकारी / प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/-,,

उप-विकास आयुक्त, बिहार ।

फसल क्षेत्र का सर्वेक्षण
पूर्ण परिगणना के तरीके से विभिन्न फसलों के आंकड़ों का संग्रहण

परिशिष्ट 6(2)

सं.ए.एस.-1142/58-1194

बिहार सरकार
राजनीति और नियुक्ति विभाग

प्रेषक,

श्री एम0 एस0 राव, आई0 सी0 एम0,
मुख्य सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

26 फरवरी 1959

विषय:- पूर्ण परिगणना के तरीके विभिन्न फसलों के क्षेत्र के आंकड़ों का संग्रह ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मेरी अर्द्ध-सरकारी पत्र संख्या 10588 सी0, तारीख 16 अक्टूबर 1958 देखें । इस संबंध में मुझे यह कहना है कि उपर्युक्त सर्वेक्षण के लिये ग्राम-स्तर के कार्यकर्त्ताओं, ग्रामसेवकों और कर्मचारियों से जो सेवा ली गई थी उससे सर्वेक्षण की शुद्धता और परिपूर्णता में प्रशंसनीय सुधार हुआ था। अतएव, राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कृषि आंकड़ा संबंधी सामग्री के संग्रह के लिए ग्राम-स्तर के कार्यकर्त्ताओं, ग्राम-सेवकों तथा कर्मचारियों से गठित इन प्राथमिक एजेंसियों की सेवाओं के इस समन्वय को तुरत स्थायी कर दिया जाय। इस तरह कृषि आंकड़ों का संग्रह करना ग्राम-स्तर के कार्यकर्त्ताओं, ग्राम सेवकों और कर्मचारियों को सौंपे जानेवाले स्थायी कर्त्तव्यों का एक अंग हो जायगा।

2. जहां तक इस समन्वय की सफलता का संबंध है, इसकी जिम्मेवारी मूलतः प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों और सर्किल (अंचल) पदाधिकारियों पर होगी। इस योजना की कामयाबी के लिए यह आवश्यक है कि रिपोर्ट करने वाली प्रत्येक प्राथमिक एजेंसी का कार्य-क्षेत्र संतुलित रूप से बांट दिया जाय। रिपोर्ट करने वाली उपर्युक्त तीनों एजेंसियों के कार्य-क्षेत्र का बंटवारा पिछले साल हो भी चुका है। तौ भी आप लोग यथासंभव और भी युक्तिपूर्ण बनाने के लिये इन कार्य-क्षेत्रों में हेरफेर कर सकते हैं। इस प्रकार निश्चित किये गये कार्य-क्षेत्र की सूचना संबद्ध प्रखंड, अंचल अथवा सर्किल पदाधिकारी को दे दी जाय और उसकी एक-एक प्रति जिला सांख्यिकी पदाधिकारी और निदेशक, केन्द्रीय अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग को भेज दी जाय। रिपोर्ट करने वाली इन प्राथमिक एजेंसियों के बीच कार्य-क्षेत्र का वितरण करने के सिलसिले में, जहाँ तक संभव हो, ग्राम सेवकों को ऐसा कार्य-क्षेत्र दिया

जाय जितमें पंचायत मुख्यालय ग्राम अथवा उसके निकटवर्ती ग्राम पड़े । इसी प्रकार ग्राम-स्तर के कार्यकर्ताओं ग्राम-सेवकों और कर्मचारियों को कार्य-क्षेत्र वितरित करते समय उनके कार्य-भार का भी ख्याल रखा जाय। कोई उलझन पैदा न हो, इ सके लिये आवश्यक है कि राजस्व (रेवेन्यू) मौजा इकाई रखा जाय।

3. यह भी निर्णय किया गया है कि फिलहान कृषि-विस्तार पर्यवेक्षक ग्राम-स्तर के कार्यकर्ताओं के सर्किल (अंचल) निरीक्षक कर्मचारियों के और ग्राम-पंचायत पर्यवेक्षक ग्राम-सेवकों के कार्य का निरीक्षण करनेगा। किन्तु हरेक प्रखंड मुख्यालय में रखे गये कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक रिपोर्ट करने वाली तीनों प्राथमिक ऐजेंसियों के अर्थात् ग्राम-स्तर के कार्यकर्ताओं, ग्राम-सेवकों या कर्मचारियों में से किसी के भी कार्य का निरीक्षण कर सकता है। कृषि आंकड़ों के संग्रह के मामले में, अन्य निरीक्षण पदाधिकारियों के अतिरिक्त, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी और जिला सांख्यिकी पर्यवेक्षक जिले के मुख्यालयों से तीन प्राथमिक ऐजेंसियों और पर्यवेक्षण ऐजेंसियों के कार्य का निरीक्षण करेंगे। इस संबंध में, प्राथमिक और पर्यवेक्षण कर्मचारियों के लिये विस्तृत अनुदेश निदेशक, केन्द्रीय अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा शीघ्र ही दिये जायेंगे।

4. निदेशक, ग्राम पंचायत, विकास आयुक्त और भूमि सुधार आयुक्त से अनुरोध किया जा रहा है कि वे इस महत्वपूर्ण निर्णय की सफलतापूर्वक लागू करने के लिए, निदेशक, केन्द्रीय अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग से परामर्श करके अपने-अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के पास अपने-अपने विभाग से अलग-अलग परिपत्र भेजवायें । मैं यह भी बतला देना चाहता हूँ कि जो पदाधिकारी या कर्मचारी इन सरकारी अनुदेशों की अवहेलना करें अथवा उनका पालन न करें उसके विरुद्ध अनुशासन की कठोर कार्रवाई (यदि आवश्यक हो तो चरित-पुस्त में प्रतिकूल प्रविष्टि भी) की जाय।

5. कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार लिखें ।

विश्वासभाजन

ह0/-,

मुख्य सचिव।

Association of V.L.Ws and Agricultural extension supervisions with Crop enumeration and crop cutting experiments.

No. Stat.025/68-9881-Agri.
GOVERNMENT OF BIHAR
DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND ANIMAL HUSBANDRY
(AGRICULTURE)

FROM.

SHRI H.N. THAKUR,
DEVELOPMENT COMMISSIONER, BIHAR,

TO,

ALL DISTRICT OFFICERS.

Patna, the 13th august, 1968

SUBJECT:- Association of V.L.Ws., and Agricultural Extension Supervisors with crop enumeration and crop cutting experiments.

Sir,

I AM directed to say that a recent review of the estimates of Agricultural production revealed that for want of close supervision, the estimates are becoming less and less reliable. The correctness of the estimated must be insured as they form the basis of all future planning.

2. There are two principal stages in the process of collecting agricultural statistics –

- (i) Area enumeration, and
- (ii) Crops cutting experiments.

The area enumeration requires that the Karamcharis would go from plot to plot in every crop season and take note of the crops grown in the different plots and prepare the Jinswar. The crop cutting experiments are conducted by Circle Inspectors in plots selected by the method of “Random sample”.

3. It has been decided by the State Government that with effect from the current agricultural year commencing from July 1, 1968 the village level workers would invariably accompany the Karamcharis at the time of village survey (area enumeration). These surveys are conducted in accordance with the programme drawn up by the Circle Inspectors fairly in advance of the commencement of the Agricultural season, keeping in view the other work of the Karamcharis, the number of plots and the area to be surveyed by each of them. In order to associate the V.L.Ws., with this work effectively, it is necessary that his programme is drawn up by the Circle Inspectors in consultation with the Agricultural Extension Supervisors of the Blocks preferably at the meeting of the block headquarters days.

4. The Circle Inspectors will prepare five copies of the programme and hand over one copy to the Karamchari concerned who will paste it in his diary. The second copy should be handed over to the Agricultural Extension Supervisor and the third copy should be posted to the District Statistical Officer. The fourth copy should be submitted to the Block Development Officer/Circle Officer and fifth copy retained by the Circle Inspectors as his office copy.

5. It would be the responsibility of the Agricultural Extension Supervisor to distribute his copy of the programme to the V.L.Ws. connected who would accompany the Karamcharis in the course of the area enumeration work. At the conclusion of survey of each village, the V.L.Ws. will have to append a certificate on

the area abstract of the Khesra Register to the effect that “सर्वेक्षण मेरे समझ हुआ । प्रतिवेदन आंकड़े सही है” ।

The V.L.Ws. will have to append his date signature also to this certificate.

6. There are four principal crop seasons in the State, namely, Bhadai, Agahani, Rabi and Summer. The Director of Statistics and Evaluation will be issuing instructions separately indicating the period during each of the four crop season. While drawing up the programme referred to above, the Agricultural Extension Supervisor will have to see that it is drawn up that the main work of Agricultural Extension Supervisor is not hindered.

7. *Crop cutting Experiments.*-Likewise, the Circle Inspector will have to draw up a programme for crop cutting experiments will in advance in consultation with the Agricultural Extension Supervisor. The Agricultural Extension Supervisor will witness the crop cutting experiments conducted by the Circle Inspector and will append a certificate on the table no.II to the effect that सर्वेक्षण शस्य कटनी प्रयोग मेरे समक्ष विहित प्रणाली के अनुसार सम्पादित हुआ । प्रतिवेदित आंकड़े सही है ।”

The Circle Inspector will have to append his dated signature to the certificate.

8. *Submission of reports:-*It has further been decided that it would be the responsibility of the Project Executive Office /Prakhand Vikas Padadhikari/Block Development Officer to submit the reports and returns of Agricultural Statistics over his signature to the District Statistical Officer, after proper scrutiny. After compiking the reports for the district as whole, the District Statistical Officer will, on the date to be fixed by the District Officer, having a meeting at which the District reports and returns will be finalised. The District Development Officer, the District Statistical Officer and the District Agricultural Officer should attend that meeting, which would be presided over by the District Officer.

9. After finalization at such a meeting, the district reports and returns should be submitted by the District Statistical Officer, to the Director of Statistics and Evaluation.

10. *General.*-(i)(a) The idea of associating the Agricultural Extension Supervisor and the V.L.Ws. with area enumeration and crop cutting experiments is to ensure that divergent reports and returns are not submitted by to agencies and that the statistics furnished by one agency are not challenged by the other.

(b)The association of the Agricultural Extension Supervisor and the Village Level Worker with this work should also help to identify the different improved varieties of crops including the high yielding varieties. The Director of Statistics and Evaluation will be issuing instructions separately for adding a column in the Jinswar to indicate the area under the high yielding varieties. In this way, it would be possible to have a correct estimate of the area under high yielding varieties of crops.

(c) Detailed instruction on area enumeration and the crop cutting experiments are given in the “Guide to the Agricultural Statistics” copies of which will be available with the District Statistical Officer.

(ii) Government would like you to ensure that these instructions are understood and followed by the officers and staff of the Agricultural Department /Revenue Department as well as by the Department of statistics and Evaluation.

Please acknowledge receipt of this letter.

Yours faithfully,
ह0/-,

Development Commissioner, Bihar.

MEMO NO.11552.Agri.

Patna, the 31st August,1968.

Copy forwarded to Divisional Commissioner/Secretary,Finance Department,Bihar,Patna /Secretary,Agricultural Department,Bihar,Patna/Director of Statistics and Evaluation,Bihar/Director of Agriculture,Bihar for information and necessary action.

2. Before release of the crop forecast, the Director of Statistics and Evaluation will examine the final estimates in consultation with the Director of Agriculture.

(Sd) ILLEGIBLE,
*Secretary to Government,
Department of Agricultural and
Animal Husbandry Agri.,Bihar.*

GOVERNMENT OF BIHAR.
FINANCE DEPARTMENT.
(DIRECTOR OF STATISTICS AND EVALUATION.)

MEMO NO.4175.

Patna, the 8th November,1968.

COPY forwarded to all the Assistant Director and District Statistical Officers with a request to intimate the progress in implementation of the Government instructions noted in the letter of the Development Commissioner lasted by 20th November,1968.

N.P.SINGH,
Deputy Director,
Directorate of Statistics and Evaluation,Bihar,Patna.

क्षेत्र सर्वेक्षण एवं शस्य कटनी प्रयोग के समय जन सेवक एवं कृषि विस्तार
पर्यवेक्षक का सहयोग ।

पत्रांक सर्वे-क-18/68-4777
वित्त विभाग
(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

प्रेषक,

श्री अखौरी गोपी कृष्ण,
संयुक्त निदेशक, (क्षेत्र)।

सेवा में,

सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक 6 नवम्बर, 1968

विषय:- क्षेत्र सर्वेक्षण एवं शस्य कटनी प्रयोग के समय जन-सेवक एवं कृषि विस्तार
पर्यवेक्षक का सहयोग ।

प्रसंग:-विकास आयुक्त के परिपत्रांक 9881,दिनांक 13 अगस्त 1968 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में विकास आयुक्त के पत्र की प्रति पुनः संलग्न करते हुए कहना है कि निदेशक के आदेशानुसार यह आपकी जिम्मेवारी होती कि प्रखंडों में इस आदेश की सूचना अविलम्ब पहुँच जाय और साथ ही अगहनी के कृषि आंकड़ा परिवर्तित आदेश के अनुसार ही सभी क्षेत्रों में संकलित हो । आप तथा आपके अधीनस्थ सांख्यिकी पर्यवेक्षक और सांख्यिकी निरीक्षक अपने जिले के सारे क्षेत्रों में क्षेत्र सर्वेक्षण कार्य का संघन निरीक्षण आगामी एक माह के अन्दर कर दें और इस आदेश को सारे जिले में कार्यरूप 15 दिसम्बर 1968 तक अनुपालन प्रतिवेदन दें ।

आपका विश्वासी

ह0/-,

संयुक्त निदेशक ।

ज्ञापांक सं0 4777 दिनांक 6 दिसम्बर, 1968

प्रतिलिपि सभी सहायक निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

निदेशानुसार उन्हें भी आदेश दिया जाता है कि प्रखंड स्तरीय योजना के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त अपने परिभ्रमणों में विकास आयुक्त के उक्त आदेश को क्षेत्र में कार्यान्वित करावें ।

ह0/-

संयुक्त निदेशक

क्षेत्रफल एवं उत्पादन के दस प्रतिशत से अधिक वृद्धि के कारणों की जाँच

बिहार सरकार
योजना विभाग
(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)
(संचिका सं० सर्वे-क-22/74-1497)

प्रेषक,

श्री जे० एम० लिंगडोह,
निदेशक ।

सेवा में,

सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक 15 अक्टूबर, 1974

विषय:- क्षेत्रफल एवं उत्पादन में 10 प्रतिशत से अधिक कमी वृद्धि के कारणों की जाँच ।

प्रसंग:- निदेशालय के पत्र संख्या 2119 दिनांक 4 मई, 1965 (प्रतिलिपि संलग्न) ।

महोदय,

प्रसंगाधीन पत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे सूचित करना है कि क्षेत्रफल 10 प्रतिशत से अधिक कमी/वृद्धि के कारणों की जाँच करने लिये आपको पहले से ही आदेश प्रसारित है। फसलों के क्षेत्रफल के साथ-साथ मौसमी सिंचित क्षेत्रफल शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल एवं भूमि उपयोगिता के 9-वर्गों या क्षेत्रफल में गत वर्ष की अपेक्षा 10 प्रतिशत से अधिक कमी / वृद्धि के कारणों की जाँच कर आपको प्रतिवेदन देना था । परन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह कार्य आपके द्वारा संपादित नहीं हो रहा है।

अतः आपको पुनः आदेश दिया जा रहा है कि क्षेत्रफल में 10 प्रतिशत से अधिक कमी / वृद्धि के साथ-साथ फसल कटनी प्रयोग से प्राप्त फसलों के उपज दर में 10 प्रतिशत से अधिक कमी/ वृद्धि के कारणों की जाँच आप स्वयं एवं आपके जिला सांख्यिकी पर्यवेक्षक सुनियमित ढंग से करें एवं संबंधित प्रखंड/अंचलों से भी इसकी सूचना यथा समय संग्रहित कर अपनी टिप्पणी के साथ एक समेकित विवरणी प्रत्येक मौसम के अंत में उप निदेशक (कृषि) के नाम से अवश्य भेजें। इस आदेश का पालन दृढ़ता से किया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

निदेशक ।

संलग्नक (1)

कृषि सांख्यिकी कार्यादेश
बिहार सरकार
योजना विभाग
(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

पत्रांक-फ0क0प0-4/87-88/584

प्रेषक,

श्री शंकर शरण,
विकास आयुक्त, बिहार, ।

प्रेषित:- सभी प्रमंडलायुक्त ।

विषय:- कृषि सांख्यिकी कार्यादेश ।

पटना, दिनांक 25 अप्रैल 1989 ई0

महाशय,

निदेशानुसार आपका ध्यान कृषि सांख्यिकी के महत्व की ओर आकृष्ट करना है। आप जानते हैं कि राज्य की निरन्तर बढ़ती जनसंख्या को भोजन जुटाने के लिए राज्य में उद्योगिकरण का सुदृढ़ आधार तैयार करने के लिए और इसकी आर्थिक व्यवस्था का ससक्त बनाने के लिये कृषि उत्पादन को बढ़ाना है । सरकार इस ओर प्रयत्नशील है । खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए बाद, उर्वरक, उत्तम बीज और आधुनिक उपकरणों के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। कृषि उत्पादन इन मानव प्रयत्नों के अतिरिक्त भूमि की नैसर्गिक उर्वरता तथा मौसम की अनुकूलता पर निर्भर करता है। हमारा लक्ष्य कृषि उत्पादन बढ़ाना है और इसलिए प्रतिवर्ष कृषि उत्पादन का अनुमान निकालना आवश्यक है। सरकार यह जानना चाहती है कि हमारे खेतों से कितना अनाज, कितनी फसलें, कितना फल और कितनी साग-सब्जी उपलब्ध होती है। इस सूचना के आधार पर वास्तविकतापूर्ण खाद्य नीति निर्धारित की जा सकती है।

2. राज्य का कृषि उत्पादन आंकने के लिए दो प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता होती तथा फसलों के क्षेत्रफल के आंकड़े और उनकी उपज दरों के आंकड़े । हमारे राज्य में फसलों के क्षेत्रफल खेतों की पूर्ण गणना द्वारा निकाले जाते हैं। कृषि वर्ष जुलाई में आरंभ होता है और जून तक चलता है। फसल के विचार से कृषि वर्ष चार मौसमों में बांट दिया जाता है:-

1. भदई
2. अगहनी
3. रब्बी और
4. गर्मा ।

प्रत्येक अभिकर्ता को जून में आवश्यकतानुसार खेसरा प्रपत्र दिये जाते हैं। इन प्रपत्रों से वह प्रत्येक गांव के लिए एक पंजी तैयार करते हैं जिसमें अपने क्षेत्र के प्रत्येक गांव के कीतों की संख्या तथा उनके क्षेत्रफल गत कृषि वर्ष की खेसरा पंजी से नकल कर लेते हैं।

वह हर फसल मौसम में अपने क्षेत्र के प्रत्येक कीते पर स्वयं जाकर उस मौसम की फसलों के क्षेत्रफल खेसरा पंजी में कीतेवार दर्ज करते हैं। इन आंकड़ों की जाँच के लिए समान्य एवं सयुक्त पर्यवेक्षण का प्रबंध है।

फसलों की उपजदर निकालने के लिए दो विधियाँ अपनाई जाती हैं:-

1. फसल कटनी प्रयोग और
2. नेत्रांकन ।

धान, मकई, जूट, मेस्ता, ईख, आलू, मसूर, गेहूँ, जौ, चना, अरहर, प्याज इत्यादि की उपजदरों फसल कटनी प्रयोग द्वारा आंकी जाती है। अन्य फसलों की उपज दरें नेत्रांकन विधि से निकाली जाती है।

3. उपर्युक्त आंकड़ों से कृषि उत्पादन का अन्तिम अनुमान फसल कटने के बाद ही संभव है। सरकार फसल के मौसम के आरंभ से ही ऐसी सूचनाएँ चाहती है जिनसे उसके उपज का पूर्वानुमान लगाया जा सके । प्रशासन को खाद्यान नीति बहुत हदतक पूर्वानुमान के आधार पर ही निश्चित करनी पड़ती है। इन सूचनाओं में गत कृषि वर्ष की तुलना में शस्य क्षेत्र में परिवर्तन बोआई का समय, फसल की स्थिति, मौसम की अनुकूलता, प्रत्याशित उपज दर इत्यादि सम्मिलित है।

4. चूँकि इस राज्य में कृषि उत्पादन बहुत हद तक वर्षा पर निर्भर है। वर्षा अभिलेखों को तैयार करना और उनका संधारण भी बहुत महत्वपूर्ण है ।

5. शस्य क्षेत्र सर्वेक्षण द्वारा भूमि और भू-अभिलेख दोषों के सुधार में सहायता की जा सकती है। इन आंकड़ों के आधार पर कृषि विकास की योजनाएं बनाई या संशोधित की जा सकती है।

6. जो कुछ उपर कहा गया है उससे कृषि सांख्यिकी का महत्व स्पष्ट है किन्तु अबतक क्षेत्रीय अभिकर्ताओं ने इस पर यथोचित ध्यान नहीं दिया है। प्रायः सभी इसे फालतू और अनौपयोगी काम समझते रहे हैं । यह अत्यन्त आवश्यक है कि सभी कोटि के अधिकारी वर्ग यथा:- जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप-समाहर्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा कृषि विभाग के क्षेत्रीय स्तर के राजपत्रित पदाधिकारीगण इस कार्य के महत्व को समझें और स्थिति में सुधार लाने की चेष्टा करें ।

7. कृषि सांख्यिकी एकीकरण के लिए जो परिक्रियायें आवश्यक हैं उनके विचार नीचे दिये जाते हैं। इन परिक्रियाओं की तीन श्रेणियाँ हैं:-

- 1- प्राथमिक प्रतिवेदक द्वारा कृषि सांख्यिकी का एकत्रीकरण ।
- 2- प्रतिवेदनों के कार्यों का निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण तथा
- 3- आंकड़ों का संकलन तथा प्रतिवेदनों का यथा समय प्रेषण ।
- 4- प्राथमिक प्रतिवेदनों में क्षेत्र विवरण:-

राज्य के कितने क्षेत्र में कौन सी फसल उपजाई जाती है, उसके आंकड़े तैयार करने के लिए आवश्यक है कि क्षेत्रों की प्रतिवेदनों में इस प्रकार बांट दिया जाय कि वे अपने प्रतिवेदों के साथ-साथ शस्य क्षेत्र सर्वेक्षण का काम भी यथा समय और दक्षता पूर्वक कर इस राज्य में यह काम पूर्णतया कर्मचारी ही कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष जून के महीने में इस बात की जाँच हो कि के पूर्ण क्षेत्र को पूर्ण रूप से सर्वेक्षित करने की व्यवस्था की गयी है और निश्चित किये गये कार्य क्षेत्र की सूचना सम्बद्ध अंचल पदाधिकारी को दी जाय

और उसकी एक प्रति जिला सांख्यिकी पदाधिकारी तथा सांख्यिकी निदेशालय भी भेजी जाय। प्रत्येक अंचल निरीक्षक क्षेत्र वितरण पंजी संधारित करेंगे।

2. गाँवों के नक्शों की आपूर्ति:-

शस्य क्षेत्र सर्वेक्षण के लिए प्रतिवेदकों को प्रत्येक कीते पर जाकर उसे पहचानना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना ये उनकी खेसरा संख्या, क्षेत्रफल तथा उनमें लगी फसलों की सूचना नहीं कर सकते। इसके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि प्रत्येक प्रतिवेदन के पास उसके अधीन क्षेत्र के डेस्ट्रल सर्वेक्षण नक्शा हों। प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल पदाधिकारी “लैण्ड रेवन्यू” इसके अन्तर्गत स्वीकृत आवंटन के नक्शे खरीद कर प्राथमिक प्रतिवेदकों को दें। उपर्युक्त नक्शों अनुमंडल/ जिला नजारत से प्राप्त किये जाए। इन दोनों स्थानों में उलब्ध न होने पर ये उप-निदेशक, सर्वेक्षण गुलजारबाग से प्राप्त किये जाय। यदि उनके पास भी नक्शों की प्रतियाँ उपलब्ध न हो तो जिला पदाधिकारी उनसे अनुरोध करें कि वे अलभ्य नक्शों को यथाशीघ्र मुद्रित कर दें। इस बात का दायित्व अंचल अधिकारी पर रहेगी कि कोई ऐसा प्राथमिक प्रतिवेदक न हो जिसके पास गांव के नक्शे न हों। नक्शों की लभ्यता की जाँच भी प्रत्येक वर्ष जून के महीने में अंचल पदाधिकारी करेंगे।

सभी जिला पदाधिकारी, अंचल अधिकारी को आदेश दें कि वे उपर्युक्त बातें समीक्षा के आधार पर अंचल निरीक्षकों द्वारा गांव के नक्शों की आपूर्ति की स्थिति के संबंध में एक पंजी निर्धारित करवायें जिसमें निम्नांकित स्तम्भ हों :-

1. क्रम संख्या
2. पंचायत का नाम
3. गाँव का नाम
4. थाना नम्बर
5. नक्शों के खण्डों कीतों की संख्या
6. लभ्य या अलभ्य
7. यदि लभ्य हो तो आपूर्ति कब की गयी
8. नक्शों की हालत
9. अप्राप्त नक्शों के प्राप्त करने के लिए कौन सी कार्रवाई की गयी और
10. अभ्युक्ति

3. क्षेत्रफल सर्वेक्षण के लिए अभियान:-

यह अत्यन्त आवश्यक है कि शस्य क्षेत्र सर्वेक्षण की कार्य प्रत्येक फसल मौसम में निर्धारित अवधि के भीतर ही पूरा हो जाय। शुद्ध आंकड़े प्राप्त करने के लिए तथा सर्वेक्षण को यथाशीघ्र समाप्त करने के उद्देश्य से इस कार्य में लगे पर्यवेक्षकों का श्रम उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस सर्वेक्षण को अभियान के रूप में चलाया जाय। इसका अर्थ यह है कि शस्य क्षेत्र सर्वेक्षण का प्राथमिक प्रतिवेदक अन्य काम छोड़कर सारी शक्तियाँ दृढ़ संकल्प के साथ करें और उस मौसम का शस्य क्षेत्र सर्वेक्षण निर्धारित अवधि के भीतर ही समाप्त कर दें।

4. पर्यवेक्षण:-

अंचल निरीक्षक कर्मचारियों के कार्य का निरीक्षण करते हैं। प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक इन प्राथमिक अभिकर्ताओं के काम का निरीक्षण करते हैं। अंचल निरीक्षकों / प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षकों को मानकर जांच प्रतिवेदन अनिवार्यतः जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को अगले माह की 5 (पाँच) तारीख तक भेजना चाहिए। अन्य निरीक्षण पदाधिकारियों के अतिरिक्त जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/ सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी/ प्राथमिक एजेन्सियों और पर्यवेक्षी एजेन्सियों के कार्य का निरीक्षण करेंगे।

5. खेसरा पंजी की प्रविष्टियों की जाँच:-

ग्राम स्तर पर कर्मचारी कीतों की पूर्ण परिगणना द्वारा विभिन्न फसलों के क्षेत्रफल के आँकड़ों का संग्रह करते हैं। इन आँकड़ों को वे खेसरा पंजी के विभिन्न स्तम्भों में प्रविष्टि करते हैं। कोई कार्यकर्ता काल्पनिक आँकड़े नहीं भरें, जो भी भरे जांच और शुद्ध हो। अब भी जिला पदाधिकारी, जिला विकास पदाधिकारी, अपर समाहर्ता या कोई अन्य राजपत्रित पदाधिकारी अपने भ्रमण के सिलसिले में गाँव में जाय तो शस्य क्षेत्र सर्वेक्षण के क्रम में खेसरा पंजी में की गयी प्रविष्टियों का जाँच करें। आँकड़ों की विश्वसनीयता, उनकी पूर्णता तथा कार्य प्रक्रिया के संबंध में वे निरीक्षण टिप्पणी लिखें और उसकी प्रतिलिपि वे निश्चित रूप से जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के पास भेजा करें। प्राप्त निरीक्षण टिप्पणियों के आधार पर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एक तालिका बनाये जिसे वे प्रत्येक फसल मौसम के अन्त में जिला पदाधिकारी एवं सांख्यिकी निदेशक को आवश्यक अभ्युक्ति के साथ दें।

6. सुयुक्त पर्यवेक्षण की जाँच:-

आँकड़ों की शुद्धता की जाँच के लिए सुयुक्त पर्यवेक्षण का आयोजन किया गया है। इसके अनुसार कुछ प्रतिशत कीते दैव विधि से चुन लिये जाते हैं और स्वतंत्र रूप से उनका सर्वेक्षण किया जाता है। सुयुक्त पर्यवेक्षण द्वारा प्राप्त फसलों के क्षेत्रफल के आधार पर ही इसकी जाँच की जा सकती है कि सामान्य शस्य क्षेत्र सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त आँकड़े किस अंश तक हैं। अतएव यह आवश्यक है कि जिला पदाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारी और सांख्यिकी कार्यकर्ता सुयुक्त पर्यवेक्षण में शामिल कीतों के शस्य क्षेत्र सर्वेक्षण की पूरी-पूरी देख-रेख करें। विभिन्न पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता निम्नांकित निरीक्षण कार्यक्रम का पालन करें।

क्रमांक	पदाधिकारी / कार्यकर्ता	सुयुक्त पर्यवेक्षण की जाँच
1	जिला पदाधिकारी	प्रत्येक कृषि वर्ष में एक गाँव
2	अपर समाहर्ता	प्रत्येक कृषि वर्ष में प्रति अनुमंडल दो गाँव
3	जिला विकास पदाधिकारी	प्रत्येक अनुमंडल में एक गाँव
4	अनुमंडल पदाधिकारी	प्रत्येक मौसम में एक गाँव
5	भूमि सुधार उप समाहर्ता	प्रत्येक मौसम में एक गाँव
6	प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल पदाधिकारी	प्रत्येक मौसम में दो गाँव
7	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी	प्रत्येक मौसम में चार गाँव
8	सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी	प्रत्येक मौसम में आठ गाँव
9	जिला सांख्यिकी निरीक्षक	प्रत्येक मौसम में चार गाँव
10	प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक	प्रत्येक मौसम में आठ गाँव
11	अंचल निरीक्षक	अंचल के प्रत्येक हल्के के कम से कम एक गाँव में

7. फसल कटनी प्रयोगों की जाँच:-

उपर कहा जा चुका है कि कृषि उत्पादन आंकने के लिए उपज दर की आवश्यकता होती है और उपज दर के अनुमान लगाने का वैज्ञानिक ढंग फसल कटनी प्रयोग है। कृषि उत्पादन के शुद्ध अनुमान के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि फसलों की दरों के सही-सही अनुमान निकालें जायें। इसका अर्थ यह हुआ कि सभी फसल कटनी प्रयोग विधिवत किये जायें। कृषि सांख्यिकी की प्रक्रियाओं में फसल कटनी प्रयोगों की देख-रेख एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह बहुत आवश्यक है कि फसल कटनी के लिये चुने गये कीतों पर ही प्रयोग किये जायें। निश्चित क्षेत्र की फसल काटी जाय। उसकी दौनी या पीटनी और अनाज का वजन ठीक-ठीक लिया जाय। इस संबंध में यह वता देना अप्रासंगिक नहीं होगा कि काल्पनिक प्रयोगों का बहुत गुंजाइश है। इसलिए कुछ प्रयोगों का व्यक्तिगत निरीक्षण अनिवार्य है। पदाधिकारियों तथा अन्य कार्यकर्ताओं को यह आदेश दिया जाता है कि निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार के फसल कटनी प्रयोगों का न्यूनतम निरीक्षण किया करें:-

क्रमांक	पदाधिकारी / कार्यकर्ता	फसल कटनी प्रयोग
1	जिला पदाधिकारी	प्रत्येक कृषि वर्ष में दो प्रयोग
2	अपर समाहर्ता	प्रत्येक अनुमंडल में प्रत्येक मौसम में एक-एक प्रयोग
3	जिला विकास पदाधिकारी	प्रत्येक अनुमंडल में एक प्रयोग
4	अनुमंडल पदाधिकारी	प्रत्येक मौसम में दो प्रयोग
5	भूमि सुधार उप समाहर्ता	प्रत्येक मौसम में तीन प्रयोग
6	प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल पदाधिकारी	प्रत्येक मौसम में चार प्रयोग
7	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी	प्रत्येक मौसम में छः प्रयोग
8	सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी	प्रत्येक मौसम में बारह प्रयोग
9	जिला सांख्यिकी निरीक्षक	प्रत्येक मौसम में छः प्रयोग

8. कृषि सांख्यिकी कार्य के लिए प्रशिक्षण:-

आँकड़ों की शुद्धता के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि सर्वेक्षण आदि कार्य प्रशिक्षित प्रतिवेदकों/निरीक्षकों द्वारा ही कराया जाय। इसके लिये आवश्यक है कि प्रति वर्ष मई के महीने में अंचल अधिकारी द्वारा इस बात की जाँच हो कि क्या सभी व्यक्ति प्रशिक्षित हैं ?

इसकी सूचना वे संबद्ध जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को देंगे। अप्रशिक्षित व्यक्तियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला सांख्यिकी पदाधिकारी /सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी /जिला सांख्यिकी निरीक्षक जून के महीने में प्रतिवर्ष करेंगे।

फसल कटनी प्रयोगों की अनुसूचियों की प्रविष्टियों के परिनिरीक्षण तथा विश्लेषण के क्रम में भी बहुत अशुद्धियाँ पाई जाती हैं और यह भी देखी गयी है कि इन प्रयोगों के संबंधित सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन सही ढंग से नहीं होता है। साथ ही आवश्यकतानुसार प्रयोगों के कार्यक्षेत्र में वृद्धि या हेर-फेर भी की जाती है। अतः प्रतिवर्ष 15 जून से 30

जून की अवधि में प्रत्येक जिले के सभी अंचल निरीक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन जिला/मुख्यालयों में दो दिनों के लिये हों। चूंकि राजपत्रित पदाधिकारियों को भी खेसरा वही की प्रविष्टियों की जांच सुयुक्ति पर्यवेक्षण तथा शस्य कटनी प्रयोगों आदि की जांच करनी है। इसलिए यह भी आवश्यक है कि वे भी यथा संभव इस प्रशिक्षण में भाग लें।

9. कृषि उत्पादन के पूर्वानुमान:-

उपर्युक्त कंडिका - 3 में लिखा चुका है कि सरकार फसल मौसम के प्रारंभ से ही ऐसी-ऐसी सूचनाएं चाहती है जिससे उसकी उपज का पूर्वानुमान लगाया जा सके। यदि बोआई से फसल कटनी तक फसल की वृद्धि संबंधी सूचना मिलती रहे तो पिछले अनुभवों के आधार पर उपज का काम चलाउ पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। फसल की उपज के पूर्वानुमान के आधार हैं:-

1. चालू वर्ष में फसल का कुल क्षेत्रफल
2. गतवर्ष की तुलना में फसल के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि
3. चालू वर्ष में सिंचित फसलों का क्षेत्रफल
4. फसल की बोआई का समय
5. मौसम और वर्षा की अनुकूलता
6. फसल की हालत तथा
7. कटनी का समय

कुछ फसलों के दो पूर्वानुमान विवरण और कुछ फसलों के तीन पूर्वानुमान तैयार किये जाते हैं। पूर्वानुमान के लिए आवश्यक सूचनाएँ कर्मचारी तथा पंचायत सेवक एकत्र करते हैं और निश्चित दिनांक तक निदेशक को और अंचल निरीक्षक, पूर्वानुमान के आंकड़े जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सांख्यिकी निदेशक को, और सांख्यिकी निदेशक, भारत सरकार को भेजते हैं। भिन्न-भिन्न फसलों के पूर्वानुमान के लिए आंकड़े भेजने की भिन्न-भिन्न तारीख विधिवत है।

जिला पदाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारी अपने भ्रमण के सिलसिले में फसल की स्थिति की भी जांच करें। अपनी निरीक्षण टिप्पणी में अंकित करें और उद्धरण जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को भेजें। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी भी फसलों की स्थिति अपनी भ्रमण यात्रा दैनिक में अंकित करें।

पूर्वानुमान के आंकड़ों के एकत्रीकरण और प्रेषण पर पूरा ध्यान देना इसलिए आवश्यक है कि बहुधा जिले के तीन या चार प्रखंडों/अंचलों से प्राप्त सूचना के आधार पर ही पूर्वानुमान भेजे जाते हैं जिसके चलते आंकड़े विश्वसनीय नहीं रह जाते। साथ ही पूर्वानुमान कभी-कभी बड़े विलम्ब से प्राप्त होते हैं जिसके चलते राज्य तथा केन्द्रीय सरकार को बड़ी असुविधा होती है।

10. जिन्सवार (फसल विवरण):-

क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर प्रत्येक फसल मौसम में जिन्सवार फसल विवरण तैयार किया जाता है। प्राथमिक प्रतिवेदन अंचल निरीक्षकों को जिन्सवार देते हैं और अंचल निरीक्षकगण अपने-अपने प्रखंड/ अंचल का जिन्सवार तैयार कर उसे जिला सांख्यिकी

पदाधिकारी को भेजते हैं। देखा यह गया है कि अभियान द्वारा सर्वेक्षण किये जाने पर भी जिन्सवार अत्यन्त विलम्ब से भेजे जाते हैं। जिन्सवार भेजने की तिथि अभियान की तिथि के एक पखवारे बाद निर्धारित की गयी है। अतः जिन्सवार प्रतिवेदन भेजने में विलम्ब का कोई कारण नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया है कि जिन प्रखंडों/अंचलों में पूरा-पूरा सर्वेक्षण नहीं होता है वहां से भी शत-प्रतिशत सर्वेक्षण जिन्सवार प्राप्त हो रहे हैं। स्पष्ट है कि इस तरह के जिन्सवारों को कोई उपयोग नहीं रह जाता है। ऊपर आदेश दिया जा चुका है कि प्रत्येक अभियान के बाद आयोजित प्रखंड की पाक्षिक बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल पदाधिकारी सर्वेक्षण की स्थिति की समीक्षा करेंगे। इसी समीक्षा के क्रम में वे प्रत्येक प्राथमिक अभिकर्ता से जिन्सवार भी प्राप्त कर लेंगे और अंचल निरीक्षकों द्वारा जिन्सवारों का संकलन कराकर उन्हें अपने हस्ताक्षर से जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को यथा समय भेज देंगे।

11. प्रक्षेत्र मूल्य:-

उत्पादक किसी कटनी काल में अपनी पैदावार थोक व्यापारी के हाथ जिस औसत थोक मूल्य पर बेचता है उसे उस पैदावार का प्रक्षेत्र मूल्य कहा जाता है। राज्य में उपजने वाली सभी प्रमुख फसलों का मूल्य संग्रह किया जाता है जिसके लिये प्रत्येक जिले के कुछ गाँवों के प्रतिनिधि के रूप में चुन लिया गया है। चुने गए गाँवों की कुल संख्या किसी भी जिले में (10)दस से कम नहीं है। प्रक्षेत्र मूल्य अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित होता है और प्रतिवेदन की तिथि कृषि सांख्यिकी मार्ग दर्शिका के सम्बद्ध अध्याय में दी गयी है। प्रक्षेत्र मूल्य की जानकारी अत्यन्त आवश्यक है। अतः शुद्ध तथा समयनिष्ठ आंकड़ों का प्रेषित किया जाना भी अत्यन्त महत्व रखता है।

अंचल पदाधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि न केवल वे अपने हस्ताक्षर से इन प्रतिवेदनों को यथा समय नियमित रूप से जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को भेजें बल्कि आंकड़ों की शुद्धता की जाँच भी अपने पर्यटन के क्रम में किया करें।

12. वर्षामापक अधिष्ठानों की जांच:-

फेमीन कोड के नियम-3 तथा सांख्यिकी निदेशालय द्वारा भेजे गये स्मारों के बावजूद विभिन्न वर्षामापक अधिष्ठानों की जांच प्रतिवर्ष जिला पदाधिकारियों के अधीन पदाधिकारियों द्वारा नियमित रूप से जनवरी से मार्च के महीनों के बीच नहीं होती है। फलस्वरूप वर्षा अभिलेखों में त्रुटियाँ पाई जाती हैं। यह स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। नियमित सुव्यवस्थित वर्षा पर ही उत्पादन बहुत कुछ निर्भर करता है। अतः वर्षा अभिलेख का महत्व बहुत अधिक है। इसलिये नियमित रूप से प्रत्येक वर्षामापक यंत्र की जांच अत्यन्त आवश्यक है। उत्तरदायित्व विभिन्न प्रखंड विकास पदाधिकारियों तथा अंचल अधिकारियों को सौंपा जाय और उन्हें आदेश दिया जाय कि वे प्रत्येक वर्ष जनवरी तथा मार्च महीने के भीतर अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत संस्थापित सभी वर्षामापक यंत्रों (नये तथा पुराने) की जांच कर एक प्रतिवेदन जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को दें और जिला सांख्यिकी पदाधिकारी प्रति वर्ष मार्च महीने के अन्त तक अपने जिले के सभी अधिष्ठानों की स्थिति के संबंध में एक टिप्पणी जिला पदाधिकारी को दें। (साथ ही उसकी प्रतिलिपि) सांख्यिकी निदेशक को भी भेजें ताकि

आवश्यकतानुसार मरम्मत तथा यंत्रों की आपूर्ति आदि पर कार्रवाई सांख्यिकी निदेशालय अप्रील तथा मई के महीने में कर सकें । वर्षा प्रारम्भ होने के पूर्व मरम्मत आदि का काम अनिवार्यतः पूर्ण हो जाना चाहिये और इस संबंध में एक प्रतिवेदन जिला पदाधिकारिया द्वारा सांख्यिकी निदेशक को प्राप्त होना चाहिये ।

13. मौसम तथा फसल प्रतिवेदन:-

सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संकलित साप्ताहिक मौसम एवं फसल प्रतिवेदन को देखने से पता चलता है कि अनेक अनुमंडलों से वर्षा एवं मौसम तथा फसल संबंधी सूचनाएं निदेशालय को नहीं भेजी जाती है । फलतः “अप्राप्त” या “सूचना नहीं”, प्रतिवेदनों की संख्या विशेष बढ़ गई है। साप्ताहिक मौसम तथा फसल प्रतिवेदन तैयार करने की विधि कृषि सांख्यिकी मार्ग दर्शिका के अध्याय में दी गयी है। जिला पदाधिकारीगण अपने अधीन अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दें कि यह प्रतिवेदन नियमित तथा पूर्ण रूप से भेजा करें । प्रतिवेदन में सभी वांछित सूचनाएँ यथा:- वर्षा की मात्रा, सूखा, बाढ़ आदि घटनाओं की उल्लेख खड़ी फसल की स्थिति तथा मौसम का उस पर प्रभाव, कीड़े से हुई क्षति का अनुमान, आदि स्पष्ट रूप से अंकित रहे ताकि राज्य स्तर पर पूर्ण विवरणी संकलित हो सके । जिला पदाधिकारीगण अपने जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों को आदेश दें कि यदि किसी सप्ताह में यह विवरणी किसी अनुमंडल से प्राप्त नहीं हो या सभी वांछित सूचनायें प्रतिवेदित नहीं हो तो वे इस संबंध में एक टिप्पणी लिखकर तथा अनुमंडल पदाधिकारियों को सम्बोधित एक अर्द्ध सरकारी प्रारूप के साथ अपने जिला पदाधिकारी से स्वयं मिले और अविलम्ब स्मार भेजवायें । साथ ही इसका उल्लेख जिला पदाधिकारीगण जिला समन्वय समिति की बैठक में भी करें ।

14. कृषि श्रमिकों की दैनिक मजदूरी:-

राज्य की कृषि व्यवस्था में श्रमिकों की आर्थिक स्थिति क्या है यह जानने के अभिप्राय से चयनित केन्द्रों से भिन्न-भिन्न वर्गों के कृषि मजदूरों की दैनिक मजदूरी के आंकड़े एकत्र किये जाते हैं। पहले श्रमिक दो वर्गों में बांट दिये गये हैं:-

1. पटु तथा
2. अपटु

पटु वर्ग में:- बढई, लोहार और मोची आते हैं।

अपटु वर्ग में जोताई, बोआई, रोपनी, कटनी आदि काम के लिये लगाये गये मजदूर आते हैं। प्रत्येक वर्ग के मजदूरों की दैनिक मजदूरी सामग्री या धन राशि में चलने के अनुसार दर्ज जाती है। जब मजदूरी सामग्री में दी जाती है तो उसका किस्म, वजन और कीमत और उनके मूल्य रुपयों में दिये जाते हैं। ये आंकड़े सामान्यतः प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक एकत्र करते हैं। जहां प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक पदस्थापित नहीं होते वहाँ यह काम अंचल निरीक्षक करते हैं। नियमानुसार प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक अंचल निरीक्षक महीने के अन्त तक मजदूरी के आंकड़े एकत्र कर अपने जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के पास भेजते हैं। जो आंकड़ों की जाँच कर अगले महीने की 10 (दस) तारीख तक उन्हें सांख्यिकी निदेशालय में भेजते हैं । पिछले अनुभव से पता चलता है कि अधिकांश प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, अंचल निरीक्षक

तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी समय पर आंकड़े नहीं भेजते हैं। कृषि मजदूर की मजदूरी के देशनांक बनाने के लिये यह भी जानना आवश्यक है कि किस किस मौसम में किस वर्ग के कितने मजदूर काम में लगाये जाते हैं। इस सूचना की प्राप्ति के लिये यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक जिले के एक केन्द्र में ऐसे किसान परिवार चुन लिये जाय जो प्रत्येक फसल मौसम में खेती के काम में मजदूर लगाते हैं। ऐसे किसान परिवारों से पुछताछ कर आवश्यक आंकड़े उपलब्ध किये जायें।

आँकड़ों की शुद्धता की जाँच के लिये यह आवश्यक है कि जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला के अन्य पदाधिकारी तथा सांख्यिकी कार्यकर्ता अपने भ्रमण के सिससिले में चुने हुये केन्द्रों का निरीक्षण करें। वे अपनी निरीक्षण टिप्पणी में आँकड़ों की शुद्धता के सम्बन्ध में अभ्युक्ति दें और प्रतिलिपि जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को भेज दें। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सहायक सांख्यिकी पर्यवेक्षक, जिला सांख्यिकी निरीक्षक दो महीने में कम से कम एक बार प्रत्येक केन्द्र का निरीक्षण आवश्यक करें।

15. कृषि सांख्यिकी कार्य की प्रगति की समीक्षा:-

प्रत्येक अनुमंडल पदाधिकारी या भूमि सुधार उप-समाहर्ता को तीन महीने में कम से कम एक एक बार प्रत्येक अंचल/प्रखंड के सभी कर्मचारियों को बुलाकर उनके कृषि सांख्यिकी कार्य को भली-भांति जांच करनी चाहिये। इस आदेश को कार्यान्वित करने के लिये जिला समाहर्ता को उनलोगों से एक अग्रिम कार्यक्रम मांगना चाहिये। यदि किसी मौसम में कार्यक्रम प्राप्त नहीं हो तो उन्हें अनिवार्यतः स्मार भेजना चाहिये। इसी तरह प्रत्येक कृषि मौसम के अन्त में कृषि सांख्यिकी कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिये अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी के सभापतित्व में एक बैठक बुलानी चाहिए, जिसमें प्रत्येक अंचल द्वारा कृषि सांख्यिकी कार्य की प्रगति की समीक्षा हो। इस बैठक में अनुमंडल के प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक/अंचल निरीक्षक अवश्य उपस्थित रहें। समीक्षा समिति के सचिव जिला सांख्यिकी पदाधिकारी या सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी रहें और उपर्युक्त चौदहों परिक्रियाओं से संबंधित बैठक की कार्यवाही को ही लिखें। कार्यवाही अपने अनुशांसा के साथ जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को जिला समाहर्ता के समझ रखना चाहिये और जिला पदाधिकारी को जिला स्तर के सभी संबंधित अधिकारियों की एक बैठक प्रत्येक मौसम में आवश्यक कार्रवाई तथा आदेश देने के लिये बुलानी चाहिये। प्रमंडलीय स्तर पर सांख्यिकी कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में साल में दो बार भदई तथा अगहनी मासों के लिए दिसम्बर के महीने में तथा रब्बी एवं गर्मा मौसमों के लिए जुलाई के महीने में होनी चाहिए। समीक्षा के क्रम में विभिन्न जिला के कृषि सांख्यिकी कार्य से संबंधित उपर्युक्त सभी प्रक्रियाओं की जांच की जाय। बैठक की निर्धारित तिथि के पहले जिला पदाधिकारियों से विभिन्न फसलों मौसमों में कृषि सांख्यिकी की विभिन्न परिक्रियाओं की प्रगति संबंधी एक प्रतिवेदन मंगा लेना चाहिये। और प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर एक समेकित विवरणी तैयार कर लेनी चाहिये ताकि इसी विवरणी के आधार पर समीक्षा हो सके।

प्रमंडल, जिला तथा अनुमंडल स्तर पर आयोजित समन्वय समिति की प्रत्येक बैठक में भी कृषि सांख्यिकी कार्य की समीक्षा की जाय।

16. सांख्यिकी कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण:-

कृषि सांख्यिकी कार्यालय का निरीक्षण प्रमंडल आयुक्त, जिला समाहर्ता, अतिरिक्त समाहर्ता तथा अनुमंडल पदाधिकारी, जिला अनुमंडल, प्रखंड स्तर पर अन्य कार्यालयों के वार्षिक निरीक्षण के क्रम में प्रतिवर्ष कम से कम एक बार किया करें ।

विश्वासभाजन

ह0/-

विकास आयुक्त, बिहार ।

बिहार सरकार

योजना विभाग

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

ज्ञापांक-740 पटना, दिनांक- 15.6.89

प्रतिलिपि:-आयुक्त सहकारिता विभाग, बिहार,पटना/कृषि निदेशक, बिहार,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-एच0के0 दास

निदेशक ।

ज्ञापांक-740 पटना, दिनांक- 15.6.89

प्रतिलिपि:- सभी समाहर्ता/उपायुक्त/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक(सांख्यिकी)/प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी) / सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक ।

कृषि सांख्यिकी कार्यादेशों में निहित अनुदेशों का दृढ़ता के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

पत्रांक सं०- सर्वे.छ. 15/2004-05/ 2566 पटना, दिनांक 13.10.04

प्रेषक,

श्री जी० एस० कंग,
विकास आयुक्त,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय:- कृषि सांख्यिकी कार्यादेशों में निहित अनुदेशों का दृढ़ता के साथ अनुपालन सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में ।

प्रसंग:- कृषि सांख्यिकी कार्यादेश पत्रांक- 584 दिनांक 25./4/89 (प्रति संलग्न) ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि कृषि सांख्यिकी के विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त करने हेतु प्रशासन की सक्रिय भूमिका है। इस संबंध में दिनांक 31/7/04 की मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में निदेश दिया गया है कि खेसरा पंजी का संधारण कर्मचारियों द्वारा समयानुसार कराया जाय तथा निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जाय।

2. उक्त निदेश के आलोक में राजस्व कर्मचारियों द्वारा फसल सर्वेक्षण हेतु खेसरा पंजी का संधारण कराया जाय एवं प्रत्येक मौसम में फसल अच्छादन क्षेत्र का सर्वेक्षण कृषि सांख्यिकी कार्यादेश के अनुरूप कराया जाय। आँकड़ों की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु कृषि सांख्यिकी के तहत निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप निरीक्षण सम्पन्न कराए जाएं । कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के द्वारा प्रेषित आंकड़ों की भिन्नता के निराकरण हेतु राजस्व कर्मचारी के साथ जनसेवक भी फसल सर्वेक्षण के समय उपस्थित रहें एवं इस आशय का प्रमाण पत्र दें कि खेसरा पंजी में अंकित आंकड़े सही हैं।

3. फसल उत्पादन अनुमान के लिए आवश्यक है कि फसल क्षेत्र के साथ-साथ उपजदर भी उपलब्ध हो ताकि उत्पादन का अनुमान किया जा सके । इस हेतु जिले में फसल कटनी प्रयोग का आयोजन किया गया है। मुख्य फसलों पर आयोजित कटनी प्रयोगों को सम्पादित करने का दायित्व प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक एवं प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक का है। राज्य में फसल बीमा योजना लागू हो जाने के उपरान्त कटनी प्रयोग के आंकड़ों की भूमिका और भी अधिक हो गयी है। अतएव कटनी प्रयोग सम्पादित कराकर उनकी अनुसूचियों जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के माध्यम से सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय को ससमय प्राप्त कराना आवश्यक है। समय पर अनुसूचियाँ प्राप्त नहीं होने की स्थिति में

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत बीमित फसलों के क्षति हाने की स्थिति में कृषक क्षतिपूर्ति के लाभ से वंचित हो जाते हैं। अतएव आवश्यक है कि जिन कर्मियों द्वारा कटनी प्रयोग की अनुसूचियाँ समय पर प्राप्त नहीं करायी जाती हैं तो उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाय।

4. अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त कंडिका में वर्णित निदेशों का कठोरता पूर्वक अनुपालन कराया जाय। साथ ही कृषि सांख्यिकी के अन्तर्गत कम से कम खेसरा पंजी का संधारण, फसल सर्वेक्षण, कटनी प्रयोग सम्पादन एवं प्रतिवेदन प्रेषण के स्थिति की समीक्षा जिला स्तर पर प्रत्येक माह एवं प्रमंडल स्तर पर प्रत्येक तीन माह में अवश्य की जाय एवं समीक्षात्मक प्रतिवेदन निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराते हुये उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

विकास आयुक्त,

योजना एवं विकास विभाग,

बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 2566 पटना, दिनांक 13.10.04

प्रतिलिपि:-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना
2. भूमि सुधार आयुक्त, बिहार, पटना
3. निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सचिव

योजना एवं विकास विभाग,

बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 2566 पटना, दिनांक 13.10.04

प्रतिलिपि:-

1. सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (सांख्यिकी)
2. सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी
3. सभी जिला कृषि पदाधिकारी
4. सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

निदेशक ।

कृषि सांख्यिकी कार्य की प्रोन्नति

पत्रांक ए० एस०-329-60-1245, पटना दिनांक 1 मार्च 1961, प्रेषक, श्री त्रिवेणी प्रसाद सिंह, भा०अ० से० विकास आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा सभी प्रमंडलायुक्तों को प्रेषित।

विषय:- कृषि सांख्यिकी कार्य की प्रोन्नति ।

निदेशानुसार मुख्य सचिव के परिपत्र संख्या ए०एस० 1142-58-1194, दिनांक 26 फरवरी, 1959 (प्रतिलिपि संलग्न) के कंडिका 4 की अंतिम पंक्तियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिसमें यह बताया गया है कि जो अधिकारी या कर्मचारी आदेश की अवहेलना करे अथवा उनका पालन नहीं करे उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई (यदि आवश्यक हो तो चरित्र पुस्तिका में प्रविष्टि भी) की जाय। इस आदेश को भली-भांति पालन करने के लिए यह आवश्यक है कि इस काम में लगे हुए प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी के काम की समीक्षा हो। अतएव यह निश्चित किया गया है कि प्रत्येक कृषि मौसम के अन्त में कृषि सांख्यिकी कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिए अनुमंडलीय स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी के सभापतित्व में एक बैठक बुलाई जाय जिसमें प्रत्येक अंचल के कृषि सांख्यिकी कार्य की प्रगति की समीक्षा हो। इस समिति में अनुमंडल के सभी पर्यवेक्षक (कनीय सांख्यिकी, कृषि विस्तार तथा ग्राम पंचायत एवं अंचल निरीक्षक) उपस्थित रहें। समीक्षा समिति के सचिव जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे और प्रत्येक अंचल से संबंधित बैठक की कार्यवाही वे ही लिखेंगे। कार्यवाही अपनी अनुशांसा के साथ वे जिला समाहर्ता के समक्ष रखेंगे जो जिला स्तर पर सभी संबंधित अधिकारियों की एक बैठक आवश्यक कार्रवाई तथा आदेश देने के लिए बुलायेंगे। प्रमंडलीय स्तर पर भी एक उप निदेशक के पद का सृजन विचाराधीन है। इन प्रमंडलीय उप निदेशकों की नियुक्ति के बाद आवश्यकतानुसार प्रमंडलीय स्तर पर भी बैठकें बुलाई जाय। यथा संभव अनुमंडलीय स्तर पर कृषि सांख्यिकी कार्य की समीक्षा के लिए बुलाई गयी बैठक अन्य बैठकों के साथ या सिलसिले में हों।

2. स संबंध में मुझे निदेशानुसार यह भी कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी या भूमि सुधार उप-समाहर्ता तीन महीने में कम-से-कम एक बार अंचल मुख्यालय में अंचल के सभी कर्मचारियों को बुला कर उनके कृषि सांख्यिकी संबंधी कार्य की अच्छी तरह जाँच करें। इस आदेश को कार्यान्वित करने के लिये जिला समाहर्ता उन लोगों से एक अग्रिम कार्यक्रम माँगें।

3. इस पत्र में राजस्व विभाग की सहमति ले ली गयी है।

ज्ञाप संख्या- 1245, पटना, दिनांक 1 मार्च 1961, विकास आयुक्त, बिहार द्वारा प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार सरकार, बिहार, भूमि सुधार आयुक्त, सचिव, सामुदायिक विकास विभाग, सचिव, कृषि विभाग, निदेशक, ग्राम पंचायत विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञाप संख्या- 1245, पटना, दिनांक 1 मार्च 1961 विकास आयुक्त, बिहार द्वारा प्रतिलिपि सभी जिला समाहर्ता को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई के लिये प्रेषित।

कृषि सांख्यिकी कार्य की प्रोन्नति

पत्र संख्या- सी0 एस0 5917

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक,

श्री एस0 जे0 मजुमदार,

मुख्य सचिव,

बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलायुक्त ।

पटना, दिनांक 5 श्रावण, 1885(श0)27 जुलाई, 1963

विषय:- कृषि सांख्यिकी कार्य की प्रोन्नति ।

प्रसंग:- पत्रांक- 2302 दिनांक 17/4/1961

महोदय,

निदेशानुसार आपका ध्यान अपने उपर्युक्त परिपत्र की ओर आकर्षित करते हुए यह कहना है कि आयुक्त भागलपुर प्रमंडल की अनुशंसा पर विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा प्रत्येक कृषि मौसम में कृषि सांख्यिकी कार्य के निरीक्षण संबंधी विहित मात्रा संलग्न विवरणी में दी गयी है। कृपया आप आदेश दें कि कृषि वर्ष 1963-64 से कम-से-कम इस विवरणी में दी गयी संख्या के अनुसार क्षेत्र सर्वेक्षण तथा फसल कटनी प्रयोग की जाँच प्रत्येक वर्ष प्रत्येक पदाधिकारी किया करें । साथ ही कृषि सांख्यिकी/जीवनांक कार्य का निरीक्षण आप, जिला समाहर्ता, अतिरिक्त समाहर्ता तथा अनुमंडल पदाधिकारी अन्य कार्यालयों के निरीक्षण के क्रम में प्रति वर्ष कम-से-कम एक बार किया करें ।

3. कृपया आप अपने द्वारा किये गये आदेश की एक प्रति सांख्यिकी निदेशक, बिहार को सूचनार्थ भेज दें ।

भवदीय

ह0/-

मुख्य सचिव ।

No.As 3355-4927.
GOVERNMENT OF BIHAR,
REVENUE DEPARTMENT.
(Agricultural Statistics)

FROM,
MOHAN CHAUDHARI, ESQR.,
REVENUE DEPARTMENT.

TO,
ALL COMMISSIONERS OF DIVISIONS.

SUBJECT.- Proposal for writing out the confidential of the Circle Inspectors and Karamcharis and other officers in connection with the work of agricultural statistics.

Patna, the 6th / 7th October, 1955.

SIR,

I AM to enclose an extract of the proceeding of the meeting held at Randhi on the 11th July 1955 for the improvement of agricultural statistics and rainfall data in which it was decided that the District Supervisors of Agricultural Statistics should send to the Additional Collector, concerned in the 1st week of April each year annual remarks on the quality of work done by the Circle Inspectors and Karamcharis in respect of agricultural statistics and that these may be taken into writing annuals remarks on their character rolls. As for the others viz., Circle Officers or Anchal Adhikaries, it was intended that while recording their annual remarks the work of agricultural statistics done by them should also be taken into account.

2. To judge their work the following points may be taken into consideration:-

(a) In case of Circle Officer or Anchal Adhiikari.	(1)The percentage of area surveyed in his circle. (2)Timeliness in the submission of various returns, viz., Jinswar and forecasts,etc. (3) Number of plots and works of Karamcharis checked during the year. (4) Number of days devoted to agricultural statistics work.
(b) In case of Circle Inspector	(1) The percentage of area surveyed in his circle. (2) Timeless in submission of various reports . (3) Total number of plots and work of Karamcharis checked in each month during the year.
(c) In case of Karamcharis	(1) Percentage of area surveyed. (2) Timeless in submission of returns. (3) The quality of work done as found by Circle Officer, District Supervisor and Circle Inspector during the year.

3. I am, therefore, to request youn to take necessary action in the matter at an early date.

Yours faithfully,
Sd/-
Addl. Secretary to Government.

अंचल पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक एवं कर्मचारियों के वार्षिक चरित्रपुस्ति में उनके द्वारा सम्पादित कृषि सांख्यिकी कार्य से संबंधित अभ्युक्ति अंकित करने के संबंध में ।

पत्र संख्या-2/अंचल 96/78- 6174 सं०

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री फुलचन्द सिंह,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलायुक्त ।

पटना, 15 दिनांक 17वीं अक्टूबर, 1978

विषय:- अंचल पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक एवं कर्मचारियों की वार्षिक चरित्र पुस्ति में उनके द्वारा सम्पादित कृषि सांख्यिकी कार्य से संबंधित अभ्युक्ति अंकित करने के संबंध में।

प्रसंग:- श्री मोहन चौधरी, अपर सचिव, राजस्व विभाग, बिहार का पत्रांक एस० 53/55-4927 दिनांक 6/7 अक्टूबर, 1955 ।

महाशय,

इस राज्य में कृषि सांख्यिकी कार्य राजस्व पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। सरकार की नजर में यह बात आई है कि कहीं-कहीं इस कार्य की ओर पदाधिकारी और कर्मचारी पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं ।

2. यह सर्व विदित है कि कृषि सांख्यिकी सर्वेक्षण के निष्कर्ष के आधार पर ही कृषि उत्पादन आंका जाता है। हमारे खेतों में कितना उत्पादन, हुआ, इसके लिये न्यादर्श विधि से फसल कटनी प्रयोग कराये जाते हैं तथा गौण फसलों का नेत्रानुमान प्राप्त किया जाता है। फसल कटनी एवं नेत्रानुमान की सहायता में फसल के उत्पादन का अनुमान तैयार किया जाता है तथा इसी के आधार पर हमारी खाद्य नीति निर्धारित होती है । यह कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है, फिर भी राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं।

3. अतः यह निर्णय लिया गया है कि सभी अंचलाधिकारी अपने अधीनस्थ अंचल निरीक्षक एवं कर्मचारियों के संबंध में वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति अंकित करते समय कृषि सांख्यिकी कार्य का उचित मूल्यांकन करेंगे । इस कार्य में अंचल अधिकारी की सहायता हेतु जिला सांख्यिकी पदाधिकारी प्रत्येक अंचल के कृषि सांख्यिकी कार्य की समीक्षा कर अपना मन्त्य 15 अप्रैल तक सम्बद्ध अंचलाधिकारी को अवश्य भेज देंगे।

4. अपर समाहर्ता अपने जिला के अंचलाधिकारियों के कृषि सांख्यिकी कार्य की प्रगति एवं गुण की एक तालिका बनाकर प्रत्येक वर्ष अप्रैल के तृतीय सप्ताह में समीक्षा करेंगे और समाहर्ता को उपस्थापित करेंगे । समाहर्ता अंचलाधिकारियों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति लिखते समय उनके द्वारा किये गये सांख्यिकी कार्य को ध्यान में रखेंगे।

5. कृषि सांख्यिकी कार्य के संबंध में निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार किया जायेगा।

पदाधिकारी	कार्य विवरण
1. अंचलाधिकारी के संबंध में	<ol style="list-style-type: none"> 1. अंचल के सम्पूर्ण फसल के सर्वेक्षित फसल का क्षेत्र प्रतिशत । 2. कृषि सांख्यिकी के विभिन्न प्रतिवेदनों यथा, मौसमी जिन्सवार, पूर्वानुमान, द्रुत सर्वेक्षण जिन्सवार एवं फसल कटनी प्रयोग की अनुसूचियों का समयानुसार प्रेषण । 3. निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सुयुक्त पर्यवेक्षण (Rationalised supervision) एवं फसल कटनी की जाँच । 4. कृषि वर्ष में उनके द्वारा जाँच की गयी, प्लॉटों की संख्या एवं कितने कर्मचारियों के कृषि सांख्यिकी कार्यों का निरीक्षण किया। 5. कृषि सांख्यिकी कार्य में कितना दिन लगाया गया।
2. अंचल निरीक्षक के संबंध में ।	<ol style="list-style-type: none"> 1. अंचल के सम्पूर्ण फसल क्षेत्र के समक्ष सर्वेक्षित फसल क्षेत्र का प्रतिशत। 2. कृषि सांख्यिकी के विभिन्न प्रतिवेदनों यथा मौसमी जिन्सवार, पूर्वानुमान, द्रुत सर्वेक्षण जिन्सवार एवं फसल कटनी प्रयोग की अनुसूचियों का समयानुसार प्रेषण । 3. निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सुयुक्त पर्यवेक्षण (रेशनलाइज सुपरविजन)की जाँच एवं फसल कटनी प्रयोगों का सम्पादन । <p>कृषि वर्ष में कितने प्लॉटों की जांच की गयी एवं कितने कर्मचारियों के कृषि सांख्यिकी कार्य का निरीक्षण किया गया ।</p>
3. कर्मचारी के संबंध में:-	<ol style="list-style-type: none"> 1. कितना प्रतिशत सर्वेक्षण किया गया । 2. कृषि सांख्यिकी के विभिन्न प्रतिवेदनों, यथा मौसमी जिन्सवार, पूर्वानुमान एवं द्रुत सर्वेक्षण जिन्सवार का समयानुसार प्रेषण । 3. निर्धारित अवधि में कितने ग्रामों का द्रुत सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न किया गया ।

6. अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर से अधीनस्थ पदाधिकारियों को यह अनुदेश दें कि अंचलाधिकारियों, अंचल निरीक्षकों एवं कर्मचारियों की वार्षिक अभ्युक्तियों उपर्युक्त वर्णित प्रक्रिया के अनुसार लिखी जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या 6174 / पटना, दिनांक, पटना, दिनांक 17वीं अक्टुबर, 1978
प्रतिलिपि:- सभी समाहर्ता/उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अंचलाधिकारियों / अंचल निरीक्षकों एवं कर्मचारियों को वार्षिक अभ्युक्तियों पत्र में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार लिखने हेतु अधीनस्थ पदाधिकारियों को आवश्यक अनुदेश दें।

ह0/-
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या 6174 / पटना, दिनांक, पटना-15, दिनांक 17वीं अक्टुबर, 1978
प्रतिलिपि:- निदेशक, सांख्यिकी, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या 3610 / पटना, दिनांक, पटना, दिनांक 22/12/1978
प्रतिलिपि:- सभी संयुक्त निदेशक, सभी उप निदेशक, मुख्यालय एवं क्षेत्रीय, सभी सहायक निदेशक, मुख्यालय एवं क्षेत्रीय, सभी सांख्यिकी पदाधिकारी, मुख्यालय एवं सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक ।

अपर समाहर्ता के हस्ताक्षर से कृषि सांख्यिकी के विभिन्न प्रतिवेदनों को अग्रसारित करने के संबंध में ।

पत्रांक-ई0ए0-143/66-7529-भू0सु0

बिहार सरकार
राजस्व विभाग ।

प्रेषक,

श्री योगीन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव,
सरकार के सचिव,
राजस्व विभाग ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक 2 सितम्बर, 1966 ।

विषय:- अपर समाहर्ता के हस्ताक्षर से कृषि सांख्यिकी के विभिन्न प्रतिवेदनों को अग्रसारित करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि कृषि सांख्यिकी संबंधी विभिन्न प्रतिवेदनों को अपर समाहर्ता द्वारा सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय में अग्रसारित करने का निश्चय लिया गया है। अतः उनका नाम प्रपत्रों में जोड़ दिया गया है। ऐसी आशा की जाती है कि इसके चलते विभिन्न स्तरों के सभी राजस्व पदाधिकारी इस काम में आदेशानुसार दिलचस्पी लेंगे तथा प्रतिवेदनों का सामयिक प्रेषण भी हो सकेगा। पहले भी यही किया जाता था ।

अतः कृषि वर्ष 1966-67 से कृषि सांख्यिकी संबंधी विभिन्न प्रतिवेदन अपर समाहर्ता की जांच के बाद उनके हस्ताक्षर से ही सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय को भेजे जायं ।

विश्वासभाजन

ह0/-

सरकार के सचिव।

अनुमंडल स्तर पर पदस्थापित भूमि सुधार उप-समाहर्ता द्वारा कृषि सांख्यिकी संबंधी कार्य की जांच ।

संख्या-3/52-10179/66-679-भू0सु0

बिहार सरकार
राजस्व विभाग ।

प्रेषक,

श्री योगीन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना, 15 दिनांक 31/1-2 जनवरी, 1967

विषय:- अनुमंडल स्तर पर पदस्थापित भूमि सुधार उप-समाहर्ता द्वारा कृषि सांख्यिकी संबंधी कार्य की जांच ।

प्रसंग:- विकास आयुक्त के परिपत्रांक 2129, दिनांक 4 अप्रैल 1964 की कंडिका 15 ।

महाशय,

आदेशानुसार उपर्युक्त विषय तथा प्रसंग की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि विकास आयुक्त ने यह आदेश दिया है कि प्रत्येक अनुमंडल पदाधिकारी या भूमि सुधार उप-समाहर्ता को 3 महीने में कम से कम एक बार प्रत्येक अंचल/प्रखंड के सभी कर्मचारियों का बुलाकर उनके कृषि सांख्यिकी कार्य की भली-भांति जांच करनी चाहिए । इस आदेश को कार्यान्वित करने के लिए जिला समाहर्ता द्वारा एक अग्रिम कार्यक्रम भी मांगे जाने का आदेश है। किन्तु क्षेत्रीय निरीक्षण के सिलसिले में पाया गया है कि विकास आयुक्त के इस आदेश का अनुपालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप सहमत होंगे कि आदेश का अनुपालन आवश्यक है। इसका एक और तरीका हो सकता है। भूमि सुधार उप-समाहर्ता साधारणतया प्रत्येक कर्मचारी के काम की पाक्षिक जांच प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार किया करते हैं। जांच के क्रम में वे मुख्यतः राजस्व वसूली तथा दाखिल खारिज संबंधी कार्यों की जांच करते हैं। इन्हीं कार्यों के साथ-साथ वे कर्मचारियों द्वारा किये गये कृषि सांख्यिकी के कार्यों की जांच भी कर लें तो प्रसंगाधीन आदेश का कुछ अंश तक अनुपालन भी हो जायगा और साथ-ही-साथ इस काम के लिये अतिरिक्त समय या यात्रा-व्यय की आवश्यकता नहीं होगी। आपको ज्ञात ही है कि शस्य-स्थिति पर ही अधिकांशतः रिलीफ कार्य भी निर्भर करता है। इस काम को सुचारु रूप से चलाने के लिए भूमि उपयोगिता संबंधी आंकड़े भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। आंकड़ों की विश्वसनीयता आवश्यक है और यह तभी संभव है जब कर्मचारियों तथा अंचल निरीक्षकों के काम की सघन जांच हो ।

कर्मचारियों के कार्य की जांच मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर होनी चाहिए-

- (क) कर्मचारियों द्वारा संधारित नक्शा, खसरा पंजी तथा दैनन्दिनी की जांच ।
- (ख) क्षेत्रीय सर्वेक्षण संबंधी खसरा पंजी में प्रविष्टियों की जांच ।
- (ग) अंचल निरीक्षक द्वारा बनाये गये सर्वेक्षण संबंधी प्रगति की जांच ।
- (घ) कृषि सांख्यिकी संबंधी विभिन्न प्रतिवेदन तथा जिन्सवार, पूर्वानुमान, प्रगति प्रतिवेदन, नेत्रांकण आदि के समयानुसार प्रेषण की स्थिति ।

3. उपर्युक्त कार्यों की जांच हो जाने से कृषि सांख्यिकी कार्य में काफी प्रगति होगी। साथ ही आंकड़े शुद्ध तथा यथासमय प्राप्त हो सकेंगे। अतएव अपने अधीनस्थ भूमि सुधार उप-समाहर्ताओं को कृपया आदेश दें कि इस जांच का कार्यक्रम यथासमय तैयार कर आपके यहां प्रत्येक मौसम में भेजा करें और तदनुसार कार्य की जांच भी करें। साथ ही जांच टिप्पणी की एक प्रति जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को भेजा करें।

4. इस संबंध में आपका ध्यान इस परिपत्र की अन्य कंडिकाओं की ओर भी आकर्षित किया जाता है। अन्य परिक्रियाओं से संबंधित जांच भी अपेक्षित मात्रा में नहीं हो रही है। आशा है कि आप इस ओर पूरा ध्यान देंगे।

5. प्रत्येक वर्ष जिला पदाधिकारी या उनके अधीनस्थ पदाधिकारी अपने क्षेत्रीय कार्य के संबंध में एक समेकित विवरणी देते हैं और जिला पदाधिकारी अपनी वार्षिक अनुशांसा इस विवरणी के आधार पर लिखते हैं। इस विवरणी में कृषि सांख्यिकी संबंधी संपादित कार्य का भी उल्लेख रहना आवश्यक है।

विश्वासभाजन

ह0/-

सरकार के सचिव।

ज्ञाप संख्या- ह-52-10179/66-679-भू0सु0

पटना, दिनांक, 31/1-2 जनवरी 1967

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलायुक्तों को सूचनार्थ अग्रसारित।

ह0/-

सरकार के सचिव।

ज्ञाप संख्या- ह-52-10179/66-679-भू0सु0

पटना-15, दिनांक, 31/ जनवरी 1967

प्रतिलिपि सभी अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप-समाहर्ता/ जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के लिये प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव।

पूर्वानुमान

कृषि उत्पादन के आँकड़ों का संग्रह।

हरिनंदन ठाकुर अर्द्ध-सरकारी पत्रांक सर्वे 6-5/73-567

विकास आयुक्त, बिहार पटना।

पटना, दिनांक 2 मार्च, 1973

विषय-कृषि उत्पादन के आँकड़ों का संग्रह।

प्रिय,

सरकार को इस बात के लिए चिन्ता है कि कृषि उत्पादन के आँकड़े संग्रह करने पर क्षेत्रीय अभिकर्ताओं द्वारा यथोचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रायः सभी इस काम में शिथिलता और अन्यमनस्कता बरत रहे हैं, इसको वह महत्त्व नहीं दे रहे हैं जो देना चाहिए। शस्य-क्षेत्र-सर्वेक्षण का काम सुचारु रूप से नहीं किया जाता और जिन्सवार भेजने में बड़ी देर की जाती है। भेजे गये आँकड़े भी हमेशा शुद्ध नहीं पाये जाते। भारत सरकार को जो आँकड़े सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय द्वारा और कृषि विभाग द्वारा भेजे गये हैं वे मेल नहीं खाते, फलतः सरकार के सामने बड़ी विषम स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह बताने की जरूरत नहीं कि आयोजन और नीति-निर्धारण के लिए कृषि-उत्पादन के आँकड़े कितने आवश्यक हैं।

2. राज्य का कृषि उत्पादन आँकड़ों के लिए दो प्रकार के आँकड़ों की आवश्यकता होती है, फसलों के क्षेत्रफल के आँकड़े और उनकी उपज-दरों के आँकड़ें। फसल के क्षेत्रफल खेतों की पूर्ण गणना द्वारा निकाले जाते हैं। प्रत्येक कर्मचारी हर फसल-मौसम में अपने क्षेत्र के प्रत्येक कीते पर स्वयं जाकर उस मौसम की फसल के क्षेत्रफल खेसरा पंजी में कितेवार दर्ज करता है। उपज-दर का अनुमान लगाने के लिए वैज्ञानिक ढंग से फसल कटनी प्रयोग की व्यवस्था है। फसल कटनी के प्रयोग अंचल निरीक्षक, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक तथा अन्य कई अभिकर्ता द्वारा संपादित होते हैं। यह अत्यन्त आवश्यक है कि फसल कटनी के लिए चूने गये कितों पर ही प्रयोग किए जायें, एक निश्चित क्षेत्र की फसल काटा जाये, उसकी दौनी या पिटनी ठीक से की जाए और अनाज का वजन भी सही ढंग से लिया जाय।

3. शस्य क्षेत्र सर्वेक्षण और फसल कटनी प्रयोगों को प्रचलित खामियों को दूर करने के उद्देश्य से मेरे परिपत्र संख्या (स्टेट.-25/68-6881-एग्री), दिनांक 13 अगस्त 1968 द्वारा विस्तृत अनुदेश भेजे गए थे सुकर निर्देश के लिए इस का प्रतिलिपि संलग्न है। इसमें, संक्षेप में, यह कहा गया है कि शस्य-क्षेत्र-सर्वेक्षण, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, कर्मचारी और जनसेवक मिलकर एक साथ करें और दोनों इस आशय का हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र अंकित करें।

इसी प्रकार, फसल कटनी प्रयोग के संबंध में कहा गया है कि अंचल निरीक्षक और कृषि प्रसार पर्यवेक्षक दोनों मिल कर कटनी प्रयोग संपादित करें और प्रतिवेदन पर दोनों का हस्ताक्षर रहे। अंचल निरीक्षकों से प्राप्त प्रतिवेदनों की जाँच करने और जाँच के उपरान्त, उन्हें जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के पास भेजने की जबावदेही परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपी गयी है। जिला स्तरीय प्रतिवेदन की जाँच जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में बुलायी गयी बैठक में की जानी है, जिसमें जिला विकास

पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी और जिला कृषि पदाधिकारी को भी भाग लेना है। इस जाँच के बाद ही प्रतिवेदन को सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय के पास भेज देना है। सरकार को बड़ा खेद है कि इन अनुदेशों का पालन नहीं हो रहा है। सरकार चाहती है कि इन अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय और जो पदाधिकारी और कर्मचारी इनकी उपेक्षा करें उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाय।

4. आप जानते हैं कि इस वर्ष अपर्याप्त वर्षापात के कारण अगहनी मौसम में कुछ क्षेत्रों में अगहनी धान की बोआई संभव न हो सकी थी। इस क्षति की पूर्ति के उद्देश्य से गेहूँ फसल के क्षेत्रफल की वृद्धि के लिए कृषि विभाग ने विशेष योजनायें बनाई हैं। ये योजनायें कहाँ तक सफल हुईं, यह सूचना फसल-सर्वेक्षण के अंतर्गत तैयार किए गये रब्बी जिन्सवार से मिल सकेगी। इसलिए यह और भी जरूरी है कि आप अपने अधीनस्थ सभी संबद्ध पदाधिकारियों और काग्रकर्त्ताओं को आदेश दें कि वे रब्बी सर्वेक्षण कार्य में पूर्णरूप से सचेत होकर, सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से शुद्ध आँकड़ों का संग्रह करें ताकि रब्बी अभियान का परिणाम सही-सही आंका जा सके। उपज का अनुमान लगाने के लिए यह भी जरूरी है कि फसल कटनी प्रयोग मुस्तैदी से किये जायें और इन प्रयोगों का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाय। आपसे साग्रह अनुरोध है कि कृपया यह सुनिश्चित करें कि रब्बी के जिन्सवार निर्धारित तिथि (15 अप्रैल 1973) तक निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय के पास अवश्य पहुँच जाएगा।

भवदीय

ह0/-

सेवा में,
सभी प्रमाण्डलायुक्त

ज्ञापांक 567 पटना, दिनांक 2 मार्च 1973

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारियों को (नाम से) सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित ।

ह0/-

विकास आयुक्त।

ज्ञापांक 813, दिनांक 7 मार्च 1973

प्रतिलिपि: श्री जे.एन.मिश्रा, कृषि निदेशक, बिहार,पटना, श्री गौ.शं.पाण्डे, गहन कृषि निदेशक, कृषि जिला योजना, बिहार, पटना, संयुक्त निदेशक/कृषि, मुजफ्फरपुर/राँची/भागलपुर/पटना/ विशेष उप निदेशक (कृषि) आरा /मोतीहारी/सहरसा/पूर्णिया, सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित।

(ह.) अस्पष्ट

निदेशक,

सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय,
बिहार, पटना।

गेहूँ की पैदावार का अनुमान

अर्द्ध-सरकारी पत्र संख्या सर्वे-क-1/73-1112

हरिनन्दन ठाकुर,

विकास आयुक्त, बिहार सरकार, पटना।

दिनांक 4 मई, 1973 ।

विषय: गेहूँ की पैदावार का अनुमान।

प्रिय श्री,

जैसा कि आपको मालूम ही है, 1972-73 का रब्बी जिन्सवार, निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन के पास 15 अप्रैल, 1973 तक पहुँच जाना चाहिए था। किन्तु आपके प्रमंडल के किसी जिले से यह अब तक प्राप्त नहीं हो सका है। अतः सरकार को इस बात की सही सही जानकारी नहीं हो पा रही है कि बिहार में इस साल कितने एकड़ में गेहूँ की खेती हुई और उसकी पैदावार कितनी हुई।

2. मेरे अर्द्ध सरकारी पत्रांक सर्वे 666-5/73-567, दिनांक 3 मार्च, 1973 की कंडिका 4 द्वारा आपको सूचना दी गयी थी कि अपर्याप्त वर्षापात के कारण कुछ क्षेत्रों में अगहनी धान की बोआई नहीं हो सकी थी। उस कमी को पूरा करने के उद्देश्य से रब्बी फसलों के क्षेत्रफल में अधिकाधिक वृद्धि के लिए कृषि विभाग द्वारा विशेष परियोजनायें चालू की गयी हैं। ये परियोजनायें कहाँ तक सफल हुईं, यह सूचना फसल-सर्वेक्षण के अंतर्गत तैयार किये गये रब्बी जिन्सवार में मिल सकेगी। इसलिए आपसे अनुरोध किया गया था कि अपने अधीनस्थ सभी संबद्ध पदाधिकारियों और कार्यकर्त्ताओं को आदेश दें कि वे रब्बी सर्वेक्षण कार्य में पूर्ण रूप से सचेत होकर सरकार द्वारा निम्नरित प्रक्रिया से शुद्ध आँकड़ों का संग्रह करें ताकि रब्बी अभियान का परिणाम सही-सही आँका जा सके। उपज का अनुमान लगाने के लिए यह भी अनुरोध किया गया था कि फसल कटनी प्रयोग मुस्तैदी से किये जायें, और इन प्रयोगों का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाय।

3. इस संबंध में मैं अपने परिपत्र संख्या स्टेट-025/68-9881-एग्री, दिनांक 13 अगस्त 1968 की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। इस परिपत्र के अनुसार विभिन्न स्तरों पर राजस्व तथा कृषि विभाग के संबंधित कार्यकर्त्ताओं अथवा पदाधिकारियों के साथ-साथ फसलों के क्षेत्रफल तथा उत्पादन के आँकड़ों का संकलन। प्रतिवेदन करना चाहिए और नीचे के स्तर से जब आँकड़े जिला स्तर पर आ जाय तो जिला पदाधिकारी एक निर्धारित तिथि पर जिला विकास पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी तथा जिला कृषि पदाधिकारी, की बैठक बुलाकर आँकड़ों के बारे में पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जायें कि वे सही हैं और तब ही वे निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन को भेजें। अनुमानतः आँकड़ों के प्रेषण में यह प्रक्रिया नहीं अपनायी जा रही है और इसी कारण कृषि एवं सांख्यिकी निदेशालय के आँकड़ों में भिन्नता पायी जाती है। अतः यह अनुरोध है कि आँकड़े भेजते समय निर्धारित प्रक्रिया अवश्य अपनायी जाय।

4. गेहूँ की पैदावार का सही अनुमान नहीं कर पा सकने के कारण सरकार को खाद्य नीति निर्धारण में बड़ी कठिनाई हो रही है। गेहूँ का थोक व्यापार अपने हाथ में ले लेने के कारण

पैदावार के अनुमान की जरूरत और भी बढ़ गयी है। कृपया ऐसी व्यवस्था करें कि 15 दिनों के भीतर रबी जिन्सवार निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन, पटना के पास अवश्य पहुँच जाय।

आपका

ह0/-

सेवा में,

श्री.....

प्रमंडलायुक्त ।

ज्ञाप संख्या 1112

पटना, दिनांक 4 मई, 1973

प्रतिलिपि: श्री..... जिला पदाधिकारी को
अविलम्ब आवश्यक कार्यार्थ अग्रसारित।

ह0/-

विकास आयुक्त, बिहार।

**फसल सर्वेक्षण एवं उत्पादन-दर के आँकड़ों के संग्रह में कृषि विभागीय
पदाधिकारियों/ कार्यकर्ताओं का सक्रिय सहयोग।**

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र सं०-6795

दिनांक-13.6.88

प्रेषक,

श्री एस.एन. सिंहा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी संयुक्त कृषि निदेशक,
सभी जिला कृषि पदाधिकारी।

विषय:-फसल सर्वेक्षण एवं उत्पादन-दर के आँकड़ों के संग्रह में कृषि विभागीय पदाधिकारियों/
कार्यकर्ताओं का सक्रिय सहयोग।

महाशय,

आप अवगत है कि राज्य में कृषि सांख्यिकी के संग्रह, संकलन एवं प्रकाशन के लिए सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय ही उत्तरदायी संगठन है। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारी तथा कर्मचारी भी फसलों के क्षेत्रफल तथा उत्पादन के आँकड़े कृषि निदेशालय को प्रतिवेदित करते हैं। प्रायः यह पाया गया है कि कृषि निदेशालय द्वारा प्रतिवेदित आँकड़े सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय द्वारा प्रतिवेदित आँकड़ों से भिन्न होते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए तत्कालीन विकास आयुक्त श्री हरिनन्दन ठाकुर ने अपने परिपत्रांक-1981/ कृषि दिनांक-13.8.68 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा विस्तृत अनुदेश निर्गत किया था। इस परिपत्र में स्पष्ट निदेश है कि जब कभी फसल सर्वेक्षण का कार्य राजस्व विभागीय कर्मचारियों द्वारा किया जाय। उस समय कृषि विभागीय जनसेवक उपस्थित रहें तथा सर्वेक्षण के पश्चात खेसरा पंजी में इस आशय का एक प्रमाण-पत्र अंकित करें कि सर्वेक्षण उनके समक्ष हुआ तथा प्रतिवेदित आँकड़ा सही है। उसी प्रकार अंचल निरीक्षक प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक द्वारा किये जाने वाले फसल कटनी प्रयोग के समय प्रखंड कृषि पदाधिकारी अनिवार्यतः उपस्थित रहने का निदेश है। फसल कटनी प्रयोग सम्पन्न होने के पश्चात प्रखंड कृषि पदाधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र फसल कटनी अनुसूचियों पर अंकित करना है कि प्रयोग उनके समक्ष विहित प्रणाली के अनुसार सम्पादित हुए तथा प्रतिवेदित आंकड़ा सही है।

2. इस व्यवस्था की समीक्षा समय-समय पर की गई है और पाया गया है कि विकास आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का समुचित अनुपालन नहीं किया जा रहा है। गत बार यह समीक्षा 13.9.83 को पटना में आयोजित रबी कर्मशाला के अवसर पर की गई थी और उस समय यह अनुभव किया गया था कि फसल सर्वेक्षण अथवा फसल कटनी प्रयोग के समय क्रमशः जनसेवक अथवा प्रखण्ड कृषि पदाधिकारियों का की मात्र उपस्थिति ही प्रयाप्त नहीं है तथा उस प्रक्रिया में जिला तथा अनुमंडल स्तर के वरीय कृषि पदाधिकारियों का सक्रिय रूप से भाग लेना आवश्यक है। फलस्वरूप तत्कालीन कृषि उत्पादन आयुक्त, श्री

एस0के0श्रीवास्तव, के पत्रांक 1792 कृ दिनांक-3.12.83 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा निम्नांकित अनुदेश प्रसारित किये गये थे:-

(क) शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला कृषि पदाधिकारी तथा अनुमंडल कृषि पदाधिकारी प्रत्येक मौसम में छः-छः गाँवों में सुयुक्त पर्यवेक्षण प्रणाली से खेसरा पंजी में की गयी जाँच की जाएगी। प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी के लिए पूर्व से निर्धारित प्रति मौसम 3 गाँवों के बजाय प्रति मौसम 12 गाँवों में सुयुक्त पर्यवेक्षक का कार्य किया जाएगा।

(ख) फसल कटनी प्रयोग हेतु विभिन्न मौसमों में विभिन्न फसलों पर चयनित गाँवों में से 25 प्रतिशत गाँवों में कटनी प्रयोगों का सम्पादन प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(ग) कृषि विभाग तथा सांख्यिकी निदेशालय के विभिन्न स्तरीय (प्रखंड स्तर को छोड़कर) पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक कृषि मौसम में कम से कम 2 गाँवों के फसल सर्वेक्षण तथा फसल कटनी प्रयोग का निरीक्षण किया जाएगा तथा संयुक्त निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन निदेशक/कृषि एवं निदेशक, सांख्यिकी को प्रेषित किया जाएगा।

(घ) कृषि विभाग के जिला तथा अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले सुयुक्त पर्यवेक्षण तथा फसल कटनी प्रयोगों के सम्पादन हेतु निरीक्षण हेतु न्यादर्श गाँवों की सूची तथा आवश्यक प्रपत्रों की आपूर्ति जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

3. विकास आयुक्त एवं कृषि उत्पादन आयुक्त के उपर्युक्त अनुदेशों के अनुपालन की समीक्षा पुनः की गई है और पाया गया है कि इन अनुदेशों का अनुपालन समुचित रूप से नहीं हो पा रहा है। अतएव इन अनुदेशों के अनुपालन हेतु निम्नांकित निर्णय लिये गए हैं:-

(क) प्रत्येक फसल मौसम के अन्त में प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी फसल सर्वेक्षण तथा फसल कटनी प्रयोगों के संबंध में संलग्न प्रपत्र 1 एवं 2 में प्रतिवेदन अनुमंडल कृषि पदाधिकारी को दें।

(ख) प्रत्येक अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अपने कार्यक्षेत्र के प्रखण्डों से प्राप्त उपर्युक्त प्रतिवेदनों को समेकित कर एक प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को देंगे।

(ग) प्रत्येक जिला कृषि पदाधिकारी अपने कार्य क्षेत्र के अनुमंडल कृषि पदाधिकारियों से प्राप्त उपर्युक्त प्रतिवेदनों को समेकित जिला का एक प्रति संयुक्त कृषि निदेशक को देंगे।

(घ) प्रत्येक संयुक्त कृषि निदेशक अपने कार्य क्षेत्र के जिलों से प्राप्त उपर्युक्त प्रतिवेदनों को समेकित कर एक प्रतिवेदन सचिव, कृषि विभाग का देंगे।

(ङ) उपर्युक्त प्रतिवेदनों के आधार पर कृषि विभाग के विभिन्न स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा सम्पन्न कृषि कार्यों की समीक्षा की जायेगी और इस समीक्षा का निष्कर्ष उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों की वाकि गोपनीय अभ्युक्तियों में अंकित की जाएगी। दूसरे शब्दों में, जनसेवकों, प्रखण्ड, अनुमंडल तथा जिला कृषि पदाधिकारियों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों में इस कार्य के सम्बन्ध में आवश्यक प्रविष्टि प्रतिवेदन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी उसी प्रकार संयुक्त कृषि निदेशक की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों में इस कार्य के सम्बन्ध में आवश्यक प्रविष्टि निदेशक, कृषि तथा सचिव कृषि द्वारा की जायेगी।

कृषि पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी तथा संयुक्त कृषि निदेशक निम्नांकित सारणी के मुताबिक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे:-

फसल	प्रखंड कृषि पदा. निदेशक	अनु.कृषि पदा.	जिला कृषि पदा.	संयुक्त कृषि
मौसम	प्रपत्र 1/2	प्रपत्र 1/2 एवं 3	प्रपत्र 1/2 एवं 3	प्रपत्र 1/2 एवं 3
भदई	20 सितम्बर/अक्टूबर	27सितम्बर/अक्टूबर	5अक्टूबर/नवम्बर	10 अक्टूबर/नवम्बर
अगहनी	10 दिसम्बर/जनवरी	27जनवरी/फरवरी	10 जनवरी/फरवरी	10 जनवरी/फरवरी
रबी	10 अप्रील/मई	27अप्रील/मई	5 मई/जून	30 जून/जुलाई
गरमा	10 जून/जुलाई	15 जून/जुलाई	22जून/जुलाई	30 जून/जुलाई

1. कृपया उपर्युक्त निर्णय से अधीनस्थ पदाधिकारियों को अवगत करा दें तथा इन्हें गर्मा 88 से लागू करें।

विश्वासभाजन
ह0/-

सचिव, कृषि विभाग,
बिहार।

ज्ञापांक-6795 दिनांक-13.6.88

प्रतिलिपि:- कृषि निदेशक, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, राँची/निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन बिहार, पटना का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सचिव कृषि, बिहार।

ज्ञापांक-6795 पटना, दिनांक-13.6.88

प्रतिलिपि:-सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी समाहर्ता/उपायुक्त/सभी उप-विकास आयुक्त को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सचिव कृषि, बिहार।

ज्ञापांक-6795 पटना, दिनांक-13.6.88

प्रतिलिपि:-सभी अनमण्डलीय कृषि पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सचिव कृषि, बिहार।

**कृषि विभाग के क्षेत्रिय पदाधिकारियों द्वारा किये गये कृषि सांख्यिकी कार्यों का
प्रगति प्रतिवेदन
क्षेत्र सर्वेक्षण**

प्रमण्डल:-

कृषि वर्ष:-

मौसम:-

क्रं.	जिला/प्रखंड का नाम	जिला/प्रखंड कुल गाँवों की संख्याँ	जिला/प्रखण्ड में पदस्थापित जनसेवकों की संख्याँ	जिला/प्रखंड के गाँवों की सं. जहाँ कर्मचारी एवं जनसेवक द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण किया गया	जिला/प्रखंड के जन-सेवकों की संख्याँ जिन्होंने कर्मचारियों के साथ सर्वेक्षण नहीं किया	जिला/प्रखंड में पदस्थापित प्रखंड कृषि पदाधिकारी की संख्याँ	जिला/प्रखंड के ग्रामों की सं० जहाँ प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा सुयुक्त पर्यवेक्षक किया गया	प्रखंड कृषि पदाधिकारी की संख्याँ जिन्होंने सुयुक्त पर्यवेक्षण का कार्य नहीं किया
1	2	3	4	5	6	7	8	9

नाम से विवरण के साथ

2. फसली कटनी प्रयोग

क्रं.	जिला /प्रखंड का नाम	जिला/प्रखंड में पदस्थापित प्रखंड कृषि पदाधिकारी की संख्याँ	जिला/प्रखंड में प्रखंड कृषि पदाधिकारी को आवंटित फसल कटनी प्रयोगों की संख्याँ	जिला/प्रखंड के प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा सम्पादित प्रयोगों की संख्याँ
1	2	3	4	5

3. संयुक्त जाँच/सुयुक्त पर्यवेक्षण जाँच

पदाधिकारियों द्वारा की गयी संयुक्त जाँच/सुयुक्त पर्यवेक्षण जाँच

क्रं.	शजला का नाम	सुयुक्त पर्यवेक्षण प्रणाली द्वारा क्षेत्रिय सर्वेक्षण कार्य की जाँच(ग्रामों की संख्याँ)				फसल कटनी प्रयोगों की जाँच (संख्या)		
		जाँच का प्रकार संयुक्त जाँच/सुयुक्त पर्यवेक्षण	संयुक्त कृषि निदेशक	जिला कृषि पदाधिकारी	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी	संयुक्त कृषि निदेशक	जिला कृषि पदाधिकारी	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

General Insurance Corporation of India

शंकर मार्केट, बारी पथ, बाकुरगंज, पटना / Shankar Market, Bari Path, Bakerganj, Patna-800 004
दूरभाष / Phone : 656756 तार / Telegram: “इन्श्योरजन” / INSURGEN

BR/ RKBY/369/99

Dated 03.08.99

To,
Sri Anil Kumar, IAS
Secretary Planning
Govt. of Bihar

Dear Sir,

NG/ SCHEME & OPERATIONAL MODALITIES ON RASTRIYA KRISHI BIMA YOJNA

Kindly refer the discussion with the undersigned on 03.08.99. As desired by you the Scheme of Rashtriya Krishi Bima Yojna and operational modalities is enclosed for favour of your information. CCIS is withdrawn from Rabi 1999-2000 season.

With regards

Yours Faithfully

Sd/-
Officer-in- charge

Encl:- As above

CCIS:-Crops cutting Insurance Scheme.

पंजीकृत कार्यालय 'सुरक्षा', 170 जे0 टाटा रोड, चर्च गेट मुम्बई - 400 020

Regd. Office: “SURAKASHA”, 170, J. TATA ROAD, CHURCHGATE, MUMBAI-400 020

RASHTRIYA KRISHI BIMA YOJANA (RKBY)

OBJECTIVES:-

The objectives of the RKBY are as follows are as under :-

1. To provide insurance coverage and financial support to the farmers in the event of failure of any of the notified crop as a result of natural calamities pests & Diseases.
2. To encourage the farmers to adopt progressive farming practices high value inputs and higher technology in Agriculture.
3. To help stabilize farm incomes, particularly in disaster years.

SALIENT FEATURES OF THE SCHEME

1. CROPS COVERED :

The Crops in the following broad groups in respect of which (i) the past yield data based on Crop Cutting Experiments (CCEs) is available for adequate number of years and (ii) requisite number of CCEs are conducted for estimating the yield during the proposed season:

- a. Food crops (Cereals, Millets & Pulses)
- b. Oilseeds
- c. Sugarcane, Cotton & Potato (Annual Commercial / annual Horticulture crops)

Other annual Commercial / annual Horticulture crops subject to availability of past Yield data will be covered in a period of three years. However, the crops which will be covered next year will have to be spelt before the close of preceding year.

2. STATES AND AREAS TO BE COVERED :

The Schemes extends to all States and Union Territories. The States. / UTs opting for the Scheme would be required to take up all the crops identified for coverage in a given year.

Exit clause : The States/ Union Territories once opting for the Scheme, will have to continue for a minimum period of three years.

3. FARMERS TO BE COVERED :

All farmers including sharecroppers, tenant farmers growing the notified crops the notified areas are eligible for coverage.

The Scheme covers following groups of farmers:

- a) On a compulsory basis : All farmers growing notified crops and availing Seasonal Agricultural Operations (SAO) loans from Financial Institutions i.e. Loanee Farmers.
- b) On a voluntary basis : All other farmers growing notified crops (i.e. Non- Loanee farmers) who opt for the Scheme.

4. RISKS COVERED & EXCLUSIONS :

Comprehensions risk insurance will be provided to cover yield losses due to non preventable risks, viz. :

- (i) natural Fire and Lightning
- (ii) Storm, Hailstorm, Cyclone, Typhoon, Tempest, Hurricane, Tornado etc.
- (iii) Flood, Inundation and Landslide
- (iv) Drought, Dry spells
- (v) Pests / Diseases etc.

Losses arising out of war & nuclear risks, malicious damage & other preventable risks shall be excluded.

5. SUM INSURED / LIMIT OF COVERAGE :

The Sum Insured (SI) may extend to the value of the threshold yield of the insured crop at the option of the insured farmers. However, a farmer may also insure his crop beyond value of threshold yield level up to 150 % of average yield of notified area on payment of premium at commercial rates.

In case of Loanee farmers the Sum Insured would be at least equal to the amount of crop loan advanced.

Further, in case of Loanee farmers, the Insurance Charges shall be an additionality to the Scale of Finance for the purpose of obtaining loan.

In matters of Crop Loan disbursement procedures, guidelines of RBI / NABARAD shall be binding.

6. PREMIUM RATES :

S. No.	Season	Crops	Premium rate
1	Kharif	Bajra & Oilseeds	3.5 % of SI or Actuarial rate, whichever is less
		Other crops (cereals, other millets & pulses)	2.5 % of SI or Actuarial rate, whichever is less
2	Rabi	Wheat	1.5 % of SI or Actuarial rate, whichever is less
		Other crops (other cereals, millets pulses & oilseeds)	2.0 % of SI or Actuarial rate, whichever is less
3	Kharif & Rabi	Annual Commercial / annual Horticultural Crops	Actuarial rates

Transition to the actuarial regime in case of cereals, millets, pulses & oilseeds would be made in a period of five years. The actuarial rates shall be applied at District / Region / State level at the option of the State Govt./ UT.

7. PREMIUM SUBSIDY :

50 % subsidy in premium is allowed in respect of Small & Marginal farmers to be shared equally by the Government of India and State / UT Govt. The premium subsidy will be phased out on sunset basis in a period of three to five years subject to review of financial results and the response of farmers at the end of the first year of the implementation of the Scheme.

The definition of Small and Marginal farmer would be as follows:

SMALL FARMER: A Cultivator with a land holding of 2 hectares (5 acres) or less as defined in the land ceiling legislation of the concerned State / UT.

MARGINAL FARMER: A Cultivator with a land holding of 1 hectare or less (2.5 acres)

8. SHARING OF RISKS:

Risk will be shared by IA and the Government in the following proportion :

(a) Food Crops & Oilseeds: Till, complete transition to Actuarial regime in a period of five years takes place, claims beyond 100 % of premium will be borne by the Government. Thereafter, all normal claims, i.e. claims up to 150 % of premium will be met by IA and claims beyond 150 % shall be paid out of Corpus Fund for a period of three years. After this period of three years claims up to 200 % will be met by IA and above this ceiling, out of the Corpus Fund.

(b) Annual Commercial crops / annual Horticulture crops: Implementing shall bear all normal losses, i.e. claims up to 150 % of premium in the three years and 200 % of premium thereafter subject to satisfactory claim experience. The claims beyond 150 % of premium in the first three years and 200% of premium thereafter shall be paid out of Corpus Fund. However, the period of three Years stipulated for this purpose will be reviewed on the basis of financial results after the first year of implementation and the period will be extended to five years if considered necessary.

To meet Catastrophic losses, a Corpus Fund shall be created with contributions from the Government of India and State Govt. / UT in 50:50 basis. A portion of Calamity Relief Fund (CRF) will be used for contribution to the Corpus Fund.

9. AREA APPROACH and UNIT OF INSURANCE:

The Scheme would operate on the basis of "Area Approach", i.e. Defined Areas for each notified crop for widespread calamities and on an individual basis for localized calamities such as hailstorm, landslide, cyclone and flood. The Defined Area (i.e. unit area of insurance) may be Gram Panchayat, Mandal, Hobli, Circle, Phirka, Block, Taluka etc. to be decided by the State/ UT Govt.. However, each participating State / UT Govt. will be required to reach the level of Gram Panchayat as the unit in a maximum period of three years.

Individual based assessment in case of localised calamities would be implemented in limited areas on experimental basis, initially and shall be extended in the light of

operational experience gained. The District Revenue administration will assist Implementing Agency in assessing the extent of loss.

10. SEASONALITY DISCIPLINE:

(a) The broad seasonality discipline followed for Loanee farmers will be as under:

Activity	Kharif	Rabi
Loaning Period	April to September	October to Next March
Cut-off date for receipt of Declarations	November	May
Cut-off date for receipt of yield data	January / March	July / September

(b) The broad cut-off dates for receipt of proposals in respect of Non-loanee farmers will be as under:

- a. Kharif season : 31 st July
- b. Rabi season : 31 st December

However, seasonality discipline may be modified, if and where necessary in consultation with State / UT and the Govt. of India.

11. ESTIMATION OF CROP YIELD:

The State / UT Govt. will plan and conduct the requisite number of Crop Cutting Experiments (CCEs) for all notified crops in the notified insurance units in order to assess the crop yield.

The State / UT Govt. will maintain single series of Crop Cutting Experiments (CCEs) and resultant Yield estimates, both for Crop Production estimates and Crop Insurance.

Crop Cutting Experiments (CCEs) shall be undertaken per unit area / per crop, on a sliding scale, as indicated below:

Sl. No.	UNIT AREA	Minimum number of C.C.Es. required to be done
1.	Taluka / Tehsil / Block	16
2.	Mandal / Phirka / any other smaller unit area comprising 8-10 villages	10
3.	Gram Panchayat comprising 4-5 villages	08

A Technical Advisory Committee (T.A.C.) comprising representatives from N.S.S.O., Ministry of Agriculture (G.O.I.) and IA shall be constituted to decide the sample size of CCEs and all other technical matters.

12. LEVELS OF INDEMNITY & THRESHOLD YIELD:

Three levels of indemnity, viz, 90 %, 80 % & 60 % corresponding to Low Risk, Medium Risk & High Risk areas shall be available for all crops (cereals, millets, pulses & oilseeds and annual commercial / annual horticultural crops) based in Coefficient of variation (C.V.) in yield of past 10 years' data. However, the insured farmers of unit area may opt for higher level of indemnity on payment of additional premium based on actuarial rates.

The Threshold yield (TY) or Guaranteed yield for a crop in an insurance Unit shall be the moving average based on past three years average yield in case of Rice & Wheat and five years average yield in case of Other crops, multiplied by the level of indemnity.

13. NATURE OF COVERAGE AND INDEMNITY:

If the Actual Yield (AY) per hectare of the insured crop for the defined area { on the basis of requisite number of Crop Cutting Experiments (CCEs)} in the insured season, falls short of the specified 'Threshold yield (TY)', all the insured farmers growing that crop in the defined area are deemed to have suffered shortfall in their yield. The Scheme seeks to provide coverage against such contingency.

'Indemnity' shall be calculated as per the following formula.

$$\frac{\text{Shortfall in Yield}}{\text{Threshold yield}} \quad \times \quad \text{Sum Insured for the farmer}$$

(Shortfall = ' Threshold Yield – Actual Yield for the Defined Area)

13 A. INDEMNITY IN CASE OF LOCALISED RISKS:

Loss assessment and modified indemnity procedures in case of occurrence of localized perils, such as hailstorm, landslide, cyclone and flood where settlement of claims will be on individual basis, shall be formulated by IA in coordination with State / UT Govt.

The loss assessment of localised risks on individual basis will be experimented in limited areas initially and shall be extended in the light of operational experience gained. The District Revenue administration will assist IA in assessing the extent of loss.

14. PROCEDURE FOR APPROVAL & SETTLEMENT OF CLAIMS:

Once the Yield Data is received from the State / UT Govt. as per the prescribed cut-off datas, claims will be worked out and settled by IA.

The claim cheques along with claim particulars will be released to the individual Nodal Banks. The Banks at the grass root level, in turn, shall credit the accounts of the individual farmers and display the particulars of beneficiaries on their notice board.

In the context of localised Phenomenon, viz hailstorm, landslide, cyclone and flood, the IA shall evolve a procedure to estimate such losses at individual farmer level in consultation with DAC / State / UT. Settlement of such claims will be on individual basis between IA and insured.

15. FINANCIAL SUPPORT TOWARDS ADMINISTRATION & OPERATING (A &O) EXPENSES:

The A & O expenses would be shared equally by the Central Government & respective State Government on sunset basis [100 % in 1st year, 80 % in 2nd year, 60 % in 3rd year, 40 % in 4th year, 20 % in 5th year and 'zero' thereafter].

16. CORPUS FUND:

To meet Catastrophic losses, a Corpus Fund shall be created with contributions from the Government of India and State /UT on 50 : 50 basis. A portion of Calamity Relief Fund (CRF) shall be used for contribution to the Corpus Fund.

The Corpus Fund shall be managed by Implementing Agency (IA).

17. REINSURANCE COVER:

Efforts will be made by IA to obtain appropriate reinsurance cover for the proposed RKBY in the international Reinsurance market.

18. MANAGEMENT OF THE SCHEME, MONITORING AND REVIEW:

In respect of Loanees farmers, the Banks shall play the same role as under CCIS.

In respect of non-Loanee farmers, Banks shall collect the premium along with the Declarations and send it to IA within the prescribed time limits. However, in areas where IA has requisite infrastructure a non-loanee farmer will have option to send premium along with Declaration, directly to IA within the time limits.

Selection of the Banks will be on the basis of Service Area Approach (SAA) of RBI or at the option of the Banks (where Co-Operative Banks have good network). The Department of Agriculture, Agriculture Statistics, Directorate of Economics and Statistics, Department of Co-Operation, Revenue Department of the State Government will be actively involved in smooth implementation of the Scheme.

The Scheme will be implemented in accordance with the operational modalities as worked out by IA in consultation with Dept. of Agriculture & Co-operation.

During each crop season, the agricultural situation will be closely monitored in the implementing States / Union Territories. The State / UT Department of Agriculture and district administration shall set up a District Level Monitoring Committee (DLMC), who will provide fortnightly reports of Agricultural Situation with details of area sown, seasonal weather conditions, pest incidence, stage of crop failure (if any) etc.

The operation of the Scheme will be reviewed annually and modifications as may be required would be introduced. Periodic Appraisal Reports on the Scheme would be prepared by Ministry of Agriculture, the Government of India / Implementing Agency.

19. IMPLEMENTING AGENCY (IA):

An exclusive Organization would be set up in due course, for implementation of RKBY. Unit such time as the new set up is created, 'the G.I.C. of India' will continue to function as the Implementing Agency.

20. BENEFITS EXPECTED FROM SCHEME:

The Scheme is expected to :

- be a critical instrument of development in the field of crop production, providing financial support to the farmers in the event of crop failure.
- encourage farmers to adopt progressive farming practices and higher technology in Agriculture.
- help in maintaining flow of agriculture credit.
- provide significant benefits not merely to the insured farmers, but to the entire community directly and indirectly through spillover and multiplier effects in terms of maintaining production & employment, generation of market fees, taxes etc. and net accretion to economic growth.
- Streamline loss assessment procedures and help in building up huge and accurate statistical base for crop production.

RASTRIYA KRISHI BIMA YOJNA (RKBY)

OPERATIONAL,MODALITIES

The State / UT Govt. intending to participate in the Yojna has to intimate their consent thereto. The State / UT Govt. has to accept and abide by the provisions of the Yojna in to-to as spelt out in the Yojna text and Operational Modalities.

A ' STATE LEVEL COORDINATION COMMITTEE ON CROP INSURANCE' (SLCCCI) shall be formed in all the implementing States / UTs for the purpose of overseeing implementation of the Scheme. The committee will be headed by the Agricultural Production Commissioner (APC) or by an Official of equal rank of the State and will include senior Officers of the State, viz. Secretary (Agriculture), Secretary (Co-operation) Secretary (Finance), Director, Bureau of Statistics & Economics, Registrar of Co-operative Societies, representative of Ministry of Agriculture, Financial Institutions including NABARD,RBI, State Apex Coop. Bank, Convener, State Level bankers Committee (SLBC) and Implementing Agency (IA).

1.) NOTIFICATION:

At the beginning of each crop season, the State Government / UT administration shall notify the Crops and Defined Areas which will be covered during the season in accordance with the decision taken at the SLCCI meeting. The SLCCI shall, for the purpose of notification, consider factors such as availability of past Yield Data, Cropped Area and ability to conduct requisite number of Crop Cutting Experiments (CCEs) etc.

In case it is proposed to notify irrigated & un-irrigated areas separately under a crop, the State Government/UT shall ensure that minimum CCEs are planned & conducted for irrigated & un-irrigated crops, separately in such areas. In addition past data for productivity at Unit Area level for immediate 10 years would have to be separately furnished to enable IA to work out premium rates.

The State government / UT should notify the smallest possible units as defined areas (I.e. insurance units), which is preferably, the village or the Gram Panchayat. In any case the States / UTs shall reach the level of Gram Panchayat within three years.

2.) COLLECTION OF PROPOSALS AND INSURANCE CHARGES:

The present Nodal Banks system under CCIS will continue for RKBY as well, wherein IA is not required to deal with all loan disbursing points and instead, deals only with designated Nodal points, mostly at district level.

Loanee farmers (Compulsory coverage) :

For loanee farmers, the modalities will be the same as in the existing CCIS. Whenever bank disburses loan for an insurable crop additional loan towards insurance charges shall also be granted. The disbursing branch shall prepare a Statement of monthly crop-wise and defined area-wise details of crop insurance charges and remit the sme to it's Nodal Branch within 15th day of the next month.

The Nodal Branch, in turn shall consolidate these Statements from the Branches under it and forward the same to the IA along with a Draft for the insurance charges in accordance with monthly cut-off dates. fixed.

For the loans disbursed through Kisan Credit Cards (KCC) which are also eligible for coverage, Banks will have to maintain all back up records, registers relating to compliance with RKBY and its seasonality discipline, cut-off date for submitting the Declarations and end use etc. as in the case of normal crop loans. The crop loans disbursed through KCC but outside the purview of the provisions of the RKBY, shall not be eligible for coverage.

A farmer opting for Sum insured higher than the amount of loan availed by him shall be treated at par with Non-loanee farmer and relevant cut-off dates for submitting Declarations will apply. For coverage of higher SI / higher indemnity Limit (IL), the farmer has to bear the difference of premium.

Declarations formats to be submitted by Nodal banks will be different for Loanee farmer availing sum insured up to the limit of amount of loan availed and those Loanee farmers availing higher limit of sum insured. The sum insured may extend to the value of the threshold yield of the insured crop at the option of the insured farmers. Further, a farmer may also insure his crop beyond value of threshold yield up to 150 % of average yield of notified area on payment of premium for balance sum insured at commercial rates.

For the purpose of sum insured, average yield is reckoned as average of past three years yield for Rice & Wheat and five years for 'Other crops' in the notified area.

In respect of Loanee farmers availing sum insured beyond amount of loan availed the details of those farmers availing sum insured beyond value of threshold yield shall be furnished separately in a schedule in the Declaration

(a) Non-loanee farmers (Optional coverage):

Those farmers desirous of joining the Scheme will fill up Proposal Form of the Scheme submit the same to the village branch of a Commercial Bank (CB) or Regional Rural Bank (RRB), or PACS (DCCB) with the requisite insurance charge / premium amount for opening an Account in their name or in an existing Account in their name, The functional in Branch / PACS shall assist farmers in completing the Proposal form and provide necessary guidance. While accepting the Proposal and the insurance charges, it shall be the responsibility of such Branch / PACS to verify the particulars of sum insured and limit the applicable insurance charges etc. The Branch / PACS shall thereafter consolidate these particulars and send them to the respective Nodal points.

The Nodal Banks will in turn submit to the IA the Crop-wise and Notified Area-wise Crop Insurance Declarations in the prescribed format (separately for Non-loanee farmers) along with the Insurance Charges / Premium within the stipulated time.

In respect of optional coverage (non-loanee farmers) the entire amount of insurance charges / premium on the basis of the proposal of the farmer shall be deposited with the Branch / PACS within the stipulated dates and in turn, Banks would consolidate prepare a Declarations and forward the same to IA with premium.

Receipt of proposals directly from Non-Loanee farmers:

On an experimental basis (subject to infrastructure of IA) the Non-Loanee farmers may submit the proposals personally to IA with requisite insurance charges / premium. The IA shall then consolidate these proposals and convert them into Declarations. However, it is mandatory that the Non-Loanee farmers personally submitting proposals to IA should hold a Bank account in the Service Area branch / designated bank branch to receive compensation, if any.

Initially, personal submission of proposals to IA shall be limited to districts designated for experimentation of individual loss assessment on occurrence of localized perils. The IA shall open an Office in these designated district HQs.

OPTION FOR HIGHER SUM INSURED:

- (a) Food crops & Oilseeds : Sum insured is worked out by multiplying the threshold yield of the crop with Minimum Support Price (MSP) or the market price (where MSP is not available) in respect of previous year. A farmer is eligible to cover up to the value of threshold yield of the crop at a given premium rate. Additionally, a farmer may extend the sum insured up to 150 % of the value of the average yield of the crop on payment of premium at commercial (actuarial) rate for part of the sum insured exceeding value of threshold yield.
- (b) Annual Commercial / Horticulture crops: Sum insured may extend up to 150 % of the value of average yield of the crop at commercial (actuarial) rate for the entire sum insured.

In case of Loanee farmers, the minimum sum insured is the amount of loan availed.

3) SEASONALITY DISCIPLINE (SUBMISSION OF DECLARATIONS BY BANKS)

a) Loanee farmers:

Banks will send to IA every month consolidated Crop Insurance Declarations in respect of loan disbursed to the loanee farmers for each crop and each Defined Area. The details of SAO loans disbursed for insurable crops during a month will be declared to IA of consolidated Declarations before the end of succeeding month. The detailed cut-off dates for in respect of such declarations will be:

KHARIF SEASON		RABI SEASON	
MONTH OF LOANING	CUT-OFF DATE FOR RECEIPT OF DECLARTIONS BY IA	MONTH OF LOANING	CUT-OFF DATE FOR RECEIPT OF DECLARTIONS BY IA
APRIL	31 st MAY	OCTOBER	30 th NOVEMBER
MAY	30 th JUNE	NOVEMBER	31 st DECEMBER
JUNE	31 st JULY	DECEMBER	31 st JANUARY
JULY	31 st AUGUST	JANUARY	28 th / 29 th FEBRUARY
AUGUST	30 th SEPTEMBER	FEBRUARY	31 st MARCH
SEPTEMBER	31 st OCTOBER	MARCH	30 th APRIL
FINAL	30 th NOVEMBER	FINAL	31 st MAY

Those loanee farmers who would like to avail a sum insured of more than the amount of loan availed shall indicate their choice to the Financial Institutions at the beginning of the season and for these farmers, the cut off dates shall be those applicable for Non-loanee farmers.

b) Non-Loanee farmers:

The broad Cut-off dates for receipt of Proposals by the Banks / IA in respect of these farmers will be as under:

- a. Kharif Season : 31st July
- b. Rabi Season : 31st December

In respect of these farmers, the last date of receipt of the consolidated Proposals at IA shall be one month after the last date for receipt of Proposals at the Nodal Branch.

However, within these broad parameters suggested above for all categories of farmers the seasonality discipline may be modified in consultation with State /UT Govt. and Govt. of India, depending on local conditions and crop seasons.

4.) IMPORTANT CONDITIONS APPLICABLE FOR COVERAGE RISK:

- 1) Loans given for unsown areas will not be covered by the Scheme, because indemnity claims will arise under the Scheme, only after the crop has been sown and in the event of crop failure. Mere disbursement of loans by the financial institutions / submission of Proposal by a Non-loanee farmer will not entitle him for compensation under the Scheme.
- 2) In the areas where crop is sown but, withered away / damaged on account of adverse seasonal conditions / pest and / or diseases and also where there is no possibility of reviving the crop no further loaning should be made by the financing instructions. Any further loaning in such cases shall not be covered by the Scheme.
- 3) The Scheme covers notified crops until harvesting stage only. Losses caused to crops which are spread in the field for drying after cutting / harvesting are excluded from the scope of the Scheme.

RASHTRIYA KRISHI BIMA YOJANA: GIC OF INDIA

5). ESTIMATION OF CROP YIELD:

The Claim assessment procedure and parameters involved in estimation of claims shall be the same for Loanee and Non- Loanee farmers as also for food crops/oil seeds and annual commercial/ annual horticultural crops.

The State Department will plan and conduct requisite number of CCEs for all notified crops in the notified insurance units in order to assess the crop yield. The State Government will notify the crops where requisite minimum number of CCEs will be conducted in accordance with the sliding scale given below.

Sl. No.	SIZE OF INSURANCE UNIT	MINIMUM NUMBER OF CCEs REQUIRED
1	TALUKA/ TEHSIL/ BLOCK	16
2	MANDAL/ PHIRKA / ANY OTHER SMALLER UNIT AREA COMPRISING 8-10 VILLAGES	10
3	GRAM PANCHAYAT COMPRISING 4-5 VILLAGES	08

The State Government / U.T. administration will maintain a single series of CCEs for both Crop Production and Crop Insurance.

The yield data will be furnished to IA by the State Government/UT in accordance with the cut-off dates fixed for all crops and areas notified, based on the TOTAL NO. of CCEs (being not less than the minimum prescribed) conducted.

The standards procedures for assessing the yield in respect of multiple picking crops will be prepared by IA in consultation with the National Sample Survey Organisation (NSSO) and circulated among implementing States/ UTs.

A Committee comprising representatives of State/ UT Govt. National Sample Survey Organisation (NSSO) and IA will be set up at the State level to monitor / supervise and advise in matters relating to adequacy and quality of CCEs.

A Technical Advisory Committee (TAC) comprising representatives from NSSO, MOA and IA shall be constituted at National level to decide the sample size of CCEs and also technical matters pertaining to Threshold Yield/ Actual Yield etc.

LOSS ASSESSMENT IN CASE OF LOCALISED CALAMITIES:

Loss assessment of localized risks, viz. hailstorm, landslide, cyclone and floods on individual basis shall be experimented in two districts and shall be extended to other areas in the light of operational experience gained. The insured farmers who experience crop losses due to occurrence of these localized perils shall give immediate notice to the financial institution/ notified office of IA and in any case within 48 hours along with particulars of crop insured and extent and cause of damage. On receipt of loss intimation, IA shall depute Loss assessors to the area for assessment of crop loss. The district Revenue administration will assist IA in assessing the extent of crop loss.

IA shall also develop Loss adjusters cadre and for this purpose few Officers will be trained in Loss assessment procedures. The services of unemployed Agri. graduates and retired Agri. Department Officials may also be utilized for loss assessment after initial training.

6).MANAGEMENT OF THE SCHEME AND MONITORING:

Financial Institutions (FI) shall be required to play the same role as in CCIS in respect of Loanee farmers. In respect of non- loanee farmers, FI shall collect the premium and transmit it to IA along with the Declarations within prescribed time limits. Selection of FIs would be on the basis of Service Area approach of RBI or at the option of the FIs

(where Co-operative Banks have good network). To facilitate smooth implementation, all non-loanee farmers shall be serviced through individual Bank Account.

The Department of Agriculture, Agricultural Statistics, Bureau of Economics and Statistics, Department of Co-operation of the State Government would be actively involved in smooth implementation of the scheme.

During the Crop season, agricultural situation will be closely monitored in the implementing States/ Union Territories. The State/ UT Department of Agriculture/ Statistics would set up a District Level Monitoring Committee, who will provide fortnightly reports of Agricultural situation with details of area sown, weather situation, pest incidence, stage of crop failure {if any} etc. to IA.

7). PROCEDURE OF SETTLEMENT OF CLAIMS:

Once the yield data is received from the State Government as per the cut-off-dates decided the claims will be worked out as per Declarations received from FIs for each notified area and approval is obtained. The funds needed for payment of claims beyond the risk sharing limits of IA shall be provided by the Government to effect payment. The claim cheques along with claim particulars will be released to individual Nodal points. The FI at the grass root level in turn shall credit the accounts of the individual farmers and display the particulars of beneficiaries in the notice board.

Loss assessment and modified indemnity procedures in case of occurrence of localised perils, such hailstorm. Landslide, cyclone and Flood where settlement of claims will be on individual basis, shall be formulated by IA in consultation with State/ UT. Govt.

CLAIMS APPROVAL:

Claims shall be approved by IA. However, the government may at their option, scrutinize / examine a claim falling within their risk liability.

Disputed claims / sub standard claims, if any will be referred to a Committee consisting of representatives of Ministry of Agriculture (GOI), concerned State Government and IA.

Settlement / release of claims in the State/ UTs which exceed set risk sharing limits of IA shall be subject to receipt of funds from the Government.

8). PUBLICITY/ AWARENESS AND REVIEW:

This scheme requires adequate publicity in all the villages of the notified district. Besides audio-visual media, the services of Agricultural Extension Officers of the State/ UT should be utilised. It is equally important to train people going to be involved in collection of premium, processing of Declarations, Proposal forms etc. in banks to avoid any confusion and misunderstanding. Training programmes and Workshops, visit of IA Officers to the banks will help in clarifying the doubts redressal of grievances and clearing bottlenecks in smooth implementation of the Scheme. Pamphlets shall be distributed to all villages in participating States/ UTs. A short film covering the salient features of the Scheme will be made by the IA for this purpose.

A separate action plan shall be prepared to bring in awareness and educate farmers.

9). ROLE PLAY OF VARIOUS AGENCIES:

(A).ROLE & RESPONSIBILITIES OF FINANCIAL INSTITUTIONS(FIs):

For the purpose of the Scheme, the Scheduled Institutions engaged in disbursing SAO loans as per the relevant guidelines of NABARD/ RBI will be reckoned as Financial Institutions.

Each scheduled Commercial bank shall, with concurrence of IA fix Nodal points which would deal with IA on behalf of branches in the division / district/ State. The Nodal points for Commercial banks will be minimum one level above the Branch office. The Nodal points for Co-operative banks will be DCC Banks and those for RRBs , their Head Office.

Nodal points would be designated for implementation and these banks would attend to following function:

1. On receipt of the communication on notification of crops and areas from the State govt./ UT, the nodal banks will communicate the same to the branch offices under their control.
2. The FIs would advance additional loan to loanee farmers to meet requirement of Insurance charges/ premium as applicable up to the extent of crop loan.
3. Each such Nodal point would submit crop-wide, defined area-wide, monthly Crop Insurance Declarations to the Office of IA, in the prescribed format along with Insurance charges payable on all crop loans coming under the purview of the Scheme in case of Loanee farmers and based on proposals received in case of other farmers.
4. The Apex FIs shall issue appropriate instructions to Nodal banks as well as crop loan disbursing branches to ensure smooth functioning of the Scheme.
5. For Insurable crop loans disbursed under Kissan Credit Card (KCC), the FIs shall maintain all controls and records as required under the Scheme.

Other responsibilities of FIs will be:

- To educate the farmers on the Scheme features.
- To guide the farmers in filing the proposal forms and collection the required documents.
- Following the guidelines while disbursing crop loans and ensuring proper end-use of loan disbursed.
- To prepare the consolidated statements for loanee and non-loanee members, forwarding the same to the branch along with the premium amount.
- Maintaining the records of proposal forms others relevant documents, statements for the purpose of verification by the district committee or representative of the insurer.

SPECIAL CONDITIONS FOR FIs / NODAL BANKS/ LOAN DISBURSING POINTS:

1. FIs will submit Crop Insurance Declarations to IA on monthly basis, where sum insured is on the basis of amount of loan disbursed and within on month time from cut-off date for receipt of proposals, where sum insured is on any other basis.
2. Claims received by the Nodal points, will be remitted to individual branches / PACS with all particulars within seven days and these branches/PACS will in turn credit the Accounts of beneficiary farmers within seven days. The list of

beneficiary farmers with claim amount will be displayed by the branch/PACS.

3. The IA will have access to all relevant records/ ledgers at the Nodal point / Branch/PACS at all times.
4. The IA will be provided with all the norms / guidelines relating SAO crop loan disbursements as formulated by RBI / NABARD/ Any amendments/ simplification of procedures / norms from time to time will be duly made available to IA by the concerned institutions In the absence of such communication, IA shall be free to not take cognisance of such modifications.
5. In case a farmer is deprived of any benefit under the Scheme due to errors / omissions / commissions of the Nodal Bank / Branch / PACS, the concerned institutions only shall make good all such losses.
6. If the farmer is adopting mixed cropping, the sum insured of a crop should be on the basis of it's proportionate area in the mixed cropping.

(B). ROLE & RESPONSIBILITIES OF STATE GOVERNMENT / UNION TERRITORY ADMINISTRATION:

1. The State Government / U.T. will notify crop wise notified areas and premium rates as applicable (in case of commercial/horticultural crops) well in advance of each crop season.
2. The State government / UT administration would, in advance provide to the IA Unit Area-wise yield data of immediate past 10 years for all crops notified under the scheme.
3. To the extent possible, the State Government / UT administration would notify smaller defined areas for various crops, keeping in mind that smaller areas will be more homogeneous and would be more reflective of all crop losses including localised perils like hailstorm, landslide etc.
4. The State Government shall issue the requisite Notification and communicate to all participating FIs during every crop season. The Notification of the State Government may essentially contain the following information.
 - a. Crops and Defined areas notified in various districts.
 - b. Premium rates and subsidy, if and as applicable for various groups of farmers and crops.
 - c. The cut- off dates for collection of proposals and remittance of premium with Crop Insurance Declarations to IA.
5. The State/ UT administration will release it's contribution to Corpus Fund as per the scale and dates fixed by Government of India.
6. The State / Union Territory administration would ensure that Crop Estimation Surveys (CES) in general, and estimation, procedures in case of multiple picking crops in particular be strengthened in order to furnish accurate estimates of yield. Further, the State/ UT administration will assist IA in assessing the extent of crop loss of individual insured farmers due to operation of localised perils.
7. To set up various monitoring Committees as required.
8. The final yield data in the standard format for all Unit Areas for notified crops for the crop season will be furnished to IA within the stipulated date.
9. In case, the State/ UT administration fail to furnish yield data based on requisite number of CCEs or fail to furnish yield data within the stipulated date, responsibility of such claims, if any arising out of such data will totally rest with State / UT administration.

10. The IA will be allowed unrestricted access to records of CCEs at grass root / District/ State level.
11. State Government / UT admn. Shall set up District Level Monitoring Committee (DLMC) , headed by the District Magistrate. The members will be District Agriculture Officer, DCCB, Lead Bank representative and IA. The committee will monitor implementation of Scheme by providing fortnightly crop condition reports and periodical reports on seasonal weather conditions. Loans disbursed, extent of area cultivated etc. The DLMC shall also monitor conduct of CCEs in the district.
12. As the Scheme is optional to Non-loanee farmers, adequate publicity will be provided to ensure maximum coverage of farmers through all means available at the disposal of State/ UT administration.

(C). ROLE AND RESPONSIBILITIES OF THE IMPLEMENTING AGENCY

1. Implementing Agency of the Scheme.
2. The IA shall open separate Accounts to deal with Corpus Fund and also premiums received under the Scheme.
3. Building up crop yield database and preparation of Actuarial premium rates through a Professional agency.
4. Underwriting and Claims finalisation.
5. Responsibility for claims to the extent mentioned in the Scheme.
6. Negotiating Re-insurance arrangement in the international market.
7. Co-ordination in organising training, awareness publicity programmes.
8. Providing returns/ statistics to the Government of India.

(D). DUTIES OF FARMERS

1. As the Scheme is compulsory for all Loanee farmers availing SAO loans for notified crops, it is mandatory for all loanee farmers to insist on coverage of all eligible loans (as) per the Scheme provisions) under the Scheme.
2. If the farmer is adopting mixed cropping the proportion of different crops in a mixed cropping will have to be compulsorily declared.
3. In respect of Non-loanee farmers, the Proposals will be accepted only upto stipulated cut-off date, which will be decided in consultation with State Government / UT admn. The important duties in case of Non-loanee farmers are as follows:
 - a. The farmer desiring coverage should have an Account in the branch of the designated bank.
 - b. The farmer must approach the designated branch/ PACS and submit the proposal form in the prescribed format.
 - c. The farmer must provide documentary evidence in regard to the possession of cultivable land (copy of the passbook, 7/12/ land extract or land revenue receipt should be enclosed).
 - d. The farmer must furnish area sown confirmation certificate, if required.

**राष्ट्रीय कृषि बीमा के कार्यान्वयन हेतु फसल कटनी प्रयोगों
का सम्पादन।**

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

संख्या 1068/ यो0 वि0, पटना, दिनांक 11 मई 2000
यो0 5/2-33/99

प्रेषक,

श्री एन० के० पी० शर्मा,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी/ सभी उपायुक्त

विषय:- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्यान्वयन हेतु फसल कटनी प्रयोगों
का सम्पादन।

महाशय,

राज्य सरकार ने राज्य में 1-4-2006 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्यान्वयन का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत कृषकों द्वारा उत्पादित विभिन्न फसलों की बीर्मित किया जा सकेगा एवं उन्हें बीर्मित राशि की क्षतिपूर्ति का आकलन फसलों के कटनी प्रयोगों के सम्पादन पर आधारित होगा। फसलों के उपज का अनुमान निकालने के लिए निर्धारित स्केल पर फसल कटनी प्रयोग कराने के की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार ने निर्धारित स्केल पर फसल कटनी प्रयोग आयोजित करने का दायित्व सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय को सौंपा है, जिसके सम्पादन का दायित्व मूलतः अंचल निरीक्षक पर 50% एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी तथा प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक पर क्रमशः 25-25% है। बीर्मित फसलों पर कटनी प्रयोग का सम्पादन समय पर नहीं होने एवं अनुसूचियों का उपज दर आकलन हेतु निदेशालय द्वारा निर्धारित तिथि पर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में किसानों को क्षतिपूर्ति के भुगतान से बंचित हो जाना पड़ेगा। अतः यह आवश्यक है कि बीर्मित फसलों के कटनी प्रयोग का सम्पादन प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय पर हो एवं उसकी अनुसूचियाँ निदेशालय को समय पर भेजी जाय ताकि निदेशालय खरीफ भदई एवं अगहनी फसलों का उपज दर 31 मार्च, एवं रब्बी (रब्बी एवं गर्मा)फसलों का उपज दर 31 जुलाई के पहले भारतीय साधारण बीमा निगम को उपलब्ध कराया जा सके।

2. उक्त स्थिति में यह आपेक्षित है कि अपने जिला के अन्तर्गत सभी अंचल अधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को यह निदेश दिया जाय कि वे बीर्मित फसलों के आयोजित कटनी प्रयोगों की आधी-आधी संख्या अंचल अधिकारी अंचल निरीक्षक के 50% एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक एवं प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी के 25-25% का सम्पादन सुनिश्चित करेंगे एवं तथ्य संबंधी अनुसूची जिला

सांख्यिकी पदाधिकारी को प्रेषित करेंगे। यदि किसी कारणवश इन कार्यकर्ताओं द्वारा निर्दिष्ट कटनी प्रयोग का सम्पादन नहीं हो सके तो वैसी स्थिति में अंचल/प्रखंड के अन्य कर्मियों के माध्यम से भी इन प्रयोगों का सम्पादन बाध्यकारी होगा। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी जिलों के समस्त बीमित फसलों के कटनी प्रयोगों की अनुसूचियाँ निर्धारित समय पर सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय को उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी होंगे। कृपया इस अनुरोध पत्र का कार्यान्वयन रबी 1999-2000 की अनुसूचियों के प्रेषण से सुनिश्चित कराया जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव।

योजना एवं विकास विभाग।

ज्ञापांक- 1063 /

दिनांक 11/5/2000/

प्रतिलिपि:- 1.निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना।

2.सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को अनुपालन हेतु प्रेषित।

3.सचिव, सहकारिता विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ हेतु प्रेषित।

सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेत प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

सम-सम्भाविक संख्याओं की सूची के व्यवहार में लाने से सम्बंधित अनुदेश ।

पत्रांक स0 ज0 32/75/5345

बिहार सरकार

योजना विभाग

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

प्रेषक,

डा0 शम्भु नाथ सेन,

संयुक्त निदेशक ।

सेवा

सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक 20 जनवरी, 1976

विषय:- सम-सम्भाविक संख्याओं की सूची के व्यवहार में लाने से सम्बंधित अनुदेश ।

महाशय,

निरीक्षण के क्रम में यह सामान्य तौर पर पाया जा रहा है कि व्यवहृत समसम्भाविक संख्या, समसम्भाविक संख्याओं के निर्धारित स्तम्भ संख्या से भिन्न है। इस संदर्भ में क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों को आदेश दिया जाता है कि व्यवहृत इन संख्या के पार्श्व में यह स्पष्ट कर दें कि समसम्भाविक संख्याओं की सूची के किन-किन स्तम्भों के कितने अंकों सम सम्भाविक संख्या के सम्मिलित करने पर यह समसम्भाविक संख्या बनी है। इसे स्पष्ट करने के लिए निम्नांकित तालिका दिये जाते हैं:-

स्मयोचित उच्चतम संख्या	स्तम्भ संख्या	समसम्भाविक संख्या	-
	12	7077	छो अंकों वाली समसम्भाविक संख्याओं के स्तम्भ संख्या 12 और 13 जोड़ने पर ।
	12	0452	तीन अंकों वाली समसम्भाविक संख्याओं के स्तम्भ संख्या 12 एवं 13 को सम्मिलित करने पर 6 अंकों की समसम्भाविक संख्या मिलती है इससे दाहिने के दो अंकों को छोड़ने पर।

भारत सरकार की समसम्भाविक संख्याओं की सूची व्यवहार की गई है तो व्यवहृत समसम्भाविक संख्या के पार्श्व में शब्द का व्यवहार करें । इस आदेश की प्रतिलिपि सभी क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों (सघन जांच) को शीघ्र अनुपालनार्थ प्रेषित।

आपका विश्वासी

ह0/-

संयुक्त निदेशक (द्वुत)

मौसमी जिन्सवार प्रतिवेदन कृषि वर्ष 1975-76 से भेजने के संबंध में अनुदेश।

पत्रांक 7231

योजना विभाग

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

प्रेषक,

डा० शम्भु नाथ सेन,
संयुक्त निदेशक(कृषि),

सेवा में,

सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

दिनांक-28 मार्च 1976

विषय:-मौसमी जिन्सवार प्रतिवेदन कृषि वर्ष 1975-76 से भेजने के संबंध में अनुदेश।

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि मौसमी जिन्सवार प्रतिवेदन कृषि वर्ष 1975-76 के रब्बी मौसम से हल्काशः एवं अंचलशः जिन्सवार प्रत्येक मौसम में प्राप्त करने के लिए निदेशालय में निर्णय लिया गया है। अतः आदेश दिया जाता है कि रब्बी जिन्सवार प्रतिवेदन 1975-76 हल्काशः एवं अंचलशः संकलन कर भेजवाने की व्यवस्था करें एवं सर्वेक्षण प्रगति प्रतिवेदन भी हल्काशः एवं अंचलशः भेजें। साथ-साथ जिले का कुल योग भी संकलित कर भेजें।

विश्वासभाजन

ह०/-

संयुक्त निदेशक(कृषि)।

जिन्सवार (फसल) विवरण।

क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर प्रत्येक फसल मौसम में जिन्सवार (फसल) विवरण तैयार किया जाता है। प्राथमिक प्रतिवेदक अंचल निरीक्षकों को जिन्सवार देते हैं और अंचल निरीक्षकगण अपने-अपने प्रखंड अंचल का जिन्सवार तैयार कर उसे जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को भेजते हैं। देखा यह गया है कि अभियान द्वारा सर्वेक्षण किये जाने पर भी जिन्सवार अत्यंत विलम्ब से भेजे जाते हैं। जिन्सवार भेजने की तिथि अभियान की तिथि से एक पखवारे बाद निर्धारित की गई है। अतः जिन्सवार प्रतिवेदन भेजने में विलम्ब का कोई कारण नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया है कि जिन प्रखंडों/अंचलों में पूरा-पूरा सर्वेक्षण नहीं होता है वहाँ से भी शत-प्रतिशत सर्वेक्षण के जिन्सवार प्राप्त हो रहे हैं। स्पष्ट है कि इस तरह के जिन्सवार को कोई उपयोग नहीं रह जाता है। उपर आदेश दिया जा चुका है कि प्रत्येक अभियान के बाद आयोजित प्रखंड की पाक्षिक बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचल पदाधिकारी सर्वेक्षण की स्थिति की समीक्षा करेंगे। इसी समीक्षा के क्रम में वे प्रत्येक प्राथमिक अभिकर्ता से जिन्सवार भी प्राप्त कर लेंगे और अंचल निरीक्षकों द्वारा जिन्सवारी का संकलन कराकर उन्हें अपने हस्ताक्षर से जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को यथा समय भेज देंगे।

क्षेत्रफल सर्वेक्षण एवं फसल कटनी की सधन जाँच के सम्पादित अनुसूचियों के प्रेषण के संबंध में।

ग (14)

पत्रांक स0ज0 32/75-6551

बिहार सरकार

योजना विभाग

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

प्रेषक,

डा0 एस0 एन0 सेन,
संयुक्त निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

विषय:- क्षेत्रफल सर्वेक्षण एवं फसल कटनी की सधन जाँच के सम्पादित अनुसूचियों के प्रेषण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सधन जाँच के सम्पादित विभिन्न अनुसूचियों के प्रेषण के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं को पालन करें:-

(क) प्रत्येक आवंटित ग्राम का कृ0 अनुसूची 1.0 एवं 1.1 का प्रेषण बराबर में मात्रा हो और यथा सम्भव दोनों अनुसूचियाँ एक ही साथ भेजी जायं।

(ख) प्रत्येक आवंटित ग्राम का कृ0सा0 अनुसूची 2.0 एवं 2.1 का प्रेषण भी बराबर मात्रा में हो।

(ग) यदि आवंटित क्षेत्रफल सर्वेक्षण एवं फसल कटनी असफल हो जाय तो ऐसे असफल प्रयोगों की सूची प्रत्येक मौसम एवं फसल के सम्पादित अनुसूचियों का प्रेषण के निम्नसंरित तिथि के एक पक्ष के अन्दर निदेशालय प्रेषण करें आवंटित ग्राम के असफल होने के कारण एवं दोषी पर्यवेक्षकों की सूची अपनी अनुशंसा के साथ भेजें।

आपके जिला के मौसम अगहनी एवं रब्बी 1975-76 की स्थिति निम्नप्रकार है। उपर्युक्त बिन्दुओं में निहित आदेशानुसार अनुसूचियों का प्रेषण एवं मौसम अगहनी के असफल प्रयोग और दाषी कार्यकर्ताओं की सूची शीघ्र भेजें।

इसे अत्यंत आवश्यक समझें एवं तदनुसार कार्रवाई शीघ्र करें।

विश्वासभाजन

ह0/-

संयुक्त निदेशक(द्रुत)।

केन्द्र प्रायोजित योजना फसल सांख्यिकी में सुधार अन्तर्गत चारों मौसम हेतु समय सारणी एवं अन्य कृषि सांख्यिकी सम्बन्धित समय सारणी का प्रेषण।

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग
(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

संचिका संख्या-फ0सा0सु0-3/2005/1258

प्रेषक,

श्री विश्वरंजन भट्टाचार्या,
सहायक निदेशक (कृषि)।

सेवा में,

सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी,
पटना, दिनांक 28 मई, 2005।

विषय:- केन्द्र प्रायोजित योजना फसल सांख्यिकी में सुधार अन्तर्गत चारों मौसम हेतु समय सारणी एवं अन्य कृषि सांख्यिकी सम्बन्धित समय सारणी का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित समय सारणी को संलग्न करते हुए कहना है कि कृषि सांख्यिकी कार्य की महत्ता को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट समय-सीमा में कार्य सम्पादन सुनिश्चित कराया जाय, साथ ही क्षेत्रीय कार्य पूर्ण होने के तीन दिनों के अन्दर अनुसूची 1.0,1.1 एवं 2.0 को निदेशालय तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, फरीदाबाद भेजने जाने हेतु अपने अधीनस्थ सभी कर्मियों को समुचित निर्देश दिया जाय ताकि कृषि सांख्यिकी से सम्बन्धित प्रतिवेदन स-समय उपलब्ध कराना सुनिश्चित हो सके।

विश्वासभाजन

ह0/-

(विश्वरंजन भट्टाचार्या)
सहायक निदेशक (कृषि)।

फसल सांख्यिकी सुधार योजनान्तर्गत समय सारणी।प्रतिदर्श राज्य स्तरीय एवं केन्द्रीय

राज्य	मौसम	द्रुत सर्वेक्षण गिरदावारी की निर्धारित अवधि	द्रुत सर्वेक्षण प्रति के निदेशों में प्राप्ति की निर्धारित तिथि	प्रतिदर्श जाँच आरम्भ की तिथि	जाँच पूरा करने की संभावित तिथि	एन0एस0ओ0कार्यालय फरीदाबाद में प्राप्ति की अन्तिम निर्धारित तिथि	
						केन्द्रीय अनु0	राज्यस्तरीय अनु0
बिहार अनुसूची 1.0	भदई	10-7से 20-7	5-8	21-7	20-8	28-8	4-9
	अगहनी	20-9से 30-9	15-10	01-10	30-10	07-11	14-11
	रब्बी	10-1से 20-1	5-2	20-01	28-02	28-02	07-03
	गर्मा	25-4से 5-05	20-05	06-05	05-06	13-06	20-06
बिहार अनुसूची 1.1	भदई	-	-	-	30-09	08-10	15-10
	अगहनी				10-01	18-01	25-01
	रब्बी				01-05	09-05	16-05
	गर्मा				31-07	08-08	15-08

राज्य	मौसम/फसल	प्रतिदर्श जाँच की अवधि	जाँच पूरा होने की संभावित तिथि	एन0एस0ओ0कार्यालय फरीदाबाद में प्राप्ति की अन्तिम निर्धारित तिथि	
				केन्द्रीय अनु0	राज्यस्तरीय अनु0
बिहार	भदई-धान	01-08 से 05-11	05-11	13-11	20.11
	मकई	01-08 से 10-10	10-10	18-10	25.10
	जूट	01-08 से 10-10	10-10	18-10	25.10
	ईख	15-12 से 31-03	31-03	08-04	15.04
	अगहनी-धान	15-10 से 20-12	20-12	28-12	04.01
	गेहूँ	फरवरी से मई	31-05	08-06	15.06
	रब्बी-चना	01-02 से 05-05	05-05	13-05	20.05
	जौ	01-02 से 15-05	15-05	23-05	30.05
	राई- सरसों	जनवरी से 15-03	15-03	23-03	30.03
	तूर	01-03 से 31-05	31-05	08-06	15.06
	गरमा-धान	अगस्त से सितम्बर	30-09	08-10	15.10
	मकई	अगस्त से सितम्बर	30-09	08-10	15.10
अन्य सामान्य तिथि			कृषि वर्ष:-1 जुलाई से 30 जून		
मौसमवार कृषि सर्वेक्षण अवधि			मौसम की अवधि		
भदई: 10 जुलाई से 10 सितम्बर			भदई : 01 जुलाई से 15 सितम्बर		
अगहनी: 20 सितम्बर से 30 नवम्बर			अगहनी: 16 सितम्बर से 30 नवम्बर		
रब्बी : 10 जनवरी से 31 मार्च			रब्बी : 01 दिसम्बर से 31 मार्च		
गर्मा : 25 अप्रैल से 31 मई			गर्मा : 01 अप्रैल से 31 मई		

नोट:-माह जून चालू कृषि वर्ष का भू0उ0वि0 एवं शुद्ध सिंचित प्रतिवेदन तैयार करना तथा अगले कृषि वर्ष के ग्रामवार खेसरा पंजी का संधारण करना निर्धारित है।

फसल कटनी अनुसूची 2.0 की फसलवार समय-सारणी निम्नवत रूप से है:-

प्रतिवेदन का नाम	निदेशालय में प्राप्ति की तिथि
1. भदई जिन्सवार	10 अक्टूबर
2. अगहनी जिन्सवार	30 दिसम्बर
3. रब्बी जिन्सवार	10 मई
4. गर्मा जिन्सवार	30 जून
5. भूमि उपयोग विवरणी	15 अगस्त
6. शुद्ध सिंचित विवरणी	15 अगस्त
7. भदई प्रक्षेत्र मूल्य प्रतिवेदन	30 अक्टूबर
8. अगहनी प्रक्षेत्र मूल्य प्रतिवेदन	30 जनवरी
9. रब्बी प्रक्षेत्र मूल्य प्रतिवेदन	21 मई
10. गरमा प्रक्षेत्र मूल्य प्रतिवेदन	07 जूलाई

फसल कटनी प्रयोग बीमा हेतु

1. भदई मकई : 31 मार्च को राज्य स्तर से बीमा कम्पनी को प्रेषित किया जाता है।
2. अगहनी धान: 31 मार्च
3. रब्बी भदई : 31 जूलाई
 - गेहूँ : 31 जूलाई
 - अरहर: 31 जूलाई
 - मसूर: 31 जूलाई
 - राई-सरसों: 31 जूलाई
 - चना : 31 जूलाई
 - आलू : 31 जूलाई
4. ईख एवं मिरचाई : 15 जून

भूमि उपयोगिता सर्वेक्षण प्रशाखा

सर्वेक्षण की तिथि	जिला में प्राप्ति की तिथि	निदेशालय में प्राप्ति की तिथि
1. भदई : 10 जूलाई से 10 सितम्बर	18 सितम्बर	30 सितम्बर
2. अगहनी: 20 सितम्बर से 20 नवम्बर	28 नवम्बर	10 दिसम्बर
3. रब्बी : 10 जनवरी से 10 मार्च	18 मार्च	01 अप्रैल
4. गर्मा : 25 अप्रैल से 15 जून	23 जून	30 जून
5. वार्षिक -----	----	15 अगस्त

वर्षापात से सम्बन्धित प्रतिवेदन

वर्षापात से सम्बन्धित सभी प्रतिवेदन माह समाप्ति के बाद दूसरे माह के प्रथम सप्ताह तक निदेशालय में भेजना है।

वर्षापात से सम्बन्धित प्रतिवेदन:-

1. दैनिक/मासिक प्रतिवेदन
2. साप्ताहिक मौसम एवं फसल प्रतिवेदन

भूमि उपयोगिता सर्वेक्षण योजना के अन्तर्गत न्यादर्श/तुलनात्मक सर्वेक्षण के प्रतिवेदन की खानापूरी एवं उपस्थापन सम्बन्धी अनुदेश।

1. योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षण एवं विभिन्न स्तरों पर प्रतिवेदन की प्राप्ति की तिथि प्रतिवेदन के प्रपत्र में बांयी ओर अंकित है, जिसका पालन पूरी मुस्तैदी से करना है। अगर किसी विशिष्ट कारणों के अन्तर्गत प्रतिवेदन निर्धारित तिथि को प्राप्त नहीं कराया गया तो भेजनेवाले जिम्मेदार व्यक्ति को चाहिए की कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए एवं की गई कार्रवाइयों का व्यारा देते हुए एक पत्र निदेशालय में भेजते हुए उसकी पूर्ति प्रमण्डलीय निदेशक को भी भेजने दें। साधारणतः विलम्ब से प्राप्ति पर प्रत्येक स्तर की चेतावनी के पत्र भेजे जायेंगे एवं जायेंगे एवं दो एकसी चेतावनियों पर उनकी अस्थायी चरित्र-पुस्ती में आवश्यक उल्लेख कर दिया जायेगा। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी भी उसी मुस्तैदी से प्रतिवेदनों की स-समय प्राप्ति करेंगे। प्रमण्डलीय उप-निदेशक कार्यालय में भारत सरकार की योजना (टी0आर0एस0 एवं एल0यू0एस0) से सम्बन्धित विभिन्न प्रपत्रों की एक नियंत्रण तालिका संधारित की जाएगी जिसके अनुसार वे भी आवश्यक कार्रवाई करते रहेंगे।
2. प्रत्येक मौसम में किन-किन फसलों से सम्बन्धित आँकड़े भेजने हैं उनका उल्लेख प्रतिवेदन के उपर दाहिनी तरफ अंकित है।
3. अनुमण्डल /जिला का नाम अनिवार्यतः दें। कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक जिला शब्द को काटकर अनुमण्डल का नाम भरेंगे। जिला प्रतिवेदन में अनुमण्डल काटकर जिला का नाम दिया जाएगा।
4. प्रत्येक मौसम में कृषि वर्ष बाईं ओर निर्धारित स्थान में अवश्य लिखें।
5. दाईं ओर निर्धारित स्थान पर मौसम का नाम दें और निश्चित कर लें कि स्तम्भ 11 से 26 में फसलों का नाम के लिए दिये गये स्थानों में निर्धारित फसलों का नाम जैसा कि प्रपत्र के उपर दाहिनी ओर दिया गया है क्रम से लिखा गया है या नहीं। क्रम का होना अनिवार्य है, क्योंकि मुख्यालय में संकलन के प्रपत्र उसी क्रम में निर्धारित है। दृष्टांत भदई मौसम में स्तम्भ 11,12 के उपर धान लिखा जायेगा, 13-14 के उपर मकई (अधिक उपज), 15-16 के उपर मकई (साधारण) 17-18 के उपर जूट 19-20 के ऊपर मेस्ता और 21-22 के ऊपर ईख का उल्लेख होना है। इसी तरह अन्य मौसमों में भी फसलों के क्रम प्रपत्र में दिए गए क्रम के अनुसार होंगे। जिन फसलों में अधिक उपज एवं साधारण शब्द जुड़े हुए हैं उसका उल्लेख अवश्य ही कर दिया जाय।
6. स्तम्भ 1 में अनुमण्डल का क्रमांक दें।
7. स्तम्भ 2 में अनुमण्डल का नाम लिखें।
8. स्तम्भ 3 में सभी स्वीकृत कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक के लिए क्रमांक दिया जाय।
9. स्तम्भ 4 में जिले अथवा अनुमण्डल के अन्तर्गत स्वीकृत पदों की संख्या के अनुसार पंक्तियों सुरक्षित की जाय। मान लिया जाय जिले के अन्तर्गत 5 के0क्षे0अ0 के पद स्वीकृत है तो ऐसी दशा में पाँच विभिन्न पंक्तियों में उनके नाम वरीयता के आधार पर कनीय क्षेत्रीय अन्वेषकों का नाम लिखा जायेगा। यदि 5 की जगह केवल 3 ही व्यक्ति पदस्थापित हों तो ऐसी दशा में भी 5 ही पंक्तियाँ सुरक्षित की जाएगी। तीन में पदस्थापित व्यक्तियों का नाम होगा और अन्तिम दो पंक्तियों में पुनः तीन में से

दो उन व्यक्तियों का नाम लिखा जायगा। जिन्हें इनका काम दिया गया है। अगर किसी एक रिक्त स्थान लिए दो व्यक्ति कार्य करते हों तो उन दोनों व्यक्तियों का नाम फिर से अलग-अलग लिखा जायेगा। यही दशा अवकाश में जाने वाले व्यक्तियों के कार्य के वॉटवारे के समय में भी होगी। अगर इस प्रकार का कोई वॉटवारा नहीं हो सका और सर्वेक्षण असफल हो गया तब ऐसी स्थिति में नाम के स्थान पर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। लेकिन उन्हें आवंटित ग्रामों का नाम, थाना संख्या, रकवा, अंचल का नाम अनिवार्यतः लिख दिया जाएगा और अनुशंसा स्तम्भ-31 में असफलता का पूरा व्योरा दिया जाएगा। जिसपर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। ऐसी व्यवस्था करने का उद्देश्य स्पष्ट है।

10. स्तम्भ 5 से 9 में प्रत्येक गाँव के लिए स्तम्भ-10 से तीन पंक्तियाँ भरी जायेगी। स्तम्भ-5 में उन ग्रामों का क्रमांक दें जो स्तम्भ 4 में अंकित व्यक्ति विशेष को आवंटित है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्रमांक 1 से प्रारम्भ होगा। स्तम्भ 6,7,8 एवं 9 की खानापुरियाँ स्पष्ट है। स्तम्भ 6 में जिस ग्राम का नाम होगा उसी से सम्बंधित खसनापुरियाँ 7,8 एवं 9 में की जाएगी।
11. स्तम्भ-10 में प्रत्येक ग्राम के लिए तीन पंक्तियाँ प्रयोग में लाई जायेगी। पहली पंक्तियों में स्तम्भ-11 से 31 तक उन ग्रामों के संबन्ध में वे सूचनाएँ दी जाएगी, जो कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक द्वारा दी गयी है। दूसरी पंक्ति में संकलक द्वारा कर्मचारी से प्राप्त आँकड़े जिला सांख्यिकी कार्यालय में भरे जायेंगे।

विभागीय कार्यकर्ता अनिवार्यतः अपना प्रतिवेदन भेजते समय प्रथम पंक्ति का ही प्रयोग करेंगे।

तीसरी पंक्ति में प्रथम पंक्ति में से दूसरी पंक्ति के आँकड़ों को घटाकर लिखेंगे और आँकड़ों के पहले योग (+) अथवा ऋण (-)का चिन्ह लगा दें। अगर दोनों आँकड़ों समान है तो शून्य शब्द में लिखा जाएगा।

इस प्रकार जबतक कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक को आवंटित सभी ग्रामों के संबन्ध में सूचनाएँ नहीं भरी जाती है तबतक दूसरे व्यक्ति के आँकड़ों का संकलन नहीं किया जाना चाहिए। अगर किसी विभागीय कार्यकर्ता का आवंटित ग्राम का सर्वेक्षण किसी कारणवश नहीं हुए है तो पूरी तीन पंक्तियाँ खाली रखी जायेगी और अनुशंसा स्तम्भ में स्पष्ट अभ्युक्ति अंकित की जाएगी।

12. स्तम्भ-27 इस स्तम्भ में साधारणतः शत प्रतिशत (100%) लिखा जाएगा। असफल की स्थिति में शून्य (प्रतिशत) लिखा जाएगा और जहाँ किसी कारणवश आंशिक सर्वेक्षण हुआ हो, जो कि साधारणतः नहीं होना है तो ऐसी दशा में पूरे गाँव का यह अंश कौन सा प्रतिशत है, दिया जायगा और स्तम्भ-31 में आंशिक सर्वेक्षण का कारण दिया जायगा।

13. स्तम्भ-28 जिला सांख्यिकी कार्यालय में ही भरा जाएगा। नियमानुसार इस योजना के अन्तर्गत यदि फसलों के दोनों कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक तथा कर्मचारी के आँकड़ों के बीच 20 या 20 प्रतिशत से अधिक का अन्तर पड़े तो ऐसी दशा में आँकड़ों का सत्यापन जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा या उनके द्वारा मनोनित सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा किया जाना अनिवार्य है। ऐसा सत्यापन प्रत्येक ऐसे अन्तर के लिए किया गया है या नहीं, इस बात की सूचना हों या नहीं में इस स्तम्भ में दर्शाया जायेगा। नहीं शब्द का प्रयोग तभी किया जाय जब प्रतिवेदन भेजने की अन्तिम तिथि तक सत्यापन का कार्य सम्भव न हो। अन्यथा सत्यापित आँकड़े ही मुख्यालय भेजने है। लेकिन इसके कारण प्रतिवेदन का उपस्थापन लम्बित

नहीं रखा जाय और प्रतिवेदन भेजने के एक पखवारे के अन्तर्गत सत्यापन प्रतिवेदन उप-निदेशक, कृषि योजना के प्रभारी के नाम से भेज दिया जाय। इससे सम्बन्धित आवश्यक उल्लेख जिला सांख्यिकी पदाधिकारी अपने पत्र में करेंगे। सत्यापन प्रतिवेदन भेजते समय जाँच से सम्बन्धित पूरा ब्योरा दिया जाय। उप-निदेशक कुछ सत्यापन स्वयं करेंगे।

14. स्तम्भ-29-30 यह स्तम्भ प्राथमिक कार्यकर्ता अपने श्रोत से ही भरकर देंगे। कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक यह सूचना निरीक्षणकर्ता द्वारा अपने दैनन्दिनी पर लिए गये हस्ताक्षर एवं खेसरा पंजी पर किये गये हस्ताक्षर के आधार पर ही भरेंगे। निरीक्षण सम्बन्धी हस्ताक्षर लेते समय दिनांक लिखना नहीं भूलेंगे। निरीक्षणकर्ता भी अनिवार्यतः इसका पालन करें एवं निरीक्षण के समय यह देख लें कि सर्वेक्षण की समाप्ति के उपरान्त खेसरा पंजी में कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक ने अपना तिथि सहित हस्ताक्षर अंकित किया है या नहीं और यह भी देख लें कि पूरे गाँव का सर्वेक्षण हुआ है या नहीं।

15. स्तम्भ-31 में उपर दी गई अनुशंसाओं के साथ-साथ अन्य अनुशंसायें भी दी जायेगी।

16. अन्यान्य:-जिला स्तर पर जिला सांख्यिकी कार्यालय में संकलनोपरांत अन्तिम पंक्ति योग के लिए प्रयोग किया जाएगा। स्तम्भ 1 का योग जिले के कुल अनुमण्डलों की संख्या होगी। स्तम्भ 3 का योग जिले में स्वीकृत कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक के कुल पदों की संख्या होगा। स्तम्भ 5 का योग कुल आवंटित ग्राम का योग होगा। इस योग के नीचे सर्वेक्षित ग्रामों की कुल संख्या देनी है। स्तम्भ-8 का योग भी दो भागों में देना है। उपर में आवंटित ग्रामों का कुल रकवा का योग होगा एवं नीचे सर्वेक्षित ग्रामों का रकवा का योग। स्तम्भ 11 से 26 तक उपर की पंक्ति में विभागीय कार्यकर्ता द्वारा दिये गये आँकड़ों का योग होगा। दूसरी पंक्ति में कर्मचारियों के आँकड़ों का योग होगा और तीसरी पंक्ति में नये सिरे से जिला स्तरीय अन्तर निकाला जाएगा जो आँकड़े(+) तथा (-) चिन्ह के साथ दिये जायेंगे।

स्तम्भ-27 में कुल सर्वेक्षण का प्रतिशत दिया जायेगा जो स्तम्भ-8 के कुल रकवा जोड़ एवं सर्वेक्षित रकवा जोड़ के आधार पर निकाला जाएगा। स्तम्भ-29 में कुल निरीक्षित ग्रामों की संख्या दी जायगी एवं स्तम्भ-30 में निरीक्षित ग्राम, सर्वेक्षित ग्राम का कौन सा प्रतिशत है, यह अंकित किया जाएगा। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी प्रमण्डलीय उप-निदेशक, अनुदेश एवं प्रपत्र को अच्छी तरह पढ़कर अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे।

कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक दो प्रतियों में अपने क्षेत्रीय सर्वेक्षण का प्रतिवेदन तैयार करेंगे, जिनमें से एक प्रति उनकी कार्यालय प्रति होगी एवं दूसरी प्रति वे जिला सांख्यिकी कार्यालय में देंगे। इसके आधार पर जिला सांख्यिकी कार्यालय में दो प्रतियों में तुलनात्मक प्रतिवेदन तैयार कर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के परिनिरीक्षण एवं हस्ताक्षर के बाद एक प्रति निदेशालय को भेज दी जायगी। प्रतिवेदनों के समर्पण एवं प्रेषण में दोनों स्तरों (कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक तथा जिला सांख्यिकी कार्यालय) पर निर्धारित तिथि का अवश्य ही ध्यान रखा जाय। सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी निदेशालय को प्रतिवेदन प्रेषण करने की सूचना प्रमण्डलीय उप-निदेशक (सांख्यिकी) को भी देंगे।

इस क्रम में यदि कोई सूझाव देना हो, तो सूझाव कृपया पत्र प्राप्ति के 15(पन्द्रह) दिनों के अन्दर भेज दिये जायें ताकि प्रपत्र में आवश्यकतानुसार सुधार कर दिया जाय।

नोट:- भूमि उपयोगिता सर्वेक्षण का वार्षिक तुलनात्मक प्रतिवेदन पूर्व के प्रसारित सामान्य भूमि उपयोगिता विवरणी के प्रपत्रों में ही भेजना होगा।

जन्म और मृत्यु के निबन्धन के संबंध में व्यापक प्रचार
परिशिष्ट 57

ज्ञाप सं०जी०एम० 603/65-11581 ज० स० वि०

जन-सम्पर्क विभाग

सेवा में,

सभी जिला जन-सम्पर्क अधिकारी/ सभी अपर जिला जन-सम्पर्क अधिकारी। सभी सहायक
जन-सम्पर्क अधिकारी

पटना, दिनांक 15 दिसम्बर 1965

विषय- जन्म और मृत्यु के निबन्धन के संबंध में व्यापक प्रचार

जन्म तथा मृत्यु अधिनियम (प्रतिलिपि संलग्न)के नियमानुसार प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि अपने परिवार में हुये प्रत्येक जन्म तथा मृत्यु की सूचना ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सेवक के पास तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम / नगरपालिका/अधिसूचित क्षेत्र समिति के पास निबन्धन हेतु भेजें। किन्तु अधिनियम से अनभिज्ञ रहने के कारण बहुत सी घटनाये अनिबन्धित रह जाती है जो अनियमित एवं दंडनीय भी है। अतएव आम जनता में पूर्णरूपेण प्रचार होना आवश्यक है।

अतः अपने क्षेत्रों में, सार्वजनिक सभा तथा सामूहिक वार्ता द्वारा तथा मेले एवं अन्य उत्सवों के अवसर पर इसका व्यापक प्रचार कर, आम जनता को उपर्युक्त अधिनियम से अवगत करावें एवं इस संबंध में की गई कार्रवाई का एक विशेष प्रतिवेदन में भेजें।

ह०/-

जन-सम्पर्क निदेशक, बिहार

ज्ञाप सं० 11581, ज० स० वि०

पटना, दिनांक 15 दिसम्बर 1965

प्रतिलिपि सभी उप-जन-सम्पर्क निदेशक (क्षेत्र) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

जन-सम्पर्क निदेशक, बिहार

ज्ञाप सं० 11581, ज० स० वि०

पटना, दिनांक 15 दिसम्बर 1965

प्रतिलिपि निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय को उनके अर्ध-सरकारी पत्र संख्या 4995,
दिनांक 1 दिसम्बर 1965 के प्रसंग में सूचनाथ्र प्रेषित।

ह०/-

जन-सम्पर्क निदेशक, बिहार

निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन को मुख्य रजिस्ट्रार के रूप में अधिसूचना

योजना विभाग

अधिसूचना

25 मई 1970

एस०ओ० 463-जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एण्ड डेथ), 1969 (18,1969)की धारा 4 की उप-धारा (1)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार-राज्यपाल निदेशक, सांख्यिकी और मूल्यांकन, बिहार का उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ बिहार राज्य के लिये मुख्य रजिस्ट्रार नियुक्त करते हैं।

स्था०/वि०29-1-70-यो०वि०-3124,

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के सचिव।

25मई 1970

एस०ओ० -464 एस०ओ० 463,दिनांक 25 मई, 1970 का अंग्रेजी में निम्नांकित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

स्था०/वि०29-1-70-यो०वि०-3125,

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के सचिव।

उप निदेशक (जी0) जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी, नगर निगम, नगरपालिका, अ0 क्षेत्र0स0, पंचायत सेवक को क्रमशः उप मुख्य रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार, अपर जिला रजिस्ट्रार एवं रजिस्ट्रार अधिसूचित करने के संबंध में।

आदेश

14 मई, 1971

सं०1699-जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एण्ड डेथ एक्ट), 1969 (18,1969)की धारा 4 की उप-धारा (2) धारा 6 की उपधारा (1) तथा धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पदाधिकारियों को दिये गये क्षेत्र के लिये उसमें अलिखित पद पर नियुक्त किया जाता है:-

पद का नाम	जन्म-मृत्यु अधिनियम, 1969 (18,1969) के अन्तर्गत पदेन, पदनाम	क्षेत्र विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत
(1) उप-निदेशक (जीवनांक)..	उप-मुख्य रजिस्ट्रार ..	बिहार राज्य-धारा4, उप-धारा(2)
(2) जिला सां० पदाधिकारी	जिला रजिस्ट्रार	संबंधित जिला-धारा6, उप-धारा(1)
(3) प्र०वि०पदाधिकारी/अंचल अधिकारी	अपर जिला रजिस्ट्रार	सम्बंधित प्रखंड-तथैव।
(4) चिकित्सा पदाधिकारी/नगरपालिका/ नगर निगम/ अधिसूचित क्षेत्र समिति।	रजिस्ट्रार	सम्बंधित नगर निगम/नगरपालिका/ अधिसूचित क्षेत्र समिति-धारा 7, उप-धारा (1)
(5) पंचायत सेवक	रजिस्ट्रार	पंचायत क्षेत्र-धारा 7, उप-धारा (1)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक संख्या 1969

पटना, दिनांक 14 मई, 1971।

प्रतिलिपि निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/ सभी चिकित्सा पदाधिकारी, पटना नगर निगम/ सभी नगरपालिका तथा सभी अधिसूचित क्षेत्र समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव।

**कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी/नगर
पालिका/अ०क्षे०स०/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/नगर पालिका/अ०क्षे०स० को रजिस्ट्रार के
रूप में अधिसूचना।**

योजना विभाग
(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

आदेश

14 दिसम्बर, 1973

सं० भा० सा० का० 22/72-3093- जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एण्ड डेथ एक्ट), 1969 की धारा 7, की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों का सम्बद्ध क्षेत्रों के लिये उल्लिखित पद पर नियुक्त किया जाता है:-

पद का नाम	पदनाम	क्षेत्र	धारा
(1) कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी/नगरपालिका/अधिसूचित क्षेत्र समिति।	रजिस्ट्रार	नगरपालिका/अधिसूचित क्षेत्र समिति।	धारा 7, की उप-धारा (1)
(2) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगरपालिका/अधिसूचित क्षेत्र समिति।	रजिस्ट्रार	नगरपालिका/अधिसूचित क्षेत्र समिति।	धारा 7, की उप-धारा (1)

2. जिस नगरपालिका/अधिसूचित क्षेत्र समिति में स्वास्थ्य पदाधिकारी पदस्थापित नहीं है; यहां कार्यपालक पदाधिकारी या विशेष पदाधिकारी जो उपलब्ध हों, वे और जिस नगरपालिका/अधिसूचित क्षेत्र समिति में स्वास्थ्य पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी पदस्थापित नहीं है, जहां के अध्यक्ष और जिस नगरपालिका/ अधिसूचित क्षेत्र समिति में अध्यक्ष का पद नहीं है, वहां उपाध्यक्ष निबन्धक (जन्म-मृत्यु) का कार्य करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

मुख्य रजिस्ट्रार एवं संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक संख्या 3093

पटना, दिनांक 14 नवम्बर, 1973

प्रतिलिपि जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/सभी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/विशेष पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी/सभी स्वास्थ्य पदाधिकारी नगरपालिका/पटना नगर निगम /सभी अधिसूचित क्षेत्र समिति/उप-सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, बिहार, पटना का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उप-निदेशक-सह-मुख्य रजिस्ट्रार,

(जन्म और मृत्यु)।

जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत किये गये अपराधों के विरूद्ध अभियोजन संस्थित करने हेतु जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों को प्राधिकृत करने के संबंध में।

संख्या जी० सा० का०-15/74-2039

बिहार सरकार

योजना विभाग।

प्रेषक

श्री जे० एम० लिंगदोह

निदेशक,

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी

सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश

दिनांक 31 दिसम्बर, 1974 ।

विषय:- जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत किये गये अपराधों के विरूद्ध अभियोजन संस्थित करने हेतु जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों को प्राधिकृत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों को जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत जिला निबन्धक नियुक्त किया गया है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को अधिनियम के अन्तर्गत किये गये अपराधों के लिये अभियोजन प्रस्ताव अपने जिले के समक्ष दंडाधिकारी के न्यायालय में संस्थित करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।

परिवाद-पत्र दंड-प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 190 के अन्तर्गत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा पेश किया जायेगा तथा दंड-प्रक्रिया की धारा 260 एवं 261 के अन्तर्गत अपराध पर दंडाधिकारी द्वारा संक्षिप्त जांच (समरी ट्रायल) की जायेगी।

इस आदेश की सूचना कृपया सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-

मुख्य निबन्धक, जन्म एवं मृत्यु-सह-

निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन

ज्ञापांक-2039

दिनांक 31 दिसम्बर, 1974 ।

प्रतिलिपि सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह०/-

उप-निदेशक (जीवनांक)

संयुक्त निदेशक को संयुक्त मुख्य निबंधक बिहार के रूप में अधिसूचना
योजना विभाग
(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)
जीवनांक प्रशाखा
अधिसूचना
6 फरवरी, 1975

जी० सं० का० 5/74 सं० 232-जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 4 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पदाधिकारी को दिये गये क्षेत्र के लिए उसमें उल्लिखित पद पर नियुक्त किया जाता है:-

पदनाम	जन्म-मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत पदेन पदनाम	दिया गया क्षेत्र
(1) संयुक्त निदेशक	संयुक्त मुख्य निदेशक	बिहार राज्य

बिहार- राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-
विशेष सचिव।

ज्ञापांक संख्या 232 6 फरवरी, 1975 ।

प्रतिलिपि निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/ सभी चिकित्सा पदाधिकारी, पटना नगर निगम/ सभी नगरपालिका /सभी अधिसूचित क्षेत्र समिति तथा कैंटोनमेंट बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
विशेष सचिव।

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 25 के अधीन संस्थित मुकदमों के संचालन तथा उनके लिये निधि की व्यवस्था के सम्बन्ध में ।

पत्रांक जी०सा०-307/75-1182

बिहार सरकार
योजना विभाग
(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

प्रेषक

श्री जे० एम० लिंगडोह
निदेशक, सह-मुख्य निबन्धक ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी

दिनांक 12 जून, 1975।

विषय:- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 25 के अधीन संस्थित मुकदमों के संचालन तथा उनके लिये निधि की व्यवस्था के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सरकार द्वारा लिया गया निम्नलिखित निर्णय आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है:-

जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 25 के अधीन जो मुकदमों दंडाधिकारियों के न्यायालयों में होंगे उन्हें सहायक लोक अभियोजक स्वयं संचालित करेंगे। सहायक लोक अभियोजक सरकार के वैतनिक पदाधिकारी हैं। अतः उन्हें किसी प्रकार का दैनिक शुल्क राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया जायेगा।

सत्र न्यायालयों में लम्बित मुकदमों का संचालन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अपर लोक-अभियोजक करेंगे और इन्हें निर्धारित दैनिक शुल्क देय होगा।

जहां तक इन मुकदमों के संचालन के लिये निधि की व्यवस्था का प्रश्न है, प्रत्येक जिला के जिला पदाधिकारी के अधीन सरकारी मुकदमों के संचालन के लिये निधि आबंटित रहती है। राज्य सरकार के सरकारी मुकदमों के संचालन के संबंध में अधिवक्ताओं के दैनिक शुल्क आदि का भुगतान इसी निधि से जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

जहां तक ऐसे मुकदमों में अभियोजित व्यक्ति से खर्च वसूलने का संबंध है, यह न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय पर ही निर्भर करेगा।

विश्वासभाजन,

ह०/-

निदेशक-सह-मुख्य निबन्धक।

ज्ञापन संख्या-1184

दिनांक 12 जून, 1975।

प्रतिलिप सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी-सह-जिला निबन्धक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

निदेशक-सह-मुख्य निबन्धक।

स्कूल में प्रथम प्रवेश के समय जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से उपस्थापित करने के संबंध में।

पत्रांक 7/ब3-0489/75-शि0-258

शिक्षा विभाग, बिहार

प्रेषक,

श्रीमती शकुन्तला सिन्हा,
निदेशक (विद्यालय शिक्षा), बिहार,

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा अधीक्षक

सभी अवर-प्रमंडल शिक्षा पदाधिकारी-सह-नगरपालिका शिक्षा पदाधिकारी

प्रशासक, पटना नगर निगम।

पटना, दिनांक 12 अगस्त, 1975 ।

विषय:- स्कूल में प्रथम प्रवेश के समय जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से उपस्थापित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर कहना है कि जन्म-मृत्यु की घटनाओं के निबंधन हेतु भारत सरकार द्वारा जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 पारित किया गया है जो इस राज्य में 1 अप्रैल 1970 से लागू है। इस अधिनियम के अन्तर्गत देश अथवा राज्य में हुई सभी जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं का निबंधन अनिवार्य रूप से किया जाना है। इस कार्य के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सेवक तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम/नगरपालिका/अधिसूचित क्षेत्र समिति के चिकित्सा पदाधिकारी को निबंधक घोषित किया गया है।

इस अधिनियम के व्यापक प्रचार तथा प्रगति लाने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल में प्रथम प्रवेश पाने के समय बालक के जन्म प्रमाण-पत्र की मांग अनिवार्य रूप से सर्वप्रथम शहरी क्षेत्रों में की जाय। परन्तु यह अवश्य देखा जाय कि इसके चलते अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रसार कार्य को हानि नहीं पहुंचे।

3. कृपया उपर्युक्त निर्णय से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों तथा संस्थाओं को अविलम्ब अवगत कराया जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

निदेशक (विद्यालय शिक्षा), बिहार,

ज्ञापांक-258 पटना, दिनांक 12, अगस्त 1975 ।

प्रतिलिपि योजना विभाग (सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)को सूचनार्थ अग्रसारित।

ह0/-

निदेशक (विद्यालय), बिहार,

कार्यपालक पदा0/विशेष/अध्यक्ष,उपाध्यक्ष/नगर परिषद्/नगर पंचायत को रजिस्ट्रार
के रूप में अधिसूचना।

बिहार सरकार
योजना विभाग
(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

30 नवम्बर 1976

अधिसूचना सं0 जी0 स0 क0 5/74-15903-जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 7 की धारा उप धारा (1)के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पदाधिकारी को दिये गये क्षेत्र के लिए उल्लिखित पद पर नियुक्त किया जाता है:-

पदनाम	जन्म-मृत्यु अधिनियम,1969 के अन्तर्गत पदेन, पदनाम	दिया गया क्षेत्र
कार्यपालक पदाधिकारी, छावनी पर्षद दानापुर/रामगढ़	निबंधक	छावनी पर्षद, दानापुर (पटना)। रामगढ़ (हजारीबाग)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट
विशेष सचिव।

ज्ञापांक 15903

पटना, दिनांक 30 नवम्बर, 1976 ।

प्रतिलिपि निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी छावनी परिषद दानापुर/रामगढ़/ जिला पदाधिकारी, पटना/हजारीबाग/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी,पटना/हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) अस्पष्ट
विशेष सचिव।

ज्ञापांक 15903

पटना, दिनांक30 नवम्बर, 1976

प्रतिलिपि अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को "बिहार गजट" में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(ह०) अस्पष्ट
विशेष सचिव।

उपाधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय/उपाधीक्षक,सदर
अस्पताल/उपाधीक्षक,अनुमंडल अस्पताल/प्रभारी चिकित्सा पदा० रेफरल
अस्पताल/को रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) के रूप में अधिसूचना।

बिहार सरकार

योजना विभाग।

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

दिनांक 19 फरवरी, 1988।

अधिसूचना संख्या 210 जी० सां० का० 8/84-जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके पदनाम के सम्मुख उल्लिखित क्षेत्र के लिए पदेन रजिस्ट्रार नियुक्त किया जाता है:-

क्रमांक	पदाधिकारी	पदनाम	अधिकार क्षेत्र
(1)	उपाधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल	रजिस्ट्रार	संबंधित चिकित्सा। महाविद्यालय अस्पताल।
(2)	उपाधीक्षक, सदर अस्पताल	रजिस्ट्रार	संबंधित सदर अस्पताल।
(3)	उपाधीक्षक अनुमंडलीय अस्पताल	रजिस्ट्रार	संबंधित अनुमंडलीय अस्पताल।
(4)	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी रेफरल अस्पताल	रजिस्ट्रार	संबंधित रेफरल असपताल।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह०) अस्पष्ट,

संयुक्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग।

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 210

पटना-15दिनांक 19 फरवरी, 1988।

प्रतिलिपि अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजाबाग, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि वे उपर्युक्त अधिसूचना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कर उसकी 500 अतिरिक्त प्रतियाँ निदेशक, सांख्यिकी एवं मुल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना को प्रेषित करने की कृपा करें।

(ह०) अस्पष्ट,

संयुक्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग।

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 210

पटना-15 दिनांक 19 फरवरी, 1988।

प्रतिलिपि महा रजिस्ट्रार, गृह मंत्रालय, जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खंड नं0 1 आर0 के0 पुरम, नयी दिल्ली - 110066 को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह०) अस्पष्ट,
संयुक्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग।
बिहार, पटना।

ज्ञापांक संख्या- 210

पटना-15 दिनांक 19 फरवरी, 1988।

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार, पटना/बिहार सरकार के सभी विभागों के सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह०) अस्पष्ट,
संयुक्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग।
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 210

पटना-15 दिनांक 19 फरवरी, 1988।

प्रतिलिपि निदेशक, सांख्यिकी एवं मुल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी प्रमंडलीय उप-निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला पदाधिकारी/उप-विकास आयुक्त/ जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/चिकित्सा पदाधिकारी, नगर निगम/ नगरपालिका तथा अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, अधिसूचित क्षेत्र समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) अस्पष्ट,
संयुक्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग। बिहार,
पटना।

राज्य के सभी चौकीदार को अधिसूचक के रूप में अधिसूचना

संख्या जी-सा0प्र0-16/82-1013

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग।

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

पटना, दिनांक 27 सितम्बर, 1989

जन्म- मृत्यु रजिस्ट्रार अधिनियम, 1969 की धारा 10 (i)(iii)के अधीन निम्नलिखित पदधिकारी का आवंटित क्षेत्र के लिए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित पद पर नियुक्त किया जाता है:-

पदनाम	जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत पदेन पदनाम	आवंटित क्षेत्र।
राज्य के सभी चौकीदार	अधिसूचक	ग्रामीण क्षेत्र के उनका कार्यक्षेत्र।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अस्पष्ट,
सचिव,
योजना एवं विकास विभाग।

ज्ञांपांक संख्या- 1013

पटना, दिनांक 27 सितम्बर,1989।

प्रतिलिपि-(1)महारजिस्ट्रार, गृह मंत्रालय, जीवनांक प्रभाग खंड ,81 आर0 के0 पुरम, नयी दिल्ली-110066,(2) महानिदेशक, आरक्षी बिहार, पटना,(3) निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं (4) सभी जिलाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

(ह०), अस्पष्ट,
सचिव, योजना एवं विकास विभाग।

ज्ञांपांक संख्या- 1013

दिनांक 27 सितम्बर,1989।

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार, पटना/बिहार सरकार के सभी विभागों के सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह०), अस्पष्ट,
सचिव, योजना एवं विकास विभाग।

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 (1 फरवरी, 93 को यथा विद्यमान)

प्रथम संस्करण का प्राक्कथन

यह 1 नवम्बर, 1970 को यथाविद्यमान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 का द्विभाषीय संस्करण है। इसमें अधिनियम का प्राधिकृत हिन्दी पाठ, उसके अंग्रेजी पाठ सहित, दिया है। अधिनियम का हिन्दी पाठ तारीख 27 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 1क संख्यांक 53, खण्ड V में पृष्ठ 565 से 578 में प्रकाशित हुआ था।

इस हिन्दी पाठ को राजभाषा (विधायी) आयोग ने तैयार किया था और यह राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(1) के अधीन राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित हुआ और इस प्रकार प्रकाशित होते ही, उस अधिनियम का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ बन गया।

नई दिल्ली:

ह0/-

1 नवम्बर, 1970

संयुक्त सचिव, भारत सरकार।

तृतीय संस्करण का प्राक्कथन

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का अधिनियम संख्यांक 18) के द्वितीय द्विभाषीय संस्करण की प्रतियां बिक गई हैं, इसलिए इसका तृतीय संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। प्रस्तुत पाठ में 1 फरवरी 1993 तक के सभी संशोधनों का समावेश कर दिया गया है। इस संस्करण में अधिनियम का विधायी इतिहास भी दिया गया है।

नई दिल्ली:

ह0/-

1 फरवरी, 1970

सचिव, भारत सरकार।

1-186 Min. of L&J/ND/92

AMENDING ACT

The Delegated Legislation provision (Amendment) Act, 1985 (4 of 1986).

LIST OF ABBREVIATIONS USED

Ins.....for Inserted.

s.....Section.

w.e.f.....with effect from.

संशोधन अधिनियम

प्रत्यायोजित विधान उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 1985 (1986 का 4)।

संक्षेपाक्षर

सं०.....संख्यांक (नम्बर)।

THE REGISTRATION OF BIRTHS AND DEATHS ACT, 1969
ARRANGEMENT OF SECTIONS

CHAPTER I
PRELIMINARY

Section

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions and interpretation.

CHAPTER II
REGISTRATION-ESTABLISHMENT

3. Registrar- General, India.
4. Chief Registrar.
5. Registration divisions.
6. District Registrar.
7. Registrars.

CHAPTER III
REGISTRATION OF BIRTHS AND DEATHS

8. Persons required to register births and deaths.
9. Special provision regarding births and deaths in a plantation.
10. Duty of certain persons to notify births and deaths and to certify cause of death.
11. Informant to sign the register.
12. Extract of registration entries to be given to informant.
13. Delayed registration of births and deaths.
14. Registration of name of child.
15. Correction or cancellation of entry in the register of births and deaths.

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

धाराओ का क्रम

अध्याय 1

प्रारम्भिक

धाराएं	पृ०
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1
2. परिभाषाएँ और निर्वचन	1

अध्याय 2

रजिस्ट्रीकरण-स्थापन

3. भारत का महारजिस्ट्रार	2
4. मुख्य रजिस्ट्रार	2
5. रजिस्ट्रीकरण खंड	2
6. जिला रजिस्ट्रार	2
7. रजिस्ट्रार	2

अध्याय 3

जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण

8. जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण कराने का लिए अपेक्षित व्यक्ति	3
9. बागान में जन्म और मृत्यु के संबंध में विशेष उपबन्ध	3
10. जन्म और मृत्यु की सूचना देने और मृत्यु के कारण को प्रमाणित करने का कुछ व्यक्तियों का कर्तव्य	4
11. इत्तिला देने वाले का रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना	4
12. इत्तिला देने वाले का रजिस्ट्रीकरण की प्रविष्टियों के उद्धरणों का दिया जाना	4
13. जन्म और मृत्यु का विलम्बित रजिस्ट्रीकरण	4
14. बालक के नाम का रजिस्ट्रीकरण	4
15. जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में प्रविष्टि को ठीक या रद्द करना	4

Arrangement of Sections

CHAPTER IV

MAINTENANCE OF RECORDS AND STATISTICS

SECTIONS

16. Registrars to keep register in the prescribed form.
17. Search of births and deaths register.
18. Inspection of registration offices.
19. Registrars to send periodical returns to the Chief Registrar for compilation.

CHAPTER V

MISCELLANEOUS

20. Special provision as to registration of births and deaths of citizens outside India.
21. Power of Registrar to obtain information regarding birth or death.
22. Power to give directions.
23. Penalties.
24. Power to compound offences.
25. Sanction for prosecution.
26. Registrars and Sub-Registrars to be deemed public servants.
27. Delegation of powers.
28. Protection of action taken in good faith.
29. Act not to be in derogation of Act 6 of 1886.
30. Power to make rules.
31. Repeal and saving.
32. Power to remove difficulty.

धाराओं का क्रम

अध्याय 4

अभिलेखों और सांख्यिकियों को रखना

धाराएं	पृष्ठ
16. विहित प्ररूप में रजिस्ट्रों का रजिस्ट्रारों द्वारा रखा जाना	5
17. जन्म और मृत्यु के रजिस्टर की तलाशी	5
18. रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों का निरीक्षण	5
19. कालिक विवरणियों का रजिस्ट्रारों द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार की संकलन के लिए भेजा जाना	5

अध्याय 5

प्रकीर्ण

20. भारत से बाहर नागरिकों के जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के बारे में विशेष उपबन्ध	5
21. जन्म और मृत्यु के संबंध में इत्तिला अभिप्राप्त करने की रजिस्ट्रार की शक्ति	5
22. निदेश देने की शक्ति	6
23. शास्तियां	6
24. अपराधों के प्रशामन की शक्ति	6
25. अभियोजन के लिए मंजूरी	6
26. रजिस्ट्रारों और उपरजिस्ट्रारों का लोक सेवक समझा जाना	6
27. शक्तियों का प्रत्यायोजन	6
28. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए परित्राण	6
29. इस अधिनियम का 1886 के अधिनियम संख्यांक 6 के अल्पीकरण में न होना	7
30. नियम बनाने की शक्ति	7
31. निरसन और व्यावृत्ति	7
32. कठिनाई दूर करने की शक्ति	7

THE REGISTRATION OF BIRTHS AND DEATHS ACT, 1969
(ACT No. 18 OF 1969)

[31 May, 1969]

An Act to provide for the regulation of registration of births and deaths and for matters

connected therewith.

Be it enacted by Parliament in the Twentieth Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement – (i) This Act may be called Registration of Births and Deaths Act, 1969
- (2) It extends to the whole of India.
- (3) It shall come into force in a State on such date¹ as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint :

Provided that different dates may be appointed for different parts of a State.

2. **Definitions and interpretation** – (i) In this Act, unless the context otherwise requires,-

- (a) “births” means live-birth or still-birth;
- (b) “death” means the permanent disappearance of all evidence of life at any time after live-birth has taken place;
- (c) “foetal death” means absence of all evidence of life prior to the complete expulsion of extraction from its mother of a product of conception irrespective of the duration of pregnancy;
- (d) “live-birth” means the complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of pregnancy, which, after suh expulsion or extraction, breathes or shows any other evidence of life, and each product of such birth is considered live-born;
- (e) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
- (f) “State Government”, in relation to a Union territory, means the Administrator thereof ;
- (g) “still- birth” means foetal death where a product of conception has attained at least the prescribed period of gestation.

(2) Any reference in this Act to any law which is not in force in any area shall, in relation to that area, be construed as a reference to the corresponding law, if any, in force in that area.

1. See page 8 at the end of the book.

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रकरण अधिनियम, 1969
(1969 का अधिनियम संख्यांक 18)

(31 मई 1969)

जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के विनियमन और तत्संबद्ध विषयों का
उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-- (1) यह अधिनियम जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह किसी राज्य में उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परन्तु किसी राज्य के विभिन्न भागों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएं और निर्वचन:--(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "जन्म" से जीवित-जन्म या मृत-जन्म अभिप्रेत है:

(ख) "मृत्यु" से जीवित-जन्म हो जाने के पश्चात् किसी भी समय जीवन के सब लक्षणों का स्थायी तौर पर विलोपन अभिप्रेत है:

(ग) "भ्रूण-मृत्यु" से गर्भाधान के उत्पाद का, गर्भ चाहे जितने समय का हो, अपनी माता से पूर्ण निष्कासन या निष्कर्षण से पूर्व जीवन के इस लक्षणों का अभाव हो जाना अभिप्रेत है:

(घ) "जीवित-जन्म" से गर्भाधान के ऐसे उत्पाद का, गर्भ चाहे जितने समय का हो, अपनी माता से पूर्ण निष्कासन या निष्कर्षण अभिप्रेत है, जो ऐसे निष्कासन या निष्कर्षण के पश्चात् श्वास लेता है या जीवन का कोई अन्य लक्षण दर्शित करता है और ऐसे जन्म वाला प्रत्येक उत्पाद जीवित-जात समझा जाता है:

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है:

(च) किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में "राज्य सरकार" से उसका प्रशासक अभिप्रेत है:

(छ) "मृत-जन्म" से ऐसी भ्रूण-मृत्यु अभिप्रेत है जहां गर्भाधान का उत्पाद कम से कम विहित गर्भाविधि प्राप्त कर चुका है।

(2) इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि के प्रति, जो किसी क्षेत्र में प्रवृत्त नहीं है, निर्देश का उस क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के प्रति, यदि कोई हो, निर्देश है।

1- पुस्तक के अन्त में पृष्ठ 8 देखिए।

3.186 in. of L&J/ND/92

CHAPTER II

REGISTRATION-ESTABLISHMENT

3. Registration-General, India- (1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint a person to be known as the Registrar-General, India.
(2) The Central Government may also appoint such other officers with such designations as it thinks fit for the purpose of discharging, under the superintendence and direction of the Registrar- General. Such functions of the Registrar- General under this Act as he may, from time to time, author- rise them to discharge
(3) The Registrar-General may issue general directions regarding registration of births and deaths in the territories to which this Act extends, and shall take steps to co-ordinate and unify the activities of Chief Registrars in the matter of registration of births and deaths and submit to the Central Government an annual report on the working of this Act in the said territories.
4. Chief Registrar- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint a Chief Registrar for the State.
(2) The State Government may also appoint such other officers with such designations as it thinks fit for the purpose of discharging, under the superintendence and direction of the Chief Registrar, such of his functions as he may, from time to time, authorize them to discharge.
(3) The Chief Registrar shall be the chief executive authority in the State for carrying into execution the provisions of this Act and the rules and orders made thereunder subject to the directions, if any, given by the State Government.
(4) The Chief Registrar shall take steps, by the issue of suitable instructions or otherwise, to co-ordinate, unify and supervise the work of registration in the State for securing an efficient system of registration and shall prepare and submit to the State Government, in such manner and at such intervals as may be prescribed, a report on the working of this Act in the State along with the statistical report referred to in sub- section (2) of section 19.
(5).Registration divisions- The State Government may, by notification in the Official Gazette, divide the territory within the State into such registration divisions as it may think fit and prescribe different rules for different registration divisions.
- (6).District Registrar- (1) The State government may appoint a District Registrar for each revenue district and such number of Additional District Registrars as it thinks fit who shall, subject to the general control and direction of the District Registrar, discharge such functions of the District Registrar as the District Registrar may, from time to time, authorise them to discharge.
(2) The District Registrar shall superintend, subject to the direction of the Chief Registrar, the Registration of births and deaths in the district and shall be responsible for carrying into execution in the district the provisions of this Act and the orders of the Chief Registrar issued from time to time for the purposes of this Act.
- (7).Registrars-(1) The State Government may appoint a Registrar for each local area comprising the area within the jurisdiction of a municipality, panchayat or other local authority or any other area or a combination of any two or more of them:
Provided that the State Government may appoint in the case of a municipality, panchayat or other local authority, any officer or other employee thereof as a Registrar.
(2) Every Registrar shall, without fee or reward, enter in the register maintained for the purpose all information given to him under section 8 or section 9 and shall also take steps to inform himself carefully of every birth and of every death which takes place in his jurisdiction and to ascertain and register the particulars required to be registered.

रजिस्ट्रीकरण-स्थापन

3. भारत का महारजिस्ट्रार- (1) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति को भारत के महारजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकेगी।
 - (2) केन्द्रीय सरकार, ऐसे अन्य अधिकारी भी, ऐसे पदनामों से, जैसे वह ठीक समझे, महारजिस्ट्रार के इस अधिनियम के अधीन ऐसे कृत्यों के, जिनका निर्वहन करने के लिए वह उन्हें समय-समय पर प्राधिकृत करे, महारजिस्ट्रार के अधीक्षण और निदेशन के अधीन निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए, नियुक्त कर सकेगी।
 - (3) महारजिस्ट्रार उन राज्यक्षेत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के बारे में साधारण निदेश जारी कर सकेगा और जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के विषय में मुख्य रजिस्ट्रारों के क्रियाकलाप के समन्वय और एकीकरण के लिए कदम उठाएगा और उक्त राज्यक्षेत्रों में इस अधिनियम के कार्यान्वयन विषयक वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।
4. मुख्य रजिस्ट्रार- (1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी राज्य के लिए एक मुख्य रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी।
 - (2) राज्य सरकार, ऐसे अन्य अधिकारी भी ऐसे पदनामों से, जैसे वह ठीक समझे, महारजिस्ट्रार के ऐसे कृत्यों का, जिनका निर्वहन करने के लिए वह उन्हें समय-समय पर प्राधिकृत करे, मुख्य रजिस्ट्रार के अधीक्षण और निदेशन के अधीन निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए, नियुक्त कर सकेगी।
 - (3) राज्य सरकार द्वारा दिए गए निदेशों के, यदि कोई हों, अध्याधीन रहते हुए मुख्य रजिस्ट्रार किसी राज्य में इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के निष्पादन के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा।
 - (4) मुख्य रजिस्ट्रार राज्य में रजिस्ट्रीकरण के कार्य के समन्वय, एकीकरण और पर्यवेक्षण के लिए समुचित अनुदेश निकाल कर या अन्यथा रजिस्ट्रीकरण की दक्ष पद्धति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा तथा उस राज्य में इस अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में एक रिपोर्ट, ऐसी रीति से और ऐसे अन्तरालों पर, जिन्हें विहित किया जाए, धारा 19 की उपधारा(2) में निर्दिष्ट सांख्यिकीय रिपोर्ट के साथ तैयार करेगा और राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।
5. रजिस्ट्रीकरण खंड - राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य के भीतर के राज्यक्षेत्र को ऐसे रजिस्ट्रीकरण खण्डों में, जिन्हें वह ठीक समझे, विभक्त कर सकेगी और विभिन्न रजिस्ट्रीकरण खण्डों के लिए विभिन्न नियम विहित कर सकेगी।
6. जिला रजिस्ट्रार- (1) राज्य सरकार, प्रत्येक राजस्व जिले के लिए एक जिला रजिस्ट्रार और उतने अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी जितने वह ठीक समझे और जो जिला रजिस्ट्रार के साधारण नियंत्रण और निदेशन के अध्याधीन रहते हुए, जिला रजिस्ट्रार के ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगे जिनका निर्वहन करने के लिए जिला रजिस्ट्रार उन्हें समय-समय पर प्राधिकृत करे।
 - (2) मुख्य रजिस्ट्रार के निदेशन के अध्याधीन रहते हुए, जिला रजिस्ट्रार जिले में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण का अधीक्षण करेगा तथा इस अधिनियम के उपबंधों और मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर निकाले गए आदेशों का निष्पादन जिले में करने के लिए उत्तरदायी होगा।
7. रजिस्ट्रार-(1) राज्य सरकार नगरपालिका, पंचायत या अन्य स्थानीय अधिकारी की अधिकारिता के भीतर का क्षेत्र समाविष्ट करने वाले प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए या किसी अन्य क्षेत्र के लिए या उनमें से दो या अधिक के समुच्चय के लिए एक रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी:

परन्तु राज्य सरकार किसी नगरपालिका, पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकारी की दशा में उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्तचारी को रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

 - (2) प्रत्येक रजिस्ट्रार इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्ट्रार में धारा 8 या धारा 9 के अधीन उसे दी गई इतिला, फीस या नाम के बिना दर्ज करेगा तथा अपनी अधिकारिता के भीतर होने वाले प्रत्येक जन्म और प्रत्येक मृत्यु के विषय में स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरी सावधानी से कदम उठाएगा तथा रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित विशिष्टियों के अभिनिश्चयन और रजिस्ट्रीकरण के लिए भी कदम उठाएगा।

Registrar of Births and Deaths Act, 1969

- (3) Every Registrar shall have an office in the local area for which he is appointed.
- (4) Every Registrar shall attend his office for the purpose of registering births and deaths on such days and at such hours as the Chief Registrar may direct and shall cause to be placed in some conspicuous place on or near the outer door of the office of the Registrar a board bearing, in the local language, his name with the addition of Registrar of Births and Deaths for the local area for which he is appointed, and the days and hours of his attendance.
- (5) The Registrar may, with the prior approval of the Chief Registrar, appoint Sub-Registrars and assign to them any or all of his powers and duties in relation to specified areas within his jurisdiction.

CHAPTER III

REGISTRATION OF BIRTHS AND DEATHS

8. Persons required to register births and deaths-(1) It shall be the duty of the persons specified below to give or cause to be given, either orally or in writing, according to the best of their knowledge and belief, within such time as may be prescribed information to the Registrar of the several particulars required to be entered in the forms prescribed by the State Government under sub-section(1) of section 16,-
 - (a) in respect of births and deaths in a house, whether residential or non-residential, not being any place referred to in clauses (b) to (e), the head of the house or, in case more than one household live in the house, the head of the household, the head being the person, who is so recognized by the house of the household, and if he is not present in the house at any time during the period within which the birth or death has to be reported, the nearest relative of the head present in the house, and in the absence of any such person, the oldest adult male person present therein during the said period;
 - (b) in respect of births and deaths in a hospital, health centre, maternity or nursing home or other like institution, the medical officer in charge or any person authorised by him in this behalf;
 - (c) in respect of births and deaths in a jail, the jailor in charge;
 - (d) in respect of births and deaths in a choultry, chattram, hostel, dharmasala, boardinghouse, lodging- house, tavern , barrack, toddy shop or place of public resort, the person in charge thereof;
 - (e) in respect of any new-born child or dead body found deserted in a public place, the head man or other corresponding officer of the village in the case of a village and the officer in charge of the local police station elsewhere:
Provided that any person who finds such child or dead body, or in whose charge such child or dead body may be placed, shall notify such fact to the headman or officer aforesaid;
 - (f) in any other place, such person as may be prescribed.
 - (2) Notwithstanding anything contained in sub-section(1), the State Government, having regard to the conditions obtaining in a registration division, may by order require that for such period as may be specified in the order, any person specified by the State Government by designation in this behalf, shall give or cause to be given information regarding births and deaths in a house referred to in clause(a) of sub-section(1) instead of the persons specified in that clause.
9. **Special provision regarding births and deaths in a plantation-** In the case of births and deaths in a plantation, the superintendent of the plantation shall give or cause to be given to the Registrar the information referred to in section 8:

Provided that the persons referred to in clauses (a) to (f) of sub-section(1) of section 8 shall furnish the necessary particulars to the superintendent of the plantation.

Explanation .- In this section, the expression “plantation” means any land not less than four hectares in extent which is being prepared for the production of, or actually produces, tea, coffee, Pepper, rubber, cardamom, cinchona or such other products as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify and the expression “superintendent of the plantation” means the person having the charge or supervision of the labourers and work in the plantation, whether called a manager, superintendent or by any other name.

(धाराएं 7-9)

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

- (3) प्रत्येक रजिस्ट्रार का कार्यालय उस स्थानीय क्षेत्र में होगा जिसके लिए वह नियुक्त किया गया हो।
- (4) प्रत्येक रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए अपने कार्यालय में ऐसे दिनों और ऐसे समयों पर, जिनका मुख्य रजिस्ट्रार निदेश दे, हाजिर रहेगा और रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाहरी द्वार पर या उसके पास के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक बोर्ड लगवाएगा जिस पर उसका नाम तथा जिस स्थानीय क्षेत्र के लिए वह नियुक्त हो उसका जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रार तथा उसकी हाजिरी के दिन और घंटे स्थानीय भाषा में लिखे होंगे।
- (5) मुख्य रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन से रजिस्ट्रार अपनी अधिकारिता के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के सम्बंध में उप-रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगा और उन्हें अपनी कोई या सभी शक्तियां कर्तव्य सौंप सकेगा।

अध्याय 3

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम

8. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए अपेक्षित व्यक्ति-(1) नीचे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वे धारा 16 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित प्ररूपों में प्रविष्ट किए जाने के लिए अपेक्षित विभिन्न विशिष्टियों की इत्तिला अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, मौखिक या लिखित रूप में रजिस्ट्रार को दें या दिलवाएं,-
 - (क) खण्ड (ख) से (ङ) तक में निर्दिष्ट स्थान से भिन्न किसी घर में, चाहे वह निवासीय हो या अनिवासीय, हुए जन्म और मृत्यु की बाबत, उस घर का ऐसा मुखिया, या यदि उस घर में एक से अधिक गृहस्थियां निवास करती हों तो उस गृहस्थी का ऐसा मुखिया, जो उस घर या गृहस्थी द्वारा मान्य मुखिया हो और यदि किसी ऐसी कालावधि के दौरान, जिसमें जन्म या मृत्यु की रिपोर्ट की जानी हो, किसी समय ऐसा व्यक्ति धर में उपस्थित न हो तो मुखिया का वह निकटम संबंधी जो धर में उपस्थित हो और ऐसे किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में उक्त कालावधि के दौरान उसमें उपस्थित सबसे बड़ा वयस्थ पुरुष;
 - (ख) किसी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसूति या परिचर्या गृह या वैसी ही किसी संस्था में जन्म या मृत्यु की बाबत, वहां का भारसाधक चिकित्सक अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति;
 - (ग) जेल में जन्म या मृत्यु की बाबत, जेल का भारसाधक जेलर;
 - (घ) किसी चावड़ी, छत्र, होस्टल, धर्मशाला, भोजनालय, वासा, पांथशाला बैरक, ताड़ीखाना या लोक अभिगम स्थान में जन्म या मृत्यु की बाबत, वहां का भारसाधक व्यक्ति;
 - (ङ) लोक स्थान में अभित्यक्त पाए गए किसी नवजात शिशु या शव की बाबत, ग्राम की दशा में ग्रामीण या ग्राम का अन्य तत्स्थानी अधिकारी और अन्यत्र स्थानीय पुलिस थाने का भारसाधक आफिसर:

परन्तु कोई व्यक्ति जो ऐसे शिशु या शव को पाता है या जिसके भारसाधन में ऐसा शिशु या शव रखा जाए, वह उस तथ्य को उस ग्रामीण या पूर्वोक्त अधिकारियों को सूचित करेगा
 - (च) किसी अन्य स्थान में, ऐसा व्यक्ति जो विहित किया जाए।
- (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी रजिस्ट्रीकरण खण्ड में विद्यमान दशाओं का ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा, यह अपेक्षित कर सकेगी कि ऐसी कालावधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट घर में जन्म और मृत्यु के संबंध में इत्तिला उस खण्ड में विनिर्दिष्ट की व्यक्तियों के बजाय वह व्यक्ति देगा जो राज्य सरकार द्वारा पदनाम से इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया गया हो।
9. बागान में जन्म और मृत्यु के संबंध में विशेष उपबंध- किसी बागान में जन्म और मृत्यु की दशा में उस बागान का अधीक्षक धारा 8 में निर्दिष्ट इत्तिला रजिस्ट्रार को देगा या दिलवाएगा:

परन्तु धारा 8 उपधारा (1) के खण्ड (क) से (च) तक में निर्दिष्ट व्यक्ति उस बागान के अधीक्षक को आवश्यक विशिष्टियां देंगे।

स्पष्टीकरण- इस धारा में "बागान" पद से चार हैक्टर से अन्यून विस्तार की ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो चाय, काफी, काली मिर्च, रबड़, इलायची, सिनकोना या ऐसे अन्य उत्पादों को, जो राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, उपजाने के लिए जैयर की जा रही है या जिसमें ऐसी उपज वस्तुतः होती है तथा "बागान का अधीक्षक" पद से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो बागान के श्रमिकों या बागान के श्रमिकों या बागान के कार्य का भार या अधीक्षण रखता हो, चाहे वह प्रबंधक, अधीक्षक या किसी अन्य नाम से पुकारा जाता हो।

Registration of Births and Deaths Act, 1969

10. Duty of certain persons to notify births and deaths and to certify cause of death-(1) It shall be the duty of-
 - (i) the midwife or any other medical or health attendant at a birth or death,
 - (ii) the keeper or the owner of a place set a part for the disposal of dead bodies or any person required by a local authority to be present at such place, or
 - (iii) any other person whom the State Government may specify in this behalf by his designation, to notify every birth or death or both at which he or she attended or was present, or which occurred in such areas as may be prescribed, to the Registrar within such time and in such manner as may be prescribed.(2) In any area, the State Government, having regard to the facilities available therein in this behalf, may require that a certificate as to the cause of death shall be obtained by the Registrar from such person and in such form as may be prescribed
- (3) Where the State Government has required under sub-section (2) that a certificate as to the cause of death shall be obtained, in the event of the death of any person who, during his last illness, was attended by a medical practitioner, the medical practitioner shall, after the death of that person, forthwith, issue without charging any fee, to the person required under this Act to give information concerning the death, a certificate in the prescribed form stating to the best of his knowledge and belief the cause of death; and the certificate shall be received and delivered by such person to the Registrar at the time of giving information concerning the death as required by this Act.
11. Informant to sign the register- Every person who has orally given to the Registrar any information required under this Act shall write in the register maintained in this behalf, his name, description and place of abode, and, if he cannot write, shall put his thumb mark in the register against his name, description and place of abode, the particulars being in such a case entered by the Registrar.
12. Extracts of registration entries to be given to informant- The Registrar shall, as soon as the registration of a birth or death has been completed, give, free of charge, to the person who give information under section 8 or section 9 an extract of the prescribed particulars under his hand from the register relating to such birth or death.
13. Delayed registration of births and deaths-(1) Any birth or death of which information is given to the Registrar after the expiry of the period specified therefore, but within thirty days of its occurrence, shall be registered on payment of such late fee as may be prescribed.
- (2) Any birth or death of which delayed information is given to the Registrar after thirty days but within one year of its occurrence shall be registered only with the written permission of the prescribed authority and on payment of the prescribed fee and the production of an affidavit made before a notary public or any other officer authorised in this behalf by the State Government.
- (3) Any birth or death which has not been registered within one year of its occurrence, shall be registered only on an order made by a Magistrate of the first class or a Presidency Magistrate after verifying the correctness of the birth or death and on payment of the prescribed fee.
- (4) The provisions of this section shall be without prejudice to any action that may be taken against a person for failure on his part to register any birth or death within the time specified therefore and any such birth or death may be registered during the pendency of any such action.
14. Registration of name of child- Where the birth of any child has been registered without a name, the parent or guardian of such child shall within the prescribed period give information regarding the name of the child to the registrar either orally or in writing and thereupon the Registrar shall enter such name in the register and initial and date the entry.
15. Correction or cancellation of entry in the register of births and deaths- If it is proved to the satisfaction of the Registrar that any entry of a birth or death in any register kept by him under this Act is erroneous in form or substance, or has been fraudulently or improperly made, he may, subject to such rules as may be made by the State Government with respect to the conditions on which and the circumstances in which such entries may be corrected or cancelled, correct the error or cancel the entry by suitable entry in the margin, without any alteration of the original entry, and shall sign the marginal entry and add thereto the date of the correction or cancellation.

10. जन्म और मृत्यु की सूचना देने और मृत्यु के कारण को प्रमाणित करने का कुछ व्यक्तियों का कर्तव्य- (1) (i) जन्म और मृत्यु के समय उपस्थित दाई या किसी अन्य चिकित्सीय या स्वास्थ्य परिचारक का,
(ii) शवों के व्ययन के लिए अलग कर दिए गए किसी स्थान के प्रबंधक या स्वामी या ऐसे स्थान पर उपस्थित रहने के लिए स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किसी व्यक्ति का, अथवा
(iii) किसी अन्य व्यक्ति का, जिसे राज्य सरकार उसके पदनाम से इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे,
यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक ऐसे जन्म या मृत्यु या दोनों की, जिसमें उसने परिचर्या की हो या वह उपस्थित था, या जो ऐसे क्षेत्र में, जैसा विहित किया जाए, हुई है, सूचना रजिस्ट्रार को इतने समय के भीतर और ऐसी रीति से दे जिसे जिसे विहित किया जाए।
- (2) किसी क्षेत्र में इस निमित्त प्राप्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार यह अपेक्षा कर सकेगी कि मृत्यु के कारण का प्रमाणपत्र, ऐसे व्यक्ति से और ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, रजिस्ट्रार द्वारा अभिप्राप्त किया जाएगा।
- (3) जहां राज्य सरकार ने उपधारा (2) के अधीन यह अपेक्षा की हो कि मृत्यु के कारण का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया जाए वहां उस व्यक्ति की मृत्यु की दशा में, जो अपना अंतिम बीमारी के दौरान किसी चिकित्सा-व्यवसायी की परिचर्या में था, उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् तत्काल वह चिकित्सा-व्यवसायी कोई फीस लिए बिना ऐसे व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन किसी किसी मृत्यु से संबंध इतिला देने के लिए अपेक्षित हो, मृत्यु के कारण के बारे में, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कथन करते हुए, प्रमाणपत्र देगा, और ऐसा व्यक्ति वह प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा और इस अधिनियम की अपेक्षानुसार मृत्यु से संबंध इतिला देते समय रजिस्ट्रार को परिदत्त करेगा।
11. इतिला देने वाले का रजिस्ट्रार पर हस्ताक्षर करना-- प्रत्येक व्यक्ति, जिसने रजिस्ट्रार को इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित कोई इतिला मौखिक रूप में दी हो, इस निमित्त रखे गए रजिस्ट्रार में अपना नाम, वर्णन और निवासस्थान लिखेगा तथा यदि वह लिख नहीं सकता है तो रजिस्ट्रार में अपने नाम, वर्णन और निवास-स्थान के सामने अपना अंगुष्ठ चिन्ह लगाएगा और ऐसी दशा में वे विशिष्टियां रजिस्ट्रार द्वारा लिखी जाएंगी।
12. इतिला देने वाले को रजिस्ट्रीकरण की प्रविष्टियों के उद्धरणों का दिया जाना-- जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण पूर्ण होते ही, रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार में से उस जन्म या मृत्यु से संबंध इतिला देते समय रजिस्ट्रार को अपने हस्ताक्षर सहित उद्धरण उस व्यक्ति को मुफ्त देगा जिसने धारा 8 या धारा 9 के अधीन इतिला दी।
13. जन्म और मृत्यु का विलम्बित रजिस्ट्रीकरण-- (1) जिस जन्म या मृत्यु की इतिला तदर्थ विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पश्चात्, किन्तु उसके होने के तीस दिन के भीतर, रजिस्ट्रार को दी जाए वह ऐसी विलम्ब-फीस, जो विहित की जाए, दिए जाने पर रजिस्ट्रीकृत की जाएगी।
- (2) जिस जन्म या मृत्यु की विलम्बित इतिला उसके होने के तीस दिन के पश्चात् किन्तु एक वर्ष के भीतर, रजिस्ट्रार को दी जाए वह विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा से और विहित फीस दिए जाने तथा नोटरी पब्लिक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष शपथित शपथ-पत्र के पेश किए जाने पर ही रजिस्ट्रीकृत की जाएगी।
- (3) जो जन्म या मृत्यु, होने के एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई हो, वह उस जन्म या मृत्यु की शुद्धता का सत्यापन करने के पश्चात् प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश पर और विहित फीस दिए जाने पर ही रजिस्ट्रीकृत की जाएगी।
- (4) इस धारा के उपबंध ऐसी किसी कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेंगे जो किसी जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण उसके लिए, विनिर्दिष्ट समय के भीतर कराने में किसी व्यक्ति के असफल रहने पर उसके विरुद्ध की जा सकती हो और ऐसे किसी जन्म या मृत्यु को ऐसी किसी कार्रवाई के लम्बित रहने के दौरान रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा।
14. बालक के नाम का रजिस्ट्रीकरण-- जहां किसी बालक का जन्म नाम के बिना रजिस्ट्रीकृत किया गया हो वहां ऐसे बालक की माता या पिता या संरक्षक बालक के नाम के संबंध में इतिला, या तो मौखिक या लिखित रूप में, रजिस्ट्रार को विहित कालावधि के भीतर देगा और तब रजिस्ट्रार ऐसे नाम को रजिस्ट्रार में दर्ज करेगा और और प्रविष्टि को आद्यक्षरित करेगा और उस पर तारीख डालेगा।
15. जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार में प्रविष्टि को ठीक या रद्द करना-- यदि रजिस्ट्रार को समाधान प्रदान करने वाले रूप में यह साबित कर दिया जाए कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा रखे गए रजिस्ट्रार में जन्म या मृत्यु की कोई प्रविष्टि प्ररूपतः या सारतः गलत है अथवा कपटपूर्वक या अनुचित तौर पर की गई है तो वह ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा, ऐसी शर्तों की बाबत जिन पर और ऐसी परिस्थितियों की बाबत जिनमें ऐसी प्रविष्टियों को ठीक या रद्द किया जा सकेगा, बनाए जाएं, मूल प्रविष्टि में कोई परिवर्तन किए बिना पार्श्व में यथोचित प्रविष्टि करके उस प्रविष्टि की गलती को ठीक कर सकेगा सा उस प्रविष्टि को रद्द कर सकेगा तथा पार्श्व-प्रविष्टि पर अपने हस्ताक्षर करेगा और उसमें ठीक या रद्द करने की तारीख जोड़ देगा।

Registration of Births and Deaths Act, 1969

CHAPTER IV

MAINTENANCE OF RECORDS AND STATISTICS

16. Registrars to keep registers in the prescribed form- (1) Every Registrar shall keep in the prescribed form a register of births and deaths for the registration area or any part thereof in relation to which he exercises jurisdiction.

(2) The Chief Registrar shall cause to be printed and supplied a sufficient number of register books for making entries of births and deaths according to such forms and instructions as may, from time to time, be prescribed; and a copy of such forms in the local language shall be posted in some conspicuous place on or near the outer door of the office of every Registrar.

17. Search of births and deaths register- (1) Subject to any rules made in this behalf by the State Government, including rules relating to the payment of fees and postal charges, any person may-

(a) cause a search to be made by the Registrar for any entry in a register of births and deaths;and

(b) obtain an extract from such register relating to any birth or death:

Provided that no extract relating to any death, issued to any person, shall disclose the particulars regarding the cause of death as entered in the register.

(2) All extracts given under this section shall be certified by the Registrar or any other officer authorized by the State Government to give such extracts as provided in section 76 of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872), and shall be admissible in evidence for the purpose of proving the birth or death to which the entry relates.

18. Inspection of registration offices- The registration offices shall be inspected and the registers kept therein shall be examined in such manner and by such authority as may be specified by the District Registrar.

19. Registrars to send periodical returns to the Chief Registrar for compilation- (1) Every Registrar shall send to the Chief Registrar or to any officer specified by him, at such intervals and in such form as may be prescribed, a return regarding the entries of births and deaths in the register kept by such Registrar.

(2) The Chief Registrar shall cause the information in the returns furnished by the Registrars to be compiled and shall publish for the information of the public a statistical report on the registered births and deaths during the year at such intervals and in such form as may be prescribed.

**CHAPTER V
MISCELLANEOUS**

20. Special provision as to registration of births and deaths of citizens outside India- (1) The Registrar- General shall, subject to such rules as may be made by the Central Government in this behalf, cause to be registered information as to births and deaths of citizens of India outside India received by him under the rules relating to the registration of such citizens at Indian Consulates made under the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), and every such registration shall also be deemed to have been duly made under this Act.

(2) In the case of any child born outside India in respect of whom information has not been received as provided in sub-section(1), if the parents of the child return to India with a view to settling therein, they may, at any time within sixty days from the date of the arrival of the child in India, get the birth of the child registered under this Act in the same manner as if the child was born in India and the provisions of section 13 shall apply to the birth of such child after the expiry of the period of sixty days aforesaid.

16. विहित प्ररूप में रजिस्ट्रों का रजिस्ट्रारों द्वारा रखा जाना-- (1) प्रत्येक रजिस्ट्रार रजिस्ट्रारण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए, जिसके संबंध में वह अधिकारिता का प्रयोग करता हो, विहित प्ररूप में जन्म और मृत्यु का रजिस्टर रखेगा।
- (2) मुख्य रजिस्ट्रार ऐसे प्ररूपों और अनुदेशों के अनुसार, जो समय-समय पर विहित किए जाएं, जन्म और मृत्यु की प्रविष्टियां करने के लिए पर्याप्त संख्या में रजिस्टर छपवाएगा और प्रदाय कराएगा: तथा ऐसे प्ररूपों की स्थानीय भाषा में एक प्रति प्रत्येक रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाह्य द्वार या उसके निकट किसी सहजदृश्य स्थान पर लगाई जाएगी।
17. जन्म और मृत्यु के रजिस्टर की तलाशी--(1) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, जिनके अंतर्गत फीस और डाक-महसूल के संदाय से संबद्ध नियम भी हैं, कोई व्यक्ति--
- (क) जन्म और मृत्यु के रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की रजिस्ट्रार द्वारा तलाश करवा सकेगा: तथा
- (ख) ऐसे रजिस्टर में से किसी जन्म या मृत्यु से सम्बद्ध कोई उद्धरण अभिप्राप्त कर सकेगा:
- परन्तु किसी व्यक्ति को दिया गया मृत्यु संबंधी कोई उद्धरण, मृत्यु का रजिस्टर में प्रविष्ट कारण प्रकट नहीं करेगा।
- (2) इस धारा के अधीन दिए गए सभी उद्धरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 76 के उपबन्धों के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा या किसी अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे ऐसे उद्धरण देने के लिए राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो, प्रमाणित किए जाएंगे और उस जन्म या मृत्यु को जिससे वह प्रविष्टि संबद्ध हो, साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य में ग्राह्य होंगे।
18. रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों का निरीक्षण-- रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों का निरीक्षण और उनमें रखे गए रजिस्ट्रों की परीक्षा ऐसी रीति से, और ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसे जिला रजिस्ट्रार विनिर्दिष्ट करे, किया जाएगा।
19. कालिक विवरणियों का रजिस्ट्रारों द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार को संकलन के लिए भेजा जाना-- (1) प्रत्येक रजिस्ट्रार मुख्य रजिस्ट्रार को या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी को ऐसे अन्तरालों पर और ऐसे प्ररूप में, जो विहित किए जाएं, उस रजिस्ट्रार द्वारा रखे गए रजिस्टर की जन्म और मृत्यु की प्रविष्टियों के बारे में एक विवरणी भेजेगा।
- (2) मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार द्वारा विवरणियों में दी गई इतिला का संकलन कराएगा और वर्ष के दौरान रजिस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु की सांख्यिकीय रिपोर्ट ऐसे अन्तरालों पर और ऐसे प्ररूप में, जो विहित किए जाएं, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित करेगा।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

20. भारत से बाहर नागरिकों के जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के बारे में विशेष उपबंध-- (1) उन नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, महारजिस्ट्रार भारत के नागरिकों के भारत से बाहर जन्म और मृत्यु विषयक ऐसी इतिला रजिस्ट्रीकृत कराएगा जो उसे नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) के अधीन बनाए गए और भारतीय कौंसल कार्यालयों में ऐसे नागरिकों के रजिस्ट्रीकरण संबंधी नियमों के अधीन प्राप्त हो और प्रत्येक ऐसा रजिस्ट्रीकरण भी इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप में किया गया समझा जाएगा।
- (2) भारत से बाहर जन्मे ऐसे बालक की दशा में, जिसकी बाबत उपधारा (1) में यथा उपबंधित इतिला प्राप्त न हुई हो, यदि बालक के माता-पिता भारत में बसने की दृष्टि से भारत वापस आए तो वे बालक के भारत पहुंचने की तारीख से साठ दिन के भीतर किसी भी समय, बालक का जन्म इस अधिनियम के अधीन उसी रीति से रजिस्ट्रीकृत कर सकेंगे मानो बालक का जन्म भारत में हुआ था और धारा 13 के उपबंध ऐसे बालक के जन्म को पूर्वोक्त साठ दिन की कालावधि के अवसान के पश्चात् लागू होंगे।

Registration of Births and deaths Act, 1969

21. **Power of Registrar to obtain information regarding birth or death-** The Registrar may either orally or in writing require any person to furnish any information within his knowledge in connection with a birth or death in the locality within which such person resides and that person shall be bound to comply with such requisition.

22. **Power to give direction-** The Central Government may give such direction to any State Government as may appear to be necessary for carrying into execution in the State any of the provisions of this Act or of any rule or order made thereunder.

23. **Penalties-** (1) Any person who-

(a) fails without reasonable cause to give any information which it is his duty to give under any of the provisions of sections 8 and 9 ; or

(b) gives or causes to be given for the purpose of being inserted in any register of births and deaths, any information which he knows or believes to be false regarding any of the particulars required to be known and registered; or

(c) refuses to write his name, description and place of abode or to put his thumb mark in the register as required by section 11, shall be punishable with fine which may extend to fifty rupees.

(2) Any Registrar or Sub-Registrar who neglects or refuses, without reasonable cause, to register any birth or death occurring in his jurisdiction or to submit any return as required by sub-section(1) of section 19 shall be punishable with fine which may extend to fifty rupees.

(3) Any medical practitioner who neglects or refuses to issue a certificate under sub-section (3) of section 10 and any person who neglects or refuses to deliver such certificate shall be punishable with fine which may extend to fifty rupees.

(4) Any person who, without reasonable cause, contravenes any provision of this Act for the contravention of which no penalty is provided for in this section shall be punishable with fine which may extend to ten rupees.

(5) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898) an offence under this section shall be tried summarily by a Magistrate.

24. **Power to compound offences –** (1) Subject to such conditions as may be prescribed, any officer authorized by the Chief Registrar by a general or special order in this behalf may, either before or after the institution of criminal proceedings under this Act, accept from the person who has committed or is reasonably suspected of having committed an offence under this Act, by way of composition of such offence a sum of money not exceeding fifty rupees.

(2) On the payment of such sum of money, such person shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him in respect of such offence.

25. **Sanction for prosecution-** No prosecution for an offence punishable under this Act shall be instituted except by an officer authorised by the Chief Registrar by general or special order in this behalf.

26. **Registrars and Sub-Registrars to be deemed public servants-** All Registrars and Sub-Registrars shall, while acting or purporting to act in pursuance of the provisions of this Act or any rule or order made thereunder be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860) .

27. **Delegation of powers –** The State Government may, by notification in the Official Gazette direct that any power exercisable by it under this Act (except the power to make rules under section 30) or the rules made thereunder shall, subject to such conditions, if any, as may be specified in the direction be exercisable also by such officer or authority subordinate to the State Government as may be specified in the direction.

28. **Protection of action taken in good faith-** (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government, the Registrar-General, any Registrar, or any person exercising any power or performing any duty under this Act for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule or order made thereunder.

(धाराएं 21--28) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

21. जन्म या मृत्यु के संबंध में इतिला अभिप्राप्त करने की रजिस्ट्रार की शक्ति -- रजिस्ट्रार किसी व्यक्ति से, या तो मौखिक या लिखित रूप से, यह अपेक्षा कर सकेगा कि जिस परिक्षेत्र में वह व्यक्ति निवास करता है उसमें हुए जन्म या मृत्यु संबंधी कोई इतिला जो उसे है, वह उसे दे और वह व्यक्ति ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा।

22. निदेश देने की शक्ति-- केन्द्रीय सरकार किसी राज्य सरकार को ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के या तदधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के उपबंधों में से किसी का उस राज्य में निष्पादन करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

23. शास्तियां-- (1) कोई व्यक्ति जो--

(क) धारा 8 और 9 के किन्हीं उपबंधों के अधीन ऐसी इतिला, जिसे देना उसका कर्तव्य है, देने में युक्तियुक्त कारण के बिना असफल रहेगा: अथवा

(ख) जन्म और मृत्यु के किसी रजिस्ट्रार में लिख जाने के प्रयोजन से कोई ऐसी इतिला देगा या दिलवाएगा जिसे वह जानता है या विश्वास करता है कि वह उन विशिष्टियों में से किसी के बारे में मिथ्या है जिन्हें जानना और जिनका रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित है: अथवा

(ग) धारा 11 द्वारा अपेक्षित रूप से रजिस्ट्रार में अपना नाम, वर्णन और निवास-स्थान लिखने या अपना अंगुष्ठ-चिन्ह लगाने से इन्कार करेगा, वह जुमनि से, जो पचास रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) कोई रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार जो अपनी अधिकारिता में होने वाले किसी जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण में या धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित विवरणियों भेजने में उपेक्षा इन्कार युक्तियुक्त कारण के बिना करेगा वह जुमनि से जो पचास रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) कोई चिकित्सा-व्यवसायी, जो धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन प्रमाणपत्र देने में उपेक्षा या उससे इन्कार करेगा और कोई व्यक्ति जो ऐसा प्रमाण-पत्र परिदत्त करने में उपेक्षा या उससे इन्कार करेगा वह जुमनि से, जो पचास रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(4) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के किसी ऐसे उपबंध का, युक्तियुक्त कारण के बिना, उल्लंघन करेगा, जिसके उल्लंघन के लिए इस धारा में किसी शास्ति का उपबंध नहीं है, वह जुमनि से, जो दस रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन अपराध का विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपतः किया जाएगा।

24. अपराधों के प्रशमन की शक्ति -- (1) ऐसी शर्तों के अध्वधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किन्हीं दाण्डिक कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात्, किसी व्यक्ति से, जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया हो या जिस पर अपराध करने का युक्तियुक्त संदेह हो, उस अपराध के प्रशमन के तौर पर पचपस रूपए से अनधिक धनराशि प्रतिगृहित कर सकेगा।

(2) ऐसी धनराशि दे देने पर वह व्यक्ति उन्मोचित कर दिया जाएगा और ऐसे अपराध की बाबत उसके विरुद्ध कोई आगे कार्यवाही नहीं की जाएगी।

25. अभियोजन के लिए मंजूरी-इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन, मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही संस्थित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

26. रजिस्ट्रारों और उप-रजिस्ट्रार का लोक सेवक समझा जाना- सभी रजिस्ट्रार और उपरजिस्ट्रार, जब वे इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के उपबंधों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करते तात्पर्यित हों, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे।

27. शक्तियों का प्रत्यायोजन- राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति (जो धारा 30 के अधीन नियम बनाने की शक्ति से भिन्न हो) ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, जो निदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, अध्वधीन रहते हुए, राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी, जो निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रयोक्तव्य होंगी।

28. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए परित्राण:- इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी त्राद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार के, महारजिस्ट्रार के, किसी रजिस्ट्रार के, या किसी अन्य व्यक्ति के, जो इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कर्तव्य का पालन कर रहा हो, विरुद्ध न होगी।

Registration of Births and Deaths Act, 1969

(2) No suit or other legal proceeding shall be against the Government for any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule or order made thereunder.

29. Act not to be in derogation of Act 6 of 1886-Nothing in this Act shall be constructed to be in derogation of the provisions of the Births, Deaths and Marriages Registration Act, 1886,

30. Power to make rules-(1) The State Government may, with the approval of the Central Government, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In Particular, and without prejudice to the generality of the foregoing provision, such rules may provide for-

- (a) the forms of registers of births and deaths required to be kept under this Act;
- (b) the period within which and the form and the manner in which information should be given to the Registrar under section 8.
- (c) the period within which and the manner in which births and deaths shall be notified under sub-section(1) of section 10.
- (d) the person from whom and the form in which a certificate as to cause of death shall be obtained;
- (e) the particulars of which extract may be given under section 12.
- (f) the authority which may grant permission for registration of a birth and death under sub-section (2) of section 13 .
- (g) the fees payable for registration made under section 13.
- (h) the submission of reports by the Chief Registrar under sub-section (4) of section 4;
- (i) the search of birth and death registers and the fees payable for such search and for the grant of extracts from the registers;
- (j) the forms in which and the intervals at which the returns and the statistical report under section 19 shall be furnished and published.
- (k) the custody, production and transfer of the registers and other records kept by Registrars;
- (l) the correction of errors and the cancellation of entries in the register of births and deaths;
- (m) any other matter which has to be, or may be, prescribed.

[(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislature.]

31. Repeal and saving- (1) Subject to the provisions of section 29, as from the coming into force of this Act in any State or part thereof, so much of any law in force therein as relates to the matters covered by this Act shall stand repealed in such State or part, as the case may be.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken (including any instruction or direction issued, any regulation or rule or order made) under any such law shall, in so far as such thing or action is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken under the provisions aforesaid, as if they were in force when such thing was done or such action was taken, and shall continue in force accordingly until superseded by anything done or any action taken under this Act.

32. Power to remove difficulty- If any difficulty arises in giving effect in a State to the provisions of this Act in their application to any area, the State Government may, with the approval of the Central Government, by order make such provisions or give such directions not inconsistent with the provisions of this Act as appears to the State Government to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no order shall be made under this section in relation to any area in a State after the expiration of two years from the date on which this Act comes into force in that area.

1. Ins. By Act 4 of 1986, s. 2 and Schedule (w.e.f.15-5-1986).

(धारा 28--32)

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

2. कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या की जाने लिए आशयित किसी बात से हुए या होने से संभाव्य किसी नुकसान के लिए सरकार के विरुद्ध नहीं होगी।

29. इस अधिनियम का 1886 के अधिनियम संख्यांक 6 के अल्पीकरण में न होना- इस अधिनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1886 के उपबंधों के अल्पीकरण में है।

30. नियम बनाने की शक्ति-(1) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्ट: और पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे-

(क) इस अधिनियम के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रों के प्ररूप:-

(ख) वह कालावधि जिसके भीतर तथा वह प्ररूप और रीति जिसमें रजिस्ट्रार की धारा 8 के अधीन इतिला दी जानी चाहिए-

(ग) वह कालावधि जिसके भीतर और वह रीति जिससे धारा 10 की उपधारा (1)के अधीन जन्म और मृत्यु की सूचना दी जाएगी।

(घ) वह व्यक्ति जिससे और वह प्ररूप जिसमें मृत्यु के कारण का प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त किया जाएगा।

(ङ) वे विशिष्टियाँ जिनका उद्धरण धारा 12 के अधीन दिया जा सकेगा

(च) वह प्राधिकारी जो धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण की अनुज्ञा दे सकेगा;

(छ) धारा 13 के अधीन किए गए रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय फीस:-

(ज) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा रिपोर्टों का प्रस्तुत किया जाना;

(झ) जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रों की तलाशी और ऐसी तलाशी के लिए तथा रजिस्ट्रों में से उद्धरण दिए जाने के लिए फीस;

(ञ) वे प्ररूप जिनमें और वे अन्तराल जिन पर विवरणियाँ और सांख्यिकीय रिपोर्ट धारा 1 के अधीन दी और प्रकाशित की जाएगी।

(ट) रजिस्ट्रारों द्वारा रखे जाने वाले रजिस्ट्रों और अन्य अभिलेखों की अभिरक्षा, उनका पेश किया जाना और अन्तरण;

(ठ) जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्र में गलतियों ठीक करना और उनकी प्रविष्टियों को रद्द करना;

(ड) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाय।

[(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।]

31. निरसन और व्यावृत्ति-(1) धारा 29 के उपबंधों के अद्यधीन रहते हुए यह है कि किसी राज्य या उसके भाग में प्रवृत्त विधि का उतना अंश, जितने का संबंध इस अधिनियम के अन्तर्गत विषयों से है, उस राज्य या भाग के इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय से, यथास्थिति, उस राज्य या भाग में निरसित हो जाएगा।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, ऐसी किसी विधि के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई (जिसके अन्तर्गत, निकाला गया कोई अनुदेश या निदेश, बनाया गया कोई विनियम या नियम या किया गया कोई आदेश भी है), जहाँ तक ऐसी बात या कार्रवाई इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, पूर्वोक्त उपबंधों के अधीन ऐसे की गई समझी जाएगी मानो वे उस समय प्रवृत्त थे जब या कार्रवाई की गई थी और तदनुसार तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक वह इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा अतिष्ठित न कर दी जाय।

32. कठिनाई दूर करने की शक्ति-यदि इस अधिनियम के उपबंधों को किसी राज्य में प्रभावशील करने में कोई कठिनाई, उनके किसी क्षेत्र में लागू करने में अदभूत होती है तो केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, आदेश द्वारा, राज्य सरकार ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निर्देश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और उस कठिनाई को दूर करने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों-

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश किसी राज्य के किसी क्षेत्र के संबंध में उस तारीख से, जब यह अधिनियम उस क्षेत्र में प्रवृत्त हो, दो वर्ष के अवसान के पश्चात नहीं किया जाएगा।

1. 1986 के अधिनियम सं 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-5-1987 से) अंतःस्थापित ।

Registration of Births and Deaths Act, 1969

ENFORCEMENT OF ACT

1. This Act came into force in the following areas w.e.f. 1-4-1970: vide Notification No. G.S.R. 514, dated 21-3-1970 Gazette of India, Extraordinary, Pt. 11, Sec. 3(i), p. 377:-

(1) The whole State of Assam except:-

(i) the district of United Khasi & Jaintia Hills excluding the areas comprised within the limits of_____

(a) Municipality of Shillong:

(b) Cantonment of Shillong:

(ii) the entire district of Garo Hills:

(iii) the entire district of United Mikir and North Cachar Hills:

(iv) the entire district of Mizo Hills:

(2) The whole of the State of West Bengal except:-

(i) the area comprised within the limits of the Corporation of Calcutta:

(ii) the area comprised within the limits of Howrah Municipality:

(iii) Fort William: and

(iv) the area comprised within the limits of the cantonments of Barrack pore. Lebong and Jalapahar.

2. The act came into force in the whole of the following States and Union territories w.e.f. 1-4-1970; vide Notification No. G.S.R. 461, dated 7-3-1970, Gazette of India, Pt. 11, Sec. 3(i) , P, 966:-

STATE

1. Andhra Pradesh	8. Mysore
2. Bihar	9. Orissa
3. Gujarat	10. Punjab
4. Haryana	11. Rajasthan
5. Kerala	12. Tamil Nadu
6. Madya Pradesh	13. Uttar Pradesh
7. Maharashtra	

UNION TERRITORIES

1. Chandigarh

3. Himachal Pradesh

2. Dadra and Nagar Haveli

4. Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands

3 The Act came into force in the whole of the Union territory of Delhi w.e.f. 1-7-1970; vide Notification No. G.S.R. 973 dated 26-6-1970, Gazette of India, Extraordinary, Pt. 11, sec. 3(i). p.585.

4. The Act came into force in the following areas in the State of Jammu and Kashmir w.e.f. 1-10-1970; vide Notification No. G.S.R. 1718, dated 22-9-1970, Gazette of India, Extraordinary, Pt. 11, sec. 3(i). p.727.

1. The area comprised within the jurisdiction of the police station of Ramnagar in Udhampur district.

2. The area comprised within the jurisdiction of the police station of Kupwara in Baramulla district.

3. The area comprised within the limits of Municipalities of Jammu and Srinagar.

4. The area comprised within the limits of Town Area Committees of Anantnag, Kathua and Leh.

5. The Act was extended to the State of Sikkim w.e.f. 13-9-76; vide Notification No. S.O. 3465, dated 21-9-1976.

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

अधिनियम का लागू होना

यह अधिनियम निम्नलिखित क्षेत्रों में 1-4-1970 प्रवृत्त हुआ; देखिए अधिसूचना सं० साधारण कानूनी नियम 514, तारीख 21-3-1970 भारत का राजपत्र(अंग्रेजी), असाधारण, भाग-2, अनुभाग-3(i), पृष्ठ 377

1. निम्नलिखित के सिवाय सम्पूर्ण आसाम राज्य में-

बसंयुक्त खासी-जयंतीया पहाड़ी जिला, किन्तु

(क) शिलांग नगरपालिका में समाविष्ट क्षेत्रों की सीमाओं को छोड़कर;

(ख) शिलांग छावनी में समाविष्ट क्षेत्रों की सीमाओं को छोड़कर;

(ii) सम्पूर्ण गारी पहाड़ी जिला;

(iii)संपूर्ण संयुक्त मिकिर तथा उत्तरी कछार पहाड़ी जिले;

(iv)संपूर्ण मिजो पहाड़ी जिले।

(2)निम्नलिखित के सिवाय सम्पूर्ण पश्चिमी बंगाल में:-

(i)कलकत्ता निगम में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाओं को छोड़कर;

(ii)हवड़ा नगरपालिका में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाओं को छोड़कर;

(iii)फोर्ट विलियम; और

(iv)वैरक,लेवांग और जब पहाड़ छावनियों में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाओं को छोड़कर;

2. यह अधिनियम निम्नलिखित राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के संपूर्ण भाग में 1.4.1970 से प्रवृत्त हुआ; देखिए अधिसूचना सं० साधारण कानूनी नियम 461, तारीख 7.3.1970, भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), असाधारण, भाग-2, अनुभाग-3 (i), पृष्ठ 966

राज्य

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. आंध्र प्रदेश | 8. मैसूर |
| 2. बिहार | 9. उड़ीसा |
| 3. गुजरात | 10. पंजाब |
| 4. हरियाणा | 11. राजस्थान |
| 5. केरल | 12. तमिलनाडु |
| 6. मध्य प्रदेश | 13. उत्तर प्रदेश |
| 7. महाराष्ट्र | |

संघ राज्य क्षेत्र

- | | |
|------------------------|--|
| 1. चण्डीगढ़ | 3. हिमाचल प्रदेश |
| 2. दादरा और नागर हवेली | 4.लक्काद्वीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप। |

3. यह अधिनियम संपूर्ण दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में 1.7.1970 से प्रवृत्त हुआ; देखिए अधिसूचना सं० साधारण कानूनी नियम 973, तारीख 26.6.1970 भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), असाधारण, भाग-2, अनुभाग-3(i), पृष्ठ 585।

4. यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर राज्य में 1.10.1970 से निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त हुआ; देखिए अधिसूचना सं० साधारण कानूनी नियम 1718 तारीख 22.9.1970 भारत का राजपत्र(अंग्रेजी), असाधारण, भाग-2, अनुभाग-3(i), पृष्ठ 727;

1. उधमपुर जिले में रामनगर पुलिस स्टेशन की अधिकारिता में समाविष्ट क्षेत्र।
2. बारामूला जिले में कूपवाड़ा पुलिस स्टेशन की अधिकारिता में समाविष्ट क्षेत्र।
3. जम्मू और श्रीनगर नगरपालिका में समाविष्ट क्षेत्रों की सीमाओं में।
4. अनतनाग, कथुआ और लेह को शहरी क्षेत्र समितियों में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाओं में।
5. इस अधिनियम का विस्तार 13.9.76 से सिक्किम राज्य पर किया गया।

देखिये अधिसूचना सं० कानूनी आदेश 3465,तारिख-21-9-76. ।

गोद लेने वाले बच्चों को रजिस्ट्रीकरण के संबंध में भारत सरकार का
स्पष्टीकरण।

तार : 'जनगणना'
Telegram: "REGGENLIND"
E-mail- rgcvs@rgi.satyam.net.in

सं०/No.1/2/88-Vs(Cord.)

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS/GRIH MANTRALAYA

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खंड-1, रामकृष्णपुरम,

VITAL STATISTICS DIVISION, WEST BLOCK-1, R.K. PURAM,

नई दिल्ली, दिनांक.....

NEW DELHI, the July 14, 1999

To,

The Chief Registrar of Birth&Deaths and
Director of Statistics& Evaluation, Bihar,
Old Secretariat, Barrack No.17,
Patna-800015

Sub: Registration of birth of children taken on adoption.

Sir,

The matter relating to registration and issuance of birth certificates with the mane of adoptive parents in respect of children taken on adoption has been under consideration of this office for quite some time now. This problem was being increasingly posed from different quarters and was beginning to assume greater dimensions. The Supreme Court in its judgment dated 14.8.91 in the CMP NO.5704 and 8842 of 1990 in the writ Petition N0. 1171 of 1982- L.K. Pandey vs Union of India has also clearly recognized the need for issuing birth certificate to adopted children showing the name of the adoptive parents.

2. In pursuance to the Supreme Court judgments during 1984 to 1986 in the Writ Petition mentioned above, the Govt. of India in July, 1989 issued certain guidelines to facilitate the implementation of the norms, principles and procedures relating to adoption of children. Subsequent to a number of clarifactory judgments on the same case delivered by the Supreme Court between 1989 to 1991, the Govt. constituted a Task Force under the Chairmanship of Justice (Retd.) P.N. Bhagawati, former Chief Justice of India to revise the earlier guidelines. The report of the Task Force which was submitted in August, 1993 has been accepted by the Govt. and a Revised Guidelines for adoption of Indian Children has been issued for information, which inter-alia includes a set of specific procedures for registration of births of adopted children and issuance of birth certificate thereof. The salient features of the guidelines are given below:

- i) An application is to be made by the agency to the local Magistrate alongwith any other relevant materil in form of an affidavit made responsible person belonging to the agency.

- ii) The Magistrate is to pass an order approving the particulars to be entered in the birth certificate and same is to be issued by the registrar of the area where the child was found.
 - iii) The chief Medical Officer of the district is to be involved in ascertaining the age and the Magistrate would ordinarily act on the certificate granted by him.
 - iv) Normally, the process should be initiated before the adoption is finalised, so that the particulars of adoptive parents are available for inclusion in the certificate.
 - v) If the child has attained three years of age and adoption has not been finalised, the agency is to obtain a birth certificate, if found necessary, after informing the court in the form of an affidavit giving the following details:
 - a) that to the best of its knowledge the child has attained the age of three years;
 - b) that his/her adoption has not been finalised and is likely to take some time or may never be finalised in all probability.
 - c) that a certificate is required for educational/medical/legal purposes or any other reasonable purpose which may be specified; and
 - d) that person/persons would stand in as local parents to the child (this person/these persons should be a responsible person/responsible persons belonging to the placement agency) till such time as he/she attains majority, or is adopted, whichever is earlier.
 - vi) A second birth certificate is to be issued after adoption to provide for a change in name/names of the child and the adoptive parent/parents after obtaining an order to that effect from the court which had passed order for issuing the original birth certificate.
3. It has been decided to accept in full the procedure as laid down in the above mentioned guidelines. The only area that needs further amplification in the procedures, relates to the ascertainment of age of the child. Although, under the guidelines, the CMO is to be involved in ascertainment of age and Magistrate is to act on the certificate granted by CMO, it would be necessary to decide on the exact date of birth as mere mention of age in completed years or even years and months would not be sufficient. Therefore, on the certificate granted by the CMO, the Magistrate should also arrive at a date of birth of the child while approving and ordering the other particulars to be entered in the certificate.

Relevant extract from Revised Guidelines for Adoption of Indian Children, 1995- Ministry of Welfare, Government of India.

Birth Certificate

- 4.18 Every child must have a birth certificate. For issuing a birth certificate in respect of an abandoned or destitute child, the registration of whose birth is not available, the agency concerned must make an application to the local Magistrate alongwith any other material which the agency considers relevant in the form of an affidavit made by a responsible person belonging to the agency. The local magistrate will then pass an order approving the particulars to be entered in the birth certificate and on the basis of the magisterial order, the requisite certificate will be issued by the local birth

certificate issuing authority of the city/town/area where the child has been found. The Chief Medical Officer of the district may be involved in the enquiry for ascertaining age. The Magistrate would ordinarily act on the certificate granted by the Chief Medical officer. This process would be initiated only after the adoption is finalised, so that the particulars of the adoptive parents are available for inclusion in the certificate. In case the child has attained the age of three, and the adoption has still not been finalised the agency may obtain a birth certificate, if it is found necessary, after informing the court in the form of an affidavit.

- (a) that to the best of its knowledge the child has attained the age of three years;
- (b) that his/her adoption has not been finalized and is likely to take some time or may never be finalised in all probability.
- (c) that a certificate is required for educational/medical/legal purpose or any other reasonable purpose which may be specified; and
- (d) that person/persons would stand in as local parents to the child (this person/these persons should be a responsible person/responsible persons belonging to the placement agency) till such time as he/she attains majority, or is adopted, whichever is earlier.

In such cases a second birth certificate may be issued after adoption to provide for a change in the name/names of the child and the adoptive parent/parents after obtaining an order to that effect from the court which had passed order for issuing the original birth certificate.

4. It may, however, be noted that the said guidelines pertain to only those children who are sponsored for adoption by the orphanages, child welfare agencies and other like agencies. There are large number of adoptions that take place outside these institutional arrangements, for example children taken on adoption from relatives or friends. It has been decided to extend the benefit to such children also. As formal adoptions of such nature are prevalent mostly in urban areas, it is more than likely that births of these children would have been registered and birth certificates issued. In such cases, it would be sufficient if the Magistrate having jurisdiction over the area passes an order approving the particulars of the adoptive parents to be entered/alterd in the birth register/certificate and also pass an order for issuing a second birth certificate. If incase, the birth has not been registered the Magistrate passing the order for issuing a second birth certificate. If in case, the birth has not been registered the Magistrate passing the order has to determine the exact date of birth, which he can do on the basis of relevant proof or declaration from the natural parents and in their absence, on the basis of the certificate granted by the Chief Medical Office.
5. The Registrar, as he does in case of other court order , has to make an entry in the 'remarks' Column giving details of the court order (including date) while entering or correcting as per the particulars approved by the Magistrate.
6. If the birth is being registered after the normal reporting period all the procedures laid down under Section 13 of the RBD Act, 1969, have to be strictly followed.
7. You are now requested to bring this to the notice of all the registration functionaries down the hierarchy right upto the level of the local registrar. This may also be circulated to all agencies in your state that sponsor adoption of

children. It has also to be ensured that the local Magistrates who would be passing the orders in this regard are made aware of the procedure laid down under the guidelines through appropriate channels.

A copy of the instruction issued in this regard may be forwarded to this office by 7.8.99.

Yours faithfully,

(R.G. Mitra)

Deputy Registrar General.

बिहार जन्म-मृत्यु नियमावली, १९९९।

पेज नं०-२७४ से.....

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

१९ आषाढ १९२२ (श०)

(सं० पटना, २४१)

पटना, सोमवार, १० जुलाई, २०००

योजना एवं विकास विभाग
(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

अधिसूचना

३ मार्च, २०००

बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, १९९९

सं०-४९२ जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९६९ (१८, १९६९) की धारा ३० द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार के अनुमोदन से बिहार की राज्य सरकार एतद द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाती है यथा-

१. संक्षिप्त नाम--(i) यह नियमावली बिहार जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, १९९९ कहलायगी ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(iii) यह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ०२ जनवरी, २००० से प्रवृत्ति होगी ।

(iv) यह नियमावली बिहार जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, १९७०

और उसमें समय-समय पर बाद में किये गये संशोधन को प्रतिस्थापित करेगी।

२. परिभाषाएँ-इस नियमावली में जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९६९

(ख) फारम से अभिप्रेत है, इस नियमावली से संलग्न फारम, और

(ग) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा।

३. गर्भावधि-धारा २ की उप-धारा (१) के खंड (छ) के प्रयोजनार्थ गर्भावधि २८ (अट्टाईस) सप्ताह की होगी।

४. धारा ४(४) के अधीन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना-धारा ४ की उप-धारा (४) के अधीन हरेक वर्ष के लिए प्रतिवेदन इस नियमावली के साथ संलग्न विहित फारम में तैयार किया जाएगा और वह धारा १९ के उप-धारा (२) में निर्दिष्ट सांख्यिकी प्रतिवेदन के साथ उस वर्ष, जिससे यह प्रतिवेदन संबंधित हो, के पश्चात्तर्वर्ती वर्ष की ३१ जुलाई तक, मुख्य रजिस्टार द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

जन्म और मृत्यु की सूचना देने के लिए फारम आदि:-

(1) रजिस्टर को जन्म, मृत्यु और मृत-जन्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए यथास्थिति, धारा-8 या धारा-9 के अधीन दी जानेवाली अपेक्षित सूचना क्रमशः फारम-1,2 और 3, जिन्हें इससे आगे सामूहिक रूप में प्रतिवेदन-फारम कहा जायेगा, में दी जाएगी। यदि सूचना मौखिक रूप में दी जाती हो, तो रजिस्टर द्वारा उपयुक्त प्रतिवेदनों फारमों में उसकी प्रविष्टि की जायेगी और सूचना देने वाले का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान प्राप्त कर लिया जायेगा।

(2) प्रतिवेदन फारम की विधिक सूचना भाग विधिक भाग कहलायेगा और सांख्यिकीय सूचना वाला भाग “सांख्यिकी भाग” कहलायेगा।

(3) उपनियम-(1) में विनिर्दिष्ट सूचना जन्म, मृत्यु की तारीख से 21 (इक्कीस) दिन के भीतर दी जायेगी।

3.यान में जन्म मृत्यु:-

(1) यदि किसी गतिमान यान में कोई जन्म या मृत्यु होती हो तो यान का प्रभारी व्यक्ति धारा-8 की उपधारा-1 के अधीन प्रथम विराम-स्थान पर उसकी सूचना देगा या दिलवायेगा।

स्पष्टीकरण:-इस नियम के प्रयोजनार्थ ‘यान’ शब्द से अभिप्रेत है भूमि, वायु या जल पर प्रयुक्त होनेवाली किसी भी प्रकार की सवारी और इसके अन्तर्गत कोई वायुयान, नाव, पोत, रेलवाहन, मोटरकार, मोटर साईकिल, गाड़ी, तौंगा और रिक्सा भी सम्मिलित है।

(2) ऐसी मृत्यु की दशा में जो धारा-8 के की उपधारा-1 के खण्ड-(क) से (ङ) के अन्तर्गत नहीं आती हो और जिसमें मृत्यु की जाँच पड़ताल की गई हो तो जिस पदाधिकारी ने जाँच-पड़ताल की हो वह धारा-8 की उपधारा-1 के अधीन इसकी सूचना देगा या दिलवायेगा।

7. धारा-10(3) के अधीन प्रमाण-पत्र का फारम:-

मृत्यु के कारण के संबंध में धारा-10 की उपधारा-(3) के अधीन अपेक्षित प्रमाण-पत्र फारम-4 या 4(क) में जारी किया जायेगा और रजिस्टर मृत्यु के रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियाँ करने के पश्चात उस माह के ऐसे सभी प्रमाण-पत्र, जिससे प्रमाण-पत्र सम्बन्धित हो, के ठीक अगले माह की 10 तारीख तक मुख्य रजिस्टर को या उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पदाधिकारी को अग्रेषित करेगा।

8. धारा-12 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की प्रविष्टियों के उद्धरणों का दिया जाना

(1) सूचना देनेवाले व्यक्ति को जन्म और मृत्यु से सम्बन्धित रजिस्टर से धारा-12 के अधीन दिये जानेवाले प्रविष्टियों के उद्धरण, यथास्थिति, फारम संख्या-5 या फारम संख्या-6 में होंगे।

(2) धारा-8 की उपधारा-(1) के खण्ड-‘क’ में निर्दिष्ट घर में होनेवाले जन्म और मृत्यु की घटनाएँ जिनकी जानकारी रजिस्टर (जन्म और मृत्यु) का सीधे भेजी जाती है, की दशा में यथास्थिति घर अथवा परिवार का मुखिया जैसा भी मामला हो अथवा उसकी अनुपस्थिति में घर में उपस्थित घर के मुखिया का कोई निकटतम रिश्तेदार जन्म या मृत्यु से सम्बन्धित उद्धरण, उसकी सूचना दिये जाने के 30(तीस) दिन के भीतर रजिस्टर से प्राप्त कर सकेगा।

(3) धारा-8 की उपधारा-1 के खण्ड-‘क’ में निर्दिष्ट घर में होनेवाले जन्म और मृत्यु, जिनकी जानकारी उक्त धारा की उपधारा-2 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा की जाती हो, की दशा में इस प्रकार विनिर्दिष्ट व्यक्ति रजिस्टर (जन्म और मृत्यु) से प्राप्त उद्धरण, यथास्थिति, सम्बद्ध घर अथवा परिवार के मुखिया को अथवा उसकी अनुपस्थिति में घर में उपस्थित मुखिया के किसी निकटतम रिश्तेदार को रजिस्टर द्वारा उद्धरण जारी करने की 30 (तीस) दिन के भीतर देगा।

(4) धारा-8 की उपधारा-1 के खण्ड-(ख) से (ङ) में विनिर्दिष्ट संस्थागत जन्म-मृत्यु की दशा में नवजात शिशु अथवा मृतक का नजदीकी रिश्तेदार सम्बन्धित संस्थान के अधिकारी अथवा

प्रभारी व्यक्ति से जन्म अथवा मृत्यु की घटने के 30(तीस) दिन के भीतर उद्धरण प्राप्त कर सकेगा।

(5) यदि उप नियम(2) से (4) में यथा निर्देशित संबंधित व्यक्ति द्वारा नियत अवधि तक जन्म अथवा मृत्यु के उद्धरण प्राप्त नहीं किये जाये तो रजिस्ट्रार अथवा उप नियम-4 में यथा उल्लिखित सम्बन्धित संस्थान के अधिकारी अथवा प्रभारी व्यक्ति उपर्युक्त अवधि के समाप्त होने के 15 (पन्द्रह) दिन के भीतर संबंधित परिवार को डाक से उद्धरण भेज देगा।

9. विलम्बित रजिस्ट्रीकरण का प्राधिकारी और उसके लिए देय फीस:-

(1) ऐसे किसी जन्म या मृत्यु की सूचना, नियम-5 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात किन्तु जन्म या मृत्यु की तारीख से 30(तीस) दिन के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाती है, तो उसका रजिस्ट्रीकरण 2/(दो)-रुपये विलम्बित फीस के भुगतान करने पर किया जायेगा।

(2) ऐसे किसी जन्म या मृत्यु की सूचना रजिस्ट्रार को, उसके होने के 30 (तीस)दिनों के पश्चात् परन्तु एक वर्ष के भीतर दी जाती है, तो उसका रजिस्ट्रीकरण इस निमित्त विहित अधिकारी की लिखित अनुज्ञा से और 5/-रुपये विलम्ब फीस के भुगतान पर किया जायेगा।

(3) यदि किसी जन्म या मृत्यु का, उसके होने के एक वर्ष के भीतर, रजिस्ट्रीकरण नहीं होता है तो उसका रजिस्ट्रीकरण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट अथवा प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट के आदेश पर और 10रुपये(दस रूपये) विलम्ब फीस के भुगतान पर किया जायेगा।

10. धारा-14 के प्रयोजनार्थ अवधि:-

(1) जहाँ किसी शिशु के जन्म का रजिस्ट्रीकरण बिना नाम के किया गया हो वहाँ ऐसे शिशु के माता-पिता या संरक्षक रजिस्ट्रार को शिशु के नाम के संबंध में मौखिक या लिखित सूचना शिशु के जन्म के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 12 माह के भीतर देगा:-

परन्तु यदि ऐसी कोई सूचना 12 माह की अवधि के पश्चात किन्तु 15 वर्ष के भीतर दी जाती हो तो उसकी गणना निम्नरूप में की जायेगी:-

- (i) जहाँ रजिस्ट्रीकरण जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमवली, 1991 के लागू होने की तारीख से पूर्व किया गया हो, वहाँ नियम के प्रारम्भ की तारीख से या
- (ii) जहाँ रजिस्ट्रीकरण जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमवली, 1991 के लागू होने की तारीख के बाद किया गया हो, वहाँ रजिस्ट्रीकरण की तारीख से,

धारा-23 की उपधारा -4 के उपबन्धों के अधीन जिस्ट्रार:-

(क) यदि रजिस्ट्रार उनके कब्जे में हो तो 5रुपये(पाँच रूपये) विलम्ब फीस के भुगतान पर संबंधित जन्म-रजिस्ट्रार के संबंधित फारम के सुसंगत स्तम्भ में नाम दर्ज करेगा।

(ख) यदि रजिस्ट्रार उनके कब्जे में नहीं हो और यदि सूचना मौखिक रूप में दी गई हो तो आवश्यक विशिष्टियाँ देते हुए एक रिपोर्ट देगा और यदि सूचना लिखित रूप में दी गई हो तो उसे 5रुपये(पाँच रूपये) विलम्ब फीस के भुगतान पर आवश्यक प्रविष्टि करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पदाधिकारी को अप्रेषित कर देगा।

(2) यथास्थिति, माता-पिता या अभिभावक, धारा-12 के अधीन उसे दिये गये उद्धरण की प्रति या धारा-17 के अधीन उसे दिया गया प्रमाणित उद्धरण रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करेगा और इस प्रकार प्रस्तुत किये जाने पर रजिस्ट्रार शिशु के नाम से सम्बन्धित आवश्यक पृष्ठांकन करेगा या उप-नियम-(1) के परन्तुक के खण्ड -(ख) में अधिकथित रूप से कार्रवाई करेगा।

11. जन्म-मृत्यु रजिस्टर में प्रविष्टि को शुद्ध या रद्द करना:-

(1) यदि रजिस्टर को यह प्रतिवेदन दिया जाता है कि रजिस्टर में कोई लिपिकीय या प्रारूपिक गलती हो गयी हो या यदि ऐसी किसी गलती का उसे अन्यथा पता लगता हो और यदि रजिस्टर उसके कब्जे में हो तो रजिस्टर इस विषय में जाँच करेगा और यदि उसका समाधान हो जाय कि ऐसी कोई गलती हो गयी है तो वह धारा-15 में किये गये उपबन्ध के अनुसार (उस प्रविष्टि को शुद्ध या रद्द करके) गलती को ठीक करेगा और गलती को तथा उसे कैसे ठीक किया गया है यह दर्शाते हुए ऐसी प्रविष्टि का एक उद्धरण राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पदाधिकारी को भेज देगा।

(2) उप-नियम-1 में निर्देशित मामले में, यदि रजिस्टर उसके कब्जे में नहीं हो तो, रजिस्टर राज्य सरकार को या इसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पदाधिकारी को रिपोर्ट करके सुसंगत रजिस्टर मंगायेगा तथा इस विषय में जाँच करने के पश्चात यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसी कोई गलती हुई है तो वह आवश्यक सुधार कर देगा।

(3) रजिस्टर से रजिस्टर प्राप्त होने पर, उप-नियम (2) में उल्लिखित ऐसी कोई सुधार राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा विनिर्दिष्ट पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्करित की जायेगी।

(4) यदि कोई व्यक्ति स्वीकार करता है कि जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में कोई प्रविष्टि सारतः त्रुटिपूर्ण है तो रजिस्टर त्रुटि की प्रकृति बताने वाले व्यक्ति द्वारा धोषणा प्रस्तुत किये जाने और तथ्यों का या मामले की जानकारी रखनेवाले दो विश्वसनीय व्यक्तियों द्वारा मामले के सही तथ्यों के दिये जाने पर धारा-15 के अधीन विहित रीति से प्रविष्टि का सुधार कर सकेगा।

(5) उप-नियम-(1) और उप-नियम-(4) में किसी बात के होते हुए भी रजिस्टर उसमें निर्दिष्ट प्रकार के किये गये किसी सुधार की आवश्यक विवरण सहित एक प्रतिवेदन राज्य सरकार या इस निमित्त विनिर्दिष्ट पदाधिकारी को देगा।

(6) यदि रजिस्टर के समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाता है कि जन्म और मृत्यु रजिस्टर में कोई प्रविष्टि कपटपूर्वक या अनुचित रूप से की गई है, तो वह मुख्य रजिस्टर द्वारा धारा-25 के अधीन इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को आवश्यक विवरण देते हुए एक प्रतिवेदन देगा और उसकी सुनावई के समय इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(7) ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें इस नियम के अधीन किसी प्रविष्टि का सुधार या उसे रद्द किया गया हो, तो उसकी सूचना उस व्यक्ति के, जिसने धारा-8 या धारा-9 के अधीन सूचना दी है, स्थायी पते पर भेज दी जाएगी।

12. धारा-16 के अधीन रजिस्टर का प्रारूप:-

प्रारूप संख्याँ-1,2 और 3 के विधिक भाग से जन्म रजिस्टर, मृत्यु-रजिस्टर और मृत-जन्म-रजिस्टर क्रमशः प्रारूप संख्याँ-7,8 और 9 का निर्माण होगा।

13. धारा-17 के अधीन भुगतये फीस और डाक खर्च:-

(1) धारा-17 के अधीन की जानेवाली खोज, जारी किये जाने वाले उद्धरण अथवा अनुपलब्धता-प्रमाण-पत्र के लिये भुगतान फीस निम्नलिखित होगी:-

(क) प्रथम वर्ष में किसी एक प्रविष्टि की खोज के लिए जिसके लिए खोज की गई हो- -----	रुपये-पैसे 2.00
(ख) प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए, जिसके लिए खोज जारी हो--	2.00
(ग) प्रत्येक जन्म या मृत्यु से संबंधित उद्धरण देने के लिये-----	5.00
(घ) जन्म अथवा मृत्यु का अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र देने के लिए----	2.00

(2) किसी जन्म या मृत्यु के संबंध में ऐसा कोई उद्धरण रजिस्ट्रार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा, यथास्थिति फारम संख्या-5 या फारम संख्या-6 में निर्गत किया जायेगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872(1872का 1) की धारा-76 में उपबन्धित रीति से प्रमाणित किया जाएगा।

(3) यदि जन्म अथवा मृत्यु की कोई विशिष्ट घटना रजिस्ट्रीकृत नहीं पायी जाये, तो रजिस्ट्रार फारमसंख्या-10 अनुलब्धता प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(4) ऐसा कोई उद्धरण अथवा अनुलब्धता-प्रमाण-पत्र उसकी माँग करनेवाले व्यक्ति को दिया जा सकेगा या इस निमित्त डाक-खर्च के भुगतान किये जाने पर डाक द्वारा भेजा जा सकेगा।

14. धारा-19(1) के अधीन अन्तराल और सामयिक विवरणियों का फारम:-

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात् प्रत्येक माह से संबंधित प्रतिवेदित करने वाले फारमों के सभी सांख्यिकीय भागों को संक्षिप्त मासिक सांरांश प्रतिवेदन के साथ फारम संख्या-11 में जन्म के लिए, फारम संख्या-12 में मृत्यु के लिए और फारम संख्या-13 में मृत जन्म के लिए मुख्य रजिस्ट्रार या उनके द्वारा विनिर्दिष्ट पदाधिकारी को आगामी माह की 5 (पाँच) तारीख को या उसके पूर्व भेजेगा।

(2) इस प्रकार विनिर्दिष्ट पदाधिकारी, प्राप्त हुए ऐसे सभी प्रतिवेदन फारमों के सांख्यिकीय भागों को उस माह की 10(दस) तारीख तक मुख्य रजिस्ट्रार को अग्रेषित कर देगा।

15. धारा-19(2) के अधीन सांख्यिकीय प्रतिवेदन:-

धारा-19 की उपधारा-(2) के अधीन सांख्यिकीय प्रतिवेदन इस नियमावली के साथ संलग्न विहित फारम की सारणियों में होगी और उसका संकलन संबंधित वर्ष के ठीक पश्चात् वर्ष की 31 जुलाई से पूर्व कर लिया जायेगा तथा उसका प्रकाशन उसके पश्चात्, यथाशीघ्र, किन्तु किसी भी दशा में उक्त तारीख से पाँच माह के बाद नहीं किया जाएगा।

16. प्रशमन करने वाले अपराधों के लिए शर्तें:-

(1) धारा-23 के अधीन दण्डनीय किसी अपराधों का प्रशमन, मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपराधिक कार्यवाहियों के शुरु किए जाने से पूर्व या पश्चात कर सकेगा यदि इस प्रकार प्राधिकृत पदाधिकारी का यह समाधान हो जाय कि अपराध(अनवधानतावश) अन्वेक्षावश या प्रथमबार किया गया है।

(2) ऐसे किसी अपराध का प्रशमन, धारा-(1) की उप-धारा(10), (2) और (3) के अधीन अपराधों के लिए अधिक से अधिक 50/ रूपये(पचास रूपये) और उप-धारा(4) के अधीन अपराधों के लिए अधिक से अधिक 10/रूपये(दस रूपये) तक की ऐसी राशि के भुगतान पर, जो उक्त पदाधिकारी उचित समझे, किया जा सकेगा।

17. धारा-30 (2)(ट) के अधीन रजिस्ट्रार और अन्य अभिलेख:-

(1) जन्म-रजिस्ट्रार, मृत्यु-रजिस्ट्रार और मृत जन्म रजिस्ट्रार, स्थायी महत्व के अभिलेख होंगे और वे नष्ट नहीं किये जाएंगे।

(2) अधिनियम की धारा-13 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त विलम्बित रजिस्ट्रीकरण की अनुमति देने से संबंधित न्यायालय के आदेश तथा विनिर्दिष्ट पदाधिकारी के आदेश जन्म-रजिस्ट्रार, मृत्यु-रजिस्ट्रार और मृत-जन्म-रजिस्ट्रार के अभिन्न अंग होंगे तथा वे नष्ट नहीं किये जाएंगे।

(3) धारा-10 की उप-धारा(3) के अधीन मृत्यु के कारण के संबंध में दिया गया प्रमाण-पत्र मुख्य रजिस्ट्रार या इस निमित्त उसके द्वारा विनिर्दिष्ट पदाधिकारी द्वारा कम-से-कम पाँच वर्ष तक रखा जायेगा।

(4) प्रत्येक जन्म-रजिस्टर, मृत्यु-रजिस्टर और मृत-जन्म-रजिस्टर, रजिस्टार द्वारा, जिस कैलेंडर वर्ष से वह संबंधित हो उसकी समाप्ति के पश्चात् बारह माह की कालावधि तक अपने कार्यालय में रखा जायेगा, तत्पश्चात् ऐसा रजिस्टर सुरक्षित अभिरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पदाधिकारी को अंतरित कर दिया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

सचिव,

योजना एवं विकास विभाग,

बिहार, पटना।

(नियम 4 देखिए)

विनियम के कार्यालय कार्यकरण पर रिपोर्ट

1. राज्य, उसकी सीमाओं और उसके राजस्व जिलों का संक्षिप्त वर्णन।
2. प्रशासनिक क्षेत्रों में परिवर्तन।
3. क्षेत्रों में भिन्नता के बारे में स्पष्टीकरण।
4. रजिस्ट्रीकरण-क्षेत्र में परिवर्तन-विस्तार।
5. विभिन्न स्तरों पर रजिस्ट्रीकरण तंत्र का प्रशासनिक स्थापना।
6. इस अधिनियम के प्रति जनता की साधारण प्रतिक्रिया।
7. जन्म और मृत्यु की अधिसूचना।
8. मृत्यु के कारण के चिकित्सीय प्रमाणन में प्रगति।
9. अभिलेखों का अनुरक्षण।
10. प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए जन्म और मृत्यु के रजिस्टर ढूंढना ।
11. विलम्बित रजिस्ट्रीकरण।
12. अपराधों का अभियोजन और प्रशासन।
13. अधिनियम के क्रियान्वयन में पेश आने वाली कठिनाइयों:-
 - (1) प्रशासनिक
 - (2) अन्य
14. अधिनियम के अधीन जारी किए गए आदेश और अनुदेश।
15. सामान्य टिप्पणियाँ।

प्रारूप सं0-1

<p>इस भाग को जन्म रजिस्टर के साथ जोड़ा जाना है।</p> <p align="center">जन्म रिपोर्ट</p> <p align="center">विधिक सूचना</p>	<p align="center">जन्म रिपोर्ट</p> <p align="center">सांख्यिकी सूचना</p> <p>इस भाग को अलग कर सांख्यिकी प्रशोधन के लिये भेजा जाना है।</p>	<p>बहु जन्मों की स्थिति में प्रत्येक शिशु के लिये अलग-अलग फार्म भरे और निचे बांये तरफ के बॉक्स के अभियुक्ति मद में जुड़वों जन्म या 'तिहरा जन्म' अंकित करें।</p>
<p>सूचक द्वारा भरने हेतु</p> <p>1. जन्म की तारीख: (शिशु जन्म की वास्तविक तिथि, उदाहरणार्थ 01.01.2000)</p> <p>2. लिंग: ('पुरुष' या 'स्त्री' पूर्ण शब्दों में लिखें, संक्षेप में नहीं)</p> <p>3. शिशु का नाम अगर कोई हो:- (अगर नामकरण नहीं किया गया हो, तो खाली छोड़ दें।)</p> <p>4. पिता का नाम:- (पूरा नाम जैसा कि सामान्यतः लिखा जाता है)</p> <p>5. माता का नाम: (पूरा नाम जैसा कि सामान्यतः लिखा जाता है)</p> <p>6. जन्म का स्थान: (नीचे लिखे उपयुक्त प्रविष्टि 1 या 2 को चिन्हित करें। और अस्पताल/संस्थान का नाम या घर का पता दें, जहाँ जन्म की घटना हुई है।)</p> <p>7. सूचक का नाम: पता: सूचक का नाम: पता: (1 से 20 तक के सभी मदों के पूरा करने के पश्चात सूचक यहाँ हस्ताक्षर करेंगे और तारीख देंगे।)</p> <p>तारीख: सूचक का हस्ताक्षर या बांये अंगूठे का निशान</p>	<p>8. माता के निवास का शहर या ग्राम: (सामान्यतः माता जहाँ निवास करती है। यह प्रसव के स्थान से भिन्न हो सकता है। घर का पता अंकित करने की आवश्यकता नहीं है।)</p> <p>(क) शहर/ग्राम का नाम:-</p> <p>(ख) यह शहर है या ग्राम: (निचे अंकित उपयुक्त प्रविष्टि का चिन्हित करें।)</p> <p>1. शहर 2. ग्राम</p> <p>(ग) जिला का नाम:</p> <p>(घ) राज्य का नाम:</p> <p>9. परिवार का धर्म: (नीचे अंकित उपयुक्त प्रविष्टि को चिन्हित करें)</p> <p>1. हिन्दु 2. मुस्लिम 3. इसाई 4. अन्य कोई धर्म: (धर्म का नाम अंकित करें।)</p> <p>10. पिता के शिक्षा का स्तर: (शिक्षा का पूर्ण स्तर अंकित करें, उदाहरणार्थ अगर सातवां वर्ग तक पढ़ा हो और छठा वर्ग उत्तीर्ण हुआ हो, तो छठा वर्ग लिखें।)</p> <p>11. माता के शिक्षा का स्तर: (शिक्षा का पूर्ण स्तर अंकित करें उदाहरणार्थ अगर सातवां वर्ग तक पढ़ी हो और छठा वर्ग उत्तीर्ण हुई हो, तो छठा वर्ग लिखें।)</p> <p>12. पिता का व्यवसाय: (अगर व्यवसाय नहीं हो, तो 'शून्य' लिखें।)</p> <p>13. माता का व्यवसाय: (अगर व्यवसाय नहीं हो तो 'शून्य' लिखें।)</p>	<p>14. शादी के समय माता की उम्र (पुरे वर्षों में): (एक से ज्यादा बार विवाहित होने की स्थिति में प्रथम विवाह के समय की उम्र अंकित करें।)</p> <p>15. इस प्रसव के समय माता की उम्र (पुरे वर्षों में)</p> <p>16. इस शिशु सहित माता द्वारा जनित कुल जीवित जन्मों की संख्या:- (पूर्व के विवाह/विवाहों द्वारा जनित जीवित जन्म की संख्या भी समाविष्ट की जाये, अगर कोई हो।)</p> <p>17. प्रसव के समय परिचर्या का प्रकार: (निचे अंकित उपयुक्त को चिन्हित करें।)</p> <p>1. संस्थागत-सरकारी 2. संस्थागत-निजी या गैर सरकारी 3. चिकित्सक, नर्स या प्रशिक्षित दाई 4. परम्परागत प्रसाविका 5. संबंधी या अन्य</p> <p>18. प्रसव की विधि:- (निचे अंकित उपयुक्त को चिन्हित करें)</p> <p>1. प्राकृतिक 2. शल्य चिकित्सा 3. चिमटी(यांत्रिक निष्कर्षण/निर्वात मार्जक द्वारा (अगर उपलब्ध हो) 20. गर्भाधान की अवधि (सप्ताहों में): (मदों की प्रविष्टियाँ पूर्ण हुई, अब बांये तरफ हस्ताक्षर करें।)</p>
<p align="center">रजिस्टर द्वारा भरने हेतु</p> <p>रजिस्ट्रीकरण संख्या- रजिस्ट्रीकरण की तारीख: रजिस्ट्रीकरण इकाई शहर/ग्राम: जिला: अभ्युक्ति(यदि कोई हो)</p> <p align="center">रजिस्ट्रार का नाम और हस्ताक्षर</p>	<p>रजिस्टर द्वारा भरने हेतु</p> <p>रजिस्ट्रीकरण की संख्या: जन्म तारीख: लिंग: जन्म का स्थान:-1.अस्पताल/संस्थान 2.घर</p>	<p>रजिस्ट्रीकरण की तारीख: 1.पुरुष 2. स्त्री रजिस्ट्रार का नाम और हस्ताक्षर</p>

प्रारूप सं0-2

मृत्यु रिपोर्ट विधिक सूचना	मृत्यु रिपोर्ट सांख्यिकी सूचना	सूचक द्वारा भरने हेतु
<p>इस भाग को जन्म रजिस्टर के साथ जोड़ा जाना है।</p> <p>मृत्यु की तारीख: (मृत्यु की वास्तविक तारीख, उदाहरणार्थ 01.01.2000)</p> <p>मृतक का नाम:- (पूरा नाम जैसा सामान्यतः लिखा जाता है।)</p> <p>पिता/पति का नाम: (पूरा नाम जैसा सामान्यतः लिखा जाता है।)</p> <p>मृतक का लिंग: (‘पुरुष’ या ‘स्त्री’ पूर्ण शब्दों में लिखें, संक्षेप में नहीं।)</p> <p>मृतक की उम्र: यदि मृत व्यक्ति की उम्र 1 वर्ष से अधिक हो, तो उसकी उम्र पूरे वर्षों में लिखें। यदि मृत व्यक्ति की उम्र 1 वर्ष से कम हो, तो पूरे महीनों में लिखें और यदि 1 महीना से कम हो, तो पूरे दिनों में और यदि एक दिन से कम हो, तो पूरे घंटों में लिखें।</p> <p>मृत्यु का स्थान: (नीचे अंकित प्रविष्टि 1,2 या 3 जो उपयुक्त हो, चिह्नित करें। अस्पताल/संस्थान का नाम लिखें या घर का पता दें, जहाँ मृत्यु की घटना हुई है। यदि अन्य स्थान पर मृत्यु हुई हो, तो उस स्थल की पहचान दें।)</p> <p>1. अस्पताल/संस्थान-नाम 2. घर: पता: 3. जन्म स्थान: 7. मृतक का स्थायी पता: 8. सूचक का नाम: पता: (1 से 19 तक के सभी मदों को पूरा करने के पश्चात् सूचक यहाँ हस्ताक्षर करेंगे और तारीख देंगे।)</p> <p>तारीख: सूचक का हस्ताक्षर या बाँये अंगूठे का निशान</p>	<p>इस भाग को अलग कर सांख्यिकी प्रशोधन के लिये भेजा जाना है।</p> <p>9. मृतक के निवास का शहर या ग्राम: (मृतक जहाँ वास्तव में निवास करते थे। या उस स्थान जहाँ मृत्यु की घटना अंकित हुई है, से भिन्न हो सकता है। घर का पता अंकित करने की आवश्यकता नहीं है।)</p> <p>(क) शहर/ग्राम का नाम: (ख) यह शहर है या ग्राम:(निचे अंकित उपयुक्त प्रविष्टि का चिन्हित करें।)</p> <p>1. शहर 2. ग्राम (ग) जिला का नाम: (घ) राज्य का नाम: 10. धर्म:(निचे अंकित उपयुक्त प्रविष्टि को चिन्हित करें)</p> <p>1.हिन्दु 2. मुस्लिम 3.इसाई अन्य कोई धर्म: (धर्म का नाम अंकित करें)</p> <p>11. मृतक का व्यवसाय: (अगर व्यवसाय न हो, तो ‘शून्य’ अंकित करें।)</p> <p>12. मृत्यु के पूर्व उपलब्ध चिकित्सा सहायता का प्रकार: (निचे अंकित उपयुक्त प्रविष्टि को चिन्हित करें)</p> <p>1. संस्थागत 2. संस्थान से अलग चिकित्सा सहायता 3. कोई चिकित्सा सहायता नहीं</p>	<p>13. क्या मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणीकरण हुआ था? (निचे अंकित उपयुक्त प्रविष्टि को चिन्हित करें)</p> <p>1. हाँ 2. नहीं</p> <p>14. रोग का नाम व मृत्यु का वास्तविक कारण: (सभी मृत्युओं की दशा में, चाहे वह चिकित्सीय प्रमाणित हो अथवा नहीं)</p> <p>15. स्त्री की मृत्यु की दशा में क्या मृत्यु गर्भावस्था, प्रसव के समय या गर्भ समाप्ति के 6 सप्ताह के अन्दर घटित हुई: (निचे अंकित उपयुक्त को चिन्हित करें।)</p> <p>1. हाँ 2. नहीं</p> <p>16. यदि धूम्र-पान के आदि थे- तो कितने वर्षों से ? :</p> <p>17. यदि किसी रूप में तम्बाकू(खैनी, सूरती) खाने के आदी थे-तो कितने वर्षों से?:</p> <p>18. यदि किसी रूप में सुपारी(कसैली) खाने के आदी थे-पान मशाला सहित)-तो कितने वर्षों से?:</p> <p>19. यदि मद्य पान करने के आदी थे- तो कितने वर्षों से?: (मदों की प्रविष्टियाँ पूर्ण हुई, अब बाँये तरफ हस्ताक्षर करें)</p>
<p>तारीख: सूचक का हस्ताक्षर या बाँये अंगूठे का निशान</p> <p>रजिस्ट्रार द्वारा भरे हेतु</p> <p>रजिस्ट्रीकरण संख्या:- रजिस्ट्रीकरण इकाई: शहर/ग्राम: अभ्युक्ति (यदि कोई हो)</p>	<p>रजिस्ट्रार द्वारा भरने हेतु</p> <p>रजिस्ट्रीकरण की संख्या: मृत्यु की तारीख: उम्र: वर्षों/महीनों/दिनों/घंटों जन्म का स्थान:- 1.अस्पताल/संस्थान 2.घर 3. अस्पताल</p>	<p>रजिस्ट्रार द्वारा भरने हेतु</p> <p>रजिस्ट्रीकरण की संख्या: मृत्यु की तारीख: उम्र: वर्षों/महीनों/दिनों/घंटों जन्म का स्थान:- 1.अस्पताल/संस्थान 2.घर 3. अस्पताल</p>

प्रारूप-3

<p>मूल जन्म रिपोर्ट विधिक सूचना</p> <p>इस भाग को जन्म रजिस्टर के साथ जोड़ा जाना है।</p>	<p>मूल जन्म रिपोर्ट सांख्यिकी सूचना</p> <p>इस भाग को अलग कर सांख्यिकी प्रशासन के लिये भेजा जाना है।</p>	<p>बहु जन्मों की दशा में प्रत्येक के लिये पृथक प्रविष्टि करें और निचे बॉक्स के अभ्युक्ति स्तम्भ में 'जुड़वां' या 'तिहरा' उल्लेख करें।</p>
<ol style="list-style-type: none"> जन्म की तारीख: (वास्तविक तारीख, महीना एवं वर्ष अंकित करें, उदाहरणार्थ 01.01.2000) लिंग: ('पुरुष' या 'स्त्री' पूर्ण शब्दों में लिखें संक्षेप में नहीं।) पिता का नाम: (पूरा नाम जैसा सामान्यतः लिखा जाता है।) माता का नाम : (पूरा नाम जैसा सामान्यतः लिखा जाता है।) जन्म का स्थान: (नीचे लिखें उपयुक्त प्रविष्टि 1 या 2 का चिह्नित करें। और अस्पताल/संस्थान का नाम या घर का पता दें जहाँ जन्म की घटना हुई है।) <ol style="list-style-type: none"> अस्पताल/संस्थान-नाम घर: अन्य स्थान: <p>पता: सूचक का स्थान:</p> <p>पता: (1 से 12 तक के सभी मनों को पूरा करने के पश्चात सूचक यहाँ हस्ताक्षर करेंगे और तारीख देंगे।)</p>	<p>7. माता के निवास का शहर या ग्राम: (सामान्यतः माता जहाँ निवास करती है। यह प्रसव के स्थान से भिन्न हो सकता है। घर का पता अंकित करना की आवश्यक नहीं है।)</p> <p>(क) शहर/ग्राम का नाम: (ख) यह शहर है या ग्राम: (नीचे अंकित उपयुक्त प्रविष्टि को चिन्हित करें)</p> <ol style="list-style-type: none"> शहर ग्राम <p>(ग) जिला का नाम: (घ) राज्य का नाम:</p> <p>8. इस प्रसव के समय माता की उम्र पूरे वर्षों में: 9. माता के शिक्षा का स्तर: (पूरा किए गए शिक्षा का स्तर अंकित करें, उदाहरणार्थ अगर सातवीं वर्ग तक पढ़ी हो और मात्र छठा वर्ग उत्तीर्ण हुई हो, तो छठा वर्ग लिखें।)</p> <p>10. प्रसव के समय परिचरों का प्रकार: (निचे अंकित उपयुक्त प्रविष्टि को चिन्हित करें)</p> <ol style="list-style-type: none"> संस्थागत-सरकारी संस्थागत-निजी या गैर सरकारी चिकित्सक, नर्स या प्रशिक्षित चाई परम्परागत प्रसाविका संबंधी या अन्य गर्भाधान की अवधि: (सप्ताहों में) श्रूण मृत्यु का कारण: (यदि ज्ञात हो) (स्तम्भों की प्रविष्टियाँ पूर्ण हुई, अब बाएँ तरफ हस्ताक्षर करें।) 	
<p>तारीख</p> <p>सूचक का हस्ताक्षर या बाएँ अंगूठे का निशान</p>	<p>रजिस्टर द्वारा भरने हेतु</p> <p>नाम: तहसील: जिला: शहर/ग्राम रजिस्ट्रीकरण इकाई</p> <p>रजिस्टर द्वारा भरने हेतु</p> <p>कोड संख्यां:</p> <p>रजिस्टर का नाम और हस्ताक्षर</p>	<p>रजिस्ट्रार द्वारा भरने हेतु</p> <p>रजिस्ट्रीकरण की संख्या: रजिस्ट्रीकरण की तारीख: जन्म की तारीख: लिंग: जन्म का स्थान:-1.अस्पताल/संस्थान 2.घर</p> <p>रजिस्ट्रार का नाम और हस्ताक्षर</p>
<p>रजिस्ट्रीकरण संख्यां:- रजिस्ट्रीकरण इकाई: शहर/ग्राम: अभ्युक्ति (यदि कोई हो)</p>	<p>रजिस्ट्रार द्वारा भरने हेतु</p> <p>रजिस्ट्रीकरण की तारीख: जिला: रजिस्ट्रार का नाम और हस्ताक्षर</p>	<p>रजिस्ट्रार द्वारा भरने हेतु</p> <p>रजिस्ट्रीकरण की संख्या: रजिस्ट्रीकरण की तारीख: जन्म की तारीख: लिंग: जन्म का स्थान:-1.अस्पताल/संस्थान 2.घर</p> <p>रजिस्ट्रार का नाम और हस्ताक्षर</p>

प्ररूप संख्या-4

(नियम संख्या-7 देखिए)

मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण-पत्र

(अस्पताल-अन्तः रोगियों के लिए, मृत जन्म के लिए व्यवहार नहीं किया जाना है)

फार्म संख्या 2 (मृत्यु प्रतिवेदन) सहित पंजीकार को भेजा जाये।)

अस्पताल का नाम-.....

मैं एतद द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उस व्यक्ति जिसकी विवरणियाँ नीचे दी जा रही हैं, की मृत्यु अस्पताल के वार्ड संख्या में तारीख को बजे पूर्वाह्न/अपराह्न, में हुई।

मृतक का नाम					सांख्यिकी कार्यालय के उपयोग के लिए
मृत्यु के समय आयु					
लिंग	यदि आयु एक वर्ष या अधिक, वर्षों में	यदि आयु एक वर्ष से कम, महीनों में	यदि आयु एक महीने से कम, दिनों में	यदि आयु एक दिन से कम घंटों में	
1.पुल्लिंग 2.स्त्रीलिंग					
मृत्यु का कारण					
तत्कालिक कारण: <input type="checkbox"/> (क).....					मृत्यु तथा बीमारी की शुरुआत के बीच का अनुमानित अन्तराल
..... उस बीमारी, चोट या उलझन को बताएँ जिसकी वजह से मृत्यु हुई, न कि मरने का कारण, जैसे कि दिल का दौरा, कमजोरी आदि। कारण (या परिणामस्वरूप)				
पूर्ववत् कारण (ख)..... मृत्यु के वक्त कारण के लिये यदि कोई कारण (या परिणामस्वरूप)					
पुरानी बीमारी हो, तो बतायें। (ग)					
. II मृत्यु के लिए अन्य कोई महत्वपूर्ण कारण, जिसका उस बीमारी					
..... या हालत से कोई संबंध नहीं हो, जिसके कारण					
..... मृत्यु हुई हो।					

मृत्यु का प्रकार

चोट कैसे लगी?

1. प्राकृतिक 2. दुर्घटना 3. आत्महत्या 4. मानव वध
5. लम्बित अनुसंधान

यदि मृतक महिला थी, क्या गर्भकाल में मृत्यु हुई-1.हाँ 2.नहीं
यदि हाँ, क्या प्रसव हुआ था? 1. हाँ 2. नहीं

मृत्यु के कारण को प्रमाणित करने वाले चिकित्सा परिचायक का नाम एवं हस्ताक्षर सत्यापन की तिथि.....

निर्देश के लिए पीछे देखिये

(अलग कर मृतक के संबंधी को दिया जाय ।)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी.....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री.....
..... निवासी..... इस अस्पताल में तारीखको भी किया गया और उसकी मृत्यु
तारीख..... को हुई।

डाक्टर.....

(चिकित्सा अधीक्षक, अस्पताल का नाम)

मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण-पत्र

प्ररूप भरने के लिए निर्देश

मृतक का नाम-पुरा नाम लिखें। प्राक्षरों को नहीं लिखें। यदि मृतक बच्चा है और मृत्यु के समय तक उसका नामकरण नहीं हुआ है, पुत्र या पुत्री के बाद माता और पिता का नाम लिखें।

आयु:-यदि मृतक एक वर्ष से अधिक आयु का था तो: आयु वर्षों में दीजिए(पूर्ण वर्षों में)। यदि एक वर्ष से कम था तो: आयु महीनों में दीजिए। और यदि एक महीने से कम हो, तो आयु पूर्ण दिनों में दीजिए। और यदि एक दिन से कम हो तो घन्टों में दीजिए।

मृत्यु का कारण:प्ररूप के इस भाग को हमेशा परिचर्या करने वाले चिकित्सक द्वारा स्वयं पूरा करना चाहिए।

मृत्यु के कारण को प्रमाणीकरण को दो भागों में विभक्त किया गया है I और II भाग एक को पुनः तीन भागों-लाइन (क) (ख) और (ग) में विभक्त किया गया। यदि एक ही बीमारी के कारण का स्पष्ट पता लग जाता है तो उसे भाग एक के लाइन (क) पर लिख जाएगा और इसके अतिरिक्त भाग एक या भाग दो में और कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। उदाहरण के लिए चेचक लोबार, निमोनिया, हृदय बेरी-बेरी आदि मृत्यु के पर्याप्त कारण हैं और इतना ही लिखना पर्याप्त होता है।

प्रायः मृत्यु के समय मृतक में अन्य कई बीमारियाँ पाई जाती हैं ऐसी अवस्था में चिकित्सक को मृत्यु के प्रमाण-पत्र को ठीक ढंग से भरना चाहिए ताकि मृत्यु के वास्तविक कारण को ठीक तरह से सारणीबद्ध किया जा सके। पहले भाग I (क) में मृत्यु का मुख्य कारण लिखें। इसका मतलब मृत्यु कैसे हुई है से नहीं है अर्थात् दिल का दौरा, सांस रुकना आदि। प्रमाणीकरण में इनको दर्ज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मृत्यु कैसे हुई बतलाते हैं, न कि मृत्यु का कारण। दूसरा यह देखें कि क्या मृत्यु किन्हीं पेचिदगियों या पुरानी बीमारी के परिणामस्वरूप हुई। यदि ऐसा है तो पूर्ववर्ती कारण को भाग-I लाइन (ख) में दर्ज करें। कभी-कभी मृत्यु के कारण की तीन अवस्थाएँ होती हैं, यदि ऐसा हो, तो उसे लाइन (ग) में दर्ज करें सारणीबद्ध किए जाने वाले मूल कारण को हमेशा भाग-I के अंत में लिखें।

शारीरिक अस्वस्थता या अभिघात भी हो सकते हैं जिनका मृत्यु से सीधा संबंध नहीं हो परन्तु ये भी मृत्यु के कारणों में से एक कारण हो सकते हैं। कभी-कभी विषेशकर बाल मृत्यु में चिकित्सक के लिए यह निश्चित करना मुश्किल हो जाता है कि बहुत से अलग-अलग कारणों में मृत्यु का मूल कारण कौन सा था। केवल एक ही कारण सारणीबद्ध करना होता है अतः इसे चिकित्सक अवश्य निश्चित करें। यदि अन्य बीमारियाँ मूल कारण से प्रभावित नहीं हों तो उन्हें भाग-II में दर्ज करें।

दो या उससे अधिक कारणों को एक ही लाइन में न लिखें। कृपया प्रमाण-पत्रों में बीमारियों के नाम यथासंभव साफ-साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखें ताकि गलत पढ़ा जाने का जोखिम न रहे।

बीमारी की शुरुआत: जब भी सम्भव हो, बीमारी की शुरुआत से मृत्यु के बीच के अन्तराल के कालम अनुमान से भर दें। उदाहरण के लिए 'जन्म से' 'अनेक वर्षों' से।

आकस्मिक या हिंसक मृत्यु:-बाह्य कारण और अभिघात किस प्रकार का है इन दोनों को दर्ज किया जाए। चिकित्सक या चिकित्सालय अभिघात के बारे में बता सकते हैं कि शरीर का कौन सा अंग क्षतिग्रस्त हुआ है और जब भी पता चले मृत्यु का बाह्य कारण भी साफ-साफ लिखें। उदाहरण के लिए (क) अधःस्थितिक निमोनिया (हाईपोस्टेटिक निमोनिया) (ख) गर्दन की हड्डी टूटना, (ग) घर पर सीढ़ी से गिरना।

माताओं की मृत्यु:- गर्भावस्था एवं प्रसव संबंधी प्रश्नों पर उत्तर देते समय विशेष ध्यान दें चाहे गर्भावस्था से मृत्यु का कोई भी संबंध न रहा हो, फिर भी इस सूचना की सभी गर्भावस्था-आयु समूह की महिलाओं के बारे में आवश्यकता है।

वृद्धावस्था या बुढ़ापा:-यदि अधिक सुस्पष्ट कारण का पता हो तो वृद्धावस्था (या बुढ़ापा) की मृत्यु का कारण न लिखा जाय। यदि वृद्धावस्था भी मृत्यु का एक कारण रही हो तो उसे भाग-II में दर्ज किया जाय। उदाहरण-I (क) पुराना ब्रानकाइटिस, II वृद्धावस्था।

जानकारी की पूर्णता-बीमारी का पूरा विवरण देने की आवश्यकता नहीं है परन्तु यदि जानकारी उपलब्ध हो तो इतने पर्याप्त विवरण अवश्य दिये जाएँ जिससे कि मूल कारण स्पष्ट हो जाए। उदाहरण: खून की कमी-यदि पता हो तो खून की कमी का प्रकार लिखें। अबुद्ध(नियोप्लाज्म) बताएँ कि यह सुदम्य है या दुर्दम्य और सम्भव हो तो प्रारम्भिक नियोप्लाज्म का स्थान भी बताएँ। हृदय रोग-विशेष रूप से रोगी की अवस्था का उल्लेख करें। यदि रक्त-धिक्यज से दिल का दौरा हुआ या पुराना फुफ्सजन्य हृदय रोग (क्रोनिक कोर-पलमोनल) आदि हो तो पूर्वास्था भी बताए। धनुस्तम्भ (टैटनस)- यदि जानकारी हो तो पूर्वगामी अभिघात का वर्णन करें। शल्यकर्म (औपरेशन)-जिस कारण शल्यकर्म करना पड़ा। पेचिस (डर्इसैन्टी)- यदि जानकारी हो तो दण्डाणुज पेचिस (बेसीलरी) या अमीबा पेचिस आदि का उल्लेख करें। गर्भावस्था या प्रसवकालीन अङ्चने का स्पष्ट वर्णन करें। क्षय रोग(टी0बी0) क्षतिग्रस्त अंग कौन से है।

लाक्षणिक कथन:-आपक्ष, (कनवलशन)दस्त(डायरिया), बुखार, जलोद(एसेटिस), पीलिया(जोन्डिस), दुर्बलता(डेवेलिटि) आदि कुछ ऐसे लक्षण हैं जो विभिन्न अवस्थाओं में किसी एक कारण से हो सकता है। यदि सम्भव हो तो बीमारी का उल्लेख करें जिसके लक्षणों से बीमारी हुई।

मृत्यु का ढंग:-मृत्यु जो कि बाहरी कारणों से नहीं हुई हो तो प्राकृतिक मृत्यु माना जाना चाहिए। यदि मृत्यु के कारण का पता हो लेकिन यह नहीं पता कि मृत्यु दुर्घटना, आत्महत्या या मानव वध के कारण हुई थी, और आगे जाँच के आधीन है मृत्यु का कारण स्पष्ट रूप से भरा जाना चाहिए और मृत्यु का ढंग लम्बित जाँच दिखाना चाहिए।

फार्म संख्या-4(क)

(नियम संख्या-7 देखिए)

मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण-पत्र

(गैर संस्थागत मृत्युओं के लिए मृत जन्म के लिए प्रयोग न किया जाये)

फार्म संख्या 2 (मृत्यु प्रतिवेदन) सहित पंजीकार को भेजा जाये।)

मैं एतद द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उस व्यक्ति जिसकी प्रविष्टियाँ नीचे दी गयी हैं की मृत्यु दिनांक.....
..... को बजे पूर्वाह्न/अपराह्न, अस्पताल के वार्ड संख्या-..... में हुई।

मृतक का नाम				सांख्यिकी कार्यालय के उपयोग के लिए
मृत्यु के समय आयु				
लिंग	यदि आयु एक वर्ष या अधिक, वर्षों में	यदि आयु एक वर्ष से कम, महीनों में	यदि आयु एक महीने से कम, दिनों में	यदि आयु एक दिन से कम घण्टों में
1.पुल्लिंग				
2.स्त्रीलिंग				
मृत्यु का कारण				मृत्यु तथा बीमारी की शुरुआत के बीच का अनुमानित अन्तराल
तत्कालीक कारण: <input type="checkbox"/> (क).... उस बीमारी, चोट या उलझन को बताएँ जिसकी वजह से मृत्यु हुई, न कि मरने का कारण, जैसे कि दिल का दौरा, कमजोरी आदि। कारण (या परिणामस्वरूप) पूर्ववत् कारण-मृत्यु के उक्त कारण के लिये यदि कोई (ख)..... पुरानी बीमारी हो, तो बतायें। कारण (या परिणामस्वरूप) II मृत्यु के लिये अन्य कोई महत्वपूर्ण कारण, जिसका उस बीमारी या हालत से कोई संबंध नहीं हो, जिसके कारण मृत्यु हुई हो।			

चोट कैसे लगी?

यदि मृतक महिला थी, क्या गर्भकाल में मृत्यु हुई-1.हाँ 2.नहीं

यदि हाँ, क्या प्रसव हुआ था? 1. हाँ 2. नहीं

मृत्यु के कारण को प्रमाणित करने वाले चिकित्सा व्यवसायी का नाम एवं हस्ताक्षर
सत्यापन की तिथि.....

निर्देश के लिये पीछे देखिये,

अलग कर मृतक के संबंधी को दिया जाय ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी.....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री.....
..... निवासी.....दिनांक.....से दिनांक..... तक मेरे इलाज में थे और उनकी
मृत्यु दिनांक.....को पूर्वाह्न/अपराह्न में हुई।

चिकित्सक.....

निबंधन संख्याँ सहित चिकित्सा-व्यवसायी/चिकित्सा परिचायक का हस्ताक्षर और पता
मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण-पत्र

प्ररूप भरने के लिए निर्देश

मृतक का नाम:- पूरा नाम लिखें। प्राक्षरों को नहीं लिखें। यदि मृतक बच्चा है और मृत्यु के समय तक उसका नामकरण नहीं हुआ है, पुत्र या पुत्री के बाद माता और पिता का नाम लिखें।

आयु:- यदि मृतक एक वर्ष से अधिक आयु का था तो: आयु वर्षों में दीजिए (पूर्ण वर्षों में)। यदि एक वर्ष से कम था तो: आयु महीनों में दीजिए। और यदि एक महीने से कम हो, तो आयु पूर्ण दिनों में दीजिए। और यदि एक दिन से कम हो तो घन्टों में दीजिए।

मृत्यु का कारण:- प्ररूप के इस भाग को हमेशा परिचर्या करने वाले चिकित्सक द्वारा स्वयं पूरा करना चाहिए।

मृत्यु के कारण को प्रमाणीकरण को दो भागों में विभक्त किया गया है, I और II भाग एक को पुनः तीन भागों-लाइन (क), (ख) और (ग) में विभक्त किया गया। यदि एक ही बीमारी के कारण स्पष्ट पता लग जाता है तो उस भाग एक के लाइन (क) पर लिखा जाएगा और इसके अतिरिक्त भाग एक या भाग दो में और कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। उदाहरण के लिए चेचक, लोबार निमोनिया, हृदय वेरी-बेरी आदि मृत्यु के पर्याप्त कारण हैं और इतना ही लिखना पर्याप्त होता है।

प्रायः मृत्यु के समय मृतक में अन्य कई बीमारियाँ पाई जाती हैं ऐसी अवस्था में चिकित्सक को मृत्यु के प्रमाण-पत्र को ठीक ढंग से भरना चाहिए ताकि मृत्यु के वास्तविक कारण को ठीक तरह से सारणीबद्ध किया जा सके। पहले भाग (I) (क) में मृत्यु का मुख्य कारण लिखें। इसका मतलब मृत्यु कैसे हुई है से नहीं है अर्थात् दिल का दौरा, सांस रुकना आदि। प्रमाणीकरण में इनको दर्ज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मृत्यु कैसे हुई बतलाते हैं, न कि मृत्यु का कारण। दूसरा यह देखें कि क्या मृत्यु किन्हीं पेचिदगियों या किसी पुरानी बीमारी के परिणामस्वरूप हुई। यदि ऐसा है तो पूर्ववर्ती कारण को भाग-1 लाइन (ख) में दर्ज करें। कभी-कभी मृत्यु के कारण की तीन अवस्थाएँ होती हैं। यदि ऐसा हो, तो उसे लाइन (ग) में दर्ज करें सारणीबद्ध किए जाने वाले मूल कारण को हमेशा भाग-1 के अंत में लिखें।

शारीरिक अस्वस्थता या अभिघात भी हो सकते हैं, जिनका मृत्यु से सीधा संबंध नहीं हो परन्तु ये भी मृत्यु के कारणों में से एक कारण हो सकते हैं। कभी-कभी विशेषकर बाल मृत्यु में चिकित्सक के लिए यह निश्चित करना मुश्किल हो जाता है कि बहुत से अलग-अलग कारणों से मृत्यु का मूल कारण कौन सा था। केवल एक ही कारण सारणीबद्ध करना होता है अतः इसे चिकित्सक अवश्य चिन्हित करें। यदि अन्य बीमारियाँ मूल कारण से प्रभावित नहीं हों तो उन्हें भाग- II में दर्ज करें।

दो या उससे अधिक कारणों को एक ही लाइन में न लिखें। कृपया प्रमाण-पत्रों में बीमारियों के नाम यथासंभव साफ-साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखें ताकि गलत पढ़ा जाने का जोखिम न रहे।

बीमारी की शुरुआत:- जब भी सम्भव हो, बीमारी की शुरुआत से मृत्यु के बीच के अन्तराल के कॉलम अनुमान से भर दें। उदाहरण के लिए 'जन्म से' 'अनेक वर्षों' से।

आकस्मिक या हिंसक मृत्यु:—बाह्य कारण और अभिघात किस प्रकार का है इन दोनों को दर्ज किया जाए। चिकित्सक या चिकित्सालय अभिघात के बारे में बता सकते हैं कि शरीर का कौन सा अंग क्षतिग्रस्त हुआ है और जब भी पता चले मृत्यु का बाह्य कारण भी साफ-साफ लिखें। उदाहरण के लिए (क) अधःस्थितिक निमोनिया (हाईपोस्टेटिक निमोनिया) (ख) गर्दन की हड्डी टूटना, (ग) घर पर सीढ़ी से गिरना।

माताओं की मृत्यु:— गर्भावस्था एवं प्रसव संबंधी प्रश्नों पर उत्तर देते समय विशेष ध्यान दें चाहे गर्भावस्था से मृत्यु का कोई भी संबंध न रहा हो, फिर भी इस सूचना की सभी गर्भावस्था-आयु समूह की महिलाओं के बारे में आवश्यकता है।

वृद्धावस्था या बुढ़ापा:—यदि अधिक सुस्पष्ट कारण का पता हो तो वृद्धावस्था (या बुढ़ापा) की मृत्यु का कारण न लिखा जाय। यदि वृद्धावस्था भी मृत्यु का एक कारण रही हो तो उसे भाग-II में दर्ज किया जाए। उदाहरण-I (क) पुराना ब्रानकाइटिस, II वृद्धावस्था।

जानकारी की पूर्णता—बीमारी का पूरा विवरण देने की आवश्यकता नहीं है परन्तु यदि जानकारी उपलब्ध हो तो इतने पर्याप्त विवरण अवश्य दिये जाएँ जिससे कि मूल कारण स्पष्ट हो जाय। उदाहरण: खून की कमी—यदि पता हो तो खून की कमी का प्रकार लिखें। अबुद्ध(नियोप्लाज्म)— बताएँ कि यह सुदम्य है या दुर्दम्य और सम्भव हो तो प्रारम्भिक नियोप्लाज्म का स्थान भी बताएँ। हृदय रोग—विशेष रूप से रोगी की अवस्था का उल्लेख करें। यदि रक्त-धिक्यज से दिल का दौरा हुआ या पुराना फुफ्सजन्य हृदय रोग (क्रोनिक कोर-पलमोनल) आदि हो तो पूर्वास्था भी बताए। धनुस्तम्भ (टैटनस)— यदि जानकारी हो तो पूर्वगामी अभिघात का वर्णन करें। शल्यकर्म (आपरेशन)— जिस कारण शल्यकर्म करना पड़ा। पेचिस (डार्ईसैन्टी)— यदि जानकारी हो तो दण्डाणुज पेचिस (बेसीलरी) या अमीबा पेचिस आदि का उल्लेख करें। गर्भावस्था या प्रसवकालीन अङ्चने का स्पष्ट वर्णन करें। क्षय रोग(टी0बी0) क्षतिग्रस्त अंग कौन से हैं।

लाक्षणिक कथन:—आपक्ष(कनवलजन), दस्त(डायरिया), बुखार, जलोद(एसेटिक), पीलिया(जोन्डिस), दुर्बलता(डेबिलिटी) आदि कुछ ऐसे लक्षण हैं जो विभिन्न अवस्थाओं में किसी एक कारण से हो सकता है। यदि सम्भव हो तो बीमारी का उल्लेख करें जिसके लक्षणों से बीमारी हुई।

प्ररुप संख्याँ-5

(नियम 8 देखिये)

बिहार सरकार

सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार

जन्म प्रमाण-पत्र

(जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा-12/धारा-17 के अन्तर्गत निर्गत।)

प्रमाणित किया जाता है कि निम्न जानकारी मूल जन्म अभिलेख(.....) से प्राप्त की गई है, जो बिहार राज्य के जिले के तहसील (अंचल/प्रखंड) के स्थानीय क्षेत्र संबंधी रजिस्टर में है।

नाम:-.....

लिंग:-.....

जन्म की तारीख.....

जन्म का स्थान.....

पिता का नाम.....

माता का नाम.....

रजिस्ट्रीकरण संख्याँ.....

रजिस्ट्रीकरण की तारीख:.....

निर्गत करने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर

तारीख:

मुहर

प्ररूप संख्या-6
(नियम 8 देखिए)

बिहार सरकार

सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार।

मृत्यु प्रमाण-पत्र

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा-12/धारा-17 के अन्तर्गत
निर्गत।

प्रमाणित किया जाता है कि निम्न जानकारी मूल मृत्यु अभिलेख से प्राप्त की
गई है, जो बिहार राज्य के जिले के.....
.....तहसील (अंचल/प्रखंड) के..... स्थानीय क्षेत्र संबंधी
रजिस्टर में है।

नाम:

लिंग:.....

मृत्यु की तारीख.....

मृत्यु का स्थान.....

पिता/पति का नाम:.....

स्थायी पता

.....

रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

रजिस्ट्रीकरण की तारीख:.....

निर्गत करने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर

तारीख:

मुहर

प्ररूप संख्याँ-7

(देखें नियम 12)

प्रारूप सं0 1 जन्म रजिस्टर

जन्म रिपोर्ट

विधिक सूचना

इस भाग को जन्म रजिस्टर के साथ जोड़ा जाना है।
सूचक द्वारा भरने हेतु।

1. जन्म की तारीख:

(शिशु जन्म की वास्तविक तिथि, उदाहरणार्थ 01.01.2000)

2. लिंग:

(‘पुरुष’ या ‘स्त्री’ पूर्ण शब्दों में लिखें, संक्षेप में नहीं)

3. शिशु का नाम अगर कोई हो:-

(अगर नामकरण नहीं किया गया हो, तो खाली छोड़ दें।)

4. पिता का नाम:-

(पूरा नाम जैसा कि सामान्यतः लिखा जाता है)

5. माता का नाम:

(पूरा नाम जैसा कि सामान्यतः लिखा जाता है)

6. जन्म का स्थान:

(नीचे लिखे उपयुक्त प्रविष्टि 1 या 2 को चिन्हित करें। और अस्पताल/संस्थान का नाम या घर का पता दें, जहाँ जन्म की घटना हुई है।)

1. अस्पताल/संस्थान का नाम-

2. घर-पता:

7. सूचक का नाम:

पता:

(1 से 20 तक के सभी मदों के पूरा करने के पश्चात सूचक यहाँ हस्ताक्षर करेंगे और तारीख देंगे।)

तारीख:

सूचक का हस्ताक्षर या बाँये अंगूठे का निशान

रजिस्टर द्वारा भरने हेतु

रजिस्ट्रीकरण संख्याँ-

रजिस्ट्रीकरण की तारीख:

रजिस्ट्रीकरण इकाई

शहर/ग्राम:

जिला:

अभ्युक्ति(अगर कोई हो)

रजिस्ट्रार का नाम और हस्ताक्षर

प्ररूप संख्या-8

(देखें नियम-12)

मृत्यु रजिस्टर

प्ररूप सं-2

मृत्यु रिपोर्ट

विधिक सूचना

इस भाग को मृत्यु रजिस्टर के साथ जोड़ा जाना है।

सूचक द्वारा भरने हेतु

1. मृत्यु की तारीख:
(मृत्यु की वास्तविक तारीख, उदाहरणार्थ 01.01.2000)
2. मृतक का नाम:-
(पूरा नाम जैसा सामान्यतः लिखा जाता है।)
3. मृतक का लिंग:
(‘पुरुष’ या ‘स्त्री’ पूर्ण शब्दों में लिखें, संक्षेप में नहीं।)
4. मृतक की उम्र:
यदि मृत व्यक्ति की उम्र 1 वर्ष से अधिक हो, तो उसकी उम्र पुरे वर्षों में लिखें। यदि मृत व्यक्ति की उम्र 1 वर्ष से कम हो, तो पूरे महीनों में लिखें और यदि 1 महीना से कम हो, तो पूरे दिनों में और यदि 1 दिन से कम हो, तो पूरे घंटों में लिखें।
5. मृत्यु का स्थान:
(नीचे अंकित प्रविष्ट 1,2 या 3 जो उपयुक्त हो, चिह्नित करें। अस्पताल/संस्थान का नाम लिखें या घर का पता दें, जहाँ मृत्यु की घटना हुई है। यदि अन्य स्थान पर मृत्यु हुई हो, तो उस स्थल की पहचान दें।)
 1. अस्पताल/संस्थान-नाम:
 2. घर: पता:
 3. अन्य स्थान:
6. सूचक का नाम:
पता:
(1 से 17 तक के सभी मदों को पूरा करने के पश्चात् सूचक यहाँ हस्ताक्षर करेंगे और तारीख देंगे।

तारीख:

सूचक का हस्ताक्षर या बाँये अंगूठे का निशान

रजिस्टर द्वारा भरने हेतु

रजिस्ट्रीकरण संख्या:-

रजिस्ट्रीकरण की तारीख:

रजिस्ट्रीकरण इकाई:

शहर/ग्राम:

जिला:

अभ्युक्ति: (यदि कोई हो)

रजिस्ट्रार का नाम और हस्ताक्षर

प्ररूप संख्या-9
(देखें नियम-12)
मृतजन्म रजिस्टर

प्ररूप सं-3

मृतजन्म रिपोर्ट
विधिक सूचना

इस भाग को मृतजन्म रजिस्टर के साथ जोड़ा जाना है।
सूचक द्वारा भरने हेतु

1. जन्म की तारीख:
(वास्तविक तिथि, महीना एवं वर्ष अंकित करें, उदाहरणार्थ 01.01.2000)
2. लिंग:
(‘पुरुष’ या ‘स्त्री’ पूर्ण शब्दों में लिखें संक्षेप में नहीं।)
3. पिता का नाम:
(पूरा नाम जैसा सामान्यतः लिखा जाता है।)
4. माता का नाम :
(पूरा नाम जैसा सामान्यतः लिखा जाता है।)
5. जन्म का स्थान:
(नीचे लिखे उपयुक्त प्रविष्टि 1 या 2 का चिन्हित करें। और अस्पताल/संस्थान का नाम या घर का पता दें जहाँ घटना हुई है।)
 1. अस्पताल/संस्थान-नाम
 2. घर: पता:
6. सूचक का स्थान:
पता:
(1 से 12 तक के सभी मदों को पूरा करने के पश्चात् सूचक यहाँ हस्ताक्षर करेंगे और तारीख देंगे।)

तारीख:

सूचक का हस्ताक्षर या बाँए अंगूठे का निशान

रजिस्टर द्वारा भरने हेतु

रजिस्ट्रीकरण संख्या:-

रजिस्ट्रीकरण की तारीख:

रजिस्ट्रीकरण इकाई:

शहर/ग्राम:

जिला:

अभ्युक्ति(अगर कोई हो)

रजिस्ट्रार का नाम और हस्ताक्षर

प्ररूप संख्या 10
(नियम 13 देखिये)

बिहार सरकार

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार)

अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र

(जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा-17 के अधीन निर्गत)

प्रमाणित किया जाता है के श्री/श्रीमती/कुमारी.....
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....के अनुरोध पर बिहार राज्य के
जिले के.....तहसील(अंचल/प्रखंड) केस्थानीय क्षेत्र से संबंधित
रजिस्ट्रकरण अभिलेखों वर्ष(वर्षों).....में तलाशी की गई और यह पाया गया कि
.....सुपुत्र/पत्नी /सुपुत्री श्रीके जन्म/मृत्यु की धटना का
रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया था ।

तारीख.....

निर्गत करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर
मुहर

प्ररूप संख्याँ-11

(नियम 14 देखिए)

जन्म का मासिक सारांश प्रतिवेदन

1. माह.....वर्ष..... का प्रतिवेदन
2. जिला.....
3. शहर/ग्राम
4. रजिस्ट्रीकरण इकाई
5. रजिस्ट्रीकरण जन्मों की संख्याँ
- (क) घटना घटित होने के एक वर्ष के अन्दर.....
- (ख) घटना घटित होने के एक वर्ष के बाद
- कुल(क+ख):-.....

कुल जन्म इस मासिक प्रतिवेदन के साथ संलग्न जन्म रिपोर्ट प्ररूप (प्ररूप संख्याँ-1) की संख्याँ के बराबर होना चाहिए।

तारीख रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) का नाम

हस्ताक्षर.....

मुख्य रजिस्टार (जन्म-मृत्यु)/ अपर जिला रजिस्टार(जन्म-मृत्यु) को समर्पित।

प्ररुप संख्याँ-12

(नियम 14 देखिए)

मृत्यु का मासिक सारांश प्रतिवेदन

1. माह.....वर्ष..... का प्रतिवेदन
2. जिला.....
3. शहर/ग्राम
4. रजिस्ट्रीकरण इकाई
5. माह में रजिस्ट्रीकरण मृत्युओं का विस्तृत विवरण :

मृत्युओं की संख्याँ			कुल संख्याँ में	
घटना घटित होने के एक वर्ष के अन्दर रजिस्ट्रीकृत	घटना घटित होने के एक वर्ष के बाद रजिस्ट्रीकृत	कुल*	शिशु मृत्यु	मातृ-मृत्यु
1	2	3	4	5

नोट:- शिशु और मातृ मृत्युओं को भी मृत्युओं में शामिल किये जायें।

*इसके साथ सांख्यिकीय प्रतिवेदन प्ररुप संख्याँ-2 संलग्न की जानी है। संलग्न प्ररुप (प्ररुप संख्या-2) की संख्याँ प्रतिवेदित रजिस्ट्रीकृत मृत्युओं की कुल संख्याँ के बराबर होनी चाहिए।

तारीख: रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) का नाम:

और हस्ताक्षर:

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)/ अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को समर्पित करना है।

प्ररुप संख्याँ-13

(नियम 14 देखिए)

मृत्यु-जन्म का मासिक सारांश प्रतिवेदन

1. माह.....वर्ष..... का प्रतिवेदन
2. जिला.....
3. शहर/ग्राम
4. रजिस्ट्रीकरण इकाई
5. रजिस्ट्रीकृत मृत-जन्मों की संख्याँ:*

* रजिस्ट्रीकृत मृत-जन्मों की संख्याँ इस मासिक प्रतिवेदन के साथ संलग्न मृत जन्म रिपोर्ट (प्ररुप संख्याँ-3) की संख्याँ के बराबर होनी चाहिए।

तारीख: रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) का नाम:-

और हस्ताक्षर:-

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) अपर जिला रजिस्टार (जन्म-मृत्यु) को समर्पित करना है।

Government of Bihar
Planning & Development Department
(Directorate of Statistical & Evaluation)

BIHAR REGISTRATION OF BIRTHS AND DEATHS RULES, 1999
NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 30 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969, (18 of 1969) the state Government of Bihar with the approval of the central Government, hereby makes the following rules, namely:

1. Short title- (1) These rules may be called the Bihar Registration of Births and Deaths Rules, 1999
(2) They shall come into force with effect from 1.1.2000 through notification in the official Gazette.
(3) It shall extend to the whole state of Bihar.
(4) These rules will replace the Bihar Registration of Births and Deaths Rules, 1970 and all its subsequent amendments notified from time to time.
2. Definitions- In this rules, unless the context otherwise requires
(a) "Act" means the Registration of Births & Deaths Act, 1969.
(b) "Form" means a form appended to these rules and
(c) "Section" means a section of the Act.
3. Period of gestation:- The period of gestation for the purpose of clause (g) of sub-section (1) of section 2 shall be twenty-eight weeks.
4. Submission of report under section 4 (4) – The report under sub-section (4) shall be Submitted alongwith the statistical report referred to in sub-section(2) of section 19, to the State Government by the Chief Registrar for every year by the 31st July of the year following the year to which the report relates.
5. Form, etc. for giving information of Births & Deaths-
(1) The information required to be given to the Registrar under section 8 or section 9, as the case may be, shall be in Form Nos. 1,2 and 3 for the Registration of a birth, death and still birth respectively, hereinafter to be collectively called the reporting forms. Information if given orally, shall be entered by the Registrar in the appropriate reporting forms and the signature/ Thumb impression of the informant obtained.
(2) The part of the reporting forms containing legal information shall be called the 'legal Part' and the part containing statistical information shall be called the 'Statistical Part'.
(3) The information referred to in sub-rule (1) shall be within twenty one days from the date of birth, death and still-birth.
6. Birth or Death in a vehicle-
In respect of a birth or death in a moving vehicle, the person in charge of the vehicle shall give or cause to be given the information under sub-section (1) of section 8 at the first place of halt.
Explanation- For the purpose of this rule the term "vehicle" means conveyance of any kind used on land, air or water and includes an aircraft, a boat, a ship, a railway carriage, a motor-car, a motorcycle, a cart, a tonga and a rickshaw.
(2) In the case of deaths not falling under clauses (a) to (e) of sub-section (1) of section 8 in which an inquest is held, the officer who conducts the inquest shall give or cause to be. given the information under sub-section (1) of section 8.
7. Form of certificate under section 10 (3)-

The certificate as to the cause of death required under sub-section (3) of section 10 shall be issued in Form No. 4 or 4A and the Registrar shall, after making necessary entries in the register of deaths, forward all such certificates to the Chief registrar or the officer specified by him in this behalf by the 10th of the month immediately following the month to which the certificates relate.

8. Extracts of registration entries to be given under section 12-

(1) The extracts of particulars from the register relating to births or deaths to be given to an informant under section 12 shall be in form No. 5 of Form No. 6 as the case may be.

(2) In the case of domiciliary events of births and deaths referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 8 which are reported direct to the Registrar of Births and Deaths, the head of the house or household as the case may be or, in his absence, the nearest relative of the head present in the house may collect the extracts of birth or death from the Registrar within thirty days of its reporting.

(3) In the case of domiciliary events of births and deaths referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 8 which are reported by persons specified by the State Government under sub-section (2) of the said section, the person so specified shall transmit the extracts received from the Registrar of Births and Deaths to the concerned head of the house of household as the case may be, or, in his absence, the nearest relative of the head present in the house within thirty days of its issue by the Registrar.

(4) In the case of institutional events of births and deaths referred to in clause (b) to (e) of sub-section (1) of section 8, the nearest relative of the new born or deceased may collect the extract from the officer or person in charge of the institution concerned within thirty days of the occurrence of the event of birth or death.

(5) If the extract of birth or death is not collected by the concerned person as referred to in sub-section (2) to (4) within the period stipulated therein, the Registrar or the officer or person in charge of the concerned institution as referred to in sub-rule (4) shall transmit the same to the concerned family by post within fifteen days of the expiry of the aforesaid period.

9. Authority for delayed registration and fee payable thereof-

(1) Any birth or death of which information is given to the Registrar after the expiry of the period specified in rule 5, but within thirty days of its occurrence, shall be registered on payment of a late fee of rupees two.

(2) Any birth or death of which information is given to the registrar after the thirty days but within one year of its occurrence, shall be registered only with the written permission of the officer prescribed in this behalf and on payment of a late fee of rupees five.

(3) Any birth or death which has not been registered within one year of its occurrence, shall be registered only on an order of a Magistrate of the first class or a Presidency Magistrate and on payment of a late fee of rupees ten.

10. Period for the purpose of section 14 –

(1) where the birth of any child had been registered without a name, the parent or guardian of such child shall, within 12 months from the date of registration of the birth of child, give information regarding the name of the child to the Registrar either orally or in writing:

Provided that if the information is given after the aforesaid period of 12 months but within a period of 15 years, which shall be reckoned:-

(1) in case where the registration had been made prior to the date of commencement of the Registration of Births & Deaths (Amendment) rules, 1991, from such date, or

(11) in case where the registration is made after the date of commencement of the Registration of Births & Deaths (Amendment) Rules, 1991, from the date of such registration,

Subject to the provision of sub-section (4) of section 23, the Registrar shall-

(a) if the register is in his possession forthwith enter the name in the relevant column of the concerned form in the birth register on payment of a late fee of rupees five,

(b) if the register is not in his possession and if the information is given orally, make a report giving necessary particulars, and, if the information is given in writing, forward the same to the officer specified by the State Government in this behalf for making the necessary entry on payment of a late fee of rupees five.

(2) The parent or guardian, as the case may be, shall also present to the Registrar the copy of the extract given to him under section 12 or a certified extract issued to him under section 17 and on such presentation the registrar shall make the necessary endorsement relating to the name of the child or take action as laid down in clause (b) of the proviso to sub-rule (1).

11. Correction or cancellation of entry in the register of births and deaths-

(1) If it is reported to the Registrar that a clerical or formal error has been made in the register or if such error is otherwise noticed by him and if the register is in his possession, the Registrar, shall enquire into the matter and if he is satisfied that any such error has been made, he shall correct the error (By correcting or canceling the entry) as provided in section 15 and shall send an extract of the entry showing the error and how it has been corrected to the State Government or the officer specified by it in this behalf.

(2) In the case referred to in sub-rule (1) if the register is not in his possession, the Registrar shall make a report to the State Government or the officer specified by it in this behalf and call for the relevant register and after inquiring into the matter, if he is satisfied that any such error has been made, make the necessary correction.

(3) Any such correction as mentioned in sub-rule (2) shall be countersigned by the State Government or the officer specified by it in this behalf when the register is received from the registrar.

(4) If any person asserts that any entry in the register of births & deaths is erroneous in substance, the Registrar may correct the entry in the manner prescribed under section 15 upon production by that person a declaration setting forth the nature of the error and true facts of the case made by two credible persons having knowledge of the facts of the case.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) and sub-rule (4) the Registrar shall make report of any correction of the kind referred to therein giving necessary details to the State Government or the officer specified in this behalf.

(6) If it is proved to the satisfaction of the Registrar that any entry in the register of births and deaths has been fraudulently or improperly made, he shall make a report giving necessary details to the officer authorised by the Chief Registrar by the general or special order in this behalf under section 25 and on hearing from him take necessary action in the matter.

(7) In every case in which an entry is corrected or cancelled under this rule, intimation thereof should be sent to the permanent address of the person who has given information under section 8 or section 9.

12. Form of register under section 16-

The legal part of the Form Nos. 1,2, and 3 shall constitute the birth register, death register and still-birth register (Form Nos. 7,8 and 9) respectively.

13. Fees and postal Charges payable under section 17-

(1) The fees payable for a search to be made an extract or a non-availability certificate to be issued under section 17, shall be as follow:

	RS.
(a) Search for a single entry in the first year for which the search is made	2.00
(b) For every additional year for which the search is continued	2.00
(c) For granting extract relating to each birth or death	5.00
(d) For granting non-availability certificate of birth or death	2.00

(2) Any such extract in regard to a birth or a death shall be issued by the Registrar or the officer authorised by the State Govt. in this behalf in Form No. 5 or, as the case may be, in Form No. 6 and shall be certified in the manner provided for in section 76 of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872).

(3) If any particular event of births or death is not found registered the Registrar shall issue a non-availability certificate in Form No. 10.

(4) Any such extract or non-availability certificate may be furnished to the person asking for it or sent to him by post on payment of the postal charges thereof.

14. Interval and forms of periodical retruns under section 19 (1) –

(1) Every Registrar shall after completing the process of registration send all the Statistical Parts of the reporting forms relating to each month along with a Summary Monthly Report in Form No. 11 for births, Form No. 12 for deaths Form No. 13 for still-births to the Chief Registrar or the officer specified by him on or before the 5th of the following month.

(2) The officer so specified shall forward all such statistical parts of the reporting forms received by him to the Chief Registrar not later than the 10th of the month.

(15) Statistical report under section 19 (2) -

The statistical report under sub-section (2) of section 19 shall contain the tables in the prescribed formats appended to these rules and shall be compiled for each year before the 31st July of the year immediately following and shall be published as soon as may be thereafter but in any case not later than five months from that date.

16. Conditions for compounding offences-

(1) Any offence punishable under section 23 may , either before or after the institution of criminal proceedings under this Act, be compounded by an officer authorised by the Chief Registrar by a general or special order in this behalf, if the officer so authorised is satisfied that the offence was committed through inadvertence or oversight or for the first time.

(2) Any such offence may be compounded on payment of such sum, not exceeding rupees fifty for offences under sub-sections (1) , (2) and (3) and rupees ten for offences under sub-section(4) of section 23 as the said officer may think fit.

17. Registers and other records under section 30(2) (k)-

(1) The birth register, death register and still birth register shall be records of permanent importance and shall not be destroyed.

(2) The court orders and orders of the specified authorities granting permission for delayed registration received under section 13 by the Registrar shall form an integral Part of the birth register, death register and still-birth register and shall not be destroyed.

(3) The certificate as to the cause of death furnished under sub-section (3) of the section 10 shall be retained for a period of at least 5 years by the Chief Registrar or the officer specified by him in this behalf.

(4) Every birth register, death register and still-birth register shall be retained by the Registrar in his office for a period of twelve months after the end of the calendar year to which it relates and such register shall thereafter be transferred for safe custody to such officer as may be specified by the State Government in this behalf.

By order of the Government of Bihar
Sd./-
Secretary,
Planning and Development Department,
Bihar, Patna.

FORMAT OF THE REPORT ON THE WORKING OF THE ACT

(See Rule 4)

1. Brief description of the State, Its boundaries and revenue districts.
2. Changes in Administrative Areas.
3. Explanation about the differences in Areas.
4. Changes in Registration Area- Extension.
5. Administrative set up of the registration machinery at various levels.
6. General response of the public towards this Act.
7. Notification of births and deaths.
8. Progress in the medical certification of cause of death.
9. Maintenance of Records.
10. Search of births and deaths register for issue of certificates.
11. Delayed registrations.
12. Prosecutions and compounding of offences.
13. Difficulties encountered in implementation of the Act
 - i) Administrative
 - ii) Others.
14. Orders and Instructions issued Under the Act.
15. General remarks.

This Part to be added to the Birth Register

This Part to be detached and sent for statistical processing etc. as the case may be. In the remarks column in the

<p>To be filled by the informant</p> <p>1. Date of Birth: (Enter the exact day. Month and year the child was born e.g. 1-1-2000)</p> <p>2. Sex: (enter "male or "female"; do not use abbreviation)</p> <p>3. Name of the child, if any: (If not named, leave blank)</p> <p>4. Name of the father: (Full name as usually written)</p> <p>5. Name of the mother: (Full name as usually written)</p> <p>6. Place of birth: (Tick the appropriate entry 1 or 2 below and give the name of the Hospital/ Institution or the address of the house where the birth took place)</p> <p>1. Hospital. Institution 2. House</p> <p>7. Informant's name: Address: (After completing all columns 1 to 20, informant will put date and signature here)</p> <p>Date: _____ Signature or left thumb mark of the informant</p>	<p>To be filled by the informant</p> <p>8. Town or Village of Residence of the mother: (Place where the mother usually lives. This can be different from the place where the delivery occurred. The house address is not required to be entered.)</p> <p>a) Name of Town/village: b) Is it a town or village: (Tick the appropriate entry below)</p> <p>1. Town 2. Village</p> <p>c) Name of State:</p> <p>9: Religion of the Family: (Tick the appropriate entry below)</p> <p>1. Hindu 2. Muslim 3. Christian</p> <p>4. Any other religion: (write name of the religion)</p> <p>10. Father's level of education: (Enter this. Completed level of education e.g. if studied upto class VII but passed only class VI, write class VI)</p> <p>11. Mother's level of education: (enter the completed level of education e.g. if studied upto class VII but passed only class VI, write class VI)</p> <p>12. Father's occupation: (If no occupation write 'Nil')</p> <p>13 Mother's occupation: (If no occupation write 'Nil')</p>	<p>To be filled by the informant</p> <p>14. Age of the mother (in completed years) at the time of marriage: (If married more than once, age at first marriage may be entered)</p> <p>15. Age of the mother (in completed Years) at the time of this birth:</p> <p>16. Number of children born alive to the mother so far including this child: (Number of children born alive to include also those from earlier marriage(s), if any)</p> <p>17. Type of attention at delivery: (Tick the appropriate entry below)</p> <p>1. Institutional-Government 2. Institutional-Private of Non-Government 3. Doctor, Nurse or Trained midwife 4. Traditional Birth Attendant 5. Relatives or others</p> <p>18. Method of Delivery: (Tick the appropriate entry below)</p> <p>1. Natural 2. Caesarean 3. Forceps/Vacuum</p> <p>19. Birth Weight (in kgs.) (if available): 20. Duration of pregnancy (in weeks): (columns to be filled are over. Now put signature at left)</p>	<p>Registration No. _____ Registration date: _____</p> <p>Date of Birth: _____</p> <p>Sex: 1. Male 2. Female</p> <p>Place of Birth: 1. Hospital/Institution 2. House</p>
<p>To be filled by the Registrar</p> <p>Registration No. _____</p> <p>Registration Date: _____</p> <p>Registration Unit: _____</p> <p>Town/Village: _____</p> <p>District: _____</p> <p>Remarks: (if any)</p> <p>_____ Name and Signature of the Registrar</p>	<p>To be filled by the Registrar</p> <p>Code No. _____</p> <p>District: _____</p> <p>Tahsil: _____</p> <p>Town/Village: _____</p> <p>Registration Unit: _____</p>	<p>Name and Signature of the Registrar</p>	

Form No.-2 Death Report Legal Information

This Part to be added to the Birth Register

Death Report Statcal Information

this part to be detached and sent for statistical processing

In the case of multiple births, fill in a separate

form for each child and write Twin birth or triple birth etc. as the case may be. In the remarks column in the book

<p>To be filled by the informant</p> <p>1. Date of death: (Enter the exact day. Month and year the Death took place e.g. 1-1-2000)</p> <p>2. Name of the Deceased: (Full name as usually written)</p> <p>3. Name of the Father/Husband: (Full name as usually written)</p> <p>4. Sex of the deceased: (Enter " male" or "female" (do not use abbreviation)</p> <p>5. Age of the deceased(If the deceased was over 1 year of age, give age in completed years. If the deceased was below 1 year of age, give age in months, and if below 1 month give age in completed number of days, and if below one day, in hours)</p> <p>6.. Place of birth: (Tick the appropriate entry 1,2 or 3 below and give the name of the Hospital/ Institution or the address of the house where the death took place)</p> <p>1. Hospital. Name: _____ Institution _____</p> <p>2. House Address: _____</p> <p>Permanent Address of the deceased:</p> <p>7. Informant's name: _____ Address: _____</p> <p>(After completin all columns 1 to 19, informant will put date and singnature here)</p> <p>Date: _____ Signature or left thumb mark of the informant</p> <p>To be filled by the Registrar Registration No. _____ Registration Date: _____ Registration Unit: _____ Town/Village: _____ District: _____ Remarks: (if any) _____</p> <p>Name and Signature of the Registrar _____</p>	<p>To be filled by the informant</p> <p>9. Town or Village of residence of the deceased: (Place where the deceased actually lived. This can be different from the place where the death occurred. The house address is not required to be entered)</p> <p>(a) Name of Town/Village: _____</p> <p>(b) Is it a town or village: (Tick the appropriate entry below)</p> <p>(c) Name of District: _____</p> <p>(d) Name of State: _____</p> <p>10. Religion: (Tick the appropriate entry below)</p> <p>1. Hindu 2. Muslim 3. Christian</p> <p>4. Any other religion: (Write the name of the religion)</p> <p>11. Occupation of the deceased: _____</p> <p>12. Type of medical attention received before death: (Tick the appropriate entry below)</p> <p>1. Institutional 2. Medical attention other than isntitution 3. No medical attention</p>	<p>To be filled by the informant</p> <p>13. Was the cause of death medically certified?: (Tick the appropriate entry below)</p> <p>1. Yes 2. No</p> <p>14. Name of Disease or Actual Cause of Death: (For all deaths irrespective of whether medically certified or not)</p> <p>15. In case this is a female death, did the death occur while pregnant, at the time of delivery or within 6 weeks after the end of pregnancy: (Tick the appropriate entry below)</p> <p>1. Yes 2. No</p> <p>16. If used to habitually smoke- for how many year?</p> <p>17. If used to habitually chew tobacco in any form- for how many years?</p> <p>18. If used to habitually chew a recanut in any form (including pan masala)- for how many years?</p> <p>19 If used to habitually drink alcohol- for how many years?</p>	<p>Registration No. _____ Registration date: _____ Date of Death: _____ Sex: 1. Male 2. Female Place of death: 1. Hospital/Institution 2. House 3. other</p>
<p>To be filled by the Registrar</p> <p>Code No. _____</p> <p>District: _____ Tahsil: _____ Town/Village: _____ Registration Unit: _____</p>	<p>Name and Signature of the Registrar _____</p>		

FORM- NO.-4
(SEE RULE-7)
MEDICAL CERTIFICATE OF CAUSE OF DEATH
(Hospital in-patients. Not to be used for still births)
To be sent to Register along with Form No.-2(Death Report)

Name of the Hospital

I hereby certify that the person whose particulars are given below died in the hospital in Ward No.-..... Onat A.M./P.M.

NAME OF DECEASED					For use of Statistical Office
Age of Death					
Sex	If 1 year or more, age in years	If less than 1 year, age in Month	If less than one month, age in Days	If less than one day, age in Hours	
1. Male 2. Female					
I CAUSE OF DEATH Immediate cause: State the disease injury or complication (a)..... which caused death, not the mode of dying due to(or as a consequence of) Such as heart failure, asthenia, etc. Antecedent cause: Morbid conditions, if any, giving rise to the (b) above Cause, stating underlying conditions due to(or as a consequence of) last.				Interval between on set disease and death approx.	
II Other significant conditions contributing to the death but not related to the disease or conditions causing it.					

Manner of Death:

1. Natural 2. Accident 3. Suicide 4. Homicide
5. Pending Investigation

How did the injury occur?

If deceased was a female, was pregnancy the death associated with? 1. Yes 2. No
If yes, was there a delivery? 1. Yes 2. No

Name and signature of the Medical Attendant certifying the cause of death
Date of Verification.....

SEE REVERSE FOR INSTRUCTIONS

(To be detached and handed over to the relative of the deceased)

Certified that Shri/Smt./KumS/W/D of Shri R/O was admitted to this hospital on and expired on.....

Doctor.....
(Medical Suptd.
Name of Hospital)

MEDICAL CERTIFICATE OF CAUSE OF DEATH

Directions for completing the form

Name of deceased: To be given in full. Do not use initials. If deceased is an infant, not yet named at the time of death, write Son of (S/o), Daughter of (D/o) followed by names of mother and father.

Age: If the deceased was over 1 year of age, give age in completed years. If the deceased was below 1 year of age, give age in months and if below 1 month give age in completed number of days, and if below one day, in hours.

Cause of Death: This part of the form should always be completed by the attending physician personally.

The certification of cause of death is divided into two Parts, I and II, Part I is again divided into three Parts- lines (a), (b) and (c). If a single morbid condition completely explains the deaths, then this will be written on line (a) of Part I and nothing more need be written in the rest of Part I or in Part II. for example Smallpox, lobar, pneumonia, cardiac beri-beri are sufficient cause of death and usually nothing more is needed.

Often, however, a number of morbid conditions will have been present at death, and the doctor must then complete the certification in the proper manner so the the correct underlying cause will be tabulated, First, enter in Part I (a) the immediate cause of death. This does not means the mode of dying, e.g. heart failure, respiratory failure, etc. These terms should not appear on the certificate at all since they are modes of dying and not causes of death. Next consider whether the immediate cause is a complication of delayed result of some other cause. If so, enter the antecedent cause in Part I, line (b). Sometimes there will be three stages in the course of events leading to death. If so, line (c) will be completed. The underlying cause to be tabulated is always written last in part I.

Morbid conditions or injuries may be present which were not directly related to the train of events causing death but which contributed in some way to the fatal outcome. Sometimes the doctor finds it difficult to decide especially for infants deaths, which of several independent conditions was the primary cause of death, but only one cause can be tabulated so the doctor must decide, If the other diseases are not effects of the underlying cause, they are entered in PartII.

Do not write two or more conditions on a single line. Please write the names of the diseases (in full) in the certificates as legibly as possible to avoid the risk of their being misread.

Onset: Complete the column for interval between onset and death, whenever possible, even if very approximately e.g. from birth; several years.

Accidental or violent deaths: Both the external cause and the nature of the injury are needed and should be stated. The doctor or hospital should always be able to describe the injury, stating the part of the body injured, and should give the

external cause in full when this is known, Example: (a) Hypostatic pneumonia, (b) Fracture of neck of femur, (c) Fall from ladder at home.

Maternal deaths: Be sure to answer the questions on pregnancy and delivery. This information is needed for all women of child-bearing age, even though the pregnancy may have had nothing to do with the death.

Old age or senility: Old age (or senility) should be not given as a cause of death if a more specific cause is known. If old age was a contributory factor, it should be entered in Part II, Example: (a) Chronic bronchitis, II Old age.

Completeness of Information: A complete case history is not wanted, but if the information is available enough details should be given to enable the underlying cause to be properly classified.

Example. Anaemia- Give type of anaemia if known. Neoplasms- Indicate whether benign or malignant and site with site of primary neoplasm, whenever possible. Heart disease- Describe the condition specifically, if congestive heart failure, chronic or pulmonals etc. are mentioned give the antecedent conditions. Tetanus- Describe the antecedent injury, if known. Operation- State the condition, for which the operation was performed. Dysentery- Specify whether bacillary, amoebic etc, if known complications of pregnancy or delivery- Describe the complication specifically. Tuberculosis- Give organs effected.

Symptomatic Statement: Convulsions, diarrhoea, fever, ascites, jaundice, debility, etc. are symptoms which may be due to any one or a number of different conditions. Sometimes nothing more is known, but whenever possible, give the disease which caused the symptoms.

Manner of Death: Deaths not due to external cause should be identified as 'Natural'. If the cause of death is known but it is not known whether it was the result of an accident, suicide or homicide and is subject to further investigation, the cause of death should invariably be filled in and the manner of death should be shown as 'Pending investigation'.

FORM- NO.-4 A

(SEE RULE-7)

MEDICAL CERTIFICATE OF CAUSE OF DEATH

(For non-institutional deaths. Not to be used for still births)

To be sent to Register along with Form No.-2(Death report)

I hereby certify that the deceased Shri/Smt/Kum.....son of /wife of/daughter of.....resident ofwas under my treatment from.....to.....and he is die.....on.....at.....A.M./P.M.

Name of Deceased					For use of Statistical Office
Age of Death					
Sex	Age in Completed Years.	If less than 1 year, age in Months	If less than one month, age in Days	If less than one day, age in Hours	
Male Female					
I CAUSE OF DEATH Immediate cause: State the disease injury or complication (a)..... which caused death, not the mode of dying due to(or as a Such as heart failure, asthenia, etc. consequence of) Antecedent cause: Morbid conditions, if any, giving rise to the (b) above Cause, stating underlying conditions due to(or as a last. consequence of) II Other significant conditions contributing to the death but not related to the disease or conditions causing it.				Interval between on set disease and death approx.	

If deceased was a female, was pregnancy the death associated with? 1. Yes 2. No
 If yes, was there a delivery? 1. Yes 2. No
 Name and signature of the Medical Attendant certifying the cause of death
 Date of Certification.....

SEE REVERSE FOR INSTRUCTIONS

.....
 (To be detached and handed over to the relative of the deceased)

Certified that Shri/Smt./KumS/W/D of Shri R/O was under my treatment from toand he /she expired on... .. at A.M./P.M

Doctor.....
 Signature and address of Medical Practitioner/
 Medical attendant with Registration No.

MEDICAL CERTIFICATE OF CAUSE OF DEATH

Directions for completing the Form

Name of deceased: To be given in full. Do not use initials. If deceased is an infant, not yet named at the time of death, write Son of (S/o), Daughter of (D/o) followed by names of mother and father.

Age: If the deceased was over 1 year of age, give age in completed years. If the deceased was below 1 year of age, give age in months and if below 1 month give age in completed number of days, and if below one day, in hours.

Cause of Death: This part of the form should always be completed by the attending physician personally.

The certification of cause of death is divided into two Parts, I and II, Part I is again divided into three Parts- lines (a), (b) and (c). If a single morbid condition completely explain deaths, then this will be written on line (a) of Part I and nothing more need be written in the rest of Part I or in Part II. For example Smallpox, lobar, pneumonia, cardiac beri-beri and sufficient cause of death and usually nothing more is needed.

Often, however, number of morbid condition will have been present at death, and doctor must then complete the certification in the proper manner so the the correct underlying cause will be tabulated, First, enter in Part I (a) the immediate cause of death. This does not means the mode of dying, e.g. heart failure respiratory failure etc. These terms should not appear on the certification at all since they are modes of dying and not causes of death. Next consider whether the immediate cause is a complication of delayed result of some other cause. If so, enter the antecedent cause in Part I, line (b). Sometimes there will be three stages in the course of events leading to death. If so, line (c) will be completed. The underline cause to be tabulated is always written last in part I.

Morbid conditions or injuries may be present which were not directly related to the train of events causing death but which contributed in some way to the fatal outcome. Sometimes the doctor finds it difficult to decide especially for infants death. Which of several independent conditions was the primary cause of death, but only one cause can be tabulated to the doctor must decide, If the other diseases are not effects of the underlying cause, they are entered in PartII.

Do not write two or more conditions on a single line. Please write the names of diseases (in full) in the certificates as legible as possible to avoid the risk of their being misread.

Onset: Complete the column for interval between onset and death, whenever possible, even if very approximately e.g. from birth; several years.

Accidental or violent deaths: Both the external cause and the nature of the injury are needed and should be stated. The doctor or hospital should always be able to describe the injury, stating the part of the body injured, and should give the external cause in full when this is known, Example: (a) Hypostatic pneumonia, (b) Fracture of neck of femor, (c) Fall from ladder at home.

Maternal Deaths: Be sure to answer the questions on pregnancy and delivery. This information is needed for all women of child-bearing age even though the pregnancy may have had nothing to do with the death.

Old age or senility: Old age (or senility) should be not given as a cause of death if a more specific cause is known. If old age was contributory factor, it should be entered in Part II, Example: (a) Chronic bronchitis, II Old age.

Completeness of Information: A complete case history is not wanted, but if the information is available enough details should be given to enable the underlying cause to be properly classified.

Example. Anaemia- Give type of anaemia, if known. Neoplasms- Indicate whether benign or malignant and site with site of primary neoplasm, whenever possible. Heart disease- Describe the condition specifically, if congestive heart failure, chronic or pulmonals etc. are mentioned give the antecedent conditions. Tetanus- Describe the antecedent injury, if known. Operation- state the conditions, for which the operation was performed. Dysentery- Specify whether bacillary, amoebic etc, if known complications of pregnancy or delivery- Describe the complication specifically. Tuberculosis- Give organs effected.

Symptomatic Statement: Convulsions, diarrhoea, fever, ascites, jaundice, debility, etc. are symptoms which may be due to any one or a number of different conditions. Sometimes nothing more is known, but whenever possible give the disease which caused the symptoms.

FORM NO.-5
(See Rule 8)
BIRTH CERTIFICATE
(Issued under Section 12/17)

This is to certify the following information has been taken from the original record of birth which is the register for (Local Area)
Of Tahsil of District
Of State

Name

Sex

Date of Birth

Place of Birth

Name of Father.....

Name of Mother.....

Registration No.-.....

Date of Registration

Date

Signatuer of issuing authority

Seal

FORM No.-6

(Seal Rule-8)

DEATH CERTIFICATE

(Issued under section 12 /S17)

This to certify that the following information has been taken from the original record of death which is the register for (Local Area).....

The register for (Local Area).....

Of Tahsil of District

Of State

Name

Sex

Date of Death.....

Place of Death.....

Permanent adress.....

Name of Mother.....

Registration No.-.....

Date of Registration

Date

Signatuer of issuing authority

Seal

No. disclosure shall be made of Particulars regarding the cause of death as entered in the register. See proviso to section 17(1)

FORM No.-7

(Seal Rule-12)

BIRTH REGISTER

FORM NO.1

BIRTH REPORT

Legal information

This part to be added to the Birth Register

To be filled by the informant

1. **Date of Birth:** (Enter the exact day.

month and year the child was born

e.g. 1-1-2000)

2. **Sex:** (Enter "male or "female";

do not use abbreviation)

3. **Name of the child, if any:**

(If not named, leave blank)

4. **Name of the father:**

(Full name as usually written)

5. **Name of the mother:**

(Full name as usually written)

6. **Place of birth:** (Tick the appropriate entry 1 or 2 below and give the name of the Hospital/ Institution or the address of the house where the birth took place)

1. Hospital.

Name:

Institution

2. House

Address:

7. **Informant's name:**

Address:

(After completin all columns 1 to 20, informant will put date and singnature here)

Date:

Signature or left thumb mark of the informant

To be filled by the Registrar

Registration No.

Registration Date:

Registration Unit:

Town/Village:

District:

Remarks: (if any)

Name and Signature of the Registrar

FORM No.-8

(Seal Rule-12)

DEATH REGISTER

DEATH REPORT

FORM NO.2

Legal information

This part to be added to the Death Register

To be filled by the informant

1. Date of death: (Enter the exact day.

month and year the death took place

e.g. 1-1-2000)

2. Name of the Deceased:

(Full name as usually written)

3. Sex of the deceased:

(Enter " male" or "female"

(do not use abbreviation)

4. Age of the deceased(If the deceased was over

1 year of age, give age in completed years. If the

deceased was below 1 year of age, give age in

months, and if below 1 month give age in completed

number of days, and if below one day, in hours)

5.. Place of death: (Tick the appropriate entry 1,2 or 3 below and give the name of the Hospital/ Institution or the address of the house where the death took place, if other place, give location)

1. Hospital. Name:

Institution

2. House Address:

3. Other place.

6. Informant's name:

Address:

(After completing all columns 1 to 17, informant will put date and signature here)

Date:

Signature or left thumb mark of the informant

To be filled by the Registrar

Registration No.

Registration Date:

Registration Unit:

Town/Village:

District:

Remarks: (if any)

Name and Signature of the Registrar

FORM No.-9

(Seal Rule-12)

STILL BIRTH REGISTER

FORM NO.3

STILL BIRTH REPORT

Legal information

This part to be added to the Still Birth Register

To be filled by the informant	
1. Date of Birth: (Enter the exact day, month and year e.g. 1-1-2000)	
2. Sex: (Enter "male or "female"; Do not use abbreviation)	
3. Name of the father: (Full name as usually written)	
4. Name of the mother: (Full name as usually written)	
5. Place of birth: (Tick the appropriate entry 1 or 2 below and give the name of the Hospital/ Institution or the address of the house where the birth took place)	
1. Hospital.	Name:
Institution	
2. House	Address:
7. Informant's name: Address:	
(After completin all columns 1 to 12, informant will put date and singnature here)	
Date:	Signature or left thumb mark of the informant
To be filled by the Registrar	
Registration No.	Registration Date:
Registration Unit:	
Town/Village:	District:
Remarks: (if any)	
Name and Signature of the Registrar	

FORM No. 10

(See Rule 13)

NON-AVAILABILITY CERTIFICATE

(Issued under Section 17 of the Registration of Births & Deaths Act, 1969)

This is to certify that a search has been made on the request of
Shri/Smt./Kum.....son/wife/d
aughter Of.....in the registration
records for the year(s).....relating to (Local
area)..... of (Tahsil).....
of (District) of
(State).....and found that the event relating to the
birth/death of.....son/daughter
of.....was not registered.

Date.....
authority

Signature of issuing

Seal

FORM No. 11

(See Rule 14)

SUMMARY MONTHLY REPORT OF BIRTHS

1. Report for the Month of: _____ Year: _____

2. District:

3. Town/Village:

4. Registration Unit:

5. Number of Births Registered:

(a) Within one year of their Occurrence:

(b) After one year of their Occurrence:

Total* (a+b):

* Total should be equal to the number of Birth Report Forms (Form No.1) attached with this monthly report.

Signature & Name
Of the Registrar

Dated:

Submitted to the Chief Registrar/District Registrar.

FORM No. 12

(See Rule 14)

SUMMARY MONTHLY REPORT OF DEATHS

1. Report for the Month of: _____ Year _____
2. District:
3. Town/Village:
4. Registration Unit:
5. Details of Deaths Registered during the Month:

Deaths			Infant Deaths	Maternal Deaths
Registered within one year of occurrence	Registered after one year of occurrence	Total*		
1	2	3	4	5

Note: Infant and Maternal Deaths should also be included in the Deaths.

* The Number of Staistical Reporting Form (Form No.2) attached should be equal to the number of deaths registered.

Signature & Name
Of the Registrar

Dated:

Submitted to the Chief Registrar/District Registrar.

FORM No. 13

(See Rule 14)

SUMMARY MONTHLY REPORT OF STILL BIRTHS

1. Report for the Month of:_____ Year:_____
2. District:
3. Town/Village:
4. Registration Unit:
5. Number of Still Births Registered:*

* Number of Still Births Registered should be equal to the number of still Birth Report Form (Form No.3) attached with this monthly report.

Signature & Name
Of the Registrar

Dated:

Submitted to the Chief Registrar/District Registrar.

Table A-1
Population, Registration Units, Monthly Returns Due and Received
(Rural Areas)

Sl No.	District	<u>Population as per last Census</u> Actual	Adjusted for Incomplete Receipt of Returns	No. of Registration Units	No. of Monthly Returns Due
1	2	3	4	5	6

State Total

No. of Monthly Returns not Received	<u>Estimated mid-year population</u> Total	Adjusted for Incomplete Receipt of Returns
---	---	--

7	8	9
---	---	---

Table A-2
Population, Registration Units, Monthly Returns Due and Received
(Rural Areas)

Sl No.	District	<u>Population as per last Census</u> Actual	Adjusted for Incomplete Receipt of Returns	No. of Registration Units	No. of Monthly Returns Due
1	2	3	4	5	6

State Total

No. of Monthly Returns not Received	<u>Estimated mid-year population</u> Total	Adjusted for Incomplete Receipt of Returns
7	8	9

Table B-1
Live Births by Place of Occurrence, Districts (Rural &Urban) and Towns)
With population One Lakh and above.

Sl.	District	<u>Births by Place of Occurrence</u>			<u>Place of Residence of Mother</u>		<u>Place of Residence</u>
		M	F	T	<u>Within the Area</u>	<u>Outside the Area</u>	<u>outside the State</u>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	District-1	R					
		U					
		T					
	Town with population one lakh and above						
		Town-1					
		Town-2					
2	District-2						
<hr/>							
State Total	R						
	U						
	T						
<hr/>							

Table B-2

**Live Births by Place of Residence, Districts(Rural& Urban)and Towns with
Population one Lakh and above.**

Sl No.	District	Births by Place of Residence of Mother			Birth Rate	Place of Occurrence of the Birth	
		M	F	T		Within the Area	Outside the Area
1	2	3	4	5	6	7	8

1	District - 1	R					
			U				
			T				

Towns with population one lakh and above

Town-1

Town-2

2	District-2						
---	------------	--	--	--	--	--	--

State Total R

U

T

Table B-3
Time Gap in Registration of Live Births (Rural & Urban)

Sl	District	RuralNo.							
		Number of Live Births Registered							
		Within Prescribed Time Limit		Delayed Registration					
				Within 30 days		After 30 days but Within 1 year		After 1 year	
		Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

State Total

Urban

Number of Live Births Registered

		Within Prescribed Time Limit		Delayed Registration					
				Within 30 days		After 30 day Within 1 year		After 1 year	
		Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female
11	12	13	14	15	16	17	18		

Table B-4

Live Births by Sex and Month of Occurrence

Sl. District	Sex	Months												Total	
No.		-----													
		January	February	March	April	May	June	July	August	September	Oct.	Nov.	Dec.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			M												
			F												
			T												
State Total		M													
			F												
			T												

Table B-5

Live Births by Type of Attention at Delivery (Rural & Urban)

Rural/Urban	Type of Attention at Delivery					Total	
	<u>Institutional</u>		Doctor, Nurse and Trained Midwife	Traditional Birth Attendant	Relatives and Others		Not Stated
	Government	Private and Non- Government					
1	2	3	4	5	6	7	8

Rural

Urban

(i) Towns with population one lakh and above

Town-1

Town-2

(ii) All other

Urban areas.

Urban Total :-

State Total:

Table B-6
 Live Births by Method of Delivery and Type of Institution for Institutional
 Births (Rural & Urban)

Method of Delivery	<u>Government Hospital</u>			<u>Type of Institution</u> <u>Private and Non- Government</u>			<u>Total</u>		
	R	U	T	R	U	T	R	U	T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Natural									
Caesarean									
Forceps/Vaccum									
Not Stated									
State Total									

Table B-7
Live Births by Age of the Mother and Birth Order (Rural & Urban)

Age of Mother	Birth Order														Total	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 & above	Not Stated		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<u>All Areas/Rural Areas/All Areas</u>																
Below 15																
15-19																
20-24																
25-29																
30-34																
35-39																
40-44																
45 & above																
Age Not stated																
Total																

Table B-8
Live Births by Birth Order and Age of the Mother for Towns with Population 1 Lakh and above

Age of Mother	Birth Order														Total	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 & Above	Not Stated		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Below 15																
15-19																
20-24																
25-29																
30-34																
35-39																
40-44																
45 & above																
Age not stated																
Total																

Table B-9
Live Births by Age and Level of Education of the Mother (Rural & Urban)

Age of Mother	Level of Education of the Mother						Total
	Illiterate	Below Primary	Primary but below Matric	Matric but below Graduate	Graduate & Above	Not Stated	
	2	3	4	5	6	7	8 9
	<u>All Areas/Rural Areas/All Areas</u>						
Below 15							
15-19							
20-24							
25-29							
30-34							
35-39							
40-44							
45 & Above							
Age not stated							
Total-							

Table B-10

Live Births by Level of Education of the Father and Birth Order (Rural & Urban)

Level of Education Of Father	Live Birth Order														Total Not Stated
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 & Above	14	

All Areas/Rural Areas/Urban Areas

Illiterate
Below Primary

Primary but
Below matric

Matric but below
graduate

Graduate & Above
Not Stated
Total

Table D-11
Live Births by Level of Education of the Mother and Birth Order (Rural & Urban)

Level of Education of mother	Live Birth Order														Total	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 & above	Not Stated		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
All Areas/Rural Areas/UrbanAreas																
Illiterate																
Below Primary																
Primary but below matric																
Matric but below graduate																
Graduate & above																
Not Stated																
Total																

Table B-12
Live Births by Age of Mother and Birth Order for each Level of Education of the Mother
(Rural)

Age of Mother	Birth Order														Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 & Above	Not Stated		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

All educational levels/Illiterate/Below Primary/Primary but below Matric/Matric but below Graduate/Graduate & Above.

Below 15

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45 & above

Not stated

Total-

All Educational Level also includes the education level not stated.

Table B-13
Live Births by Age of Mother and Birth Order for each Level of Education of the Mother
(Urban)

Age of Mother	Birth Order														Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 & Above	Not Stated	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

All educational levels/Illiterate/below Primary/Primary but below Matric/Matric but below Graduate/Graduate & Above.

Below 15

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45 & Above

Not stated

Total-

All Educational Level also includes the education level not stated.

Table B-14
Live Births by Age of the Mother, Birth Order and Religion of the Family (Rural)

Age of Mother	Birth Order														Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 & Above	Not Stated	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
All religions*/ Hindus/Muslims/Christians/Sikhs/ Others **															
Below 15															
15-19															
20-24															
25-29															
30-34															
35-39															
40-44															
45 & Above															
Not stated															
Total-															

- Religion not state have been included in “All religions”.
- Miner religions groups have been combined under “others”

Table B-15
Live Births by Age of the Mother, Birth Order and Religion of the Family (Urban)

Age of Mother	Birth Order														Total	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 & Above	Not State		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	All religions*/ Hindus/Muslims/Christians/Sikhs/ Others**															
Below 15																
15-19																
20-24																
25-29																
30-34																
35-39																
40-44																
45 & Above																
Age not stated																
Total-																

- Religion not state have been included in “All religions”.
- Miner religions groups have been combined under “others”

Table B-16
Live Births by Occupation of the Father and Birth Order (Rural & Urban)

Occupation of Father	Birth Order														Total	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 and Above	Not stated		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
All Areas/Rural Areas/Urban Areas																
Professional, Technical and Related workers																
Administrative Executive and Managerial Workers																
Clerical and Related workers																
Sales Workers																
Service workers																
Farmers, Fishermen, Hunters, Loggers etc. and Related Workers																
Production and other related Workers, transport Equipment Operators and Labourers																
Workers whose Occupation are not elsewhere classified																
Non-workers																
Total																

Table B-17
Live Births by Occupation of the Mother and Birth Order (Rural & Urban)

Occupation of Mother	Birth Order														Total	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 and Above	Not stated		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	All Areas/Rural Areas/Urban Areas															
Professional, Technical and Related workers																
Administrative Executive and Managerial Workers																
Clerical and Related workers																
Sales Workers																
Service workers																
Farmers, Fishermen, Hunters, Loggers etc. and Related Workers																
Production and other related Workers, transport Equipment Operators and Laborers																
Workers whose Occupation are not elsewhere classified																
Non-workers																
Total																

Table B-18
Live Births by Duration of Marriage of the Mother and Birth order(Rural & Urban)

Duration Marriage (in Years)	Birth Order														Total		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 and Above	14	Not stated	15	16
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	All Areas/Rural Areas/Urban Areas																
0-4																	
5-9																	
10-14																	
20-24																	
25-29																	
30 & above																	
Not stated																	
Total																	

Table B-19
Live Births by Duration of Marriage and Age of the Mother (Rural & Urban)

Duration of Marriage	Age of Mother										Total
	Below 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 & above	Not Stated		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>All Areas /Rural Areas/Urban Areas</u>										
0-4											
5-9											
10-14											
15-19											
20-24											
25-29											
30 & above											
Not stated											
Total											

Table B-20
Live Births by Duration of Pregnancy and Birth Weight (Rural & Urban)

Duration of Pregnancy (in weeks)	Birth Weight(in Kgs)											
	Less than 1.500			1.500-2.000			2.000-3.000			3.000-4.000		
	R	U	T	R	U	T	R	U	T	R	U	T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<32												
32-36												
37-39												
40												
41+												
Not stated												
Total-												

Birth Weight (in Kgs)						Total		
4.000+			Not Stated					
R	U	T	R	U	T	R	U	T
14	15	16	17	18	19	20	21	22

Table B-21
Live Births by Age of Mother and Birth Weight (Rural & Urban)

Age of Mother	Birth Weight(in Kgs)											
	Less than 1.500			1.500-2.000			2.000-3.000			3.000-4.000		
	R	U	T	R	U	T	R	U	T	R	U	T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Below 15												
15-19												
20-24												
25-29												
30-34												
35-39												
40-44												
45 & Above												
Not stated												
Total-												

Birth Weight (in Kgs)						Total		
4.000+			Not stated					
R	U	T	R	U	T	R	U	T
14	15	16	17	18	19	20	21	22

Table B-22
Live Births by Birth Order and Birth Weight (Rural & Urban)

Birth Order	Birth Weight(in Kgs)											
	Less than 1.500			1.500-2.000			2.000-3.000			3.000-4.000		
	R	U	T	R	U	T	R	U	T	R	U	T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Total-												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10 & above												
not Stated												
Total												

Birth Weight (in Kgs)						Total		
4.000+			Not Stated					
R	U	T	R	U	T	R	U	T
14	15	16	17	18	19	20	21	22

Table B-23
Live Births by Method of Delivery and Age of the Mother (Rural & Urban)

Method of Delivery	Age of Mother									Total	
	Below 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 & Above	Not Stated		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>All Areas /Rural Areas/Urban Areas</u>										
Natural											
Cacsarean											
Forceps											
Vaccum											
Not Stated											
Total											

Table D-1
Deaths by Place of Occurrence, Districts(Rural & Urban) and Towns with
Population One Lakh and above.

Sl. No.	District	Deaths by Place of Occurrence			Place of residence of Deceased		Place of Residence
		M	F	T	Within the Area	Outside the Area	Out side the State
1	2	3	4	5	6	7	8
1	District-1	R					
		U					
		T					
		Town with Population one Lakh and above					
		Town-1					
		Town-2					
2.	District-2	R					
		U					
		T					
State Total		R					
		U					
		T					

Table D-2
Deaths by Place of Residence, Districts(Rural & Urban) and Towns with
Population One Lakh and above.

Sl. No.	District	Deaths by Place of Residence			Death Rate	Place of Occurrence of Death	
		M	F	T		Within the Area	Out side the Area
1	2	3	4	5	6	7	8

1 District-1 R
 U
 T
 Town with Population one Lakh and above
 Town-1
 Town-2

2. District-2
 R
 U
 T

State Total R
 U
 T

Table D-3
Time Gap in Registration of Deaths (Rural & Urban)

Sl. No		District		Rural					
Number of Deaths Registered									
Within Prescribed					Delayed Registration				
Time Limit		Within 30 days			After 30 days but Within 1 year			After 1 Year	
		Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

State Total-

Urban											
Number of Deaths Registered											
Within Prescribed Time Limit				Within 30 Days			Delayed Registration After 30 days but within 1 year			After 1 year	
		Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female		
11	12	13	14	15	16	17	18				

Table D-4
Deaths by Sex and Month of Occurrence

Sl. District Sex	Month												Total		
No.	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

State Total	M.	
	F.	
	T.	

Table D-5
Deaths by Type of Attention at Death (Rural & Urban)

Rural/ Urban	Type of Attention at Death			Total
	Institutional	Medical Attention Other than Institution	No Medical Attention	
1	2	3	4	5
Rural				
Urban				
(i) Towns with Population				
1 Lakh & Above				
Town-1				
Town-2				
(ii) All other Urban areas				
Urban Total				
State Total				

Table D-6
Deaths by Age Sex and Religion of the Deceased (Rural & Urban)

Age	Religion of the Deceased												Total		
	Hindus			Muslims			Christians			Others					
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	All Areas/ Rural Areas/ Urban Areas														
Below 1 year															
1-4															
5-14															
15-24															
25-34															
35-44															
45-54															
55-64															
65-69															
70 and above															
Age not stated															
Total															

- Miner religions groups have been combined under “others”

Table D-7
Deaths by Age, Occupation and Sex (Rural)

Occupation of the deceased	sex										Total		
			10-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-69	70 and above	Age not Stated		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Professional, Technical and Related workers	M												
	F												
	T												
Administrative Executive and Managerial workers	M												
	F												
	T												
Clerical and Related workers	M												
	F												
	T												
Sales workers	M												
	F												
	T												
Service workers	M												
	F												
	T												
Farmers, Fishermen, Hunters, Loggers etc. and Related Workers	M												
	F												
	T												
Production and other related Workers, transport Equipment Operators and Labourers	M												
	F												
	T												
Workers whose Occupation are not elsewhere classified	M												
	F												
	T												
Non-workers	M												
	F												
	T												
Total	M												
	F												
	T												

Table D-8
Deaths by Age, Occupation and sex (Urban)

Occupation of the deceased	sex										Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-69	70 and above	Age not Stated	
Professional, Technical and Related workers	M										
	F										
	T										
Administrative Executive and Managerial workers	M										
	F										
	T										
Clerical and Related workers	M										
	F										
	T										
Sales workers	M										
	F										
	T										
Service workers	M										
	F										
	T										
Farmers, Fishermen, Hunters, Loggers etc. and Related Workers	M										
	F										
	T										
Production and other related Workers, transport Equipment Operators and Laborers	M										
	F										
	T										
Workers whose Occupation are not elsewhere classified	M										
	F										
	T										
Non-workers	M										
	F										
	T										
Total	M										
	F										
	T										

Table D-9
Deaths by Age, Occupation and sex (All Areas)

Occupation of the Deceased	sex										Total
	10-14		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-69	70 and Above	Age not Stated	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Professional, Technical and Related workers	M										
	F										
	T										
Administrative Executive and Managerial workers	M										
	F										
	T										
Clerical and Related workers	M										
	F										
	T										
Sales Workers	M										
	F										
	T										
Service workers	M										
	F										
	T										
Farmers, Fishermen, Hunters, Loggers etc. and Related Workers	M										
	F										
	T										
Production and other related Workers, transport Equipment Operators and Laborers	M										
	F										
	T										
Workers whose Occupation are not elsewhere classified	M										
	F										
	T										
Non-workers	M										
	F										
	T										
Total	M										
	F										
	T										

Table D-10

Deaths by cause of Death, Age and Sex for all Deaths Medically Certified or Not

Sl. No.	Cause of Death	Sex	Age of the Deceased											Total
			Below 1 Year	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-69	70 and above	Age not Stated	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				M										
				F										
				T										
Total				M										
				F										
				T										

Table D-11
Deaths by cause of Death, Age and Sex for Medically Certified Deaths

Sl. No.	Cause of Death	Sex	Age of the Deceased											Total
			Below 1Year	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-69	70 and above	Age not Stated	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				M										
				F										
				T										
Total				M										
				F										
				T										

Table D-12
Infant Deaths by Place of Occurrence, Districts (Rural & Urban) and Towns with
Population One Lakh and above.

Sl No.	District	Deaths by Place of Occurrence			Place of Residence of Mother		Place of Residence out Side the State
		M	F	T	Within the Area	Outside the Area	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	District-1	R					
		U					
		T					
	Town with Population one lakh and above						
	Town -1						
	Town -1						
2.	District -2	R					
		U					
		T					
State Total		R					
		U					
		T					

Table D-13
Infant Deaths by Place of Residence, Districts (Rural & Urban) and Towns with
Population One Lakh and above.

Sl No.	District	Deaths by place of Residence of Mother			Infant Mortality Rate	Place of Occurrence	
		M	F	T		Within the Area	Outside the Area
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	District-1	R					
		U					
		T					
	Town with Population one lakh and above						
	Town -1						
	Town -1						
2.	District -2						
		R					
		U					
		T					
<hr/>							
State Total		R					
		U					
		T					

Table D-14
 Infant Deaths by Age and Sex (Rural & Urban)

Sl. No.	Age	Rural			Urban			All Areas		
		Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	7 days									
2.	7 days-28 days									
3.	28 days-1 year									
4.	Age not stated									
Total										

Table D-15
 Pregnancy Related Deaths by Age Group of the Deceased and Cause of Death for Medically
 Certified Deaths (Rural & Urban)

Cause of Death	Age of the Deceased									Total	
	Below 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 & Above	Not Stated		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	All Areas/ Rural Areas/Urban Areas										

Total

Table D-16

Pregnancy Related Deaths by Age Group of the Deceased and Cause of Death
for all Deaths Medically Certified or not (Rural & Urban)

Cause of Death	Age of the Deceased									Total
	Below 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 & above	Not Stated	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
All Areas/ Rural Areas/Urban Areas										

Total

Table D-17
Pregnancy Related Deaths by Age and Level of Education (Rural & Urban)

Age	Level of Education						Total
	Illiterate	Below Primary	Primary but below Matric	Matric but below Graduate	Graduate & Above	Not Stated	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rural Areas/Urban Areas/All Areas						
Below 15							
15-19							
20-24							
25-29							
30-34							
35-39							
40-44							
45 & Above							
Not stated							
Total-							

Table D-18
 Table D 18: Pregnancy Related Deaths by Age and Occupation (Rural & Urban)

Occupation of the Deceased	Age of the Deceased									Total	
	Below 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 and Above	Not stated		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	All Areas/Rural Areas/Urban Areas										
Professional, Technical and Related workers											
Administrative Executive and Managerial Workers											
Clerical and Related workers											
Sales workers											
Service workers											
Farmers, Fishermen, Hunters, Loggers etc. and Related Workers											
Production and other related workers, transport Equipment Operators and Laborers											
Workers whose Occupation are not elsewhere classified											
Non-workers											
Total											

Table D-19
Deaths by Selected Cause of Death, Age, Sex and Habit (Rural)

Sl. No.	Selected Cause of Death	Sex	Age Group									Total
			Below 15	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-69	70 and above	Age not Stated	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		M-	Only Smoking/ Only Chewing Tobacco/ Only Chewing Arecanut									
		F-	Only Drinking Alcohol/ Smoking and Chewing Tobacco/ Smoking and									
		T	Chewing Arecanut/Smoking and Drinking Alcohol/ Chewing Tobacco and Arecanut/ Chewing Tobacco and Drinking Alcohol/Chewing Arecanut and Drinkin Alcohol / Smoking, Chewing Tobacco and Arecanut/smoking,chewing Tobacco and Drinking alcohol/Smoking, Chewing Arecanut and Drinking Alcohol/Chewing Tobacco, Arecanut and Drinking Alcohol/All Habit / Habit Not Known									

Table D-20
Deaths by selected Cause of Death, Age, Sex and Habit (Urban)

Sl.No.	Selected Cause of Death	Sex	Age Group									Total
			Below 1-4	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-69	70 and Above	Age not Stated	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		M-	Only Smoking/ Only Chewing Tobacco/ Only Chewing Arecanut/									
		F-	Only Drinking Alcohol/ Smoking and Chewing Tobacco/ Smoking a									
		T	Chewing Arecanut/Smoking and Drinking Alcohol/ Chewing Tobacco and Arecanut/ Chewing Tobacco and Drinking Alcohol/Chewing Arecanut and Drinking Alcohol / Smoking, Chewing Tobacco and Arecanut/ smoking, Chewing Tobacco and Drinking alcohol/Smoking, Chewing Arecanut and Drinking Alcohol/Chewing Tobacco, Arecanut and Drinking Alcohol/All Habit/Habit Not Known									

Table D-21
Deaths by selected Cause of Death, Age, Sex and Habit (All Areas)

Sl. No.	Selected Cause of Death	Sex	Age Group									Total
			Below 1-4	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-69	70 and above	Age not Stated	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		M-	Only Smoking/ Only Chewing Tobacco/ Only Chewing Arecanut									
		F-	Only Drinking Alcohol/ Smoking and Chewing Tobacco/ Smoking and									
		T	Chewing Arecanut/Smoking and Drinking Alcohol/ Chewing Tobacco and Arecanut/ Chewing Tobacco and Drinking Alcohol/Chewing Arecanut and Drinking Alcohol / Smoking, Chewing Tobacco and Arecanut/Smoking, Chewing Tobacco and Drinking alcohol/Smoking, Chewing Arecanut and Drinking Alcohol/Chewing Tobacco, Arecanut and Drinking Alcohol/ All Habit/Habit Not Known									

Table S-1
Still Births by Place of Occurrence in Districts (Rural & Urban)

Sl. No.	District	Still Births by Place of Occurrence			Place of Residence of mother		Place of Residence out side the State
		<u>M</u>	<u>F</u>	<u>T</u>	<u>Within the Area</u>	<u>Outside the Area</u>	
1	2	3	4	5	6	7	8

State Total	R	U	T	
-------------	---	---	---	--

Table S-2
Still Births by place of Residence in Districts (Rural & Urban)

Sl.	District	Still Births by Place of Residence of Mother			Still Birth Rate	Place of Occurrence of still Births	
		M	F	T		Within the Area	Outside the Area
1	2	3	4	5	6	7	8

State Total R
U
T

Table S-3
Still Births by Sex and Age of the Mother (Rural & Urban)

Age of Mother	Still Births								
	Rural Areas			Urban Areas			All Areas		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Blow 15 Years									
15-19									
20-24									
25-29									
30-34									
35-39									
40-44									
45 & above									
Age not stated									
Total-									

Table S-4
Still Births by Sex and Duration of Pregnancy (Rural & Urban)

Duration of Pregnancy (In Weeks)	Still Births								
	Rural Areas			Urban Areas			All Areas		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<32									
32-36									
37-39									
40									
41+									
Not stated									
Total-									

Table S-5
Still Births by Sex and Type of Medical Attention
Received at Delivery (Rural & Urban)

Rural/Urban	Type of Attention at Delivery						Total
	<u>Institutional</u>		Doctor, Nurse and Trained Midwife	Traditional Birth Attendant	Relatives and Others	Not Stated	
	Government	Private and Non -Government					
1	2	3	4	5	6	7	8

Rural							
Urban							
(i) Towns with population one lakh and above							
Town -1							
Town - 2							
All other							
Urban areas							
Urban Total							

State Total							

Table S-6

Still Births by cause of still Births and Age of the Mother (Rural & Urban)

Sl. No.	Cause of Still Births	Age of Mother									Total
		Below 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 and Above	Age not Stated	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Rural Areas/Urban Areas/All Areas

Total

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
सरकार के सचिव।

Table S-7
Still Births by cause of still Births and Age of the Mother (Rural & Urban)

Sl.	Age of	Duration of Pregnancy (in weeks)					Total	
No.	Mother	Below 32	32-36	37-39	40	41+	Not Stated	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rural Areas/ Urban Areas/All Areas								

Total

गुमशुदा व्यक्ति से संबंधित मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में भारत सरकार
का स्पष्टीकरण।

गुमशुदा व्यक्ति से संबंधित

तार : 'जनगणना'

Telegram: "REGGENLIND"

सं०1.12.87-जीवनांक (समन्वय-हि.प्र.)

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS/

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खंड-1, आर.के.पुरम,

V. S. DIVISION, WEST BLOCK-1, R.K. PURAM,

नई दिल्ली, दिनांक 15.09.2000

New Delhi, Dated

सेवा में,

मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु
तथा निदेशक सांख्यिकी और मूल्यांकन,
बिहार,
पुराना सचिवालय, बैरक नं. 17,
पटना-800015

भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के कार्यालय को विभिन्न राज्यों के मुख्य रजिस्ट्रार के कार्यालयों से काफी पत्र प्राप्त हो रहे हैं जिनमें "गुमशुदा व्यक्ति" की मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में स्पष्टीकरण मांगे गए हैं जिन्हें उनके गुम होने की तारीख से सात वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर न्यायालय द्वारा माने जाने के उपरांत मृत घोषित कर दिया गया है। ऐसे व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण के मामले में यह स्पष्ट नहीं है कि गुमशुदा व्यक्तियों की मृत्यु की तारीख और स्थान का निर्धारण किस प्रकार से किया जायेगा। यह मामला विधि और न्याय मंत्रालय को भेजा गया था और उनके द्वारा दी गई सलाह से संबद्ध उद्धरण नीचे दिया जाता है।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 107 और 108 इस बात के सबूत के भार और उपधारणा से संबंधित है कि क्या व्यक्ति मृत है या जीवित। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह लक्ष्मी अमै बनाम आर. गोपाल पातर ए. आई.आर. 1995 एस.सी. 999 में यह निर्णय दिया है कि धारा 108 के अंतर्गत इस बात की कोई उपधारणा नहीं है कि व्यक्ति की मृत्यु किस विशिष्ट तारीख को हुई या सात वर्ष किस तारीख को समाप्त हुए। साधारणतया, जिस व्यक्ति के बारे में सांविधिक अवधि तक कुछ भी पता न चले उसे सात वर्ष पूरा होने के पश्चात् ही मृत माना जाएगा उससे पहले नहीं।

जहां तक सात वर्ष से अधिक समय तक गुमशुदा व्यक्ति की मृत्यु की तारीख और स्थान के निर्धारण का संबंध है, यह एक तथ्यपूरक प्रश्न है और सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा उनके सामने इस संबंध में प्रस्तुत किए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर इनका निर्धारण किया जाए। चूंकि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार अधिनियम तथा नियमों में गुमशुदा व्यक्ति की मृत्यु की तारीख और स्थान के निर्धारण के प्रश्न के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है अतः इस प्रयोजन के लिए दायर किये गए घोषणात्मक वाद में न्यायालय द्वारा निर्धारित तारीख पर निर्भर किया जा सकता है।

भवदीय।

ह0/-

(नन्द लाल)

वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी।

राशन कार्ड पर शिशु का नाम अंकित कराते समय जन्म प्रमाण-पत्र प्रस्तुत
करने के
सम्बन्ध में।

बिहार सरकार,
खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग।

पत्रांक-प्र०6-ख०का०-02/2002/4446/ आ०वा०,पटना-15,दिनांक 1 नवम्बर,2002।

प्रेषक

श्री के० एम० शर्मा
सरकार के उप सचिव

सेवा में

सभी जिला पदाधिकारी
अपर समाहर्ता (आ०) पटना।
सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी।

विषय:-राशन कार्ड पर शिशु का नाम अंकित कराते समय जन्म प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के
सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त निदेशक-सह-मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) बिहार, पटना
पत्रांक-1245, दिनांक-10.9.2002 पर सम्यक विचारोपरांत सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया है
कि जन्म की घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण में गुणात्मक वृद्धि लाने एवं राशन कार्ड में गलत नाम
की प्रविष्टि की संभावना को नियंत्रित करने के उद्देश्य से राशन कार्ड पर नवजात शिशु का नाम
अंकित कराते समय उसके जन्म प्रमाण-पत्र की माँग की जाय एवं जन्म प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने
पर ही नवजात शिशु का नाम राशन कार्ड में अंकित की जाय।

अनुरोध है कि सरकार के उक्त निर्णय का दृढ़ता से कार्यान्वयन कराने की कृपा की
जाय तथा इसके कार्यान्वयन एवं प्रगति की नियमित सूचना निदेशक-सह-मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं
मृत्यु) सांख्यिकी एवं मुल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना को दी जाय।

विश्वासभाजन

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-4446 आ०वा०,पटना-15,दिनांक 1 नवम्बर,2002।

प्रतिलिपि- निदेशक-सह-मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) सांख्यिकी एवं मुल्यांकन निदेशालय, बिहार,
पटना को उनके पत्रांक-1245, दिनांक 10.9.2002 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण 1969, धारा 7 के अन्तर्गत प्रशाखा/मुख्य कार्यपाल पदाधिकारी को पदेन संबंधित नगर निगम क्षेत्र के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त करने के संबंध में।

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

अधिसूचना

संख्या-जी0सां0वि0-1/98/1462 पटना दिनांक 18.10.2002

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा-7 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशाखा/मुख्य कार्यपालक पदा0 को पदेन संबंधित नगर निगम क्षेत्र के लिए रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) के पद पर तात्कालिक प्रभाव से नियुक्त किया जाता है।

नगर निगम में चिकित्सा पदाधिकारी की पदस्थापन नहीं होने की स्थिति में उक्त व्यवस्था के अनुरूप प्रशासक/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) के कार्य का सम्पादन करेंगे। सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक-1332 दिनांक 27.9.2002 के द्वारा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, गया नगर निगम, गया को रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु), गया नगर निगम, गया के रूप में कार्य करने हेतु दी गई औपबंधिक स्वीकृति नियमित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

सचिव,

योजना एवं विकास विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1462 पटना दिनांक 18.10.2002

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि वे उपर्युक्त अधिसूचना को बिहार राज पत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर उसकी 100 अतिरिक्त प्रतियां निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना को प्रेषित करने की कृपा करें।

ह0/-

सचिव,

योजना एवं विकास विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1462 पटना दिनांक 18.10.2002

प्रतिलिपि:- महारजिस्ट्रार, भारत, गृह मंत्रालय, जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-1, रामकृष्ण पुरम नई दिल्ली- 110066 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सचिव,

योजना एवं विकास विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1462 पटना दिनांक 18.10.2002

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/बिहार सरकार के सभी विभागों के आयुक्त एवं सचिव/सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सचिव,

योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1462 पटना दिनांक 18.10.2002

प्रतिलिपि:- निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय,बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त-सह-जिला रजिस्ट्रार(जन्म एवं मृत्यु)/अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर, पटना सिटी/गया सदर,/मुजफ्फरपुर सदर/दरभंगा सदर/भागलपुर सदर /सभी प्रमंडलीय संयुक्त/उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सह-अपर जिला रजिस्ट्रार(जन्म एवं मृत्यु)/प्रशासक/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/ सभी नगर निगम/ चिकित्सा पदाधिकारी / सभी नगर निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सचिव,

योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

नारायण

राज्य के छः चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में मृत्यु के कारणों के
चिकित्सा प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में अधिसूचना।

योजना एवं विकास विभाग
सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय

अधिसूचना

सं०- जी० सां० का० 4/2002/...../ जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1969 की धारा 30 की द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-10(2) के अन्तर्गत राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित 6 (छः) चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल द्वारा मृत्यु के कारणों का चिकित्सा प्रमाण-पत्र (विहित प्रपत्र संख्या-4 में) निर्गत किया जाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य करती है:-

- (1) पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना-4
- (2) नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना-7
- (3) श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर
- (4) दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, दरभंगा
- (5) जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर
- (6) अनुग्रह नारायण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, गया।

उक्त प्रमाण-पत्र संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के उपाधीक्षक-सह-रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) को मृत्यु के अंतिम क्षण में चिकित्सा करने वाले विभिन्न वार्डों के चिकित्सकों द्वारा समर्पित किया जायेगा। विभिन्न विभागों विभागों /वार्डों के चिकित्सकों, जिन्होंने मृतक की मृत्यु के ठीक पूर्व चिकित्सा की है, से उक्त प्रमाण-पत्र (प्रारूप संख्या-4में) प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के उपाधीक्षक-सह-रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) द्वारा मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा। सरकार की अधिसूचना संख्या-492 दिनांक 03.03.2000 द्वारा बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1999 का अनुलग्नक प्रारूप संख्या-4 अधिसूचित है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
सचिव,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।
पटना, दिनांक 19/02/2003

ज्ञापांक 398

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को प्रेषित करते हुए उनसे अनुरोध है कि वे उपर्युक्त अधिसूचना को बिहार राज पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कर उसकी 500 प्रतियां निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना को प्रेषित करने की कृपा करें।

सचिव,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-398 पटना दिनांक 19.02.2003

प्रतिलिपि:- महारजिस्ट्रार, भारत,गृह मंत्रालय, जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-1, रामकृष्ण पुरम नई दिल्ली- 110066 को उनके कार्यालय पत्रांक-3/4/2000- जीवनांक (एम0सी0सी0डी0)दिनांक 09.08.2002 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सचिव,

योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-398 पटना दिनांक 19.02.2003

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/बिहार सरकार के सभी विभागों के आयुक्त एवं सचिव/सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सचिव,

योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-398 पटना दिनांक 19.02.2003

प्रतिलिपि:- निदेशक, जनगणना परिचालन,बिहार, बोरिंग कैनाल रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सचिव,

योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-398 पटना दिनांक 19.02.2003

प्रतिलिपि:- निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय,बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त-सह-जिला रजिस्ट्रार(जन्म एवं मृत्यु)/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी)/ सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सह-अपर जिला रजिस्ट्रार(जन्म एवं मृत्यु)/अधीक्षक उपाधीक्षक-सह-रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सचिव,

योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

पंचायत सेवक को पंचायत क्षेत्र के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त करने हेतु
निबंधन संख्या पी0 टी0-12

बिहार गजट

सत्यमेव जयते

का

पूरक (अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

3 बैशाख 1925(श०)

संख्या 17

पटना, बुधवार, -----

23 अप्रैल 2003(ई०)

➤ इस भाग की पृष्ठ संख्या अलग दी गई है ताकि इसका अलग संकलन किया जा सके।

विषय- सूची

अधिसूचना: पंचायत सेवा को पंचायत क्षेत्र के लिए रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) नियुक्त
130-133 किया जाना।

अधिसूचना: कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष नगरपालिका 134-136,
अधिसूचित क्षेत्र समिति को संबंधित नगरपालिका/अधिसूचित क्षेत्र समिति के लिए
रजिस्ट्रार(जन्म-मृत्यु) नियुक्त किया जाना।

बिहार गजट का पूरक (अ०)

योजना एवं विकास विभाग
(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

अधिसूचना

27 दिसम्बर, 2002।

सं०जी०सा०का० 2/2001-1751-योजना एवं विकास विभाग (सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय), बिहार पटना द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या, 1699 दिनांक 14 मई, 1971 के द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1969 की धारा 7 की उप-धारा 1, के अधीन पंचायत सेवक को पंचायत क्षेत्र के लिए रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) नियुक्त किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग (पंचायत राज निदेशालय) बिहार, पटना द्वारा निर्गत अधिसूचना सं० 4प/ग्रा०2/202/2001-2295 ग्रा०प्र०, दिनांक 27 जुलाई 2001 के द्वारा बिहार राज्य में पंचायत राज व्यवस्था लागू किए जाने के कारण पंचायत सेवक को उसके पदनाम में संशोधन कर ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार नगर विकास विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 2650 एवं 2651, दिनांक 30 अगस्त, 2001 तथा अधिसूचना सं० 3168, दिनांक 10 अक्टूबर, 2001 के द्वारा नगरपालिका तथा अधिसूचित क्षेत्र समिति का नाम में संशोधन कर क्रमशः नगर परिषद् एवं नगर पंचायत अधिसूचित किया गया है।

इसलिए, अब, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 7 की उप-धारा- 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचनाओं के आलोक में योजना एवं विकास विभाग (सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय), बिहार पटना की अधिसूचना संख्या 1699, दिनांक 14 मई, 1971 में प्रयुक्त शब्द “पंचायत सेवक” शब्द “ग्राम पंचायत सचिव” द्वारा एवं शब्द “पंचायत क्षेत्र” शब्द “संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र” द्वारा क्रमशः प्रतिस्थापित किये जाते हैं। इसी प्रकार शब्द “चिकित्सा पदाधिकारी नगर निगम/नगरपालिका/अधिसूचित क्षेत्र समिति” शब्द “चिकित्सा पदाधिकारी, नगर निगम, नगरपरिषद्/नगरपंचायत एवं तदनुसार संबंधित नगर निगम / नगरपालिका /अधिसूचित क्षेत्र सक्रमकत” शब्द “संबंधित नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत” द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं। नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों की सूची अनुसूची “क” के रूप में इसके अधीन संलग्न है।

इस हद तक योजना एवं विकास विभाग (सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय), बिहार पटना की अधिसूचना संख्या, 1699, दिनांक 14 मई, 1971 को तुरन्त के प्रभाव से संशोधित समझा जाय।

बिहार /राज्यपाल के आदेश से,

(ह०) अस्पष्ट

सरकार के सचिव।

चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों, सदर अस्पतालों, अनुमंडलीय एवं सम्प्रेषण अस्पतालों में जन्म-मृत्यु की घटनाओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से किये जाने के संबन्ध में।

ल0 स0 12/प0 23.05.2004/597 प0 क0 पटना/दिनांक 26.03.04

प्रेषक

निदेशक-प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल
सभी असैनिक शल्य चिकित्सक सह-मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी।

विषय:- चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों, सदर अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पतालों एवं सम्प्रेषण अस्पतालों में जन्म-मृत्यु की घटनाओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से किये जाने के संबन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि जन्म-मृत्यु की घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण में अपेक्षित सुधार हेतु चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों, सदर अस्पतालों एवं अनुमंडलीय अस्पतालों के उपाधीक्षकों तथा सम्प्रेषण अस्पतालों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को योजना एवं विकास विभाग (सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय) की अधिसूचना संख्या- 210 दिनांक 19.12.1980 द्वारा अस्पतालों में होनेवाली घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण हेतु रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) नियुक्त किया गया है। निदेशक सांख्यिकी एवं मूल्यांकन-सह- मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) बिहार, पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त व्यवस्था के बावजूद चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों सदर अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पतालों एवं सम्प्रेषण अस्पतालों में नियमानुसार विहित प्रारूपों में जन्म-मृत्यु एवं मृत्यु-जन्म की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि उक्त अस्पतालों में होनेवाली जन्म-मृत्यु की घटनाओं को अस्पताल के निर्धारित रजिस्ट्रार में तो अंकित कर लिया जाता है, लेकिन जन्म-मृत्यु एवं मृत्यु-जन्म के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित प्रारूप संख्या 1,2 एवं 3 में उन घटनाओं को विधिवत रजिस्ट्रीकृत कर प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है। पणाम स्वरूप आम नागरिकों को जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्राप्ति में आवश्यक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध है कि उक्त अस्पतालों में होने वाली जन्म, मृत्यु एवं मृत-जन्म की प्रत्येक घटना का रजिस्ट्रीकरण क्रमशः विहित प्रारूप संख्या 1,2 एवं 3 में अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल एवं सम्प्रेषण अस्पताल में जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कार्य के समक्ष कार्यान्वयन के निमित्त आवश्यक है कि अस्पताल के रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) के अतिरिक्त किसी एक कार्यकर्ता को इस कार्य का दायित्व सौंपा जाय। इस हेतु अपने स्तर से कार्य आवंटित पदाधिकारियों को निर्देशित किया जाय। अस्पतालों के रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं सम्बद्ध कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण का आयोजन कर जिल सांख्यिकी पदाधिकारी सह-अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) से सम्पर्क कर उन्हें प्रशिक्षित कराने की भी व्यवस्था करायी जाय, ताकि उक्त अस्पतालों में नियमानुसार जन्म-मृत्यु की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण संभव हो सके। इस संबंध में (प.क.) स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक 12/प.32-84-1958 (प.क.) स्वा0 दिनांक 18 जुलाई 1988 (छाया प्रति संलग्न) भी संदर्भित है। प्रत्येक माह की समाप्ति के पश्चात आगामी माह की 10वीं तारीख तक जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण से संबंधित सांख्यिकीय भाग के साथ संबंधित माह का मासिक सारांश प्रतिवंदन प्ररूप संख्या 11,12 एवं 13 में जिल सांख्यिकी पदाधिकारी-सह-अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) को संबंधित रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा प्रेषित किया जायेगा।

अतः आवश्यक है कि उपर्युक्त व्यवस्था का दृढ़ता से पालन कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कार्य में गुणात्मक एवं परिणात्मक सुधार परिलक्षित हो।
विश्वासभाजन

निदेशक-प्रमुख
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार,
पटना।

ज्ञापांक-597 (प.क.), पटना, दिनांक 26 मार्च 04

प्रतिलिपि- निदेशक जनगणना परिचालन सह संयुक्त महारजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) बोरिंग कनाल रोड, पटना।

प्रतिलिपि- सांख्यिकी निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन-सह-मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक- प्रमुख
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार,
पटना।

ऑगनवाड़ी सेविका को अधिसूचक के रूप में नियुक्त किये जाने के संबंध में अधिसूचना।

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय।

अधिसूचना संख्या-सं०- जी० सां० का०-1/2004 1062/पटना, दिनांक 17.05.04

अधिसूचना

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रकरण अधिनियम 1969 की धारा 10 की उपधारा (i)(ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऑगनवाड़ी सेविका, समेकित बाल विकास परियोजना को जन्म - मृत्यु की घटनाओं की सूचना संबंधित रजिस्ट्रार(जन्म-मृत्यु)का देने हेतु अधिसूचक के रूप में नियुक्त किया जाता है। इस कार्य के सम्पादन हेतु उनका कार्य क्षेत्र वही होगा, जो विभागीय कार्य के सम्पादन हेतु उन्हें आवंटित है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
सचिव,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1062

पटना, दिनांक 17,मई, 2004

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के अगले अंक प्रकाशनार्थ प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना की (20,000)बीस हजार अतिरिक्त प्रतियां निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय-सह-मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु),बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

सचिव,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1062

पटना, दिनांक 17,मई, 2004

प्रतिलिपि:- महारजिस्ट्रार, भारत,गृह मंत्रालय, जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-1, रामकृष्ण पुरम नई दिल्ली- 110066 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
सचिव,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1062 पटना दिनांक 17.05.2004

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार,विकास आयुक्त, बिहार,बिहार राज्य के साथ विभागों के आयुक्त एवं सचिव/सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
सचिव,
योजना एवं विकास विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1062 पटना दिनांक 17.05.2004

प्रतिलिपि:- निदेशक, समेकित बाल विकास परियोजना, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

प्रेषित।

ह०/-

सचिव,

योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1062 पटना दिनांक 17.05.2004

प्रतिलिपि:- निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय-सह-मुख्य रजिस्ट्रार,(जन्म एवं मृत्यु)बिहार,

पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त-सह-जिला

रजिस्ट्रार(जन्म एवं मृत्यु)/ /सभी प्रमंडलीय संयुक्त/उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सांख्यिकी

पदाधिकारी सह-अपर जिला रजिस्ट्रार(जन्म एवं मृत्यु)/ सभी अनुमंडल पदाधिकारी/ सभी प्रखंड

विकास पदाधिकारी-सह- अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/सभी बाल विकास परियोजना

पदाधिकारी/सभी ग्राम पंचायतसचिव-सह-रजिस्ट्रार(जन्म एवं मृत्यु) सभी आंगनवाड़ी सेविका, समेकित

वाल विकास परियोजना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सचिव,

योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत दण्डणीय अपराध के लिए अभियोजन संस्थित करने के निमित्त जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को प्राधिकृत करने के संबंध में।

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

संचिका संख्या-जी0सां0कार्या0 02/2004/1214

दिनांक 02.06.2004

प्रेषक:- श्री विजय प्रताप सिंह,
निदेशक-सह-मुख्य रजिस्ट्रार
(जन्म एवं मृत्यु)
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

पटना दिनांक 02.06.2004

विषय:- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत दण्डणीय अपराध के लिए अभियोजन

संस्थित करने के निमित्त जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को प्राधिकृत करने के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा-25 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डणीय अपराध के लिए अभियोजन संस्थित करने के निमित्त जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जाता है। तदनुसार जिला के सक्षम न्यायालय में उनके द्वारा अभियोजन संस्थित किया जाएगा।

अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णय की सूचना कृपया जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को दी जाय, ताकि अभियोजन संस्थित करने में उन्हें कठिनाई न हो।

विश्वासभाजन,

ह0-

निदेशक-सह-मुख्य रजिस्ट्रार

(जन्म एवं मृत्यु)

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 1214 पटना दिनांक 02.06.2004

प्रतिलिपि:- सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0-

निदेशक-सह-मुख्य रजिस्ट्रार

(जन्म एवं मृत्यु)

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 1214 पटना दिनांक 02.06.2004

प्रतिलिपि:- (i)सभी उप विकास आयुक्त-सह-जिला रजिस्ट्रार(जन्म एवं मृत्यु)/

(ii)सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सह-अपर जिला रजिस्ट्रार(जन्म एवं मृत्यु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0-

निदेशक-सह-मुख्य रजिस्ट्रार
(जन्म एवं मृत्यु)
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 1214 पटना दिनांक 02.06.2004

प्रतिलिपि:- सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सांख्यिकी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0-

निदेशक-सह-मुख्य रजिस्ट्रार
(जन्म एवं मृत्यु)
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 1214 पटना दिनांक 02.06.2004

प्रतिलिपि:- महारजिस्ट्रार, भारत,गृह मंत्रालय, जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-1, रामकृष्ण पुरम नई दिल्ली- 110066 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0-

निदेशक-सह-मुख्य रजिस्ट्रार
(जन्म एवं मृत्यु)
बिहार, पटना।

राज्य स्तर एवं असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर पर प्रतिमाह चिकित्सा संस्थानों में होने वाली जन्म-मृत्यु की घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण की समीक्षा किये जाने के संबंध में।

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग
(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

जी०सां०प्र०-1/2004

पत्रांक 893 पटना, दिनांक 28.04.2005

प्रेषक,

विजय कुमार वर्मा
सचिव।

सेवा मे,

आयुक्त एवं सचिव,
स्वास्थ्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:-राज्य स्तर एवं असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर पर प्रतिमाह चिकित्सा संस्थानों में होने वाली जन्म-मृत्यु की घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण की समीक्षा किये जाने के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत है कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म-मृत्यु की प्रत्येक घटना का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक एवं रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) नियुक्त किया गया है। इसके बावजूद इन चिकित्सा संस्थानों में घटित जन्म-मृत्यु की घटनाओं की रजिस्ट्रीकरण की स्थिति संतोषप्रद नहीं है। उक्त अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत चिकित्सा संस्थानों में होने वाली जन्म-मृत्यु की घटना की सूचना संबंधित रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) को घटना के 21 दिनों के अन्दर चिकित्सा संस्थान के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दी जानी है।

उक्त सरकारी चिकित्सा संस्थानों के अतिरिक्त अन्य सरकारी चिकित्सा संस्थानों एवं गैर सरकारी चिकित्सा संस्थानों यथा- नर्सिंग होम, मातृत्व केन्द्र आदि से जन्म-मृत्यु की घटनाओं की सूचना विहित प्रपत्र में संबंधित रजिस्ट्रार(जन्म-मृत्यु) को दिये जाने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराये गये हैं। इसके बावजूद उक्त चिकित्सा संस्थानों से (जन्म-मृत्यु) की घटनाओं की सूचना संबंधित रजिस्ट्रार को प्रेषित किये जाने की स्थिति में प्रगति नहीं हो पायी है। परिणामस्वरूप चिकित्सा संस्थानों की अधिकांश घटनाएँ अरजिस्ट्रीकृत रह जाती हैं।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि राज्य स्तर पर असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों की हाने वाली बैठक में जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कार्य की समीक्षा कृपया की जाय। साथ ही उन्हें यह भी निदेशित किया जाय कि उनके स्तर पर चिकित्सा पदाधिकारियों/कार्मिकों की होने वाली मासिक बैठक में भी जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कार्य की प्रगति की समीक्षा की जाय।

विश्वासभाजन

सचिव

योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

नागरिक रजिस्ट्रकरण के उन्नयन हेतु समिति के गठन के अधिसूचना
बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

अधिसूचना

संख्या- जी0सां0प्रो0-3/2005 1042/

पटना, दिनांक 12.05.05

नागरिक रजिस्ट्रकरण के उन्नयन हेतु राज्य स्तरीय समिति निम्नरूपेण गठित की जाती है:-

1.	निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन -सह- मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु),बिहार	-	अध्यक्ष
2.	निदेशक, समेकित बाल विकास परियोजना, बिहार	-	सदस्य
3.	निदेशक, प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार	-	सदस्य
4.	निदेशक, पंचायती राज, बिहार	-	सदस्य
5.	नगर विकास विभाग, बिहार द्वारा मनोनीत एक प्रतिनिधि	-	सदस्य
6.	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार	-	सदस्य
7.	युनिसेफ की बिहार इकाई द्वारा मनोनित दो प्रतिनिधि	-	सदस्य
8.	संयुक्त निदेशक, जीवनांक -सह- संयुक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु), बिहार	-	सदस्य सचिव

समिति के कार्य निम्नांकित होंगे:-

- (i) नागरिक रजिस्ट्रीकरण के उन्नयन हेतु कार्य योजना तैयार करना।
- (ii) कार्य योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा ।
- (iii) जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण में अपेक्षित सुधार हेतु सुझाव देना।

समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार आयोजित होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
संयुक्त सचिव,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1042

पटना, दिनांक 12.05.2005

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के अगले अंक प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 1000 (एक हजार) अतिरिक्त प्रतियां निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

संयुक्त सचिव,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1042

पटना, दिनांक 12.05.2005

प्रतिलिपि:- महारजिस्ट्रार, भारत, गृह मंत्रालय, जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-1, रामकृष्ण पुरम नई दिल्ली- 110066 को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1042

पटना दिनांक 12.05.2005

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, विकास आयुक्त, बिहार, बिहार सरकार के सभी विभागों के आयुक्त एवं सचिव, सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1042

पटना दिनांक 12.05.2005

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन-सह-मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)
2. सभी संबंधित सदस्य
3. सभी प्रमंडलीय आयुक्त
4. सभी जिला पदाधिकारी
5. सभी उप विकास आयुक्त-सह-जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)
6. सभी प्रमंडलीय उप-निदेशक (सांख्यिकी)
7. सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सह-अपर-जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रकरण कार्य में अपेक्षित प्रगति लाने हेतु जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन के संबंध में मुख्य सचिव, बिहार का पत्र।

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग
(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

पत्रांक जी०सां०प्रो०-2/2005 /1364 पटना, दिनांक 09.06.2005

प्रेषक,

जी.एस. कंग

मुख्य सचिव,

बिहार।

सेवा मे,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय:- जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कार्य में अपेक्षित प्रगति लाने हेतु जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन।

महाशय,

आप अवगत है कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म-मृत्यु की शत-प्रतिशत घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है। राष्ट्रीय जन संख्या नीति, 2000 के तहत वर्ष, 2010 तक शत-प्रतिशत रजिस्ट्रीकरण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किन्तु, इस राज्य में जन्म-मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण काफी कम है। ज्ञात हो कि राज्य के जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की दयनीय स्थिति को देखते हुए उसमें अपेक्षित सुधार हेतु विगत वर्ष से अबतक कतिपय प्रयास किये गये है। उसी क्रम में दिनांक 15.12.04 को जिला पदाधिकारियों की उक्त विषय पर एक बैठक सम्पन्न की गई, जिसमें जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण में अपेक्षित सुधार लाने पर बल दिया गया ।

उल्लेखनीय है कि 27-28 जनवरी, 05 को नई दिल्ली में आयोजित मुख्य रजिस्ट्रारों (जन्म एवं मृत्यु) के सम्मेलन में माननीय में माननीय गृहमंत्री द्वारा बिहार राज्य के जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की गई, जिसके संबंध में सचिव, योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक 369 दिनांक 19.02.05 द्वारा जानकारी देते हुए रजिस्ट्रीकरण कार्य में अपेक्षित प्रगति लाने हेतु कारगर कदम उठाये जाने हेतु आपसे अनुरोध किया गया।

उपर्युक्त प्रयासों के बावजूद जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कार्य की स्थिति में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो पायी है।

अतः जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कार्य में अपेक्षित प्रगति लाने हेतु निर्णय लिया गया है कि जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कार्य की प्रतिमाह नियमित रूप से समीक्षा हेतु जिला स्तर पर एक टास्क फोर्स गठित की जाय। गठित की जाने वाली समिति का स्वरूप निम्न प्रकार होगा:-

1	जिला पदाधिकारी	-	अध्यक्ष
2	उप विकास आयुक्त-सह-जिला रजिस्ट्रार(जन्म-मृत्यु)	-	सदस्य
3	आरक्षी अधीक्षक	-	सदस्य
4	असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	-	सदस्य
5	जिला पंचायत राज पदाधिकारी	-	सदस्य
6	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी	-	सदस्य
7	जिला शिक्षा अधीक्षक	-	सदस्य
8	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी-सह-अपरजिला रजिस्ट्रार(जन्म-मृत्यु)	-	सदस्य

उपर्युक्त सदस्यों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य पदाधिकारियों को जिला पदाधिकारी द्वारा सदस्य के रूप में मनोनित किया जा सकता है।

उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के एक पक्ष के अन्दर उक्त टास्क फोर्स का गठन कर उसकी बैठक आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही प्रत्येक माह में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही आयुक्त एवं सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को अनिवार्य रूप से लभ्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाय, ताकि राज्य के जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की स्थिति में उल्लेखनीय प्रगति संभव हो सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन
मुख्य सचिव,
बिहार,पटना।

ज्ञापांक 1364

पटना, दिनांक 09.06.2005

प्रतिलिपि:- 1. सभी उप विकास आयुक्त-सह-जिला रजिस्ट्रार(जन्म एवं मृत्यु)
2. सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी-सह-अपरजिला रजिस्ट्रार(जन्म एवं मृत्यु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आयुक्त एवं सचिव,
योजना एवं विकास विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1364

पटना, दिनांक 09.06.2005

प्रतिलिपि:- 1. सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सांख्यिकी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आयुक्त एवं सचिव,
योजना एवं विकास विभाग
बिहार, पटना।

रान्यास के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति के पुर्नगठन हेतु।

परिशिष्ट 'च'

बिहार सरकार,

योजना विभाग,

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

विषय:-राज्य स्तरीय समन्वय समिति का पुर्नगठन।

राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण संगठन, योजना मंत्रालय(भारत सरकार) के क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यकर्ताओं के ढाँचे में परिवर्तन के फलस्वरूप राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के लिए गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति का पुर्नगठन आवश्यक हो गया है । अतः राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण संगठन योजना मंत्रालय के पत्रांक 12011/1/73 एवं 5.डी. दि 22 दिसम्बर 1973 में विहित अनुदेशों के अनुसार राज्य स्तरीय समन्वय समिति के पुर्नगठन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

1. निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना- अध्यक्ष
2. संयुक्त निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना-सदस्य
3. उप-निदेशक, सांख्यिकी(रान्यास), सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना-सदस्य
4. सहायक निदेशक(एफ0ओ0डी0) राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण संगठन, भारत सरकार, कंकड़बाग, पटना- सदस्य
5. सहायक निदेशक(एफ0ओ0डी0) राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण संगठन, भारत सरकार, रौंची-सदस्य
2-समिति राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण संगठन, योजना मंत्रालय(भारत सरकार) द्वारा विभिन्न सत्रों में कार्यान्वित किये जाने वाले सामाजिक सह आर्थिक सर्वेक्षण के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगी और केन्द्र तथा राज्य के बीच इन सर्वेक्षणों से संबंधित विषयों पर समन्वय स्थापित करेगी।

आदेश-आदेश दिया जाता है कि इसकी प्रति समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित की जाय।

ह0/-

निदेशक

ज्ञापांक-693

पटना, दिनांक-10.5.74।

प्रतिलिपि-समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक सह संयुक्त सचिव,
योजना विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-693

पटना, दिनांक-10.5.74।

प्रतिलिपि-निदेशक(एफ0ओ0डी0), राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण, संगठन, योजना मंत्रालय, आर0के0 पुरम, नई दिल्ली-22/ सभी उप-निदेशक, मुख्यालय, पटना / सांख्यिकी पदाधिकारी (रान्यास) मुख्यालय, पटना/प्रशासी पदाधिकारी, मुख्यालय, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-3 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक-सह-संयुक्त सचिव,
योजना विभाग, बिहार सरकार।

शहरी प्रतिदर्श सर्वेक्षण एवं निरीक्षण के संबंध में क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए अनुदेश।
बिहार सरकार
योजना विभाग
(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)
पत्रांक-रान्यास-12/83/266

प्रेषक,

श्री केदार नाथ तिवारी, निदेशक।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय उप-निदेशक (सां०)

सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

पटना, दिनांक-22 फरवरी 1983।

विषय:-शहरी प्रतिदर्श सर्वेक्षण एवं निरीक्षण के संबंध में क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए अनुदेश।

महाशय,

ऐसा पाया गया है कि राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण का मार्गदर्शिका में वर्णित नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। फलस्वरूप क्षेत्रीय कार्य की कोई निरीक्षण की मात्रा अनुसूचियों के उपस्थापन की स्थिति अच्छी नहीं है। शहरी प्रतिदर्श के सर्वेक्षण एवं निरीक्षण के संबंध में निदेशालय स्तर से निम्नलिखित निर्णय लिये जाते हैं-

1. भारत सरकार से प्राप्त शहरी प्रतिदर्श इकाई के नक्शे का ट्रेसिंग राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, भारत सरकार के सहायक निदेशक/अधीक्षक के कार्यालय में पड़ने वाले रान्यास निरीक्षणालय के सांख्यिकी निरीक्षक (रान्यास) के द्वारा निर्माण किया जाएगा। नक्सा का निर्माण कर वे संबंधित निरीक्षणालय के जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को भेज देंगे। जिसकी प्रति संबंधित उप निदेशक तथा निदेशालय को भी देंगे। शहरी इकाई के क्षेत्रीय कार्य संपादन हेतु वितरण सूची (ज्ञापांक-1880 दिनांक-10.2.83 से भेजी गयी है) के अनुसार आवंटित प्रतिदर्श इकाई के जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को नक्सा भेज दिया जाय, यदि वह अभी तक नहीं भेजी गयी हो।
- 2- आवंटित शहरी प्रतिदर्श इकाई के अन्वेषक का भ्रमण कार्यक्रम जिला सांख्यिकी पदाधिकारी संबंधित शहरी प्रतिदर्श इकाई के जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं निदेशालय को एक माह पूर्व निश्चित रूप से भेज दिया करें।
- 3- प्रत्येक जिला/क्षेत्र के अन्तर्गत पड़नेवाले शहरी प्रतिदर्शों को निरीक्षण उस जिला/क्षेत्र के निरीक्षण पदाधिकारी द्वारा ही किया जाय।
- 4- निरीक्षण पदाधिकारी जिस प्रतिदर्श का निरीक्षण करें। शहरी एवं ग्रामीण उस प्रतिदर्श की अनुसूची 0.1/0 एवं संबंधित प्रतिदर्श परिवार की अनुसूची के अभियुक्त अंश में अपनी अभियुक्त एवं हस्ताक्षर अवश्य अंकित करें।
- 5- अन्वेषक शहरी प्रतिदर्श के सर्वेक्षण की समाप्ति के पश्चात संबंधित जिला सांख्यिकी कार्यालय/रान्यास निरीक्षणालयों से सर्वेक्षण का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें।

6- निदेशालय पत्रांक रान्यास 1-31/66-67/3048 दिनांक-15.7.67 जो सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को संबोधित है में स्पष्टतः निदेश है कि दूसरे निरीक्षणालय के अन्वेषक प्रतिदर्श सर्वेक्षण के लिए उनके क्षेत्र में आते हैं तो स्पष्टतः उनके कार्य का निरीक्षण संबंधित क्षेत्र के सांख्यिकी पर्यवेक्षक/निरीक्षक करेंगे जिस निरीक्षणालय क्षेत्र में प्रतिदर्श पड़ते हों। इसका अक्षरशः पालन किया जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

निदेशक।

ज्ञापांक 266/दि0 22 फरवरी 1983

प्रतिलिपि-सांख्यिकी निरीक्षक(रा0) दुलाली भवन, पुरनदाह, देवघर(2) सांख्यिकी निरीक्षक(रान्यास) एतवारी राय गुप्ता भवन, गोशाला रोड, जुगसलाई, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह0/-

संयुक्त निदेशक(रान्यास)

क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यक अनुदेश।

बिहार सरकार

योजना विभाग

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

पत्रांक-रान्यास-क/12/83/349

प्रेषक,

श्री केदार नाथ तिवारी, निदेशक

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय निदेशक (सां०),

सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

पटना, दिनांक-3.3.83।

विषय:- क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यक अनुदेश।

महाशय,

सांख्यिकी निरीक्षक/अन्वेषक के द्वारा प्रेषित भ्रमण कार्यक्रम, मासिक प्रगति प्रतिवेदन निदेशालय समय पर नहीं पहुँच पाता है। फलस्वरूप निदेशालय स्तर से क्षेत्र का निरीक्षण करना संभव नहीं हो रहा है और न भारत सरकार के पास ही संकलित मासिक प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित समय पर भेजा जा रहा है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निम्नांकित निर्णय लिए गए हैं:-

1. सांख्यिकी निरीक्षक/अन्वेषक प्रत्येक माह की 1 से 5 तारीख एवं 26 तारीख से महीने के अंत तक मुख्यालय में उपलब्ध रहेंगे।
2. क्षेत्र से वापस आते ही सांख्यिकी निरीक्षक/अन्वेषक बैठकर आपस में राय मशविरा कर प्रत्येक माह का भ्रमण कार्यक्रम एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को इस माह के अंतिम कार्य दिवस तक उपस्थापित करेंगे।
3. प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस को जिला सांख्यिकी पदाधिकारी रान्यास कार्यों की समीक्षा किया करेंगे। समीक्षोपरांत अनुमोदित भ्रमण कार्यक्रम, मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं समीक्षा की एक प्रति निदेशालय के उप निदेशक (रान्यास) के नाम से भेज देंगे। सांख्यिकी निरीक्षक(रान्यास) की जिम्मेवारी होगी कि वे डाक प्रेषण के संबंध में आश्वस्त होलें कि प्रतिवेदन निदेशालय को सही समय पर भेजा जा रहा है।
4. सांख्यिकी निरीक्षक/अन्वेषकों का भ्रमण कार्यक्रम चालु माह के 6 तारीख से 25 तारीख की अवधि में अधिकतम 7 दिन दिया जाय। विशेष परिस्थिति में कार्य की अधिकता होने पर इसकी अवधि में विस्तार किया जा सकता है। भ्रमण कार्यक्रम बनाते समय ध्यान रहे कि सभी उपसत्र का कार्यभार संबंधित उपसत्र की अवधि में ही समाप्त हो जाय।
5. भ्रमण में जाने से पूर्व अन्वेषक पिछले माह के सर्वेक्षित ग्रामों की भरी हुई अनुसूचियों को सांख्यिकी निरीक्षक के पास उपस्थापित कर दें। ऐसा नहीं करने पर मार्गदर्शिका के पत्रांक 3416 दिनांक-2.6.67 के अनुसार नियंत्रण पदाधिकारी के द्वारा कार्रवाई की जाय।
6. सांख्यिकी निरीक्षक/अन्वेषकों का भ्रमण कार्यक्रम इस प्रकार बनाया जाय कि यथा रान्यास कार्यकर्ता मुख्यालय में उपलब्ध रहें।

7. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी अपने स्तर से सांख्यिकी निरीक्षक/अन्वेषकों की पहचान पत्र की आपूर्ति की व्यवस्था करेंगे जिससे क्षेत्रीय कार्य सम्पादन में उन्हें कठिनाई न हो।
8. निदेशालय से पत्राचार करते समय पिन कोड 800015 अवश्य व्यवहार किया जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

निदेशक।

ज्ञापांक-349

दिनांक-3.3.83।

प्रतिलिपि-सांख्यिकी निरीक्षक(रा0) दुलाली भवन, पुरनदाह 'बी' देवघर(2) सांख्यिकी निरीक्षक(रान्यास) एतवारी राय गुप्ता भवन, गोशाला रोड, जुगसलाई जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह0/-

संयुक्त निदेशक(रान्यास)।

सामाजिक सह आर्थिक प्रतिदर्शी का संयुक्त निरीक्षण।

बिहार सरकार

योजना विभाग

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

पत्रांक-रा.च.4/88/89/990

प्रेषक,

डा० एच.के. दास,

वरीय संयुक्त निदेशक।

सेवा मे,

क्षेत्रीय सहायक निदेशक,

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन कंकड़बाग, पटना,

चक्कर मैदान, मुजफ्फरपुर/दीप्ति पाड़ा, राँची।

पटना, दिनांक-7.10.88।

विषय:-सामाजिक सह आर्थिक प्रतिदर्शी का संयुक्त निरीक्षण।

प्रसंग:-भारत सरकार का ज्ञापन दिनांक-7.9.88।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंग पत्र के संबंध में कहना है कि रा.प्र.स. संगठन, नयी दिल्ली के पत्र दिनांक-10.4.87 तथा 26.5.87 पर पूर्व में लिये गये निर्णय के अनुसार रान्यास 44वें सत्र में भी रा.प्र.सं.सं. भारत सरकार तथा राज्य के पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किये जायेंगे। संयुक्त निरीक्षण के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक दिनांक-8.2.88 में निम्नांकित निर्णय लिये गये थे जिनका अनुपालन 44वें सत्र में किये जाएँगे।

1. रा.प्र.सं. संगठन, नयी दिल्ली के निदेशानुसार केन्द्रीय एवं राज्य के पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त निरीक्षण प्रत्येक उप सत्र के 2 प्रतिदर्शी (एक प्रतिदर्श केन्द्रीय इकाई का तथा दूसरा प्रतिदर्श राज्य इकाई का) प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई उत्तरी बिहार, केन्द्रीय (बिहार तथा दक्षिण बिहार) में किया जाएगा।
2. पूर्व उप सत्र के सर्वेक्षित प्रतिदर्शी में से ही 2 प्रतिदर्श का चुनाव संयुक्त निरीक्षण के लिये क्षेत्र 0स0नि0 रा.प्र.सं. के द्वारा सम्बन्धित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी से सम्पर्क कर लिया जाएगा।
3. संयुक्त निरीक्षण समिति उत्तरी, दक्षिणी तथा केन्द्रीय बिहार क्षेत्र के लिये अलग-अलग गठित की जाएगी।
4. क्षेत्रीय स.नि.(रा.प्र.सं.) संयुक्त निरीक्षण समिति के संयोजन होंगे और प्रमंडलीय उपनिदेशक (सां.) सम्बन्धित क्षेत्र यानि जिस जिला में सम्बन्धित प्रतिदर्श का निरीक्षण संयुक्त निरीक्षण समिति के द्वारा की जाएगी, संयुक्त निरीक्षण समिति के सदस्य होंगे।
5. वे संयुक्त निरीक्षण समिति के द्वारा चयनित प्रतिदर्श के निरीक्षण का विस्तृत कार्यक्रम यथा तिथि, समय, स्थान आदि का पूर्ण विवरण निदेशक सांख्यिकी एवं मूल्यांकन बिहार, पटना को भेजेंगे तथा उनसे अनुरोध करेंगे कि संयुक्त निरीक्षण में निदेशालय स्तर (रान्यास इकाई) के प्रतिनिधि को इस निरीक्षण में मात्र भाग लेने के लिए भेजें।

अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त निर्णयों के अनुसार सामान-सह-
आर्थिक प्रतिदर्श का संयुक्त निरीक्षण की समुचित व्यवस्था यथा शीघ्र की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

वरीय संयुक्त निदेशक।

ज्ञापांक 990 पटना दि0 7.10.88

प्रतिलिपि:- निदेशक रा0प्र0स0स; क्षेत्रीय संकाय प्रभाग , भारत सरकार ,संगम थियेटर बिलिडग,
आर0के0पुरम नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/-

वरीय संयुक्त निदेशक।

ज्ञापांक 990 पटना दि0 7.10.88

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय उप-निदेशक सांख्यिकी /सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी /सांख्यिकी
निरीक्षक रान्यास एतवारी राय गुप्ता भवन गौसाला रोड जुगलसलाई जमशेदपुर को
आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

वरीय संयुक्त निदेशक।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण से संबंधित क्षेत्रीय कार्य करने वाले अन्वेषकों को
विधि व्यवस्था कार्य से मुक्त रखने के संबंध में।

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

संचिका संख्या-रान्यास-'ग'-05/2004

अनुमोदन के हेतु प्रारूप

पत्रांक-598

दिनांक-24.03.2004

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

पटना/गया।

विषय:-राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण से संबंधित क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य करने वाले अन्वेषकों को विधि व्यवस्था कार्य से मुक्त रखने के संबंध में।

महाशय,

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों की अनुशांसा पर सर्वेक्षण हेतु राष्ट्रीय महत्व के सामाजिक -सह-आर्थिक विषयों का चयन किया जाता है। इस सर्वेक्षण को निर्धारित समय सीमा के अंदर समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार कृत संकल्प है। इस हेतु केन्द्र सरकार को प्रत्येक माह सर्वेक्षण कार्य की प्रगति से अवगत कराना आवश्यक होता है। परन्तु कतिपय जिलों में इस कार्य से सम्बद्ध अन्वेषकों/सांख्यिकी निरीक्षक के विधि व्यवस्था में लगा दिये जाने के कारण निर्धारित मांपदंड के अनुरूप सर्वेक्षण का कार्य नहीं हो रहा है। सांख्यिकी एवं एवं मूल्यांकन निदेशालय के पत्रांक-7 दिनांक-04.1.2000 द्वारा अनुरोध किया गया है कि इस कार्य से सम्बद्ध कार्यकर्ताओं को विधि व्यवस्था से मुक्त रखा जाय।

अतः अनुरोध है कि जिला सांख्यिकी कार्यालय में पदस्थापित अन्वेषकों एवं सांख्यिकी निरीक्षक, जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण कार्य हेतु पदस्थापित हैं, को यथासंभव विधि व्यवस्था कार्य से मुक्त रखने की कृपा की जाय ताकि वे राष्ट्रीय महत्व के सर्वेक्षण को स-समय सम्पन्न कर सकें।

विश्वासभाजन

सचिव,

योजना एवं विकास विभाग,

बिहार, पटना।

योजना एवं विकास विभाग (सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय) के अन्तर्गत सांख्यिकी पर्यवेक्षक, जिला सांख्यिकी पर्यवेक्षक, प्रोग्रामर, आर्थिक अन्वेषक, शोध सहायक, सांख्याता आदि पदों को वर्तमान वेतनमान-880-35-1370-द.अ.-35-1510 में ही राजपत्रित धोषित करने एवं उसका पदनाम 'सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी' करने के संबंध में।

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 ज्येष्ठ 1905(श10)

(सं.पटना 665)

पटना, मंगलवार, 31 मई, 1983

सं0-स्था03/स्था.1-14/82-1800

योजना विभाग

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

संकल्प

20 मई 1983

विषय:- योजना एवं विकास विभाग (सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय) के अन्तर्गत सांख्यिकी पर्यवेक्षक, जिला सांख्यिकी पर्यवेक्षक, प्रोग्रामर, आर्थिक अन्वेषक, शोध सहायक, सांख्याता आदि पदों को वर्तमान वेतनमान-880-35-1370-द.अ.-35-1510 में ही राजपत्रित धोषित करने एवं उसका पदनाम 'सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी' करना ।

योजना एवं विकास विभाग (सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय) के अन्तर्गत 880-35-1370-द.अ.-35-1510 के चतुर्थ पुनरीक्षित वेतनमान में सांख्यिकी पर्यवेक्षक, जिला सांख्यिकी पर्यवेक्षक, प्रोग्रामर, आर्थिक अन्वेषक, शोध सहायक, सांख्याता आदि अराजपत्रित कर्मचारी कार्यरत हैं। वे क्षेत्र में वरीय सांख्यिकी सहायक, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, सकलक, कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक, अमीन, राजस्व विभाग के कर्मचारियों और ग्राम पंचायत विभाग के पंचायत सेवकों द्वारा सम्पादित कृषि सांख्यिकी एवं जीवनांक संबंधी कार्यों का निरीक्षण और मार्गदर्शन करते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि सांख्यिकी, जीवनांक, रान्यास तथा अन्य परियोजनाओं के आँकड़ों का संकलन, परीनिरीक्षण, सुयुक्त पर्यवेक्षण और सत्यापन तथा फसल कटनी प्रयोगों का भी निरीक्षण करते हैं तथा प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तर पर अन्य विभागों के पदाधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर उन विभागों से संबंधित आँकड़ों को प्राप्त कर निदेशालय में भेजवाते हैं। निदेशालय 'मुख्यालय' में कई तकनीकी प्रशाखाएँ हैं। प्रत्येक प्रशाखा के प्रभारी सांख्यिकी पर्यवेक्षक होते हैं और उनके अधीन वरीय सांख्यिकी सहायक, कनीय सांख्यिकी सहायक, सकलक, छिद्रक एवं सत्यापक, संचालक आदि कर्मचारी होते हैं। इन प्रशाखाओं का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्षेत्र से प्राप्त सभी आँकड़ों का संकलन और विश्लेषण आदि कार्य उन्हीं के द्वारा किया जाता है और तैयार किये गये आँकड़े भारत सरकार एवं राज्य के अन्य विभागों को भेजा जाता है जिसके आधार पर केन्द्रीय एवं राज्य सरकार विकास के अनेक कार्यों की योजनाओं तैयार करती हैं। इस

प्रकार सांख्यिकी पर्यवेक्षक, जिला सांख्यिकी पर्यवेक्षक, प्रोग्रामर, आर्थिक अन्वेषक, शोध सहायक, सांख्याता आदि का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण एवं गुरुतर दायित्व का है। उनके वेतनमान के एवं उनसे कम वेतनमान के विभिन्न पद जो विभिन्न विभागों के हैं पहले से ही राजपत्रित धोषित कर दिए गये हैं।

अतः राज्य सरकार ने जाँचोपरांत यह निर्णय लिया है कि सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय के सांख्यिकी पर्यवेक्षक, जिला सांख्यिकी पर्यवेक्षक, प्रोग्रामर, आर्थिक अन्वेषक, शोध सहायक, सांख्याता आदि पदों को वर्तमान वेतनमान-880-35-1370-द0रो0-35-1510 रु0 में ही निम्नांकित अनुबन्धों एवं शर्तों पर इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से राजपत्रित धोषित किया जाय एवं उनका पदनाम 'सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी' कर दिया जाय:-

(क) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3 पी.आर.सी. 3/81-एफ0/110770, दिनांक-30 दिसम्बर, 1981 के अनुसार इनके लिए स्वीकृत वेतन 880-35-1370 -द0रो0-35-1510 रु0 का कोई पुनरीक्षित नहीं होगा।

(ख) राजपत्रित धोषित किये जाने के बाद भी इन पदों पर नियुक्ति, प्रोन्नति आदि वर्तमान नियुक्ति पदाधिकारियों अर्थात् निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय ही करेंगे, तथा इन पदों के धारकों की सेवा शर्तें पूर्ववत् रहेगी। नियुक्ति एवं प्रोन्नति के मामले में लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना अपेक्षित नहीं होगा।

(ग) वित्त विभाग के ज्ञाप सं0-ए-3-10-3/81/4243 दिनांक-18 अप्रैल, 1981 में अन्तर्विष्ट निर्णयानुसार उनके वेतन, छुट्टी वेतन, वेतन वृद्धि और अन्य भत्ते की निकासी पूर्ववत् कार्यालय के संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्थापना वेतन विपत्रों पर की जाएगी। उनके दावों की निकासी भी बिहार कोषागार संहिता के वर्तमान नियमों के अनुसार ही होगी।

(घ) यह आदेश संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतियाँ 'राजपत्र' में जनसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित की जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सरकार के सभी विभागा सचिवालय के सभी संलग्न कार्यालयों/ सभी प्रमंडलायुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी अनुमंडलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित की जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

भारत सरकार योजना मंत्रालय सांख्यिकी विभाग, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, नई दिल्ली के निर्णयानुसार बिहार के लिए मूल्य सांख्यिकी विषयक तकनीकी समन्वय समिति के गठन के संबंध में।

बिहार सरकार

बिहार योजना

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

अधिसूचना सं०-मू०रा०सं०-1/84.....934..../ पटना, दिनांक-10.9.92

भारत सरकार योजना मंत्रालय सांख्यिकी विभाग, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन नई दिल्ली के पत्रांक-12011/1/3/80 पी०सी०एल० दिनांक-5/8/80 के निर्णयानुसार बिहार के लिये मूल्य सांख्यिकी विषयक तकनीकी समन्वय समिति को गठन किया जा रहा है। इस समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी/सदस्य होंगे।

1. निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन
बिहार, पटना। अध्यक्ष
2. संयुक्त निदेशक/सम्बद्ध पदाधिकारी,
प्रभारी मूल्य सांख्यिकी, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन,
नई दिल्ली। सदस्य
3. उप सचिव/सम्बद्ध पदाधिकारी,
खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग,
बिहार, पटना। सदस्य
4. उप निदेशक, शोध/सम्बद्ध पदाधिकारी,
बिहार कृषि विपणन पर्षद, पटना। सदस्य
5. उप-निदेशक, सांख्यिकी/सम्बद्ध पदाधिकारी,
पशुपालन विभाग, बिहार, पटना। सदस्य
6. संयुक्त निदेशक, कृ०सां०/सम्बद्ध पदाधिकारी,
कृषि विभाग, बिहार, पटना। सदस्य
7. उप श्रमायुक्त/सम्बद्ध पदाधिकारी,
श्रम एवं नियोजन विभाग, बिहार, पटना। सदस्य
8. उप-सचिव/सम्बद्ध पदाधिकारी,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना। सदस्य
9. संयुक्त निदेशक(मूल्य) सांख्यिकी एवं मूल्यांकन
निदेशालय, बिहार, पटना। सदस्य सचिव

उपर्युक्त सदस्यों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अध्यक्ष किसी अन्य पदाधिकारी को भी समिति की बैठक में विशेष रूप से भाग लेने हेतु आमंत्रित कर सकेंगे। समन्वय समिति के विचारणीय विषय निम्नांकित होंगे:-

1. मूल्य सांख्यिकी संग्रह में सुधार, उनका संकलन तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने की विधि के संबंध में विचार विमर्श।

2. थोक मूल्य खुदरा मूल्य, उपभोक्ता मूल्य एवं अन्य मूल्य सूचकांक के निर्माण हेतु अपनाई गई प्रणाली में सुधार तथा इससे सम्बन्धित संकल्प परिभाषा का मानकीकरण तथा आधार वर्ष में परिवर्तन आदि।
3. मूल्य सांख्यिकी ऑकड़े से सम्बन्धित कार्य प्रणाली में सुधार तथा मूल्य के परिभाषा में एकरूपता लाने के लिए उचित कार्रवाई।
4. मूल्य सांख्यिकी एवं सूचकांक तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित मूल्य सांख्यिकी कार्यकारी दल के अनुशंसाओं पर विचार विमर्श एवं राज्य में लागू करने हेतु सुझाव देना।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0-

आयुक्त एवं सचिव,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-934 पटना, दिनांक-10.9.92।

प्रतिलिपि:-

1. महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार, योजना मंत्रालय, सांख्यिकी विभाग, दीप शिखा भवन, राजेन्द्र पैलेस, नई, दिल्ली।
2. सभी आयुक्त/सचिव, बिहार, पटना।
3. सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना।
4. निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन, बिहार, पटना।
5. सभी सम्बद्ध पदाधिकारी।
6. निदेशक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना। उनसे अनुरोध है कि बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशित कर इसकी एक सौ अतिरिक्त प्रतियाँ इस कार्यालय में भेजने की कृपया व्यवस्था की जाय।

ह0-

आयुक्त एवं सचिव,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम के कार्यान्वयन मंत्रालय एन.एस.एस.ओ. नई दिल्ली के निदेश के आलोक में औद्योगिक सांख्यिकी में सुधार लाने हेतु राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन।

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग
(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)
संकल्प

भारत सरकार सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नई दिल्ली के पत्रांक एम.12019/3/आई.एस./एन.एस.सी./2002/को आई. दिनांक-26.2.2003 से प्राप्त निदेश के आलोक में औद्योगिक सांख्यिकी में सुधार लाने हेतु राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जाता है। समिति की संरचना निम्नवत् होगी:-

1. सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना अध्यक्ष
2. श्रमायुक्त, बिहार, पटना सदस्य
3. मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना सदस्य
4. निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना सदस्य
5. निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना। सदस्य
6. संयुक्त/उप-निदेशक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (क्षेत्र संकार्य प्रभाग) भारत सरकार, पटना। सदस्य-सचिव,

1. समिति के निम्नांकित कार्य होंगे:-

- (क) राज्य के औद्योगिक सांख्यिकी कार्यों में अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करना
- (ख) वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण हेतु प्रतिदर्श फ्रेम की समीक्षा करना।
- (ग) मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा संधारित औद्योगिक इकाइयों की सूची के अद्वितीकरण हेतु निदेशित करना।
- (घ) वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण हेतु आँकड़ों की आपूर्ति के लिए कारखानों को प्रोत्साहित करने तथा ननरेसपोन्स की संख्या में कमी लाने हेतु सुझाव देना।
- (ङ) बिहार चैम्बर्स ऑफ कामर्स एवं उद्योग तथा अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ विमर्श कर समस्याओं के निदान हेतु परामर्श देना।
- (च) राज्य में औद्योगिक सांख्यिकी कार्यों में सुधार लाने हेतु किए गए निर्णयों कार्यान्वित करना।
- (छ) समिति का मुख्यालय पटना होगा। समिति का सचिवालय सहायता राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (क्षेत्र संकार्य प्रभाग) भारत सरकार के संयुक्त/उप-निदेशक कार्यालय, बिहार केन्द्रीय क्षेत्र(साम्बे हाउस) कंकड़बाग, मेन रोड, पटना से प्राप्त।
- (ज) समिति अपनी कार्यविधि स्वयं तय करेगी तथा अगली बैठक में भाग लेने हेतु अन्य किसी पदाधिकारी अथवा विशिष्ट व्यक्ति को आयोजित कर सकेगी।

5. समिति की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी।

आदेश-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतियाँ राज्य सरकार के विभागों/विभागाध्यक्षों एवं प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों को प्रसारित की जाय तथा इसे बिहार राजपत्र असाधारण अंक में जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित भी की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-

सरकार के उप-सचिव
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1767 पटना, दिनांक-19.07.2004

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना 7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की 200 (दो सौ) मुद्रित प्रतियाँ निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना को लभ्य करा दी जाय।

ज्ञापांक-1767 पटना, दिनांक-19.07.2004

प्रतिलिपि:-समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप-सचिव
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1767 पटना, दिनांक-19.07.04 ।

प्रतिलिपि:- सरकार के सभी विभागों/ विभागाध्यक्षों/प्रमण्डलीय आयुक्तों/ जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप-सचिव,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1767 पटना, दिनांक-19.07.2004।

प्रतिलिपि:-श्री एम.नीलकंठ, उप महानिदेशक, भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (क्षेत्र संकार्य प्रभाग) मुख्यालय, इस्ट ब्लॉक-6 और 7 तल, आर0के0पूरम, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।